राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 2] सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 5 वां दिवस [संख्या 3

मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री हरिसिंह।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर प्रश्न काल में नहीं होता है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि सदन कल आज शाम के 5-00 बजे तक के लिये स्थगित किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं पधार गये थे। आपको इत्तला है। कृपया बैठ जायें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछने का अधिकार मुझे दे गये हैं।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

कुम्हेर क्षेत्र में सिंचाई हेतु नल कूप लगाना।

24. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) [श्री हरिसिंह (कुम्हेर) की अनुपस्थिति में] क्या भू-जल विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में राज्य सरकार ने कृषि सिंचाई हेतु नल कूप लगाने की कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा? नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, भू-जल विभाग (श्री शीशराम ओला) : अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न का उत्तर सही नहीं आ पाया है इसलिए स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है केवल एक विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है। अगर इस तरह उत्तर आने में देरी लगने लगी है तो··

एक माननीय सदस्य : आप क्यों इसको लम्बा करते हो।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी नये हैं अभी।

श्री राम किशोर मीणा।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 42 भी इसी से सम्बन्धित है इसलिए इसका उत्तर भी साथ ही दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री राम किशोर मीणा।

कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए विशेष न्यायालय

25. **श्री राम किशोर मीणा (सिकराय):** क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य में कमजोर वर्ग के लोगों पर होने वाले अत्याचारों और ज्यादतियों की रोकथाम और जांच के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने की सरकार ने घोषणा की थी ?

(2) यदि हां, तो राज्य में कितने न्यायालय स्थापित किये गये और उनके पास कितने मामले पेश हुए ? यदि न्यायालय स्थापित नहीं किये गये, तो क्यों ?

विधि एवं न्याय मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) कमजोर वर्ग के लोगों के लिए घोषणा नहीं की थी अपितु अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए राज्य में विशेष न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी एवं स्थापित कर दिये गये।

(2) क्रमशः तीन विशेष न्यायालय अलवर, कोटा एवं नागौर में स्थापित किये गये हैं। मामलों की संख्या उच्च न्यायालय से संकलित की जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही सदन के पटल पर एवं माननीय सदस्य महोदय को अवगत करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : साथ ही उत्तर दे दिया जाय इसका भी।

श्री हीरालाल आर्य।

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को सस्ता सुलभ न्याय दिलाने की व्यवस्था

42. **हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिये अलग से न्यायालय स्थापित किये गये हैं जिस कारण गांव की अदालतों के मामले भी इन अदालतों में मंगवा लिये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो कोटा की अदालत में कितने कितने मामले गांवों की अदालत से आये हैं ? कृपया इटावा, सांगोद, रामगंज मण्डी, बारां, छबड़ा आदि की अदालतवार संख्या बतायें।

(3) क्या यह सही है कि इन विशेष अदालतों की वजह से अनुसूचित जाति तथा जन जाति के लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार अनुसूचित जाति तथा जन जाति के लोगों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु उचित व्यवस्था करेगी ?

विधि एवं न्याय मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां, तीन न्यायालय क्रमशः नागौर, अलवर एवं कोटा में स्थापित किये गये हैं।

(2) सूचना राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से संकलित की जा रही है। सदन के

(श्री हीरालाल देवपुरा)
पटल पर एवं माननीय सदस्य को शीघ्र ही सूचना की जानकारी से अवगत करा दिया जायेगा।

(3) अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को सुविधा दिलाने की दृष्टि एवं भावना से ही तीन न्यायालय स्थापित किये गये हैं।

(4) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री हीरा लाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, जब तीन स्पेशल कोर्ट्स खोले गये हैं क्या यह सही है कि उनमें कुछ मामले बहुत दूर दूर के लिये गये थे जिनसे सस्ता न्याय मिलने में दिक्कत हो रही है ? किसी पास वाले कोर्ट में देते तो न्याय महंगा नहीं पड़ता। यदि सही है तो फिर स्पेशल कोर्ट्स खोलने का इरादा क्या था ?

श्री हीरा लाल देवपुरा : मैं समझता हूं, और भी सवाल शायद इसी किस्म के होंगे..

श्री अध्यक्ष : आपने क्या फर्माया ?

श्री हीरा लाल देवपुरा : मैं अर्ज यह कर रहा हूं कि इसी तरह के सवालात और होंगे। मैं साथ ही जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री पचेरवाल। कृपया पूरक प्रश्न पूछें।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोटा में जो न्यायालय खुला है वह केवल कोटा डिवीजन के लिये ही है या और किसी संभाग के लिये भी है ? अब तक उसमें कितने मुकदमे आये हैं ?

श्री हीरा लाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, कोटा में जो विशेष अदालत खोली गई है उसके अन्तर्गत पूरा जिला है या क्या इटावा, छबड़ा, रामगंज मण्डी और सांगोद आदि के केसेज भी कोटा में आते हैं ? अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग, जो वहां न्याय प्राप्त करते हैं, को दूर दूर चल कर वहां आना पड़ता है इसलिये समय भी और पैसा भी खर्च होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, विशेष अदालतों के बजाय जो गांवों की अदालतें हैं उनको ही निर्देश दिया जाय कि जो अनुसूचित जाति और जन जाति के मामले हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर वहीं निपटाया जाय ताकि जो मंशा है सरकार की कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को सस्ता न्याय मिले, वह पूरी हो और उनको आसानी भी हो। इसलिए मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां की स्थानीय अदालतों को ही इस प्रकार के निर्देश दिये जायं। विशेष अदालतों का उनके लिये कोई औचित्य नहीं है और प्रेक्टिकल रूप से गलत है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, केवल सांगोद तहसील के 350 मुकदमे ट्रान्सफर होकर आये हैं। उनके 350 वकील लोग हैं उनको भी मुकदमों में मौजूद रहना पड़ता है। एक एक वकील की 300, 300 रुपये फीस होती है, आपने अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों पर भार बढ़ाया है। कोटा में 500 लोगों में से एक भी व्यक्ति का केस नहीं निपटाया है। तीन तीन महीने के नोटिस हैं अतः मेरा निवेदन करना यह है कि जो सरकार की मंशा है विशेष अदालतें खोलने की और सस्ता न्याय दिलाने की वह पूरी नहीं हो रही है बल्कि न्याय

(श्री दाऊदयाल जोशी)
और महंगा हो रहा है और व्यक्ति भी परेशान है . . .

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में, माननीय सदस्य। श्री नन्द लाल।

श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) : मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सस्ता न्याय देने के लिये जो विशेष न्यायालय स्थापित किये गये हैं, क्या उन न्यायालयों में उपस्थिति के लिये जो लोग आयेंगे उनके आने जाने का भार सरकार वहन करेगी ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आदिवासी लोगों के लिये उदयपुर में कौनसा न्यायालय है, जहां सस्ते न्याय के लिये उनको जाना पड़ेगा ? बहु-संख्या में आदिवासी लोग वहां रहते हैं। कृपया मंत्री महोदय यह बतायें कि कौनसी जगह डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी लोगों को न्याय के लिये जाना पड़ेगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं विशेष अदालतें कब प्रारम्भ कीं ? इनमें कितने मुकदमे आये, कितनों का निपटारा हुआ और जो विशेष सुविधायें देने की बात है वह क्या दी ?

श्री अध्यक्ष : यह आखरी पूरक प्रश्न होगा।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि इन विशेष न्यायालयों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए स्थापित किया गया है तो मैं बताना चाहता हूं कि इनके कारण से जहां अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को पहले 15–20 मील तक जाना पड़ता था अब 100-150 मील तक जाना पड़ता है। क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी कि इन न्यायालयों में जो मामले चल रहे हैं उन्हें स्थानीय न्यायालयों में लायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : इसको समाप्त किया जाय। माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के लिए जो विशेष न्यायालयों की स्थापना की, जैसा कि मैंने बताया था कि घोषणा करने से पहले और घोषणा के अनुसार भी और न्यायालय स्थापित करने के समय भी दृष्टिकोण यही था कि इन लोगों को सस्ता न्याय दिलाया जाय। इस प्रकार के न्यायालय तीन जगह खोलकर एक एक्सपेरीमेन्ट के तौर पर यह देखा गया कि क्या इनका लाभ इन लोगों को मिल सकता है। तीन जगह की सुविधा सब को सुलभ न्याय नहीं दे सकती, काफी दूर से लोग आते हैं, मैं इस बात से इत्तिफाक करता हूं। मैं स्वयं मानता हूं और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इन न्यायालयों से कैसे सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा और कैसे मुकदमे निपटाये जा सकेंगे। इसीलिए मैंने उत्तर में कहा कि विचाराधीन है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है कि किस तरह से इस तरह के न्यायालय स्थापित किये जायें जिससे अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को सुलभ न्याय मिल सके और जल्द

(श्री हीरालाल देवपुरा)

से जल्दी मामले निपटाये जा सकें। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि वर्तमान में जो न्यायालय हैं, उनमें कुछ ऐसा प्रोसीजर बनाया जाय कि इनको प्राथमिकता दी जाकर इनके मामले निपटाये जायें या डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर किया जाय, यह हम सोच रहे हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो चिन्ता आपको है, वही मुझे और सरकार को है। इस प्रकार का कोई निर्णय लेकर ही निर्णय करेंगे कि जो उनको सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की घोषणा है, वह पूरी हो सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, नीति सम्बन्धी प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : आपने एक साथ प्रश्न पूछने की इजाजत चाही थी, वह मैंने दे दी। अब समाप्त कर दिया है। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अगला प्रश्न, श्री नाथूसिंह।

(व्यवधान)

कृपया बैठें। कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : वे गांव के अन्दर, गांव में नहीं आ सकते···

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने पूरी योजना पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया है।

कृपया इस प्रकरण को यहीं समाप्त कीजिएगा।

श्री नाथूसिंह।

(व्यवधान)

श्री हीरा लाल आर्य : अनुसूचित जाति और जन जाति के जो लोग होते हैं, अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगला प्रश्न। श्री नाथूसिंह। आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रश्न के बारे में सचमुच अनुसूचित जाति जन जाति···

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है···

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : सरकार इस पर विचार कर रही है और गरीब अव्यवस्था का सामना कर रहे हैं व परेशानी में पड़ रहे हैं। जो सैकड़ों हमारे लोग, गरीब लोग हैं, उनको परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है। अदालतें उन्हें न्याय नहीं दे रही हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने ये जो अदालतें नियुक्त की हैं,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

वे अनुसूचित जाति एवं जनजाति और आदिवासियों के लिए हैं। आप कृपया, क्या मेरी इस अपील को मंजूर करेंगे कि इस विषय पर आधा घण्टे की चर्चा हो जाय ताकि विचार सरकार के सामने रखे जा सकें? अगर इस प्रकार की किसी समय जो इतना महत्व का प्रश्न है, इस पर चर्चा हो जाय···

श्री अध्यक्ष : मैं इसके लिए आश्वासन नहीं दे सकता। माननीय सदस्य, यदि आप नियम के अनुसार कोई प्रस्ताव रखेंगे तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस प्रश्न के बारे में मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय हीरालाल आर्य जी ने यह सुझाव दिया है कि जब तक इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया जाता तब तक अनुसूचित जाति के लोगों कि जो कठिनाइयां हैं, उनको मिटाने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है? पास में जो अदालतें हैं, उनके लिए क्या आप, तब तक यह निर्णय नहीं लेंगे···

श्री अध्यक्ष : उन्होंने महसूस किया है, कठिनाइयों को। कृपया, माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह।

नई बसों की खरीद

26. **श्री नाथू सिंह (बांदीकुई)** : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य परिवहन निगम नई बसें खरीदने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसकी लागत कितनी होगी व कितनी बसें खरीदी जायेंगी?

(2) क्या यह सही है कि कई बसें मामूली खराबी के कारण निगम में बेकार पड़ी हैं? यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है व इनका लगभग कितना मूल्य है व कितने वर्षों से इसी हालत में पड़ी हुई है?

यातायात मन्त्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) जी हां। वर्ष 1980-81 में 200 नई बसें खरीदने का लक्ष्य रखा गया था। जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 440 लाख रुपये होगी।

(2) जी नहीं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, कई बार राज्य पथ परिवहन निगम की विज्ञप्तियां निकलीं और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनके यहां कई बसें बेकार पड़ी हुई हैं। यह स्थिति है कि बेकार बसों को कुछ को तो नीलाम कर दिया गया और कुछ को बेच दिया गया, रंग खरीदा गया बताया और····

श्री अध्यक्ष : उन्होंने वर्तमान स्थिति है......

श्री नाथूसिंह : इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वर्तमान स्थिति बताना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय ने जो पार्ट सैकण्ड का उत्तर दिया, वह बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है, सही नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में पूरी जानकारी दें। कितने राष्ट्रीयकृत मार्ग, जिनकी सरकार ने घोषणा की है, पर

(श्री नाथूसिंह)
कितनी बसों की आवश्यकता है ? परिवहन निगम केवल 200 बसें खरीदेगा जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया लेकिन मैं इसके विपरीत 29 जनवरी को जो राजस्थान परिवहन निगम की विज्ञप्ति निकली है, उसकी जानकारी मंत्री महोदय को देना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, उन्होंने लिखा है, "राजस्थान परिवहन निगम इस वर्ष 7 करोड़ रुपए से 327 नयी बसें खरीदेगा ।" आपने बताया केवल 200 बसों के बारे में । उन्होंने लिखा है और लागत भी दी है, 7 करोड़ रुपए की 327 बसें खरीदेगा । निगम द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बताया गया कि "यात्रियों की सुविधा के लिए खरीदी जाने वाली बसों (270) का उपयोग वर्तमान मार्गों पर ही किया जायेगा और शेष 57 बसें नये मार्गों पर चलायी जायेंगी ।" आगे, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने भी जवाब दिया है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

श्री हरसहाय मीणा (किशनगंज) : यह स्पीच दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अनंग कुमार जैन : ये ट्रेजरी बैंचेज के लोग बोल रहे हैं तो क्या यह ठीक है ? विपक्षी सदस्यों की इस तरह से अवहेलना करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । आर्डर आर्डर ।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, इनको ट्रेनिंग दी जावे।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने सुना, उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम की 29 जनवरी की विज्ञप्ति गलत है या माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह गलत है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण दे रहे हैं, माननीय सदस्य । कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए । आप कहिए कि यह सूचना गलत है ।

श्री नाथूसिंह : फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं । इसलिए जो उत्तर दिया गया है, जो सूचना दी गई है मंत्री महोदय की तरफ से, वह सही नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, मंत्री महोदय ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह यह है कि "यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है व इनका लगभग कितना मूल्य है व कितने वर्षों से इसी हालत में पड़ी हुई हैं ।" मैंने इसके उत्तर में यह कहा है कि "जी नहीं ।" वर्षों से कोई पड़ी हुई नहीं हैं । आपने जो जानकारी चाही है कि मामूली खराबी के कारण जो वर्षों से बसें पड़ी हुई हैं तो उसके लिए मैंने कहा है कि जी नहीं । अगर आप आज की स्थिति की जानकारी चाहें तो मुझे देने में एतराज नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर देने दीजिये।

श्री नाथूसिंह : वह दीजिए।

(व्यवधान)

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : 17-2-81 को पोजीशन यह है कि आगार कार्यशाला में 86, सम्भाग कार्यशाला में 89 और केन्द्रीय कार्यशाला में 197, कुल टोटल 374। इसके अन्दर जो आगार कार्यशाला में आती हैं वह केवल नियमित रख रखाव के लिए आती हैं। सम्भाग कार्यशाला में आती हैं, वे मध्यम प्रकृति की मामूली खराबी को ठीक करने के लिए आती हैं और केन्द्रीय कार्यशाला में प्रमुख रूप से नवीनीकरण के लिए आती हैं। इन सबका टोटल मैंने आपको बताया है 374। वर्षों से पड़ी रहने का जो मूल प्रश्न था उसका प्रत्युत्तर था 'जी नहीं'। कई वर्षों से बसें पड़ी हुई नहीं हैं और वह स्थिति मैंने आपके सामने रखी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये नई बसें खरीद रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आवश्यक प्रश्न है। क्या हम आवश्यक प्रश्न भी नहीं कर सकते ?

श्री अध्यक्ष : पूछिए।

श्री राजबहादुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल कितनी संख्या बसों की हैं जो परिवहन निगम के नाम पर है ? कितना पर्सेन्टेज या अनुपात है जो कि सिक व्हिकल्स का है ? उसकी तुलना में अन्य पथ परिवहन निगम दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ के हैं वहां पर कितने पर्सेन्टेज सिक व्हिकल्स हैं और पूरी बसेज के अनुपात में कितने पर्सेन्ट सिक रही हैं ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : माननीय सदस्य के मूल प्रश्न के उत्तर में जानकारी दे दूं कि कुल व्हिकल्स की संख्या 2272 है।

श्री नाथूसिंह : नई बसें कितनी खरीद रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : मेरी आपत्ति यह है कि आपने अपने उत्तर में 200 बसें खरीदने की बात कही है और निगम की विज्ञप्ति के अनुसार 327 हैं...

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, सूचना सही नहीं है। मैंने विज्ञप्ति पढ़ी है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत लम्बी चर्चा हो गई। अगला प्रश्न।

श्री जीतमल जैन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछने दें...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य। श्री जीतमल जैन।

नगर परिषद् व नगरपालिकाओं के चुनाव

27. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार नगर परिषद् व नगरपालिकाओं के चुनाव कराना लोकतन्त्र को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उचित समझती है ?

(2) यदि हां, तो चुनाव किस तिथि तक सम्पन्न करा दिये जावेंगे ?

चुनाव मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (1) जी हां।

(व्यवधान)

(2) नगरपालिका आम चुनाव जनगणना, 1981 की समाप्ति पर उक्त जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मौजूदा वार्डों का पुनर्सीमन किया जाकर इस वर्ष के अन्त तक सम्पन्न कराने के प्रयत्न किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न पुकार लिया गया है, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नगर-परिषद् के चुनावों का मामला है। इस पर प्रश्न पूछने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि ये चुनाव शीघ्र ही करा दिये जावेंगे नई जनगणना के आधार पर वार्डों का पुनर्सीमन करके। पूर्व में भी सदन में इस प्रकार की घोषणा की थी कि चुनाव शीघ्र कराने की योजना सरकार रखती है। तो अब जो चुनाव कराये जायेंगे वे पुराने पुनर्सीमन के आधार पर कराये जायेंगे, या नए पुनर्सीमन के आधार पर कराये जायेंगे ? यह स्पष्टीकरण कर दें। क्या दुबारा वार्डों का पुनर्सीमन करायेंगे ?

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, 75 में भी पूर्व सरकार ने यह कहा था कि शीघ्र चुनाव कराये जायेंगे और आज भी माननीय मंत्री महोदय यही कह रहे हैं तो क्या इसकी कोई तिथि निश्चित की जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष : तिथि बताई है माननीय मंत्री महोदय ने।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): वर्ष के अन्त तक के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मेरा सुझाव है कि 30 फरवरी, 82 की घोषणा कर दें। 30 फरवरी, 82 कभी आएगी नहीं।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या उस समय तक जब कि इनके चुनाव कराये जायेंगे, मंत्री महोदय स्वयं इस विभाग के मंत्री रहेंगे ?

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, जो पूरक प्रश्न आवश्यक है उनको तो पूछने की इजाजत दें। यह हमारा एक मौलिक अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य। आपस में बातें नहीं करें।

श्री राजबहादुर : आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ये जनगणना का उल्लेख कर रहे हैं वह जनगणना 81 की होगी या 91 की होगी ? एक बात।

दूसरी बात यह है कि उस समय तक, आज जो हालत है नगरपालिकाओं की, जो नगरपालिकायें नरक पालिकायें बन गई हैं, उनको सुधारने का काम करेंगे या ये यों ही चलती रहेंगी ? इस नगर में हमारी राजधानी जो है, पिछले छः महीने में दो-दो बड़ी हड़तालें हो चुकी हैं। उनको रोकने का क्या प्रबन्ध है ? इसके लिए क्या आप प्रतिनिधि संस्थाओं को खतम करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें; माननीय सदस्य।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो नगरपालिकाओं के चुनाव होंगे वह अभी जो सेंसस 81 का चल रहा है, उसी के आधार पर होंगे। इसके अलावा आपने जो प्रश्न पूछे हैं वे इससे सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मंत्री महोदय ने जो बात कही है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पूछ लिया गया है। श्री नन्दलाल मीणा।

जिला चिकित्सालयों में रोगी शय्यायें

28. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के जिला चिकित्सालयों में कितनी-कितनी रोगी शय्यायें हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ में कुल कितनी रोगी शय्यायें है ? क्या यह सही है कि शय्यायें बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक मूर्त रूप दे दिया जावेगा ?

चिकित्सा मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा : (1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में कुल 121 रोगी शय्याएं कार्यरत हैं। जी हां, समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर इसे मूर्त रूप देना सम्भव होगा।

[सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें]

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ में 121 रोगी शय्याएं बताई हैं जब कि अगस्त माह में इसी सदन में 50 शय्यायें होने की घोषणा की थी ? वास्तव में भी पचास ही हैं और आप 121 बता रहे हैं तो 50 से 121 रोगी शय्यायें किस तारीख को की गईं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना के अनुसार····

श्री अध्यक्ष : टाईपिंग मिस्टेक होगी।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, वहां पर पचास से अधिक एक भी रोगी शय्या नहीं है। 121 होने की सूचना गलत है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप उत्तेजित कम होइये। अगर गलती है तो गलत मानूंगा। मेरी सूचना के अनुसार वहां पर 121 शय्याये हैं। माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि 50 ही हैं, मैं इसकी जांच कराऊंगा और जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बुलाकी दास कल्ला।

बीकानेर में पशु चिकित्सालय खोलना

29. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर पशुपालन प्रधान शहर है ? यदि हां, तो पशुओं की संख्या की तुलना में बीकानेर में पशु चिकित्सालय कितने हैं ? क्या यह सही है कि पशु चिकित्सालयों की संख्या कम है ? यदि हां, तो कब तक नये पशु चिकित्सालय खोल दिये जायेंगे ?

(2) वर्ष 1980–81 में राज्य में पशु चिकित्सालय खोलने का क्या आधार रहा है ? क्या इस आधार के अनुसार बीकानेर में पशु चिकित्सालय खोलने के स्पष्ट आधार थे ? यदि हां, तो पशु चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति क्यों नहीं दी गई ?

पशुपालन मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी नहीं। कुल पशुओं की संख्या 37,460 है जिनमें गाय, बैल, भेड़, बछड़े, भैंस, बकरी, घोड़े, गधे, ऊंट, सूअर शामिल हैं। पशु चिकित्सालय की संख्या तीन है जो कि पशुओं की संख्या को देखते हुए कम नहीं है।

(2) राज्य में पशु चिकित्सालय खोलने का आधार पशुओं की संख्या, गांवों की जनसंख्या, क्षेत्र की आवश्यकता एवं ग्रामवासियों द्वारा चिकित्सालय के लिये निःशुल्क भवन उपलब्ध कराने की सहमति इत्यादि हैं।

उक्त आधार पर बीकानेर में इस वर्ष अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता के मुकाबले खोला जाना सम्भव नहीं हो सका।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह जानना

(श्री बुलाकीदास कल्ला)
चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बीकानेर उन्नत नस्ल की भेड़ और ऊंट के लिए प्रसिद्ध है ? जो आपने तीन औषधालय बताये, उनमें से केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है। बीकानेर में केवल एक ही औषधालय है जो पशुओं की संख्या की तुलना में और जनसंख्या की तुलना में कम नहीं है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बीकानेर में अकाल की स्थिति अन्य जिलों से अधिक है। इस सबको ध्यान में रखते हुए क्या बीकानेर में दो नये पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता नहीं है ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बीकानेर जिले की जहां तक बात कही है वह बात सही है कि बीकानेर जिले में और ज्यादा खोले जाने चाहिये। लेकिन जहां तक बीकानेर शहर का सवाल है जहां हम राजस्थान में एवरेज 33,000 पशु संख्या के आधार पर औसत एक औषधालय दे पा रहे हैं, वहां यहां पर 37,460 पशुओं पर तीन औषधालय दिये हुए हैं। इसलिए शहर के अन्दर कोई कमी नहीं है। देहात में जरूर कमी है। इस वर्ष बीकानेर जिले के अन्दर तीन चिकित्सालय हमने खोले हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मंत्री महोदया उन तीनों चिकित्सालयों के नाम बताने की कृपा करें जो बीकानेर शहर में हैं ?

श्रीमती कमला : (1) बहुउद्देशीय चिकित्सालय, बीकानेर शहर।

(2) नाथूसर गेट पशु स्वास्थ्य केन्द्र, बीकानेर।

(3) पशु चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा संचालित पशु चिकित्सालय, बीकानेर शहर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह पशु चिकित्सालय बीकानेर शहर में नहीं है, यह यूनिवर्सिटी का एक अंग है और बीकानेर शहर से अलग निर्वाचन क्षेत्र में आता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप आने वाले समय में बीकानेर में देहात में पशु चिकित्सालय खोलने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री चेतराम।

श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम) : राजस्थान में ऐसे कितने पंचायत क्षेत्र हैं जिनमें एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री चेतराम मीणा : अभी, मंत्री महोदया, नये औषधालय खुलने वाले हैं। क्या नार्म्स के आधार पर जिन पंचायत क्षेत्र में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है वहां चिकित्सालय खोलने की कृपा करेंगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बीकानेर से सम्बन्धित प्रश्न है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : कितनी दवाइयां बांटी गई हैं ? वहां दवाइयां नहीं हैं और डाक्टर्स बैठे रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि....

श्री अध्यक्ष : मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। मास्टर भंवरलाल।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह भी भंवरलाल ही हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, भंवरलाल फर्स्ट और भंवरलाल सैकण्ड कर दें।

श्री भवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि जब तक वहां की जनता कोई भवन उपलब्ध नहीं करायेगी तब तक वहां पशु चिकित्सालय नहीं खोलेंगे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे स्थान हैं जहां गरीब लोग हैं जो भवन नहीं दे सकते हैं। क्या इस शर्त के अनुसार वहां पशु चिकित्सालय नहीं खोला जायगा ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की चिन्ता प्रकट की गई है। कई जिलों में और देहातों में इस नार्म्स के मुताबिक चिकित्सालय नहीं है। मैं मानती हूं कि जितनी हमारे राज्य की आवश्यकता है, जिलों की आवश्यकता है, उसके अनुपात में प्रावधान नहीं होने के कारण यह नार्म्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। धीरे-धीरे जैसे-जैसे प्रावधान बढ़ता जायगा, उसके अन्दर वृद्धि की जायगी, पशु चिकित्सालय खोले जायेंगे।

दूसरा, भवन की शर्त के बारे में कहा है। अध्यक्ष महोदय, हम यह अपेक्षा करते हैं कि भवन उपलब्ध कराया जाय। वह इसलिये कि एक चिकित्सालय हेतु भवन बनाने पर सरकार यदि 60-70-80 हजार रुपया खर्च करे तो एक ही जगह में उतना पैसा खर्च हो जायगा जितने में कि दो जगह पर चिकित्सालय खोल सकते हैं। हमने यह उम्मीद की है कि वह भवन दें तो और औषधालय खोल सकते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी जगह है, जहां पर गरीब लोग हैं और पशु चिकित्सालय खोलना जरूरी है तो उसको भी हम हाथ में लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। मास्टर भंवरलाल।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को जवाब दिया गया है तो मेरे प्रश्न का भी जवाब देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं आयेगा। मास्टर भंवरलाल।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इसमें अलग से सूचना मांगेंगे, तभी मिलेगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य का प्रिविलेज है। कुछ सदस्यों को आप जवाब दिला देते हैं, लेकिन कुछ सदस्यों को बोलने नहीं देते हैं।

श्री चेतराम मीणा : नार्म्स का जिक्र किया है। क्या आप आश्वासन नहीं दे सकती हैं कि जहां एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है...

श्री अध्यक्ष : बीकानेर के बारे में प्रश्न है। आप पंचायत समिति के पशु चिकित्सालय के बारे में पूछना चाहते हैं, वह अलग से प्रश्न कीजिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मंत्री महोदया प्रश्न का जवाब देना चाहती हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल।

श्री चेतराम मीणा : पूरे प्रश्नों का जवाब दिया है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा...

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 30

श्री अध्यक्ष : मास्टर श्री भंवरलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री श्रीराम गोटेवाला।

जयपुर शहर की राशनिंग प्रणाली

31. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की राशनिंग प्रणाली एकदम असफल हुई है एवं समय पर कोई भी वस्तु नहीं मिल पाती है ?

(2) क्या सरकार इस प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन कर देहली जैसी व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) सप्लाई पूरी नहीं मिलने के कारण हर चीज के वितरण में देरी होती है। राज्य सरकार उपलब्ध चीजों के समुचित वितरण की पूरी कोशिश करती है।

(2) पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध नहीं होने के कारण यह सम्भव नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : किस किस चीज की सप्लाई पूरी नहीं हो रही है ?

श्री चन्दनमल बैद : जितनी भी चीजें जिनके बारे में आप माननीय सदस्य उत्सुक हैं चाहे सीमेंट हो, चाहे चीनी हो, और चाहे कोई भी चीज हो।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जयपुर शहर में कितनी यूनिट्स हैं और कितनी यूनिट्स की व्यवस्था है ? उनको कितना-कितना सामान और कौन-कौन सी चीजें उपलब्ध होती हैं, उनका वितरण किस प्रकार से किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है इसमें उन्होंने कहा है कि समुचित व्यवस्था नहीं है एवं पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन-कौन सी सामग्री किस-किस मात्रा में उपलब्ध हो रही है और उसका वितरण किस प्रकार हो रहा है ?

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न को टालने की बात हो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं टाल नहीं रहा हूं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं जब इन्होंने फर्माया कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नहीं मिलने का क्या कारण है ? जब दिल्ली में मिल सकती हैं तो राजस्थान को क्यों नहीं मिलती हैं ? अगर नहीं मिलीं तो हमारी सरकार ने उसके लिये क्या किया है ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमुआरामगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जिन चीजों की कमी है, वह तो अलग बात है, मेरा प्रश्न है कि जो चीजें मिल रही है उनका लोगों को समुचित वितरण हो रहा है क्या ? चीनी, सीमेंट, कपड़ा आता है जनता के नाम पर वह क्या लोगों तक पहुंचता है या बीच में ही इधर-उधर हो रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न से संबंधित दो बातें हैं, जिन चीजों का वितरण हो रहा है कंट्रोल के तरीके से, उनकी समुचित सप्लाई मिले, एक बात, और दूसरी बात जो सप्लाई मिले उसका समुचित वितरण हो। जहां तक सप्लाई का सवाल है हम भारत सरकार से निवेदन करते रहते हैं, इस बात की कोशिश करते हैं और प्रार्थना करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सप्लाई लाने की कोशिश करते हैं। इसके आगे हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सप्लाई उनकी है, वहां से जो आदेश होते हैं, जितनी सप्लाई के आदेश होते हैं तो उसमें एक तो यहां पहुंचने में कमी हो जाती है क्योंकि रेलगाड़ी के डिब्बे नहीं मिल रहे हैं और जो आवंटन होता है वह भी पूरा पूरा नहीं मिलता है।

(व्यवधान)

मेरा उत्तर तो सुनिये। बीच में भाषण मत दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री चन्दनमल बैद : दूसरी बात, समुचित वितरण की जहां तक सप्लाई का सवाल है उसमें कहीं भी गड़बड़ी है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उसके बारे में कोई भी बात आप राज्य सरकार के ध्यान में लायेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश की जायेगी। अब जो प्रश्नकर्त्ता ने यह पूछा कि किस-किस चीज की कितनी कितनी सप्लाई आपको मिलती है उसके बारे में संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूं। अगर यहां जयपुर शहर में 12 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति दिया जाय तो 14,400 मैट्रिक टन गेहूं प्रति माह चाहिये। इसके लिये मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि 5, 6 फरवरी को 10 हजार टन गेहूं हमें मिला। अगर 12 किलो गेहूं जयपुर में ही दे दें तो फिर 14,400 टन गेहूं जयपुर में ही चाहिए और आवंटन हुआ 10 हजार का···

एक माननीय सदस्य : और लाओ कहीं से।

श्री चन्दनमल बैद : ला रहे हैं। यही कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री चन्दनमल बैद : 400 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति मिलनी चाहिये यह नवम्बर तक बराबर मिलती रही। दिसम्बर की चीनी समय पर नहीं पहुंची तो उस माह की जनवरी में बांटी गई और फरवरी की अभी तक आई नहीं। तो सारी चीनी जयपुर में 400 ग्राम प्रति व्यक्ति दी जा चुकी है। वितरण के बारे में शिकायत हो तो माननीय सदस्य मुझे बतावें, उस विषय में जांच करवायेंगे।

(व्यवधान)

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, कपड़े की बात है, कपड़ा हमको 6 माह में 10 मीटर प्रति परिवार के हिसाब से देना चाहिये जो हमने निश्चित किया है लेकिन सारे राजस्थान को 1044 किलोमीटर मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह कितना मिल रहा है, यह भी बता दीजिये।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, कैरोसिन की स्थिति है। सारे राजस्थान में 23 हजार किलोलीटर कैरोसिन की जरूरत है उसके मुकाबले में 11 हजार से 14 हजार किलोलीटर तक मिलता है। इसके बारे में काफी तकलीफ होती है। सीमेंट का सवाल है. सारे राजस्थान में 3 महीने में 3.50 लाख मै. टन की जरूरत है उसके मुकाबले में 1.50 लाख मै. टन मिल रही है। इसलिये जितनी चाहिये उतनी नहीं मिल रही है और इसकी कमी महसूस हो रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह कमजोरी किसकी है ?

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अब जिस चीज की कमी हम महसूस कर रहे हैं उसके लिये कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार से और मिले और जितना आवंटन होता है वह रेलों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में ला सकें इसके लिये हम कोशिश करेंगे। यह हमारे हाथ में है। जहां तक वितरण का सवाल है, वह भी राजस्थान सरकार के हाथ में है। वितरण समुचित तरीके से हो, इसके बारे में प्रयत्न करेंगे। यह हमारी जिम्मेवारी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

इसके लिए आगे भी मौका मिलेगा। आप इस प्रश्न को अन्य किसी तरीके से सदन के सामने ला सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न को यहीं समाप्त करता हूं। अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक प्रश्न और पूछने दें। आज तक परम्परा रही है, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कर्त्ता को पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता रहा है।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(व्यवधान)

मैंने एक ही पूरक प्रश्न पूछा है। अब एक पूरक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। कृपया इसके लिए इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। मेरी सहानुभूति है पर समय की कमी है। चर्चा समाप्त हुई। और अवसर मिलेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रशासन आंख मींच कर बैठा है।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत

(व्यवधान)

दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया है। थोड़ा नियमों का भी ध्यान रखें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नियमों के अन्तर्गत ही अनुरोध है। केवल मात्र एक पूरक प्रश्न और करने दें। मैं यह जानना चाहता हूं . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न संख्या 32।

राष्ट्रीयकृत मोटर यातायात

32. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राष्ट्रीय मोटर यातायात में कितनी पूंजी लगी है।

(2) राज्य सरकार का इसमें वर्ष 1977-78, 1979-80 व 28 फरवरी 1981 तक कितना खर्चा हुआ? इसमें कर्मचारियों के वेतन व भत्ते तथा गाड़ियों की मरम्मत का खर्च क्या है? कृपया अलग अलग विवरण दें।

यातायात मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) राजस्थान परिवहन निगम में दिनांक 12 फरवरी, 1981 तक 2247 लाख रुपये पूंजी का अंशदान किया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:—

राज्य सरकार 1703 लाख रुपये
केन्द्रीय सरकार 544 लाख रुपये
कुल पूंजी 2247 लाख रुपये

(2) राज्य सरकार का निम्न वर्षों में उसके समकक्ष अंकित राशि तक पूंजीगत खर्च किया गया है:—

वर्ष	राशि
1977-78	100 लाख रुपये
1979-80	315 लाख रुपये
1980-81	315 लाख रुपये (12 फरवरी 1981 तक)

राज्य सरकार द्वारा दिये गये पूंजी अंशदान की राशि पूंजीगत व्यय में उपयोग की जाती है। यह राशि कर्मचारियों के वेतन व भत्ते तथा मरम्मत में खर्च नहीं की जाती है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीयकृत मोटर यातायात पर कर्मचारियों पर कितना वेतन, भत्ता तथा कितनी राशि इन गाड़ियों की मरम्मत पर खर्च की गई है? इसका जवाब नहीं आया है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, यह भी बता देता हूं। आपकी जानकारी के लिए यह बता रहा हूं कि इसमें यह खर्च आया है। 1977–78 में वेतन भत्ते पर 705.83 लाख रुपये और गाड़ियों की मरम्मत पर 282.83 लाख रुपये। 1978–79 में 846.17 लाख वेतन भत्ते पर और गाड़ियों की मरम्मत पर 334.32 लाख रुपये। इसी प्रकार, 1979-80 में 1051.22 लाख रुपये वेतन भत्ते और गाड़ियों की मरम्मत पर 400.86 लाख रुपये। 1980-81 में नवम्बर 1980 तक 828.26 लाख रुपये वेतन भत्ते पर और 333.12 लाख रुपये गाड़ियों की मरम्मत पर व्यय किया गया है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था। वर्ष वार मैंने पूछा है तीन वर्ष का 28 फरवरी तक, उसका कोई जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : 28 फरवरी में अभी चार दिन बाकी हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की जो पूंजी लगी है, उसके अनुपात में गाड़ियों की मरम्मत पर कम खर्च किया जा रहा है और अधिकांश वेतन, भत्ते आदि पर खर्च किया जा रहा है। इस कारण गाड़ियों की मरम्मत नहीं हो पा रही है और यात्रियों को यातायात की जो सुविधा मिलनी चाहिए, नहीं मिल पा रही है। आज डिपो के अन्दर कई गाड़ियां बेकार पड़ी हैं और रोडवेज के अन्दर यात्रा करना दुश्वार हो गया है। क्या राज्य सरकार इसको सुधारने की कोई मंशा रखती है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फुरसत नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या मंत्री महोदय इसकी व्यवस्था को सुधारेंगे ताकि यात्रियों को यातायात की सुविधा बढ़े और कर्मचारियों पर जो व्यय किया जा रहा है वह कम हो?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है उसमें पूंजी की लागत व कर्मचारियों के वेतन, भत्ते पर कितना-कितना व्यय किया गया है यह पूछा गया है, जिसका उत्तर मैंने दे दिया है। मैंने इसकी पूरी जानकारी शत-प्रतिशत सदन को दे दी है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं उससे साफ है कि कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि पर ज्यादा खर्च किया गया है और गाड़ियों की मरम्मत पर खर्च नहीं किया गया है।

एक माननीय सदस्य : यह जनता की गाढ़ी कमाई का अपव्यय किया जा रहा है। क्या मंत्री महोदय इसको रोकने की व्यवस्था करेंगे और यातायात में जनता को जो असुविधा हो रही है उसकी भी क्या व्यवस्था करेंगे? खजाने को लूटा जा रहा है। यह गरीब जनता के पसीने की कमाई है।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, यातायात मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

हूं कि जयपुर राज्य की राजधानी है। इसलिए क्या इसके चारों तरफ 50 किलोमीटर तक हर आधे घंटे में यात्रियों के आने-जाने के लिए बसों के आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है क्योंकि इन क्षेत्रों से काफी संख्या में दूध वाले, मजदूर और नागरिक प्रतिदिन आते हैं? यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। मुझको भी इसकी चिन्ता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार ने गत वर्ष यहां पर एक आश्वासन दिया था और गत वर्ष एक कमेटी का गठन करने की घोषणा की थी। तो क्या उस कमेटी का निर्माण हुआ है? यह मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अलग प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33

शिक्षा पद्धति

33. **श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या वर्तमान शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने के बारे में राज्य सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? और यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : शिक्षा नीति में परिवर्तन एक राष्ट्रीय प्रश्न है, जिस पर विभिन्न स्तरों पर विचार हो रहा है। इसी परिप्रेक्ष में 10+2 की योजना की क्रियान्विति सरकार के विचाराधीन है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि केवल मात्र दस+दो की आड़ में इस पूरी की पूरी व्यवस्था को छिपाना चाहते हैं।

श्री चन्दनमल वैद : आज का कोई प्रश्न नहीं है। जैसा कि कल मैंने निवेदन किया है, सारे देश में एक ही तरह की शिक्षा पद्धति हो, इसके लिये दस+दो+तीन की एक नीति सभी राज्यों ने मानी है और हमने भी सिद्धान्त रूप से इसको माना है लेकिन कुछ कारणों से, कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों और कुछ वित्तीय कठिनाइयों के कारण से इसको अमल में नहीं ला सके हैं। अब यह सोचा गया है कि जिन राज्यों ने इस पद्धति पर कार्य शुरू किया है उनके अनुभव प्राप्त किये जायेंगे और जिन राज्यों ने अभी इस पर कार्य शुरू नहीं किया है उनसे भी बातचीत करके आगे क्या कदम उठावें, क्योंकि इस योजना में पांच साल में जैसा कि कल निवेदन किया था 30 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और 2 करोड़ रुपये हर वर्ष आवर्तन खर्च होगा। इतना बड़ा खर्चा उठाने के पहले दूसरे राज्यों ने जो अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव का फायदा उठाना चाहिये। यह मुख्य चीज है कि जब सारे देश में एक ही प्रकार की शिक्षा पद्धति होगी तो हम दूसरी शिक्षा पद्धति को कैसे चालू रख सकते हैं। न तो यह व्यवहारिक है और न ही ठीक।

श्री दीपेन्द्र सिंह : दस+दो+तीन के अलावा शिक्षा नीति में और क्या क्या परिवर्तन सरकार के विचाराधीन है? क्या इस शिक्षा में परिवर्तन करने से विश्वविद्यालय और नीचे की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा?

श्री चन्दनमल बैद : इस पद्धति से विश्वविद्यालय की शिक्षा पर भी असर पड़ेगा। मैं यह निवेदन कर दूं कि जहां तक दस तक की शिक्षा है उसके बाद दो की शिक्षा है। इस दो की शिक्षा में एक तरफ तो एकेडेमिक शिक्षा होगी और दूसरी व्यवसायिक शिक्षा होगी। जो अकेडेमिक शिक्षा लेंगे वे विश्वविद्यालय की शिक्षा में जाएंगे, डाक्टर, इन्जीनियर, सी. ए. या आर्ट्स, साइंस की उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और इसके अलावा इस दो में व्यवसायिक शिक्षा अलग है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : हायर सैकण्डरी के नीचे इस प्रकार की कोई व्यवस्था है क्या?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज! माननीय सदस्य, मैंने किसी और का नाम लिया है।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : पिछले कई सालों से हर साल हर प्रदेश का शिक्षा मंत्री और देश का शिक्षा मंत्री पद सम्भालते ही शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की बात करता है और एक दो दिन के अन्दर ही पद सम्भालने के बाद वह इस बात को भूल जाता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 10+2 के अलावा कोई नया आइडिया क्या आपके दिमाग में है? क्या आपके दिमाग में आया है शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने का? आपने पिछली दो रातों में बहुत विचार किया है पर मैं नहीं समझता हूं कि कोई नयी बात शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने की आप सोच सके हैं आप शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन 10+दो से नहीं कर सकते हैं। आप पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : 10+दो +तीन की शिक्षा प्रणाली लागू करने की बात का निर्णय काफी पहले हो चुका है पर आम जनता में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आम आदमी को तो . . .

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : स्वयं माननीय सदस्य को भी नहीं है।

श्री हरिसिंह : यह बात सही है क्योंकि हम विधान सभा में बहस कर रहे हैं, मेरी 100% मान्यता है कि अधिकांश मैम्बर्स को भी इस फामूले की जानकारी नहीं है....

एक माननीय सदस्य : आपको तो है ना?

श्री हरिसिंह : मुझे खुद को भी नहीं है। मूल प्रश्न यह है, मंत्री महोदय ने कहा कि कई दूसरी स्टेट्स में यह फार्मूला लागू किया गया है उनके अनुभव की जानकारी करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौनसी स्टेट ने लागू किया है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिन स्कूलों में सात की जगह एक ही

(एक माननीय सदस्य)
टीचर काम कर रहा है उसमें भी कुछ सुधार करने की कृपा करेंगे या नहीं करेंगे ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, यह सब कहते हैं. . . .

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : आज तक परिवर्तन नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री चन्दनमल बैद : इस फार्मूले को जहां तक क्रियान्वित करने का प्रश्न है..

श्री दीपेन्द सिंह : इसके अलावा क्या बात सोच रहे हैं आप ? यह तो आपने कह दिया. . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न आसन के माध्यम से पूछें।

श्री चन्दनमल बैद : आपने सुना नहीं, वरिष्ठ सदस्य श्री परसराम जी ने क्या कहा? दो रातों से बराबर लगा हुआ हूं। दो रातों के मंथन से कुछ निकला नहीं, अब फिर मंथन करना पड़ेगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह : तो क्या, अध्यक्ष महोदय, यह मान लें कि मंत्री महोदय की दो रातें बरबाद हो गयीं।

श्री चन्दनमल बैद : इस फार्मूले को लागू कराने का प्रश्न है। इसको क्रियान्वित करने से पहले हम यह सोच रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, पश्चिम की सब स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको लागू किया है उनके क्या अनुभव हैं। जो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान हैं जिन्होंने अब तक इसको लागू नहीं किया है, क्यों नहीं लागू किया है उनके क्या अनुभव हैं, इसको प्राप्त करके हम निर्णय करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

नहीं, माननीय सदस्य। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज! स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है . . .

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

[शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें]

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, सुजानगढ़

30. **श्री भंवर लाल मेघवाल (सुजानगढ़) :** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, सुजानगढ़ में कितने डाक्टर्स के पद

(श्री भंवर लाल मेघवाल)
स्वीकृत हैं।

(2) क्या वहां महिला चिकित्सक का पद रिक्त पड़ा है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या सरकार इस पद को भरने के लिए विभाग को तुरन्त निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस केन्द्र के लिए कोई डाक्टर का पद सृजित नहीं है लेकिन वहां एक लेडी डाक्टर कार्यरत है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर में जब्त किया गया सीमेंट

21. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या खाद्य व आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 26 अक्टूबर, 80 को अलवर में श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल के जिलाधीश कार्यालय के पास स्थित निवास स्थान से 40 कट्टे सीमेन्ट के मोहल्ले वालों ने पकड़वाये ?

(2) यदि हां, तो क्या अपराधी के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल के मकान लक्ष्मी निवास के सामने खड़े ट्रैक्टर नं. आर. जे. ए. 5242 के साथ लगी ट्रोली नं. आर. एस. ए. 116 में से 40 कट्टे सीमेन्ट बरामद किया गया था ?

(2) तथाकथित अभियुक्त श्री हरिशंकर के फरार हो जाने के कारण प्रस्तुत मामले में अभी अनुसंधान किया जा रहा था। अब एफ. आई. आर. दर्ज करा दी गई है।

हायर सैकण्डरी स्कूल, देवगढ़ में अध्यापकों की कमी

22. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देवगढ़ हायर सैकण्डरी विद्यालय में अध्यापकों की कमी के विरोध में देवगढ़ के जन-प्रतिनिधियों ने भूख हड़ताल की थी ?

(2) यदि हां, तो कितने अध्यापकों की कमी है और कितने लोग कितने दिन भूख हड़ताल पर बैठे ?

उत्तर

(1) देवगढ़ बालिका माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी के कारण जन प्रतिनिधियों ने भूख हड़ताल की थी।

(2) 2 अध्यापकों की कमी है। 7 व्यक्तियों ने एक दिन दिनांक 27-1-81 को भूख हड़ताल की।

राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा की गयी कटौतियां

23. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान की छठी पंचवर्षीय योजना के विभिन्न मदों में केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यापक कटौती की गई है ? यदि हां, तो यह योजना मदवार कितनी थी एवं कितनी कितनी कटौतियां प्रमुख रूप से किस-किस मद में की गईं ? क्या राज्य सरकार विद्युत, सिंचाई जैसी प्रमुख मदों में कटौती पर केन्द्रीय सरकार से पुनः प्रयास कर इन कटौतियों की पूर्ति करने का प्रयास करेगी ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान नहर परियोजना के प्रस्तावित बजट में कटौती की गई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस राष्ट्रीय महत्व की योजना को प्रगति पर लाने के लिए पुनः बजट बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि जिन मदों में कटौती की गई है उन पर योजना में समय पर कार्य पूरा न होने एवं लागतों के बढ़ने के कारण योजनाएं भविष्य में प्रस्तावित बजट से महंगी पड़ेंगी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81) का आकार अन्तिम रूप से 2025 करोड़ रुपये का निश्चित हुआ है। तदुपरान्त इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। मदवार विवरण निम्न प्रकार है जिसमें सिंचाई एवं विद्युत् को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है—

मद	(करोड़ रु.)
1. कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रम	323.96
2. सहकारिता	24.38
3. सिंचाई एवं विद्युत	1061.22
4. उद्योग एवं खनन	83.59
5. यातायात एवं संचार	136.50
6. सामाजिक सेवायें	386.13
7. आर्थिक सेवायें	1.22
8. सामान्य सेवायें	8.00
योग	2025.00

(2) राजस्थान नहर परियोजना स्टेज I व स्टेज-II के लिये छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के लिये राज्य सरकार ने योजना के प्रारूप में क्रमशः रु. 9.50 करोड़ व रु. 165.00 करोड़ की राशि प्रस्तावित की थी, जिसके विरुद्ध अन्तिम रूप से क्रमशः 9.50 करोड़ एवं रु. 153.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धि को देखते हुये इस राशि में परिवर्तन किया जा सकता है।

(3) राज्य सरकार का यह प्रयास रहेगा कि सम्बन्धित योजनाओं के लिये आवंटित राशि का समुचित उपयोग हो ताकि भविष्य में मूल्य वृद्धि का इन पर कम से कम प्रभाव पड़े।

दिवंगत लेखालिपिक, सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय बारां की ग्रेच्युटी राशि का भुगतान

24. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री बद्रीलाल वर्मा, लेखा लिपिक, सहायक रजिस्ट्रार, बारां की मृत्यु दि. 30 जनवरी, 1975 को हो गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उनकी सेवा अवधि में बनी ग्रेच्युटी की रकम प्राप्त करने हेतु उनकी बेवा श्रीमती जगनाथी देवी ने निवेदन किया जिसकी कुल रकम रु. 4600/– कुछ पैसों में से रु. 1350.57 पैसे काट कर उन्हें चुका दी गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बाकी रकम रु. 1350.57 पैसे को प्राप्त करने हेतु उनकी बेवा ने बार-बार निवेदन किया है ?

(4) यदि हां, तो उक्त रकम को अभी तक नहीं लौटाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त बेवा की आर्थिक स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए उक्त रकम के भुगतान किए जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो उक्त रकम कब तक लौटा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) रकम नहीं लौटाने का कारण यह है कि श्री बद्रीलाल वर्मा 35-1-40 की श्रृंखला में दिनांक 10-3-54 से स्टोर कीपर के पद पर नियुक्त किये गये थे। कालान्तर में 17-7-54 से उन्हें एल. डी. सी. के पद पर वेतन श्रृंखला 50–120 में पदोन्नत किया गया जिस पर श्री वर्मा ने 25-7-54 को कार्यभार सम्भाला। परन्तु इस पदोन्नति का लाभ 25-7-54 से न देकर 10-3-54 से दे दिया गया जिसका आक्षेप महालेखाकार ने किया और 10-3-54 से 25-7-54 तक के बढ़े हुए वेतन की तथा उसके फलस्वरूप हुई भावी बढ़ोतरी को अनियमित मानते हुए महालेखाकार ने ही पी. पी. ओ. से 1350 रुपये 57 पैसे की ग्रेच्युटी रोक दी।

"अपना बाजार", अजमेर द्वारा क्रय किया गया सामान

26. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अपना बाजार अजमेर सहकारी संस्थान में वर्तमान अधिशासी अधिकारी के पद-स्थापन के बाद से आज तक, 'अपना बाजार' के संस्थापन खाते, फर्नीचर, मोटर साइकल आदि सामान कब-कब खरीदा गया ? कृपया उनके औचित्य के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान अधिशासी अधिकारी 21-8-80 से इस पद पर है और तब से अब तक संस्थापन खाते खरीदे गए फर्नीचर, मोटर साइकल आदि सामान का विवरण संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

जालौर महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ करना

27. **श्री कनकराज मेहता** (सांचौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि राजस्थान के तमाम जिला मुख्यालयों पर महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं हैं लेकिन जालौर में महाविद्यालय की स्थापना सन् 1966 में होते हुए भी वहां ये कक्षाएं नहीं खुली हैं ? क्या सरकार जालौर में भी स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

वर्तमान में सवाई माधोपुर, जालौर, जैसलमेर जिलों के मुख्यालयों पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय नहीं हैं। सवाई माधोपुर जिले में करौली में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। फिलहाल कोई नया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोलने का विचार नहीं है चूंकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विस्तार पर ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जयपुर में आयोजित पुस्तक मेले से पुस्तकों के क्रय हेतु स्वीकृत राशि

29. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत पुस्तक मेले में, जो रामनिवास बाग जयपुर में आयोजित किया गया था, पुस्तकें खरीदने हेतु राज्य सरकार ने पन्द्रह लाख रुपयों की स्वीकृति दी थी ?

(2) यदि हां, तो पुस्तक मेला किस तारीख को प्रारम्भ हुआ और किस तारीख को समाप्त हुआ और यह स्वीकृति किस तारीख को दी गई थी ?

(3) इस राशि द्वारा किस-किस विभाग ने कौन-कौनसी पुस्तकें खरीदीं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) खरीद की गई पुस्तकों के विक्रय मूल्य पर कितना-कितना डिस्काउण्ट किस किस पुस्तक विक्रेता ने दिया ?

(5) क्या यह भी सही है कि नेशनल पब्लिशर्स एवं बुकसेलर्स फैडरेशन के उपाध्यक्ष, श्री उमरावसिंह मंगल, जो जयपुर के पुस्तक व्यवसायी है, ने शिक्षा मंत्री के साथ एक बैठक में यह आफर दी थी कि मेले में आई पुस्तकों का चयन कर सूची बना ली जाय और वे पच्चीस प्रतिशत डिस्काउण्ट पर उन पुस्तकों को उपलब्ध करा देंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति केवल पांच लाख रुपयों की दी गई थी। विभागों के पास उपलब्ध बजट राशि में से पुस्तकें खरीदने के लिए दस लाख रुपये ईयर मार्क किये गये थे।

(2) पुस्तक मेला दिनांक 2-1-81 से प्रारम्भ होकर दिनांक 11-1-81 को समाप्त हुआ था। विभिन्न विभागों को रुपया 5 लाख की स्वीकृति दिनांक 9-1-81 को दी गई।

(3) सूचना अत्यन्त विस्तृत होने के कारण विभिन्न विभागों से खरीदी गई किताबों की सूचियां प्राप्त करना संभव नहीं है।

(शिक्षा मंत्री)

(4) यह पुस्तक मेला नेशनल ट्रस्ट इण्डिया द्वारा आयोजित किया गया था। उनके निर्णय के अनुसार इस मेले में पुस्तकों की खरीद पर 10 प्रतिशत डिस्काउन्ट दिया जाना था। विभाग के प्रयत्नों द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि स्कूलों व सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए जिन किताबों का बल्क पर्चेज किया जायेगा उन पर 15 प्रतिशत डिस्काउन्ट दिया जायेगा।

(5) ऐसी कोई बात तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदय से नहीं हुई।

पथ परिवहन निगम में मरम्मत तलब बसेज

29. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

राज्य पथ परिवहन निगम के राज्य में कहा कहां डिपोज व वर्कशाप हैं व उनमें कब कब से कितनी गाड़ियां मरम्मत के लिये पड़ी हुई हैं?

उत्तर

राज्य परिवहन निगम में 34 आगार कार्यालय व 43 वर्कशाप हैं। ये डिपोज/कार्यशालायें जहां जहां स्थापित हैं तत्संबंधित सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। कार्यशालाओं में प्राप्त सूचना के आधार पर मरम्मत हेतु पड़े वाहनों की सूचना परिशिष्ट-2, 3, 4 पर संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा आवन्टित भू-खण्ड

30. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या नगर विकास न्यास, बीकानेर में किसी कृषि भू-खण्ड के बदले में स्वीकृत आबादी योजनाओं की बस्ती में आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं? यदि हां, तो कितने? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जी हां। एक भूखण्ड श्री हिस्सामुद्दीन उस्ता को दिनांक 22-12-75 को नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा दिया गया।

राज्य के विभिन्न श्रमिक संगठन

31. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

राज्य में इन्टक, एटक, भारतीय मजदूर संघ, सीटू व हिन्द मजदूर सभा के सदस्य व यूनियन्स की संख्या 31 दिसम्बर, 1979 तक कितनी थी? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

राज्य में इन्टक, एटक, भारतीय मजदूर संघ, सीटू व हिन्द मजदूर सभा से सम्बन्धित यूनियनों की संख्या व सदस्य संख्या निम्न प्रकार है। यह सदस्य संख्या उन्हीं के द्वारा दी गई है जो विभाग द्वारा प्रमाणित नहीं हैं:--

संगठन का नाम	यूनियनों की सं.	सदस्य संख्या
1	2	3
1. इन्टक	137	54020
2. एटक	68	28272
3. सीटू	87	20803
4. हिन्द मजदूर सभा	23	4684

(श्रम मंत्री)

1	2	3
5. भारतीय मजदूर संघ	153	38299*
6. अन्य	460	71763

विशेष विवरण:—

*इसमें पश्चिम रेल्वे कर्मचारी परिषद् कोटा की सदस्य संख्या सम्मिलित नहीं है।

वेतन अदायगी अधिनियम, 1936 के तहत किया गया जुर्माना

32. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वेतन अदायगी अधिनियम, 1936 के तहत राज्य में देरी से अदायगी और कम अदायगी के कितने चालान 1 जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक हुए ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इन प्रकरणों में कितनों में उक्त अधिनियम के तहत कितना-कितना जुर्माना हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वेतन अदायगी अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत राज्य में देरी से अदायगी और कम अदायगी के चालान प्रस्तुत नहीं किये गये। लेकिन 1-1-80 से 31-12-80 तक देरी से अदायगी और कम अदायगी के 2885 क्लेम्स के मामले सक्षम अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन रहे मामलों की क्षेत्रवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त मामलों में से 2226 मामलों पर निर्णय दिया गया जिसमें वेतन के रूप में रु. 1100073 एवं रु. 247316 मुआवजे के रूप में दिलाये गये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

महा प्रबन्धक, उरमूल डेयरी, बीकानेर द्वारा वर्दी के कपड़े की खरीद का प्रकरण

33. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही नहीं है कि महा प्रबंधक, उरमूल डेयरी, बीकानेर ने दिनांक 28 जून, 1980 को वर्दी के कपड़ों के हेतु रुपये 13,200/–की अनियमित खरीद की है ? क्या खरीद हेतु न तो निविदा जारी की गई है न ही राजस्थान कोआपरेटिव व डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर के खरीद नियमों को ध्यान में रखा गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि लेखाधिकारी द्वारा भुगतान नहीं करने की सिफारिश पर महा प्रबंधक स्वयं द्वारा कपड़ों की किस्म स्वीकृत कर पार्टी को 30 जुलाई, 1980 को भुगतान किया गया है जब कि कपड़े पर सब स्टेण्डर्ड की मोहर मूल निर्माता द्वारा अंकित की गई थी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) स्टोर शाखा द्वारा यह बताये जाने पर कि कपड़े पर सब स्टेण्डर्ड की मोहर लगी हुई है, जनरल मैनेजर ने कपड़े के निर्माता पोद्दार सिल्क एण्ड सिन्थेटिक लि. बम्बई से यह ज्ञात कर कि यह कपड़ा उनका सही उत्पादन (प्रोडक्ट) है, पार्टी को भुगतान 31–7–80 को किया।

महिला छात्रावास, उदयपुर

34. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे उदय-

(28)

(समाज कल्याण मंत्री)

पुर नगर स्थित, महिला छात्रावास भवन के अन्दर पानी के रिसाव के कारण छात्राओं को घोर असुविधा होती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास के अहाते में खड़ी हुई एक सरकारी गाड़ी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। गाड़ी भुगत चुकी है इसके नीलाम कराने की कार्यवाही चल रही है।

मरु विकास योजना, सीकर का बजट व खर्च

35. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1980 में सीकर जिले में मरु विकास योजना के अन्तर्गत कितनी राशि खर्च की गयी तथा योजना मद में कितना धन स्वीकृत था ?

(2) यह राशि किस-किस तहसील में कितनी-कितनी खर्च की गई ? कृपया तालिका सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1979–80 के लिए मरु विकास योजना के अन्तर्गत सीकर जिले के लिए 271.12 लाख रु. का आवंटन किया गया था, जिसके विरुद्ध 181.93 लाख रु. का व्यय किया गया था। वर्ष 1980–81 के लिए इस जिले के लिए 189.11 लाख रु. आवंटित किये गये हैं। जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 80 तक 112.67 लाख रु. व्यय किया जा चुका है।

(2) तहसीलवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर में मातृ सदन का निर्माण

36. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या चिकित्सालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सीकर के श्री बद्रीनारायण सोढाणी से शासकीय प्रतिनिधि जिलाधीश, सीकर का श्री कल्याण अस्पताल, सीकर में मातृ सदन बनाने हेतु कोई अनुबंध हुआ है ? यदि हां, तो कृपया अनुबंध की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या इस अनुबंध पर क्रियान्वयन रोक दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

उत्तर

(1) जी हां।

प्रति संलग्न है।

(2) जी हां।

प्रशासनिक कारणों से रोक लगाई गई है व मामला विचाराधीन है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) सर्वश्री लच्छूराम, फतेसिंह व नाथूसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में बिजली की भारी कटौती के कारण किसानो व मजदूरों को होने वाली कठिनाई के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति सांगानेर की पंचायत दांतली के ग्राम चतरपुरा में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाने की वारदातों के विषय में।

(3) श्री गुलाबचंद कटारिया व श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर में स्थित भारत एलम्स एण्ड केमीकल्स में गत एक माह से चल रही हड़ताल के विषय में।

(4) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील प्रतापगढ़ के आदिवासी कृषकों के झोंपड़े, वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा जला दिये जाने की घटना के विषय में।

(5) सर्वश्री अनंगकुमार जैन, बालचन्द्र आर्यवीर व ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 31 जनवरी को धना पुत्र बलदेव मीना की अकलेरा पुलिस द्वारा मारपीट तथा पुलिस अभिरक्षा में उसकी मृत्यु के विषय में।

(6) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से थर्मल पावर प्रोजेक्ट के उपकरणों का माल रेलवे से न छुड़ाने के कारण डेमरेज के फलस्वरूप आज हो रही नीलामी के विषय में।

(7) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिकराय क्षेत्र की कन्या पाठशालाओं में अध्यापकों की कमी के विषय में।

(8) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में एम. आई. रोड स्थित एक शो रूम में हाल ही एक लाख तीस हजार रुपयों की चोरी के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(9) श्री भगवान दास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंजाब नेशनल बैंक, पृथ्वीराज मार्ग में क्लीयरेन्स 3 दिन से ठप्प होने के विषय में।

यह विषय राज्य सरकार से संबंधित नहीं है, अत: मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(10) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले के 100 नागरिक, जो कि लीबिया में मजदूरी हेतु गये थे, को एक कम्पनी द्वारा बन्धक बना लिये जाने के विषय में।

यह विषय केन्द्र सरकार का है अत: मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(11) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत इटावा के सरपंच द्वारा आबादी भूमि के नियमन तथा बेचान तथा मकानों के नियमन के नाम पर अनाप-शनाप रकम वसूल करने के विषय में।

(12) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले के किसानों को गंगानगर क्षेत्र के किसानों की

(श्री अध्यक्ष)

अपेक्षा गन्ने की कीमत कम दी जा रही है, इस विषय में।

माननीय सदस्य उक्त प्रस्तावों पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के दौरान चर्चा कर सकते हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(13) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर तहसील में पीने के पानी की भयंकर कमी के कारण आदमी व पशु मर रहे हैं, इस विषय में।

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(14) श्री भगवान दास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 23 फरवरी को अजमेर निवासी गिर्राज शर्मा पुत्र कल्याण सहाय की बस दुर्घटना में मृत्यु होने और उसकी लाश पुलिस द्वारा लावारिश बताकर हरिजनों को सौंपने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

जैसी कि पूर्व में व्यवस्था दी जा चुकी है, जिन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी चाही गई है, जानकारी आने तक और अध्यक्षीय व्यवस्था होने तक माननीय सदस्य सदन में उन मसलों को नहीं उठावें। जिनके स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है वे माननीय सदस्य हमेशा जैसे दो-दो मिनट, तीन-तीन मिनट बोलते रहे हैं बोलेंगे। जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों पर आसन ने यह व्यवस्था दी है कि उन मामलों को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर उठाया जाय, वे कृपया विस्तार से उस वक्त चर्चा कर सकते हैं इसलिए उन मसलों को उसी समय उठावें––

(व्यवधान)

मैं नाम पुकार देता हूं, जिनके स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये हैं।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री लच्छूराम (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मेरा भी है, मैंने 20 तारीख को दिया था।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मैंने भी, अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव दिया था जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट के उपकरणों की नीलामी के विषय में है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, थर्मल पावर प्रोजेक्ट का है आज ही प्राप्त हुआ है। सरकार से जानकारी चाही गई है। इस पर चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा..

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया था...

श्री अध्यक्ष : बहुत से ऐसे मसले होते हैं जिन पर सरकार से जानकारी लेना

(श्री अध्यक्ष)
आवश्यक होता है। मैंने बराबर कोशिश की है, जल्दी से जल्दी सूचना सरकार से मंगवाई जाय। कई दफा देर हो जाती है मैं इस बात को मानता हूं।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): मैंने अल्पकालीन सूचना का प्रस्ताव दिया है तो मैं दो मिनट बोल सकता हूं ?

(व्यवधान)

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, गिर्राज किशोर शर्मा को पुलिस ने जलाने के बजाय गाड़ दिया जमीन में।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने यह व्यवस्था दी है कि जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये हैं उनके नाम मैं पुकारूं वह अपनी बात कह दें। उसके बाद में आम तौर पर कोई बात आपको फर्मानी है स्थगन प्रस्तावों के विषय में या व्यवस्था न आने के विषय में उस पर अपने विचार कर सकते हैं लेकिन सभी माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर फर्माते हैं तो मैं इसका··· सर्वप्रथम मैं अवसर देता हूं।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री।

श्री भगवानदास शास्त्री : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 फरवरी, 1981 की रात को 10 बजे कलेक्टरी चौराहे पर..

व्यवस्था का प्रश्न

आसन के खड़े होने पर पालनीय नियम

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। आप जब खड़े थे अपनी जगह पर ट्रेजरी बैंचेज के लोग बातें कर रहे थे, जा रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आप कृपया ताड़ना तो दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष : मेरा ध्यान उस वक्त उधर नहीं था वरना मैं रोक देता।

(व्यवधान)

हमारी प्रक्रिया का साधारण नियम यह है कि अध्यक्ष अपने पैरों पर हो तब माननीय सदस्य बाहर न जावें, खड़े नहीं हों, वे अपने स्थान पर रहें। यह साधारण नियम हैं। कृपया इन नियमों का ध्यान रखें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भगवान दास शास्त्री : 2 फरवरी, 81 की रात को 10 बजे जब··

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव बून्दी जिले के किसानों के साथ जिस प्रकार भेद-भाव किया जा रहा है, गंगानगर, भोपाल-सागर के किसानों को ज्यादा पैसे दिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं अवसर दूंगा माननीय सदस्य..

(व्यवधान)

मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय यह प्रश्न उठाने का अर्ज किया है, आप चाहेंगे तो आज ही दे दूंगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय हम कैसे बोल सकते हैं, यह गम्भीर मसला है। बून्दी जिले के किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। सरकार के द्वारा दूसरे किसानों को ज्यादा पैसे दिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने चर्चा करने के अधिकार का उपयोग कर लिया, क्या मैं यह मानकर चलूं क्या ?

आपको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के समय अवसर दूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 फरवरी, 81 की रात को दस बजे कलेक्टरी चौराहे पर गंगानगर का पथ परिवहन..

श्री अध्यक्ष : पहले आपका पंजाब नेशनल बैंक के सम्बन्ध में है उस पर पहले बोल लीजिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : आज पांचवा दिन है, पंजाब नेशनल बैंक, जो अपने राज्य में पृथ्वीराज मार्ग पर स्थित है, आपने व्यवस्था दे दी कि केन्द्र से सम्बन्धित है लेकिन जो केन्द्र का आफिस हो, केन्द्र का अधिकारी हो, बैंक हो या एल. आई. सी. रीजनल आफिस हो..

श्री अध्यक्ष : चाहे सेना हो।

श्री भगवानदास शास्त्री : अपने क्षेत्र में होने से सारी व्यवस्था अपने को ही संभालनी है। वहां का वातावरण उत्तेजित है। दो कर्मचारियों के निलम्बन के प्रश्न पर वहां के अधिकारी और बैंक के कर्मचारी हैं, उन्होंने लेन-देन बिलकुल बन्द कर रखा है, बिलकुल स्टाप है। आज की तिथि तक मैंने सूचना मांगी है दस लाख से ज्यादा के बिलयरेन्स रुके पड़े हैं, ड्राफ्ट्स हैं, हुंडिया हैं, चैक्स हैं, जिनका पेमेन्ट नहीं हो रहा है। पंजाब नेशनल बैंक का अजमेर नगर में 40 पर्सेन्ट बिजनेस है और वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में जो तनाव है उसको देखते हुए पुलिस निरीक्षण करके या अंकुश करके सामान्य स्थिति बनाने में सहयोग दे। अगर कहीं विस्फोटक स्थिति पैदा होती है तो आपने देखा, गोली और लाठी तो मामूली चीज है। हम जो वहां से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं हमारा कर्तव्य हो जाता है कि राज्य सरकार का ध्यान, प्रदेश की भलाई के लिये, चाहे केन्द्र से सम्बन्धित है, पंजाब नेशनल बैंक, इस स्थिति की ओर आकर्षित किया जाय। वहां पर करोड़ों की सम्पत्ति लोगों की लाकर में है, हीरा, जवाहरात सोना-चांदी के जेवर, कैश जमा है। ऐसा नहीं हो कि विस्फोटक स्थित हो जाय और जो कंटक तत्व हैं या गुण्डा तत्व हैं वह मौका देख कर लुटेरों की तरह उसको लूट कर ले जायं और कहें डकैती हो गई, इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि इस विस्फोट की स्थिति को रोका जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : एक और है।

श्री भगवानदास शास्त्री : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 फरवरी, 81 की रात को दस बजे गिर्राज किशोर शर्मा, 25

(श्री भगवानदास शास्त्री)

वर्ष का जवान, ब्राह्मण जाति, 6 महीने पहले उसका विवाह हुआ था, अपनी बहिन, जो सिविल लाइन पुलिस लाइन की तरफ रहती है, के यहां जा रहा था। रात को दस बजे कलेक्टरी चौराहे पर गंगानगर पथ परिवहन की बस ने उसको कुचल कर उसका कचूमर निकाल दिया। पुलिस ने उसका पोस्ट मार्टम कराया रात्रि को 12 बजे करीबन। तीन तारीख को गिरंज किशोर ब्राह्मण, जिसने जनेऊ पहना हुआ था, की लाश हरिजन को दी गई कि इसका अग्नि संस्कार करो। मैं आपको साफ बता दूं वह 50 रुपये में किया गया। जैसे भैंस मरी हुई हो या जानवर मरा हुआ हो। उसके बाद जब जानकारी मिली, मिट्ठनलाल जो पश्चिमी क्षेत्र से आता है, उनकी मां और पत्नी की दशा क्या होती है। जब मां बाप ने पूछताछ की तो सिविल लाइन पुलिस ने उनको कपड़े दिखाये और फोटो दिखाई। उन्होंने कहा कि यह बच्चा तो हमारे अजमेर शहर का है, यह तो लोको में नौकरी करता है उसको ऐसे समझकर कि वह परदेशी था, मर गया अखबारों में भी इसकी चर्चा हुई। हमारे राजस्थान में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि एक हिन्दू लाश को मुसलमानों की तरह, या कहना चाहिये जानवरों की तरह गड्ढे में गाड़ दिया, लाश को 50 रुपये में बेच दिया, उसने दूसरे आदमी को तीस रुपये में, और फिर उसने भी चौथे को चालीस रुपये में बेच दिया। उसके बाद उसने फाइ सागर के पास जहां मुर्दे गाड़े जाते हैं उस कब्रिस्तान में एक फुट गड्ढा खोदकर, लाश दिखाई दे रही थी और गाड़कर चला गया। दूसरे दिन अखबारों में इसकी चर्चा हुई। पुलिस में दर्ज था। उसमें लिखा गया पैसा देकर जलाया गया। जलाया नहीं, दफनाया गया जब पार्टी वहां गई, 50 रु. देकर लाश को निकलवाया गया और उसका अग्नि संस्कार किया गया। मैं कहता हूं यह पुलिस की ज्यादती है, धर्म परिवर्तन की बात है, आखिर मुसलमानों की भी इज्जत है। विदेशों में भी ऐसा नहीं होता, स्पेन में एक हिन्दू ब्राह्मण मर गया, वहां कोई दूसरा हिन्दू नहीं मिला तो उन्होंने 6 महीने तक उस लाश को बर्फ में रखा और फिर उसका अग्नि में दाह संस्कार करके उसके फूल हिन्दुस्तान में बम्बई भेजे गये। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे देश हिन्दुस्तान को आजाद हुए 32 साल हो गये, हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है और अभी तक राजस्थान प्रदेश में तो हिन्दू संस्कृति है लेकिन फिर भी बेचारे गिरिराज किशोर शर्मा, जो कि ब्राह्मण था, को पुलिस द्वारा उठवाकर लावारिश कहला कर एक हरिजन को दे दिया उस हरिजन ने उसकी लाश को 50 रुपये में बेचा, उसने आगे 40 रुपये में बेचा और बाद में उसको एक जानवर की तरह गाड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक ब्राह्मण को जलाया नहीं गया बल्कि उसको गाड़ा गया। आज उसके मां बाप, उसकी जवान बीवी बहुत ही दुखी है, इस बात के लिये कि उसके रिश्तेदार को इस तरह बेरहमी से गाड़ा गया और उसकी लाश की इस तरह से हालत खराब निकम्मी पुलिस द्वारा की गयी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस चर्चा को लेकर मेरे क्षेत्र में भयंकर आक्रोश छाया

(श्री भगवानदास शास्त्री)

हुआ है। अध्यक्ष महोदय, एक हिन्दू के लिये इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि उसको हिन्दू संस्कृति के अनुसार न जलाया जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि जब यह स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आया तो मैंने तथ्यों की जानकारी के लिये पत्रावली मंगा कर देखी और इसमें मैंने संबंधित ए.एस. आई. को सस्पेन्ड कर दिया है उसके आदेश सस्पेन्शन के जारी हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का ही एक स्थगन प्रस्ताव मैंने पिछले सेशन में सदन में दुबई के बारे में रखा था, उसकी चर्चा तो मैं अभी नहीं करना चाहता हूं। अभी जो स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है वह वैसे तो रामदेव सिंह जी को देना चाहिये था क्योंकि लीबिया के अन्दर करीब 100 व्यक्ति हमारे सीकर जिले के बन्धक बनाये हुए हैं, यह लोग वहां पर मजदूरी करने एक कम्पनी में गये थे उन्होंने वहां से रामदेवसिंहजी के नाम तार दिलवाया और अपने घर वालों के नाम चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने रामदेव जी से मदद मांगने के लिये लिखा।

श्री अध्यक्ष : रामदेवसिंह तो अभी अन्य कार्यों में लगे हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : मन्त्रिमण्डल का विस्तार हो रहा था इसलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, हमारे सीकर व झुन्झुनूं जिले के करीब 20 हजार लोग खाड़ी के देशों में काम करते हैं और हर साल वहां पर लोग मेहनत मजदूरी करने जाते रहते हैं। वहां से इसके फलस्वरूप करीब एक करोड़ रुपया प्रति माह बड़ौदा बैंक सीकर में लोग अपने घरवालों के पास भेजते हैं। लेकिन अभी जो सौ व्यक्ति लीबिया की एक कम्पनी में मजदूरी करते थे उनमें से सीकर के 45 व्यक्तियों को वहां पर बन्धक बनाकर रखा हुआ है। उनके यहां से एक भी पैसा नहीं आ रहा है। आज 12 महीने हो गये हैं वह बन्धक बने हुए हैं उन्होंने कई तार और चिट्ठियां यहां पर भेजी हैं पर उनको छुड़ाने की कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हो सकी है। यह तार मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं और इसके साथ में एक पत्र भी, जो उन्होंने वहां से अपने घर वालों के नाम लिखा था, सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस तार में लिखा है कि–

"Sent Custom duty details very soon by letter. Tell to Ramdev Singh that Hundred of workers are near instant deportation. Press to Mrs. Indira Gandhi soon."

अध्यक्ष महोदय, आज 12 महीने हो गये हैं लेकिन यह 45 व्यक्ति अल्जीरिया की एक कम्पनी जो लीबिया में है, के द्वारा बन्धक बनाये हुए हैं और उस कम्पनी द्वारा न तो उन्हें छोड़ा जाता है न ही उन्हें पैसा दिया जाता है। उनसे जबर्दस्ती काम लिया जा रहा है। उन लोगों ने हमारे देश

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी को पांच तार दिये हैं और 8 तार अलग से प्रधान मन्त्री के नाम दिये हैं, पर भारत सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है। उन लोगों ने एम्बेसी के पास भी कार्यवाही करने के लिये अपने समाचार भेजे पर एम्बेसी ने भी कोई उनकी मदद नहीं की। उन्होंने लिखा है कि हम में से कोई अगर एम्बेसी में एक बार एक आदमी जाता है तो हमारा इन्डिया का 1500 रुपया खर्चा होता है और हम लोगों ने चार टेलीग्राम विदेश मन्त्री को भी दिये लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं आया और हमने एम्बेसी आफिस में रजिस्ट्री करके कागज बम्बई भिजवाया लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। हमारी जो मेन एजेन्सी है अनिलपार्कर उसको हमने दो रजिस्ट्री की और दो टेलीग्राम दिये। उनका भी कोई जवाब नहीं आया, हमारे एग्रीमेन्ट में लिखा है कि अगर कोई भी विवाद हो गया तो एम्बेसी आकर सोल्व करेगी वह कुछ भी सुनाई नहीं करती और हमें यहां की भाषा भी नहीं आती जो कुछ भी कर सकते हैं वह आप करें और जल्दी करें। हम लोग सौ आदमी हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग जख्मी हो गये हैं। हमको यहां पीटा जा रहा है और सुबह से लेकर रात तक हमसे काम लिया जा रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे हिन्दुस्तानी लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं। एक तरफ तो यह लोग बेचारे राजस्थान से अपने घर व गहने बेचकर, गिरवी रखकर, वहां पर जाते हैं यहां से जो हजारों मील दूर है। इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उन बन्धकों को जल्दी से जल्दी रिहा वहां से कराया जाय। अध्यक्ष महोदय, उन बन्धकों ने वहां से प्रधान मन्त्री को तार दिया, श्रीमती इन्दिरा गांधी को तार दिया और एम्बेसी वालों को खबर की, मैंने भी, अध्यक्ष महोदय, उनके लिये पत्र लिखे हमारे मुख्य मंत्री जी को चार पत्र लिखे पर हमारे मुख्य मंत्री जी तो किसी भी पत्र का जवाब ही नहीं देते हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री होने के नाते उनका फर्ज होता है कि वह राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार को लिखें और उस पर दबाव डालें कि उन बन्धकों को, जो कि लीबिया में बन्धक हैं, जल्दी से जल्दी रिहा कराया जाय। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि न प्रधान मन्त्री को उन बन्धकों के बारे में कोई कार्यवाही उनके तार पर या चिट्ठी पर करने का समय है न ही हमारे मुख्य मंत्री जी को भी कोई समय है। उन्होंने कोई जवाब आज तक नहीं दिया। आज वह 100 बन्धक भूखे मर रहे हैं उनसे 12 महीनों से जबर्दस्ती काम लिया जा रहा है वह क्या करें। आप यह कह कर टाल देते हैं कि यह केन्द्र का मामला है, पर इतने तार प्रधान मन्त्री को व विदेश मन्त्री को देने के बावजूद केन्द्रीय सरकार के इन बड़े लोगों के कान की जूं तक नहीं रेंगती है।

अध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण देश का पतन हो रहा है और उनकी विदेश नीति के कारण हमारे देश ने विदेशी सरकारों के सामने अपने घुटने टेक दिये हैं कोई कुछ नहीं कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में कहें। वैसे तो जो व्यक्ति सदन से संबंधित नहीं हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतने तार दिये गये प्रधान मन्त्री को दिया, विदेश मन्त्री को तार दिया, एम्बेसी को भी सूचित किया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वैसे तो यह पत्र है उसमें रामदेवसिंह जी को कहने के वास्ते है और तार उनके नाम का है, उन्होंने तो जवाब नहीं दिया लेकिन राजस्थान के वे नागरिक तो हैं, राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कुछ करे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब अमेरिका के लोगों को ईरान में बन्धक बनाया गया तो उन 45 व्यक्तियों के लिये अमेरिका ने सारे विश्व को ऊपर उठा लिया, लेकिन यहां पर इन 45 बंधकों के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान सरकार को चाहिये कि भारत सरकार को पत्र लिखे कि इस तरह से जो लीबिया में 45 व्यक्ति बन्धक बनाये गये हैं उन्हें छुड़वाने की कार्यवाही की जाय। मुख्य मन्त्रीजी कुछ तो करें। यहां पर दूसरे नम्बर के मन्त्रीजी बैठे हैं वह कुछ तो बोलें।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जो हमारे यहां के लोग गये हैं उनकी पिछले 12 महीनों से बहुत ही स्थिति खराब है उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा है उनसे मजदूरी ली जा रही है और उनको परेशान किया जा रहा है। इसलिये इस संबंध में मेरा निवेदन है कि कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही अहम मसला है हालांकि यह राज्य सरकार के क्षेत्र में नहीं आता है भारत सरकार का मामला है। फिर भी इस मामले में कुछ न कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अहम मसला है इसीलिये तो आपको बोलने की इतनी अनुमति दी है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस सदन से एक प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजा जाय और उसमें यह निवेदन किया जाय कि लीबिया में कुछ राजस्थानी लोग बन्धक बनाये गये हैं उनके हितों की रक्षा करायी जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यहां पर मुख्य मन्त्री जी तो नहीं हैं उन्हें फुरसत नहीं है लेकिन अभी मुख्य मंत्री जी से दूसरे नम्बर वाले मंत्रीजी बैठे हैं उन्हें चाहिये कि वह राजस्थान सरकार की तरफ से केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखें जिससे उनके हितों की रक्षा करने के लिये लिखा जाय। पर यह तो जवाब ही नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री हीरालाल आर्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। क्या राज्य सरकार इसके लिए पत्र नहीं लिख सकती ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय यहां पर बैठे सुन रहे हैं इनको क्या करना चाहिये यह कहलाना मेरे हाथ में नहीं है।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही बड़ा गम्भीर मसला है हमारे सीकर, झुन्झुनू जिले से हजारों आदमी वहां पर जाते हैं और वहां पर, जैसाकि उनके पत्र में लिखा है, उनके साथ सख्ती हो रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुख की बात है कि इस तरह से वहां पर हमारे देश के लोग बन्धक हों और वह लोग यहां पर तार दे रहे हैं, पर हमारे प्रधान मंत्री उस पर कोई कार्यवाही नहीं करें। न हमारी एम्बेसी कुछ करे और यही हालत रही तो आज तो सौ मजदूरों की बात है कल एक हजार की हो सकती है और यह बढ़कर एक लाख भी हो सकती है। वहां पर इस तरह से दूर दराज देशों में हमारे देश के भाई जावें और बन्धक बनाये जावें और कोई कार्यवाही नहीं की जाय, उनका दमन किया जाय और हिन्दुस्तान की सरकार कुछ नहीं करे और वे लोग वहां मरते रहें। कोई जवाब तक देना नहीं चाहता, इससे ज्यादा शर्म की बात हमारी सरकार के लिये क्या हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

(व्यवधान)

मंत्री महोदय।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (पंचायत राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में इस प्रश्न पर जो भावनायें व्यक्त की गयी हैं मैं उन सारी भावनाओं को मुख्य मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा। हमारा प्रयत्न होगा कि भारत सरकार तक इस प्रश्न को राजस्थान सरकार के माध्यम से पहुंचाया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में एक बात कहना चाहूंगा कि, जैसा कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया है कि माननीय सदस्य मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय को पत्र लिखते हैं किन्तु उनका उत्तर नहीं आता, कृपया इसकी व्यवस्था तो करायें कि पत्रों के उत्तर आ जायें। आखिर चुने हुए लोग यहां उपस्थित होते हैं उनके पास उनके पत्रों का एकनालेजमेन्ट आ जाय, इसकी भी कुछ प्रक्रिया अपनाई जाय। इस प्रकार का मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इटावा कस्बा आठ दस हजार की आबादी का कस्बा है। यह कस्बा भीलों का खाल खच्चरों में बसा हुआ है और यहां की आबादी अधिक होने की वजह से गांव वालों ने टीलों पर अपने मकान बना रखे हैं क्योंकि यहां पर यह कस्बा मण्डी कमेटी में आता था तो जमीन का नियमन कराने और जमीन

(श्री हीरालाल आर्य)

को बेचान के अधिकार केवल मण्डी कमेटी वालों को ही थे। मण्डी कमेटी के सैक्रेटरी कोटा में बैठते थे। यह भील मजदूरी करते थे और शाम को आने के बाद इन टीलों को समतल करके उन्होंने अपने मकान बना लिए। इन मकानों के नियमन करने के बारे में लोगों ने बहुत बार निवेदन किया क्योंकि मण्डी कमेटी से इनको बार बार परेशान किया जाता था। मैंने सरकार से निवेदन किया और इनको आदेश दे दिया गया कि जो गरीब भीलों के मकान बनाये हुए हैं इनका नियमन कर दिया जाय। क्योंकि मण्डी कमेटी, ग्राम पंचायत और नागरिकों का मेलजोल नहीं होता था, इसलिए सरकार से निवेदन करके जमीन का नियमन और जो बेचने का अधिकार था वह ग्राम पंचायत को दिलाया और ग्राम पंचायतों को आवंटन करने का भी अधिकार मिला।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं और जब से ग्राम पंचायत के पास जमीन को बेचान का अधिकार मिला है, करीब 200 बीघा जमीन ग्राम पंचायत को मिली है और 150 रुपया बीघा के हिसाब से उसका पैसा जमा कराया है। ग्राम पंचायत के पास अधिकार आते ही ग्राम पंचायत ने जो गरीब लोग वहां बसे हैं उनको परेशान करना शुरू कर दिया। कभी कहते हैं कि यहां से मकान हटाओ और कभी कहते हैं कि तुमने बहुत जमीन रोक रखी है और कभी हरिजनों को भेजकर गरीबों के मकानों को गिराया जाता है। इनके कातने आदि होते हैं उनको छीन ले जाते हैं, गैंती, फावड़े वगैरह पकड़ लाते हैं और गरीब लोग बेचारे चिल्लाते रह जाते हैं। इन गरीबों को कहा जा रहा है, किसी से एक हजार किसी से पांच हजार और किसी से पन्द्रह हजार रुपये की मांग की जा रही है जब कि मण्डी कमेटी में इस तरह की फाइल आई है कि जो मकान बनाये हैं इनका नियमन करें लेकिन वहां के सरपंच बिना योजना के बिना पंचों की मर्जी के इन गांव वालों से अनाप-शनाप पैसा वसूल कर रहे हैं और पैसा नहीं देते हैं तो मकान को गिराने की धमकी देकर परेशान किया जा रहा है।

मैं अभी इटावा गया था तो वहां के हजार पांच सौ लोग मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा कि सरपंच हमको परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप अपने सरपंच को बताओ, वह इसकी कीमत तय करेंगे। पंचों ने भी कहा कि सरपंच हमारी बात नहीं मानता। अभी एक प्रार्थना-पत्र सरपंच के खिलाफ वहां के पंचों ने जिलाधीश को दिया है कि सरपंच अपनी मनमानी कर रहा है और गांव वालों के मकान गिरा रहा है और बिना योजना के रकम वसूल कर रहा है और इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आखिर यह किस मद में पैसा लिया जा रहा है। इसके खिलाफ वहां के पंचों ने 13 में से 11 ने प्रार्थना-पत्र दिया है जिसकी प्रतिलिपि उन्होंने मेरे पास भी भेजी है। गांव वालों को वह सरपंच परेशान कर रहा है इसकी तानाशाही पर रोक लगाओ। मैं आपकी मार्फत पंचायत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि गांव के 11 पंच चाहते हैं 13 में से, कि जो जमीन की रेट है उसको हम तय करेंगे। इसके बावजूद भी क्यों सरपंच अपनी मनमानी से मकान गिराने की धमकी दे रहा है और अनाप-

(श्री हीरालाल आर्य)

शनाप पैसा वसूल कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत पंचायत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह का सरपंच गांव वालों ने इसलिए चुना था कि वह हमारी भावनाओं के अनुसार काम करेगा, पंचों की बात मानेगा लेकिन वह अपनी मनमानी कर रहा है। इसलिए उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही करे और जो पैसा वसूल वह कर रहा है, उनकी कोई योजना नहीं है तो उसने वह पैसा कहां रखा है, इसकी जांच करके सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार सरपंच की तानाशाही के खिलाफ रोक लगाये और सरपंच जो अवैधानिक कार्यवाही कर रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही करे या उसको बर्खास्त करें, ताकि वहां के जो गरीब लोग हैं वह अक्सर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, जो दिन भर मजदूरी करते हैं और अपनी मेहनत करके उन्होंने मकान बनाये हैं। जिसने जहां मकान बना रखे हैं उनके नियमन करने के आदेश फर्मायें....

श्री अध्यक्ष : पुनरावृत्ति नहीं करें।

श्री हीरालाल आर्य : आशा है कि सरकार पंचों की भावनाओं का आदर करके जो गरीब लोग हैं उनका आदर करके, सरपंच के ऊपर पाबन्दी लगायेगी और सरपंच की तानाशाही के खिलाफ उनकी रक्षा करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

आप इस पर अभी बोलना चाहेंगे या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ?

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अभी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केशोरायपाटन में बहुत पुरानी एक शुगर मिल है। उस शुगर मिल का वहां के किसानों ने सहकारिता के आधार पर 11 नवम्बर, 1965 को रजिस्ट्रेशन कराया। उसके रजिस्ट्रेशन के बाद वह शुगर मिल 1970 में प्रारम्भ हुई और तब से ही वहां के किसानों की सरकार के द्वारा निरन्तर उपेक्षा की गयी, उस उपेक्षा के कारण परिणाम यह रहा कि वह शुगर मिल घाटे में चली गयी। वहां के किसानों का मनोबल इतना टूट गया कि गन्ना उत्पादन की क्षमता भी उनमें नहीं है क्योंकि समय पर पानी और खाद नहीं मिला और वहां के किसानों ने गन्ना का उत्पादन करना और गन्ना उगाना ही बन्द कर दिया। इसके फलस्वरूप स्थिति यह है कि राजस्थान सरकार से केन्द्रीय सरकार ने मिल ले ली और उसके बाद मिल घाटे में चली गयी। वहां की जो व्यवस्था रही, वहां का जो मैनेजमेन्ट रहा वह इतना घटिया स्तर का रहा कि उन्होंने उसको खाने के सिवाय और कुछ नहीं सोचा। चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे हमारी सरकार रही हो। हमने अपनी सरकार को कहा कि वहां पर अच्छी व्यवस्था की जाय, अच्छे प्रशासक लाये जायं और किसान जो मालिक हैं उनके चुनाव कराये जायं, उनकी व्यवस्था कराई जाय और मिल का संचालन किसानों के हाथ में दिया जाय ताकि उस मिल को जिन्दा रखने की सोचें, लेकिन किसी भी

(श्री गोपाल पचेरवाल)

सरकार ने इस विषय पर सोचा ही नहीं और आज वह मिल ताला लगने की स्थिति में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मिल हमने चलाई है, वहां के किसानों को गन्ने की अच्छी रेट दिलाई जाय। उनको 21 रुपये की रेट दी जाती है और 25 पैसा विकास के नाम पर काट लिये जाते हैं, कुछ पैसा दवाई छिड़कने के नाम पर काट लिए जाते हैं और किसानों को 19 या 20 रुपये मिलते है जबकि गंगानगर में रेट ज्यादा दी जाती है 24 रुपया या 22 रुपया। तो फिर बूंदी जिले के साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है? यह दोहरी नीति क्यों है? इसलिए अन्याय किया जाता है कि केशोरायपाटन क्षेत्र से विरोधी दल का व्यक्ति जीतकर आता है, इसलिए उसकी उपेक्षा की जा रही है? बूंदी जिले के नेता श्री बृजसुन्दर जी शर्मा अपनी ही पार्टी में असन्तुष्ट की सूची में आते हैं क्या इसलिए उपेक्षा की जाती है या उपेक्षा की जा रही है इसलिए कि वहां के कांग्रेसी नेता सरकार के विरोध में हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ महीने पहले बूंदी जिले के विधायक, श्री बृज सुन्दर जी शर्मा का स्टेटमेन्ट आया था और किसानों को संघर्ष के लिए आह्वान किया था। क्या यही कारण है कि जिसके कारण ही ज्यादती की जा रही है? भोपाल सागर वालों को 33 रुपया दिया जाता है और केशोरायपाटन वालों को 21 रुपया ही दिया जाता है। यह व्यवहार केशोरायपाटन के किसानों के साथ ही क्यों है? अगर यह गन्ने के भावों में कटौती की गई, मैं आपके सामने, आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मिल के अविलम्ब तालाबन्दी होने का खतरा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछली बार मिल में, जो करोड़ों की लागत से बनी हुई है, केवल 12 हजार बोरी शक्कर की बनायी गई, 1 लाख डेढ़ लाख बोरी का भण्डार वहां करटोडियन ने सस्ती दर से बेच दिया। तो, श्रीमन्, वहां के किसानों को जीवित रखने के लिये वहां के किसानों को समुचित बीज मिलना चाहिये, वहां के किसानों को पानी मिलना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मिल में जो अव्यवस्था है, इस मिल में आज की तारीख तक कस्टोडियन नहीं होने की वजह से किसानों को सुविधा दिये जाने के लिये अविलम्ब कस्टोडियन की नियुक्ति की जानी चाहिये। घोटालों की जांच की जानी चाहिये। भेदभाव पूर्ण नीति को खतम करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 15 जनवरी को केशोरायपाटन मिल के 50 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मण्डल माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिला। सब किसान थे जो हल जोत कर खेती करते हैं। कोई और किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। वह प्रतिनिधि मण्डल 15 जनवरी को मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर मिला। उस शिष्ट मण्डल से माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि 4 बसें भरकर दिल्ली की किसान रैली में ले चलो तो मैं अविलम्ब किसानों के गन्ने के भाव बढ़ा दूंगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केशोरायपाटन का एक भी किसान रैली में नहीं गया। इसलिये दोहरी नीति अपनाई जा रही है? मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि आप लोगों के लाखों प्रयत्नों के बाद वे रैली में शरीक नहीं हुए और इसलिये नहीं हुए कि सरकार उनके साथ दोहरी नीति अपना रही है और

(श्री गोपाल पचेरवाल)

आप उनके साथ इसलिये ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं ? इसलिये मैं इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि यदि वे को-आपरेटिव में विश्वास रखते हैं किसानों के प्रति हमदर्दी है, आज रैली निकालने से हमदर्दी जाहिर नहीं होती। रैली से किसानों का भला होने वाला नहीं है। अगर आप किसानों का भला करना चाहते हैं तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के साथ भेदभाव न किया जावे। उनका अपमान किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, उनके लिए तत्काल सरकार को चाहिये कि इस क्षेत्र के किसानों को, जब से मिल चली हुई है, सब्सिडी के रूप में जो अन्य शुगर मिलों में, गंगानगर और भोपाल सागर में दिया जा रहा है, वह भुगतान किया जाना चाहिये यह मेरी मांग आपके माध्यम से राज्य सरकार से है। धन्यवाद !

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, नागौर तहसील के गांवों में पीने के पानी की जो भयंकर समस्या है उसके सम्बन्ध में सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की जा रही है वह बिलकुल ही अयोग्य है। लोगों को पीने का पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। जो जल योजनाएं चालू की गई हैं ऐसे कुओं पर इन्जन वगैरह लगाते हैं जिन कुओं में पानी नहीं है उन पर इन्जन लगा दिये हैं। इसलिये पानी लोगों को मिल नहीं रहा है और बहुत सी जगह ऐसी हैं कि कुओं के अन्दर नलकूप वगैरह लगा देते हैं जहां पानी भी है उन जगहों पर 3-3 साल से बहुत से कुएं पड़े हैं। अकाल की वजह से जिला लेवल पर भी व्यवस्था का मालूम हुआ कि टैंकरों से पानी पिलाने की व्यवस्था कर दी गई है लेकिन मैं आपकी मार्फत सरकार को यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज तक एक भी गांव में एक भी टैंकर नहीं पहुंचा है। यही हाल है पिलाई की व्यवस्था का, जो 150 फुट से गहरे कुएं हैं उन कुओं में पानी पीने के लिये, जोत के लिए 40 रुपये देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी तक एक भी पंचायत को एक पैसा भी नहीं मिला है। 40 रुपये दे रहे हैं, वह भी कागजों में। एक भी पैसा पहुंचा नहीं है। इस महंगाई के जमाने में 40 रुपये में कहीं कोई कैसे कुआं जोत हो सकता है। आप स्वयं जानते हैं। नागौर निर्वाचन क्षेत्र को नजदीक से जानते हैं, कम से कम 100 रुपये और 150 रुपये रोजाना न दिये जायं तब तक उन कुओं में जोत नहीं चल सकती। वहां पर पिछड़े हुए और जिन आदमियों के पास ऊंट, छकड़ा वगैरह नहीं है उन आदमियों की ऐसी स्थिति हो रही है कि एक एक बूंद के लिये तरस रहे हैं जिनके पास साधन हैं उनके सामने घड़े लेकर बैठे रहते हैं, कहते हैं पानी पिलाओ। इस क्षेत्र के बहुत से कुएं तो ऐसे हैं जिन कुओं में पानी नहीं होने की वजह से कुओं के चड़स के साथ आदमी स्वयं अन्दर बैठे रहते हैं और तमाली (बर्तन) से चड़स में पानी उन्डेलते हैं। यह हालत एक ही गांव की नहीं है कम से कम सांठी का कलां सांठी का खुर्द, कठोरा, विलोखा आदि बहुत से गांवों के अन्दर आदमी को कुओं के अन्दर बैठा कर चड़स में पानी भरवाकर पानी बाहर निकालते हैं। जिन गांवों में तालाबों से पानी पीते आये हैं उनमें शुरू में पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से

(श्री महाराम चौधरी)

और इस साल बरसात कम होने की वजह से तालाबों का पानी बिलकुल सूख गया है। वे दूर के गांवों से छकड़ों पर टंकी से पानी ला रहे हैं। जिन तालावों में थोड़ा बहुत पानी है उसको कोई आदमी पी भी नहीं सकता। उन तालावों में आधा पानी है आधा मूत है। यानि पानी की सुगन्ध से भी देखें तो आपको यह महसूस होगा कि इसमें वास्तव में आधे से ज्यादा मूत है। अतः मैं आपकी मार्फत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन कुओं में पानी का स्तर नीचे चला गया है या चट्टानें आ गई हैं या पानी नहीं है उन कुओं के लिये राज्य सरकार से मैंने पत्रों के जरिये दो तीन दफा निवेदन भी किया था कि ब्लास्टर मशीन भेजकर उन कुओं को गहरा कराया जाय, जिससे उन कुओं से पानी निकल सके लेकिन पिछले दो महीनों से लगातार प्रयत्न करने के बाद अभी तक तहसील लेवलया जिला लेवल पर एक भी ब्लास्टिंग मशीन का या कुएं गहरे करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

बहुत से गांवों में पेयजल योजना द्वारा पानी पिलाया जा रहा है लेकिन हमारे क्षेत्र के अन्दर सभी लोग ढाणियों में रहते हैं और गांव के अन्दर या तो एक दो महाजनों के घर हैं या जागीरदार का घर है या एक दो साधु स्वामी रहते हैं, बाकी काश्तकार और जो अछूत, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वे सब ढाणियों में रहते हैं। जहां पर सरकारी पेयजल योजना बनी है, वे वहां पर पानी लेने के लिये कभी आये ही नहीं हैं सरकारी आंकड़ों को देखने से ऐसा महसूस होता है। जैसे एक गांव कनू है...

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण बहुत लम्बा हो गया।

श्री महाराम चौधरी : हमारे क्षेत्र में कनू गांव, जिसकी परिधि 24, 25 मील है, के अन्दर कुएं में इंजन लगा कर राज्य सरकार की तरफ से पानी निकाला जा रहा है तो जिस कुएं में पानी नहीं है उनमें इंजन लगाया है और जिनमें पानी है उनमें इंजन नहीं लगाया फिर भी सरकार अपने आंकड़ों में बता रही है कि जो गांव 5000 के आस पास की आबादी वाले हैं, उनको हमने पानी दिला दिया है। वास्तव में सच बात पूछी जाय तो 400, 500 आदमियों के अलावा किसी भी आदमी ने एक घूंट भी उस जगह का पानी नहीं पिया है कांकड पर जो दूसरे कुएं हैं उनका पानी पीते हैं।

मैं इतनी तो सामर्थ्य नहीं समझता कि सब जगह एक साथ नलकूप खुदवा कर पानी की व्यवस्था कर दें लेकिन जो सार्वजनिक कुएं हैं, जिन्हें गांव वालों ने बनाया है उनका पिवाई का पैसा 100 रु. लगाकर, रुपया देकर कुएं खुदवायें ताकि पानी सुलभ हो सके। जिन गांवों में तालाब का पानी सूख गया है या पानी गन्दा हो गया है, वहां कुओं की योजना बनाकर, योजना इतनी जल्दी नहीं बन सकती है तो कम से कम टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाया जाय।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिये थे, उसके बारे में आपने व्यवस्था दी है कि सरकार

(श्री नाथूसिंह)
को जानकारी के लिए भेज दिया। हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिये थे वह आज से करीब तीन-चार दिन पहले दिये थे। किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, उसके बारे में है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : मुझे कल ही प्राप्त हुआ है और यह आज हमारे सामने आया है। जानकारी मांगी है और जानकारी कल तक नहीं आती है तो फिर कोई व्यवस्था देंगे लेकिन अभी भाषण नहीं होगा।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इस बारे में राज्य सरकार को सब कुछ पता है। यदि मंत्री महोदय वक्तव्य दे दें तो ठीक होगा। आप भी किसान हैं और किसानों का एक-एक दिन निकलना मुश्किल हो रहा है। प्रभाकर जी तो किसान नहीं हैं लेकिन कमला जी जरूर किसान हैं। वे हिम्मत करें और राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य दे दें।

श्री अध्यक्ष : यह तय हम करेंगे कब वक्तव्य दिलाया जाय।

श्री नाथूसिंह : आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया स्थगन प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, हम वक्त करके कुछ करेंगे।

श्री नाथूसिंह : आज ही वक्तव्य दिला दें तो बड़ा अच्छा होगा।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसमें अकलेरा पुलिस द्वारा···

श्री अध्यक्ष : जानकारी मंगाई है।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव 20 तारीख को दिया था और धारा 127 के तहत सूचना देनी थी–20 से 24 तारीख हो गई है, अध्यक्ष महोदय, चार दिन के अन्दर भी····

श्री अध्यक्ष : सूचना मंगाई है।

श्री अनंग कुमार जैन : मेरा निवेदन यह है कि कुछ ऐसे पाइन्ट्स हैं जिनके बारे में कुछ सूचना आ भी गई तो फिर कहेंगे कि पूरी सूचना आना बाकी है ताकि सरकार के सामने सारे बिन्दु आ जायं।

श्री अध्यक्ष : वह आपने लिखकर दे दिया है, सरकार से सुनना चाही है।

(व्यवधान)

आज सरकार के पास सूचना भेजेंगे तो थोड़ा धैर्य रखें। स्थगन प्रस्ताव आज आया है।

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : चार दिन हो गये, मैंने 20 तारीख को दे दिया था। अध्यक्ष महोदय, रूल 127 के तहत चार दिन पहले सूचना दे दी गई, मुझे मालूम है कि मंत्री महोदय के पास कुछ इत्तला आ गई है लेकिन कुछ बिन्दु ऐसे हैं जिनकी सूचना मंत्री महोदय के पास नहीं आई है। तो मेरा निवेदन यह है कि, अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : आप अभी चर्चा कर लेंगे तो दुबारा विचार नहीं हो सकता है। मैंने आज ही आदेश दिये हैं। सूचना और तथ्य मंगा लिये जायं इसके बाद व्यवस्था दे देंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव माननीय अनंग कुमार जी ने और माननीय बालचन्द्र जी आर्य ने दिया है उसमें मेरा भी नाम है। आपने व्यवस्था दे दी, इस विषय में मेरी माननीय मंत्री जी से बातचीत हुई है कुछ फैक्चुअल रिपोर्ट उनके पास प्राप्त हो गई है और मैंने उनसे निवेदन किया अगर कल आप वक्तव्य दे देंगे लेकिन कुछ ऐसे बिन्दु हैं, जिनकी चर्चा व्यक्तिगत रूप से की है और एक नई चीज उनके ध्यान में आई है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इस सारे काण्ड में –30 तारीख को यह काण्ड हुआ अतः दोनों सदस्य महानुभावों के कहने में वजन है। इसमें कुछ ऐसे बिन्दु हैं जिन बिन्दुओं को लगातार नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर विधान सभा के पटल पर वे बिन्दु मंत्री महोदय के ध्यान में आ गये तो फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाने में अधिक सहूलियत रहेगी इसलिये मेरा निवेदन है इस स्थगन प्रस्ताव के विषय में जो और बिन्दु इस प्रकार के हैं, उनको यहां उठाने की इजाजत दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष : मेरे से चैम्बर में मिल लीजिये, इश्यूज तय कर देते हैं। उनको लिखित में भेज दूंगा आप उनको यहां प्रकट करेंगे उसके बजाय चैम्बर में चर्चा कर लेते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक और मेरा नम्र निवेदन है – आज फैक्चुअल रिपोर्ट उनके पास आ गई है....

श्री अध्यक्ष : उनको भी बुला लेंगे।

श्री महादेवसिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सीकर जिले में श्री माधोपुर कस्बे की गोविन्दपुरा तहसील में कल दिन के 12 बजे नये पुरे की नाल गिरते समय नाल ढह गई और तीन आदमी मलवे में दब कर मर गये, जब उसी वक्त एस. पी. साहब के पास गये तो उन्होंने कहा मेरा काम अभी नहीं है लेकिन लाशों को निकाल लेंगे तब आ जाऊंगा। कलेक्टर साहब के पास गये तो वे मिले नहीं, ए. डी. एम. साहब के पास गये तो उन्होंने कहा नाजिम साहब से कह दिया है, वे अपने आप पहुँच जायेंगे लेकिन नाजिम साहब आये नहीं, तहसीलदार साहब आये नहीं। खण्डेला के विजयसिंह साहब जरूर गये लेकिन उन्होंने यह कहा कि जब आप नाल लेवोगे तो मैं आपके साथ चलकर प्रधान साहब से सीमेंट दिला दूंगा। अध्यक्ष महोदय, गांव के 300–400 व्यक्ति बैठे हुए हैं और सारे गांव में दुख छाया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अभी आप मिल लेना, इसके बारे में व्यवस्था करेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 24 सितम्बर, 80 को दिन के साढ़े बारह बजे कोटा रेलवे के माल गोदाम से थर्मल पावर प्रोजेक्ट का, जो करीब पौने तीन करोड़ का है...

श्री अध्यक्ष : यह पढ़ लिया है, जानकारी मिल गई है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना यह है आज की तारीख में दिन में सारा सामान नीलाम हो रहा है · · ·

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री दाऊदयाल जोशी : श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है 24 सितम्बर, 80 से सरकार का थर्मल पावर प्रोजेक्ट का माल जो रेलवे के गोदाम से 48 घण्टे के अन्दर अन्दर छुड़ा लेना चाहिए वह आने वाली 16 तारीख तक वहां पड़ा रखा कुल माल पौने दो करोड़ का था।

श्री अध्यक्ष : जो तथ्य हैं वह मंगा लेते हैं। आज यह प्रश्न आया है, नीलामी रुकवाने की हमको भी चिन्ता है · · ·

(व्यवधान)

इतना गम्भीर मामला है तो अपन मंत्री जी का · ·

श्री दाऊदयाल जोशी : राज्य कोष का करोड़ों का नुकसान हो रहा है · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं-मैं निवेदन कर रहा था कि.....

श्री अध्यक्ष : आज ही प्राप्त हुआ है जानकारी तो लें · · · ·

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो तथ्य दिये हैं उसके बारे में जानकारी कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास साढ़े नौ बजे, 10 बजे के आस पास स्थगन प्रस्ताव आते हैं और आते ही व्यवस्था दे दी कि तथ्यों की जानकारी की जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : कल सुबह 10 बजे आपके सैक्रेटेरिएट में अल्पकालीन सूचना दी थी। 24 घंटे के अन्दर अन्दर जानकारी आ जाय उसके बावजूद भी, मंत्री महोदय ने ध्यान नहीं दिया। सरकार के बहुत लम्बे हाथ हैं, बहुत बडे साधन हैं यह सारी जानकारी मंगा लेनी चाहिये थी। राजस्थान पत्रिका नाम का अखबार अगर इस रहस्योद्घाटन को प्रकट नहीं करता-दुर्भाग्य है वे अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री, श्री पहाड़िया साहब कोटा पधारे थे, राजस्थान पत्रिका ने भी लिखा था और चीफ सैक्रेटरी, वली साहब ने तुरन्त थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में रेलवे अधिकारियों से फोन पर बात की थी, उसमें 21 कनसाइनमेंट तो छुड़ा लिये गये और 22 कनसाइनमेंट आज तक पड़े हुए हैं, तीन हजार रुपया रोज का डेमरेज लग रहा है आखिरकार जनता की कमाई का पैसा है, जनता का पैसा कोई बर्बाद करने के लिए नहीं है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मंत्री महोदय जवाब दें, उसकी पहले भगवान के नाम पर मन्त्री महोदय यह सूचना करें यह पूछताछ करें कि यह क्यों हुआ, अगर यह नीलामी हुई तो यह सरकार के लिए शर्म की बात होगी। थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, यह राजस्थान के लिए कलंक की बात होगी।

(५८)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री दा दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, थर्मल पावर प्रोजेक्ट दो साल डिले हो गया, सरकार की नीति के कारण...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर मैंने व्यवस्था दे दी है। कृपया सहयोग दीजिएगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : तो कब जवाब आयेगा ?

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, आप ट्रेजरी बेंचेज के किसी अच्छे मंत्री महोदय से यह कहें कि उनके अपने अधिकारियों से ये बात तो कर लें, कहीं ऐसा न हो कि नीलामी हो जाय और सरकार कलंकित हो जाय। विकास तो नहीं कर रहे हैं, नीलामी का जो काला टीका है, वह तो न लगायें, ये अपने माथे पर। कुछ कहिए तो, ये बैठकर क्या कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान की सरकार की यह इज्जत नीलाम हो रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छू राम ! आर्डर प्लीज ! आप मुझसे मिल लीजिएगा, चेम्बर में, उस पर व्यवस्था हो जायगी।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने 20 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव जिला झुंझुनू के अन्दर एक दुली चन्द नाम के विद्यार्थी की झुंझुनू के खेतान अस्पताल में डाक्टरों की लापरवाही की वजह से मृत्यु हो गयी थी, उसके सम्बन्ध में दिया था, जिला झुंझुनू के अन्दर, सारा झुंझुनू बन्द रहा, 31 तारीख को, 7 तारीख को सारा झुंझुनू जिला बन्द रहा जिसमें सारी ट्रेनें, बसें, दुकानें और आज तक ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर सरकार का उत्तर आ गया है लेकिन दुर्भाग्यवश वह थोड़ा लेट आया। मैं ग्यारह बजे यहां आ गया था, सदन में। उसको अब पढ़ कर उस पर व्यवस्था दी जायगी। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं...

श्री अध्यक्ष : अब दुबारा क्या, इस पर व्यवस्था दे देंगे। इस पर आज ही चर्चा करना चाहते हैं ?

श्री लच्छूराम : मैंने मुख्य मंत्रीजी से भी बातचीत की है, जिले के 9 लड़के जेल में पड़े रहे, सैन्ट्रल जेल के अन्दर...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मसला माननीय लच्छूराम जी ने रखा है वह सीकर, शेखावाटी, चूरू, नागौर के किसान बच्चों का है। हमारे बच्चों को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस लापरवाही कर रही है और सदन में जो मसला रखना चाहते हैं तो उसे तसल्ली से नहीं सुना जाता है। बच्चों के स्कूल बन्द हैं, पुलिस गश्त कर रही है। यह नादिरशाही नहीं चलेगी, हम इस नादिरशाही के खिलाफ जिहाद करेंगे। वह किसान इलाका है जहां किसानों

47

(श्री त्रिलोकसिंह)

पर इस तरह से जुल्म हो और सरकार बेशर्मी से बैठी रहे, फिर किस मर्ज की दवा है, यह सरकार ? सदन में जब मसला आता है तो कहा जाता है कि सरकार से जवाब नहीं आया है। वह कहां गयी है, सरकार ? पाकिस्तान गयी है या अमरीका गयी है सरकार ? 30 दिन तक जवाब नहीं आया, सरकार जवाब नहीं देना चाहती और सरकार की भेड़िया पुलिस हमारे बच्चों को निकाल निकाल कर मारे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर लाल ! आर्डर प्लीज ! आपस में बातें नहीं।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : विषय क्या था ?

श्री भंवर लाल शर्मा : जयपुर शहर में, वैसे पूरे राजस्थान में बल्कि पूरे देश में लूटमार छीना झपटी...

श्री अध्यक्ष : उसमें जानकारी मंगवाई है।

श्री भंवर लाल शर्मा : मैं वह नहीं चाहता, मैं दूसरी बात निवेदन कर रहा हूं। उसी प्रकार से परसों बनीपार्क में दो व्यापारियों को रास्ते चलते, रास्ते पर बन्दूक की गोली मार कर, लाठी मार कर 18,600 रुपये छीनकर ले गये। कोई बात नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर मैंने जानकारी मंगवायी है।

श्री भंवर लाल शर्मा : उसके बाद दूसरे दिन, फिर क्या हुआ, उसी दिन रात को एम. आई. रोड पर जी. पी. ओ. के सामने एक शीशा तोड़कर मकान के अन्दर एक लाख की चोरी हो गयी। उस पर मैंने काल अटेन्शन रखा है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव नहीं।

श्री भंवर लाल शर्मा : काल अटेन्शन भी है। मेरा निवेदन है कि दोनों विषय ऐसे हैं कि जिनके बारे में सम्पूर्ण 'ला एण्ड आर्डर' के विषय पर जो हो रहा है, रास्ते में निकलना मुश्किल हो गया है। व्यापारी क्या करें, ये मुश्किल हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में हम यह चाहेंगे कि अविलम्ब, ये आपका समय व्यय करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हम इतना ही कहना चाहते हैं आपसे।

श्री अध्यक्ष : सूचना मंगवा दीजिएगा। यह आने के बाद में मिली है।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : जयपुर शहर में सूचना मंगवाना कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर जल्दी से जल्दी...

श्री भंवरलाल शर्मा : त्रिपोलिया बाजार में चोरी हो गयी, वहां बहुत सा माल निकालकर ले गये। एम. आई. रोड पर चोरी हो गयी, वहां से ले गये। जो लड़कियां, महिलायें कालिज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, उनकी जंजीर तोड़कर ले जाते हैं। अगर इस पर चर्चा नहीं हो और सरकार का

(श्री भंवरलाल शर्मा)
ध्यान नहीं गया तो, मैं समझता हूं, जो आतंक है और लोग बड़े भयभीत हैं, संकट में हैं, उनको···

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। इस पर व्यवस्था दे दी जायगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात यह कई बार कही, दूसरे व्यक्तियों का नाम लिया गया। यह आपकी जानकारी में है, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी····

श्री अध्यक्ष : मैं गलती मान गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : शुक्रवार को मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया जिस पर कल चर्चा करनी चाहिये थी, उसी पर श्री नाथूसिंह का भी स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : आपका एक्सीडेन्ट था, उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई भी, जब मैं अपने कार्यालय में आया तो पहला प्रश्न यह था और उस पर सूचना मंगवाई जा रही है इसलिए जब सूचना आ जाय, फिर व्यवस्था दे दें, तब चर्चा हो जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल आपने श्री नाथूसिंह को भी अवसर दिया, गोपाल जी को भी अवसर दिया लेकिन मुझे इस पर भी नहीं बोलने दिया गया। उसके बाद में····

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, वे बात पूरी कर ले तब बोलूंगी···

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक बवन्डर की चर्चा की, मेरे स्थगन प्रस्ताव में भी यह पंजाब नेशनल बैंक की चर्चा आयी। जो 18 हजार की डकैती जयपुर में हुई है, उसके बारे में चर्चा हुई है। मेरे साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी···

श्री अध्यक्ष : आपके साथ पक्षपात हो सकता है !

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि यह मसला बड़ा गम्भीर है। जयपुर में चोरी डकैती आम बात हो गयी है। महारानी कालेज की प्राध्यापिका अस्पताल के बगल के रास्ते से जा रही थी तो उनकी जंजीर छीन ली। इस तरह से कोई सड़क पर जाता है तो उसका जाना भी दूभर है। एक यहां मर्डर हुआ था किन्तु उसकी कोई जांच नहीं हुई। सरकार क्या कर रही है ? सरकार सो रही है। मैं समझती हूं, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। यह अव्यवस्था है, यह असुरक्षा है इस स्थिति में स्त्री ही नहीं पुरुष भी कैसे हिम्मत कर पायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जब भी कोई स्कूटर पर जाय तो उसको लूट लें और घर में आकर ताला तोड़कर चोरी करें, इस प्रकार सरे आम, खुले बाजार हो रहा है। आपके गश्ती दल क्या करते हैं ? अगर इस प्रकार की डकैतियां, चोरियां होने लगीं तो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
फिर किस तरह से काम चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में हमारे राजस्थान की विधान सभा चल रही है, दो सौ सदस्य यहां पर बिलकुल···

एक माननीय सदस्य : यह तो भयमुक्त समाज की देन है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह आग्रह करना चाहूंगी कि वनीपार्क में डकैती हुई, उसके बारे में आज भी यह स्थिति है कि लुटेरों का कोई पता नहीं लगा। यह जो चोरी हुई है, उसका भी पता नहीं चला और किशोर निवास में घड़ियों की चोरी हो गई उसका भी पता नहीं लगा। तो आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पर देर से जवाब क्यों? इस पर चर्चा की जानी चाहिये। आज रात्रि को कोई घर से बाहर निकले और वापस घर लौटेगा या नहीं, यह कोई भरोसा नहीं है। जान माल की असुरक्षा है तो, अध्यक्ष महोदय, हमारे जो स्थगन प्रस्ताव हैं उनको आप स्थगित न करके····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव पर सूचना आ गई है। मैं अभी चेम्बर में जाकर इस पर अभी विचार करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ठीक है।

विधायी कार्य
विधेयक का पुरःस्थापन

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

मुख्य मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : ये मुख्य मंत्री जी कब से हो गए?

राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, सिंचाई): मुख्य मंत्रीजी की तरफ से।

(व्यवधान)

मैं, राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर। आपने इसको पुरःस्थापित करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को सम्बोधित किया है, पुकारा है। मुख्य मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं। पता नहीं, यहां होंगे, ऊपर होंगे या कहां होंगे। उनकी अनुपस्थिति में जब तक दूसरे मंत्री पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं ले लें, कैसे विधेयक को पुरःस्थापित कर सकते हैं। कल भी आपने इस पर व्यवस्था दी थी और आज भी फिर वही स्थिति है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति पुरःस्थापित करने के लिये चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अनुमति प्रदान की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम किसी प्रश्न पर यहां चर्चा करने के लिए कहते हैं कि अमुक सदस्य ने प्रश्न रखा है और वे आए नहीं हैं इसलिए हमें बोलने की अनुमति दे दी जाय तो आप कहते हैं कि क्या आपने लिखित में अनुमति प्राप्त कर ली है। मैं पूछना चाहूंगी कि क्या मंत्री महोदय ने लिखित में अनुमति प्राप्त कर ली है ? ऐसा उनसे भी पूछना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1981 पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री, श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो। तो मैं इसको प्रस्तुत कर दूं ?

श्री अध्यक्ष : अनुमति प्रदान की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री, श्रीमती कमला।

राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण)

(श्री अध्यक्ष)
विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती कमला : मैं, राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करती हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री कैलाश मेघवाल। दस मिनट अधिक से अधिक और ले लें। 23 मिनट का समय कल आपने लिया था।

श्री कैलाश मेघवाल : कितना ?

श्री अध्यक्ष : 23 मिनट का।

श्री कैलाश मेघवाल : कल व्यवधान बहुत हुआ था, साहब, और मैं चाहता हूं कि जैसे उधर से प्रस्ताव करते हैं, वैसे विरोधी पक्ष का पहला वक्ता हूं, इसलिए समय के मामले से थोड़ी मेरे साथ नर्माई बरती जानी चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कल मैंने आपसे निवेदन किया था, सदन के सामने राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण यहां पर दिलवाया गया है और उसके अन्दर जो आंकडे खादी और ग्रामोद्योग के बारे में दिये है, वही का वही पैराग्राफ है जो जुलाई, 80 में दिया गया था वही फरवरी, 81 में, जो कुछ वही भाषा उसी रूप में है आपके सामने पढ़कर बताये थे इससे यह पता चलता है कि सरकार किस तरीके से चल रही है। जुलाई, 80 में जो स्थिति थी वही स्थिति 1981 के फरवरी में भी है। इसी बारे में मैं आगे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, एक खास पैरा हाथ कर्घा के बारे में है। हाथ कर्घा के बारे में जुलाई, 80 में, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा था उस अभिभाषण में पेज नम्बर 16 में जो पैराग्राफ है, उसमें लिखा है कि सन् 79-80 में 509, नवीन केन्द्र हाथ कर्घा मण्डल द्वारा स्थापित किए गए हैं। मण्डल चालू वर्ष में 19 बिक्री केन्द्रों को बढ़ा कर 43 केन्द्र कर रहा है।

(1.16 म प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पीठासीन)

माननीय सभापति महोदय, यह जो 19 केन्द्र थे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये 19 केन्द्र, फरवरी, 81 में आते आते 19 से 18 ही रह गए। आखिर में यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के द्वारा आंकडे दिए गए हैं। यह साफ स्थिति है कि जुलाई, 80 में 19 बिक्री केन्द्र चल रहे थे और उन्होंने कहा था कि 43 कर देंगे। वहीं यह जो राज्यपाल का अभिभाषण दिया गया है, इस अभिभाषण में लिखा है, "राजस्थान हाथ कर्घा मण्डल ने चालू वर्ष में विपणन के लिए सूत देकर कपड़ा प्राप्त करने के लिए 18 केन्द्रों को बढ़ा कर" एक तो वैसे ही गायब हो गया। इसलिए मैं

(श्री कैलाश मेघवाल)

निवेदन कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, यह हालत है, जिस तरह की आपकी सरकार है उस समय 19 थे अब 18 रह गए और जो 43 केन्द्र होने थे उनकी जगह 31 केन्द्र ही रहे। एक तो वैसे ही गायब हो गया पूरे एक साल में जहां इनका टार्गेट 43 केन्द्र करने का था, उसका फिफ्टी पर्सेंट ही रह गया है। यह शासन को चलाने की स्थिति है।

दूसरा मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जुलाई, 80 में इन्होंने एक बात कही थी और राज्यपाल महोदय द्वारा जो उस समय अभिभाषण दिया गया था उस समय अभिभाषण के पेज नम्बर 18 पर, मैंने जैसा कल निवेदन किया था कि हमारे देश में कम्पलसरी एजूकेशन प्राइमरी एजूकेशन के अभी हम उस टार्गेट, जो हमारे संविधान का निदेशक तत्व में है आर्टिकल 45, को लागू करने में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। संविधान बनाते समय जो हमारी कल्पना थी, प्राथमिक शिक्षा हर एक को देने के लिए वचन बद्ध थे, उसको अभी भी लागू नहीं कर सके हैं। यह सरकार और संविधान बना तभी से वचनबद्ध हैं लेकिन इन्होने यहां पर आकर छोड दिया है। इस बारे में सन् 1981 के फरवरी माह में जो अभिभाषण दिया गया है उसमें किसी तरह की कोई बात नहीं कही गई है।

इसके साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इसके बाद अगस्त में इस सरकार ने "राजस्थान का विकास और गरीबोत्थान कार्यक्रम" के नाम से एक पेम्फलेट छापा है, पिछली जुलाई में बजट सत्र बुलाया गया था और अगस्त में यह पेम्फलेट छापा है, सितम्बर में बजट सत्र समाप्त हुआ था, उस बजट सत्र के दौरान जो कमियां रह गई थीं, राज्यपाल के अभिभाषण में उनको दूर करने के लिए उन्होंने एक राजस्थान विकास के नाम से पेम्फलेट निकाल कर बताया कि छात्राओं को तकनीकी शिक्षा सुलभ कराने के लिए, छात्राओं का एक पलिटेक्निक खोला जायगा। यह एक निर्णय है, सभापति महोदय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह खोला जायगा और यह खोला जायगा। आपके फरवरी में आते आते, फरवरी में इस पर निर्णय लिया गया। अब निर्णय लिया गया है कि खोला जायगा। सरकार की तरफ से जो स्पष्ट उत्तर दिया गया, अगस्त में कहा गया है कि राजस्थान में महिला शिक्षा के लिए महिला पालिटेक्निक खोला जायगा। अभिभाषण में दिया है, उसमें पेज 17 पर लिखा है, महिलाओं को तकनीकी शिक्षा अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जयपुर में महिला पालिटेक्निक की स्थापना के लिए निर्णय लिया है। वहां खोला गया था आज से एक साल पहले और इस अभिभाषण में दिया गया है कि यह निर्णय लिया गया है। मेरा ऐसा ख्याल है कि अगले साल कहेंगे कि बजट स्वीकार किया गया है, उसके बाद कहेंगे कि कार्यवाही चालू की जायगी। अब क्या स्थिति है? महिला पोलिटेक्निक के लिए उदयपुर में भाषण दिया गया। माननीय शिक्षा मंत्रीजी द्वारा, उन्होंने घोषणा की कि इस साल महिला पोलिटेक्निक अगले सत्र में खोल दिया जायगा उदयपुर में। गोया वह वहां तो नहीं खुला है, एक शिक्षा मंत्री जी घोषणा करते हैं····

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (शिक्षा मंत्री) : मैं कह दूं, गलत सूचना है। अगले सत्र से खोला जायगा, यह मैंने कहा है, उदयपुर में घोषणा मैंने नहीं की है।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे पास वह अखबार है। हां, अगले सत्र से खोला जायगा उदयपुर में। ठीक है, आपने संशोधित कर लिया। वह भी मेरे पास है, शिक्षा की मांग के वक्त मैं उस बात को कहूंगा।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यह नई बात थी, जो मैंने कही।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निवेदन कर रहा था, यह स्थिति इन्होंने पैदा की है आंकड़ों का जाल फैला करके। इसके साथ ही यह डिस्पेंसरीज की स्थिति आती है। सभापति महोदय, जो राज्यपाल का अभिभाषण दिया गया है जुलाई में, पहला अभिभाषण पढ़ा गया है, इस शासन का उसके पेज 19 और 20 पर चिकित्सा के क्षेत्र में प्रोजेक्शन किये हैं, उस चिकित्सा के क्षेत्र में उस प्रोजेक्शन में उन्होंने किसी तरीके की कोई बात नहीं कही। लेकिन यह जो मैंने कहा, आपका कोई अगस्त में एक पेम्फलेट जारी किया, उस पेम्फलेट में इन्होंने कहा चिकित्सा के क्षेत्र में सौ नये आयुर्वेदिक और इतने ही नये एलोपैथिक औषधालय खोले जायेंगे। यह दो घोषणाएं कीं। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, क्या सौ एलोपैथिक हॉस्पिटल खोलने की घोषणा की गई थी, क्या वह पूरी हो गई है? केवल घोषणाएं हैं। और इस बार आखिर की जो घोषणा की इसमें डिस्पेंसरीज के बारे में की। वह इन्होंने घोषणा की है कि राजस्थान में एलोपैथिक औषधालय की कोई घोषणा नहीं है, भारतीय चिकित्सा पद्धति के अस्पताल खोलने की जो सौ की घोषणा थी उसको 130 कर दिया। जो एलोपैथिक अस्पताल खोलने की घोषणा थी न तो वे अभी तक खुले और न ही आगे इसके बारे में कुछ कहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर किस बात के लिये हम धन्यवाद दें।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। कल जैसा मैंने निवेदन किया, माननीय सभापति महोदय, आखिर इस राजस्थान में बेरोजगारी की भी एक समस्या है। सरकार के जो आंकड़े हैं, यह कल ही जो हमको मिला है एक प्रगति विवरण, वह प्रगति विवरण कहता है कि 3,61 710 बेकार लोग सारे राजस्थान में नियोजन कार्यालयों में पंजीबद्ध हैं। इन लोगों को कब तक नौकरी दिलानी चाहिये? इन लोगों के बारे में सरकार की क्या व्यवस्था है? यह जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में आप क्या करना चाहते हैं? इस बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक पेज लिखा है। कोई इससे मतलब नहीं निकलता है। केवल कागजों में लिख दिया-"राज्य में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग अधिकतम रोजगार उपलब्धि, जनशक्ति का यथाशक्ति उपयोग और अधिकाधिक क्षेत्रीय विकास संतुलन राज्य के औद्योगिक विकास के प्रमुख लक्ष्य हैं।" क्या मतलब है? यह आपके बेकारों की संख्या बढ़ रही है। यह केवल वह संख्या है जो आपके यहां पंजीबद्ध हैं। इन एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के कार्यालयों में पंजीवद्ध हैं यह नाम। इन लोगों के बारे में कोई किसी

54

(श्री कैलाश मेघवाल)

तरह का कार्यक्रम इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं बेकारी की समस्या बढ़ रही है और अगर इस बेकारी की समस्या को समय रहते हाथ में नहीं लिया गया तो चाहे आप कुछ भी कह दें, राजनैतिक पार्टियां भड़काती हैं, विद्यार्थी दिशाहीन हैं, अनुशासनहीन, नौजवान किधर जा रहा है, यह सब कहने को आप कह सकते हैं, भाषण दे सकते हैं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, नौजवानों के असंतोष को आपको समाप्त करना पड़ेगा, दिशा देनी पड़ेगी। नौजवान के दो हाथ हैं, उसके बीच में एक पेट है। अगर एक हाथ में वाटी रखेंगे तो वह आगे बढ़ेगा, काम करेगा दोनों हाथ खाली है तो पत्थर फेंकेगा, भाटा फेंकेगा और यह अराजकता पैदा करेगा। इसलिये मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसी तरीके से कोई योजना हमारे सामने नहीं रखी गई है।

आज सवेरे एक सवाल आया था, प्रश्न था कि नगरपालिकाओं के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे। मैं, माननीय सभापति महोदय, इसलिये यह सवाल सामने रख रहा हूं, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा तो सरकार की नीयत सामने आई नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की उसकी कोई तैयारी नहीं है। न ही वह कराना चाहती है। प्रशासन के साथ मिले हुए हैं। कितने ही सालों से विलम्बित कर रहे हैं। कब इनकी पूर्ति की जाएगी? यह जो जगह-जगह नगरपालिकाएं और नगर परिषदें हैं, यह अधिकारियों के अन्तर्गत चल रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कौनसी राजस्थान की नगरपालिका ऐसी है जिसके बारे में यह कहा जा सके यह ठीक ढंग से चल रही है, नगरपालिका के जो कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व हैं, उनको निभाने की कोई स्थिति नहीं है। सारे राजस्थान में सर्वे करा सकते हैं और आज जब पूछा, चुनाव कब कराओगे तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इन चुनावों के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। आज जो प्रशासन का जनता का अपना अधिकार है और न्यायालय ने इस बात का निर्णय दिया है कि प्रशासन का अधिकार जनता का अधिकार है उसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इसके आधार पर चुनाव कराये जाने चाहियें। लेकिन न आज स्पष्ट जवाब आया है और न ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसी तरह की स्पष्ट कल्पना की है। नगरपालिकाओं में कहां क्या हो रहा है, यह आपसे छिपा नहीं है। मैं आगे निवेदन करना चाहता हूं नगरपालिकाओं की बात ग्राम पंचायतों की बात पर एक शब्द भी नहीं लिखा। कोई दिशा नहीं है! यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है! हो सकता है हमारे वक्त में काम के बदले अनाज योजना चली। ग्राम पंचायतों ने ग्राम-ग्राम में विकास के काम किये। ग्राम के विकास की बात ध्यान में आयी हो वर्तमान शासन के। लेकिन यह तो होना चाहिये, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, हमारा एक संविधान है। इस संविधान के अन्तर्गत हमको प्रेरणा लेनी है। प्रेरणा

(श्री कैलाश मेघवाल)

लेनी है देश के कानून किस आधार पर बनें, राज्यों के कानून किस आधार पर बनें, कौन सी दिशा हो, उस संविधान में आपका आर्टिकल 40 है मैं आर्टिकल 40 आपके सामने इसलिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"Organisation of Village Panchayat:

"The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government."

यह डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल है। यह डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल इसलिए है, माननीय सभापति महोदय, इनसे प्रेरणा लेकर, दिशा को लेकर हम अपनी नीतियां तय करें। आज राज्यपाल के अभिभाषण में ग्राम पंचायत को कैसे सुदृढ़ किया जायगा, कैसे वह चलेंगी, कैसे उनका अपना खर्चा होगा ? जब हम उधर बैठते थे, आज का सत्तारूढ़ पक्ष यहां बैठता था विरोध पक्ष में, तो हमेशा सवाल पूछते थे ग्राम पंचायत का ढांचा कब पूरा कर रहे हो। पंचायत समिति कब बनाओगे। जिला परिषद् कब बनाओगे ? यह लंगड़ा लूला ग्राम पंचायत का ढांचा चला रखा है। माननीय सभापति जी, क्या आज ये लोग उन सवालों को भूल गये। हमने प्रामाणिक रूप से कारण बताये थे कि क्यों विलम्ब हो रहा है। उन कारणों के बाद मान लो उनके कहने के अनुसार मान लें कि हम असफल रहे ढांचा पूरा करने में, आप ही इधर से सवाल करने वाले थे, उन ग्राम पंचायतों के चुनाव कब पूर्ण कराये जायेंगे और पूर्ण कराने के बाद उन ग्राम पंचायतों के क्या अधिकार होंगे, क्या दिशायें देंगे ? राजस्थान के ग्रामीण समाज का जो प्रशासन करने का अधिकार है, उसके बारे में क्या नीति है ? एक शब्द राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं कहा गया है। माननीय सभापति महोदय, किस बात का धन्यवाद दिलाना चाहते हैं ? ग्राम पंचायतों की नीति-65 हजार कार्य। लगातार ढाई तीन साल में ग्राम पंचायतों ने अपने-अपने क्षेत्र में कार्य खड़े किये हैं। कहीं पुल बने हैं, कहीं अस्पताल बने हैं, कई और चीजें बनी हैं। लेकिन पिछले एक साल से ग्राम पंचायतों का सारा काम ठप्प पड़ा है। उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। राजस्थान का सारा ग्रामीण क्षेत्र उसके विकास की दिशा क्या होगी, वह उपेक्षित है। उसके बारे में कुछ नहीं है। सहकारी समितियों के बारे में आना चाहता हूं। बड़े पूछे गये थे सवाल उस समय। मैंने चुनाव कराये थे सहकारी समितियों के, बीच में रोक दिये गये इधर लोक सभा के चुनाव आ गये। उस समय हमेशा पूछा जाता था, सहकारी समितियों के चुनाव कब कराये जायेंगे। मैंने एक योजना तैयार की थी, एकीकृत बैंकिंग की व्यवस्था की। उसमें समय लगा। जब योजना ने अन्तिम रूप ले लिया तो उसके चुनाव के लिये कहा कि अब क्या होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं सहकारी समितियों के बारे में, यदि उनके चुनाव करा कर इनकी व्यवस्था को सुधारा नहीं गया तो कल्पना तो बहुत कर रहे हो, मीठी बातें भी बहुत कर रहे हो, सहकारिता का नारा अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, इसकी बातें बहुत करेंगे लेकिन राजस्थान में सहकारिता का जो ढांचा कसा था वह टूटने लगा है। मैं निवेदन कर

(श्री कैलाश मेघवाल)
रहा हूं, सहकारिता का ढांचा चुनाव के आधार पर खड़ा करके ग्राम के आदमी, जो नयी जनरेशन के आधार पर तैयार हुए हैं की जागृति के आधार पर सरकार ने चालू किया था, मैंने वह बात कह दी, कराना चालू किया था, अरे आप अभी भी कह दें तो अभी चालू कर देंगे, करा देंगे....

श्री भैरूंसिह गुर्जर (खारची) : ढाई साल में सारा खराबा करके अब आप क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : आपने 8 महीने में क्या किया है ?

श्री भैरूंसिह गुर्जर : अभी मैं बताऊंगा, क्या किया है। आपने ढाई साल में जो बिगाड़ा उसको सुधार रहे हैं। तुम्हारे मैल धो रहे है और क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : गांव की उपेक्षा कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, ढाई साल का अर्सा निकल गया अच्छा था या बुरा था उसके परिणाम आपके सामने हैं लेकिन आप क्या करना चाहते है ? ढाई साल, ढाई साल करके आप भी वही दिशा बनायेंगे क्या ? उलटी दिशा में चलना चाहते हैं क्या ? सामने आकर के नेतृत्व करने की स्थिति पैदा नहीं करना चाहते क्या ? यह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, और इसलिये करना चाहता हूं कि जबसे पहाड़ियाजी का शासन आया है राजस्थान में, सहकारिता में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हमने भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये कदम उठाये थे, स्पेशल पुलिस दल कायम किया था। भरतपुर में, माननीय सभापति महोदय, 374 सहकारी समितियों में से केवल 37 की जांच करवाई और 37 में गबन निकला उस गबन के 14 मुकदमे अदालत में दायर किये, उन समितियों के कर्मचारियों को निलंबित किया गया लेकिन जब से पहाड़िया जी का शासन आया है न तो वे मुकदमे बढ़ रहे हैं न उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है। सारा भ्रष्टाचार उन्मूलन का कार्यक्रम लिया गया भरतपुर के सहकारिता विभाग का जिसमें 15 करोड़ का भ्रष्टाचार है, माननीय सभापति महोदय, वे ठप्प पड़े हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा कि सहकारिता की बात करना आसान है, इसमें सहकारिता के नाम पर जो घुन लगा हुआ है उसको निकालना पड़ेगा और.... .

(व्यवधान)

भरतपुर में ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, भरतपुर के सबसे ज्यादा मुकदमे और वहां ही मुकदमे ठप्प पड़े हैं और भरतपुर के ही हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं आप श्रेय लीजिये सहकारिता को आगे बढ़ाने का और भ्रष्टाचार उन्मूलन का, 15 करोड़ का घोटाला है 374 सहकारी समितियों में से केवल 37 की जांच मैंने करवाई थी और 37 में ही गबन निकला था सभी में गबन, 15 करोड़ का घोटाला है उस जांच को

(श्री कैलाश मेघवाल)
आगे बढ़ाइये । मैं, माननीय सभापति महोदय, यहो····

(व्यवधान)

राजस्थान में क्या हुआ, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं पहाड़िया जी के शासन में, सरकार में आने के बाद सहकारिता विभाग का नमूना, जयपुर उपहार का यह कपड़ा, माननीय सभापति महोदय, इसका जो स्तर है मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं...

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह लंगोट सिलाने के काम आयेगा ।

श्री सभापति : भाषण के दौरान कोई रनिंग कमेन्ट्री न करें ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैं इसकी लंगोट बनाऊं लेकिन सहकारिता विभाग के उपहार में, जो राजस्थान के उपभोक्ता संघ के अन्तर्गत चलता है, यह राजस्थान के सैटलमेंट के कर्मचारियों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये साफा बनाने के लिये···

श्री घनश्याम तिवाडी : यह आपकी सरकार का कफन बना हुआ है

एक माननीय सदस्य : यह सुरक्षित रखिये आपके काम आयेगा ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : कफन ओढे तो आप बैठे हैं, अपना कफन उतार कर बता रहे हो ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरा अनुरोध है कि जब कोई सदस्य पक्ष में या विपक्ष में अपना भाषण दे रहे हों तो मेहरबानी करके किसी प्रकार की बीच में रनिंग कमेंट्री नहीं होनी चाहिये आप उसी तरीके से सुनिये जिस तरीके से आपने कहा है ।

श्री दीपेन्द्रसिंह : ×××

श्री रामरघुनाथ चौधरी : ×××
इसलिए कहना पड़ा ।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ये विधायक किस-किस स्तर के हैं वह इसलिये मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं नम्बर एक से चालू करना चाहता हूं, अगर चरित्र हनन को ही लिया जाना चाहते हैं इस सदन में तो सीट नं. एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, इनका नम्बर तो बाद मे आयेगा··· और सब को प्रमाणित रूप से, किनके बारे में क्या है····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेहरबानी करके नियमों का पालन करें ।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, व्यवस्था चाहता हूं । माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो माननीय सदस्यों ने कहा कि ××× फिर माननीय सदस्य ने जवाब में कहा कि मैं सीट नं. 1, 2, 3 के सारे चरित्र को बता सकता हूं । तो माननीय सभापति महोदय, यह क्या है, ? हम एक दूसरे का चरित्र उछालना चाहते हैं तो

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(58)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

अगर चरित्र उछालने वाली बात आपस में की जाय, यह सारे बुद्धिजीवी वर्ग के सुनने में आता है। प्रेस यहां बैठता है, आफिसर्स यहां बैठते हैं। हमारे जो मतदाता हैं वह यहां बैठते हैं और हम सदन में मखौल करते हैं। कैलाश मेघवाल के चरित्र को ये जानते हैं हो सकता है इन दोनों का साझा हो। यह अपने बीच में रख लें, हाउस में न लावें। यही आपसे निवेदन है, गुजारिश है। आप व्यवस्था दीजिये। हाउस में इस तरह की बात न लावें।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है अखबारों में यह बात जरूर छप जायगी।

श्री सभापति : यह मेरा अनुरोध है कि जब आप किसी मुद्दे पर बोल रहे हों तो आपस में इस किस्म के रिमार्क्स नहीं होने चाहिये जिससे एक दूसरे के चरित्र, करेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट हो और न ही कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे असभ्य मालूम हो। इस हाउस की गरिमा कायम रखनी चाहिए। आइन्दा, निवेदन है, अपने भाषण के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : हम तो यह चाहते हैं कि कैलाश जी मेघवाल को लम्बी उम्र मिले।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापतिजी, मेघवालजी तो वरिष्ठ सदस्य है, शब्दों में ही कह देना काफी था। कपड़ा ओढ़कर बताने लगे तो यह बात पैदा हुई वरना उनका कह देना ही काफी था।

श्री गोपाल पचेरवाल : कपड़ा तो इसलिए लाया गया, हो सकता है चौधरीजी को शर्म महसूस हो।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं क्यों लाया हूं, यह कपडा सैटलमेंट विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साफों के लिए लाया गया और मार्च, 80 में लाया गया। दो अधिकारी उपहार में खरीदने के लिये गये, 26 हजार मीटर कपडा लिया, 26 हजार और कुछ मीटर लेने के बाद 45 रु. का उसमें नफा होता है, वह अलग है, सभापतिमहोदय, आने जाने का खर्चा होता है वह अलग, ड्यूटी पर गये, वह अलग और उन्होंने सैटलमेंट विभाग में सप्लाई कर दिया और सैटलमेंट विभाग के जो अधिकारी हैं, सैटलमेंट आफिसर, 10 महीने तक उनके यहां पड़ा रहा, स्वीकार नहीं किया कि ऐसे कपड़े को हमारे कर्मचारी नहीं बांधेंगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं बांध सकते और उपहार कहां से लाया ? दो दो कंपनियों की छाप है इस पर। एक तरफ कंपनी है श्री कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स बाम्बे और दूसरी तरफ है 2.60 रु. की छाप है, पंचशील प्रोफेसर बाम्बे और उसकी कीमत छपी हुई है, दो रुपये दस पैसे। माननीय सभापति महोदय, जो बिल आया है बम्बई से वह आया है, लीली कंपनी का, और मेरी सूचना यह है कि यह 26 थान उपहार के गोदाम में पड़े हुए हैं। जब मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव को लिखा

(श्री कैलाश मेघवाल)

कि यह क्या गड़बड़ी हो रही है, ये 26 गांठे आज भी उपहार के गोदाम में पड़ी हुई हैं और 15 दिन बाद इसका मूल्य एक रुपया 87 पैसा लगाया गया है जबकि बाजार में इसकी कीमत 1.25 रुपया है। यह मैं सदन की मेज पर रखता हूं। ये 26 गांठे आज भी गोदाम में पडी हुई है. उन पर इस तरह की सील लगी हुई है। यह उपहार वाले कह रहे हैं कि इसके साथ साथ यू. पी. हैण्डलूम की दो दो धोतियां ले जाओ। इस प्रकार इस काण्ड को दबाने का षड़यन्त्र किया जा रहा है। इसके लिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह सदन के पटल पर रखता हूं।

दूसरे, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह दवाइयों का जो इन्तजाम किया गया है, यह उपहार के जो केन्द्र चल रहे हैं, क्या कहते हैं? सहकारिता की दुकानें, दवाइयों की सहकारी दुकानें, सभापति महोदय, इसलिए खोली गई थीं, जो सरकारी कर्मचारियों को दवाइयों का पुनर्भरण होता था, दवाइयों के बजाय कर्मचारीगण और अन्य लोग कोस्मेटिक और अन्य चीजें ले जाते थे, दूसरी चीजें और सामग्री ले जाते थे, तो उसको रोकने के लिए सहकारिता के आधार पर इन दवाइयों को बेचना प्रारंभ किया गया। सहकारिता की दुकानें प्रारंभ हुई तो पुनर्भरण की राशि आधी हो गई। अब, सभापति महोदय, इन सहकारिता की दुकानों पर क्या हो रहा है, अधिकारी मिलकर क्या कर रहे हैं उसका एक नमूना मैं यहां पर पेश कर रहा हू। नोटिस देकर नियमों की पालना करते हुए, राजनैतिक संरक्षण में यह जो कुछ हो रहा है उसकी तो मैं अगली बार चर्चा करूंगा परन्तु, सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि यह ग्लेक्सो कम्पनी की दवाई है और इस पर कीमत छपी हुई है 5.57 पैसा। यह ग्लेक्सो कम्पनी की बच्चों के लिए विटामिन की दवाई है। सबको मालूम है। इसके कन्टेन्ट क्या है. यह भी सबको मालूम है, आपको भी मालूम है लेकिन इसके बजाय हमारे डाक्टर, मेडिकल दुकान वाले, सहकारी दवाई की दुकान के कर्मचारी इसी कन्टेन्ट की दूसरी दवाई बेच रहे हैं। यह दवाई बनाने वाली कम्पनी फरीदाबाद की है और इसको बेचने वाली फर्म जयपुर की है। सहकारी दुकान पर यह मिल रही है जो 160 मिलिग्राम की हैं, मैं इसको सदन के पटल पर रखूंगा। यह दवाई जो ग्लेक्सो कम्पनी की है, प्रमाणित रूप से अच्छी सीरिप होना चाहिए लेकिन इसकी जगह पर दूसरी दवाई बेची जा रही है। डाक्टरों के द्वारा इसी दवाई को लिखा जा रहा है और इसकी कीमत है 10.50 रुपया। इस प्रकार बेचने वाले और दूसरे मिल कर खा रहे हैं। सभापति महोदय, एक और दवाई है बी काम्पलेक्स...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री कैलाश मेघवाल: टाइम तो मेरे पास है। अगर कम होगा तो और ले लूंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह 225 मिलिग्राम का टानिक बाम्बे की प्रमाणित फर्म का है। ...

(व्यवधान)

(श्री कैलाश मेघवाल)
इसको सुन लीजिए। भ्रष्टाचार किसने किया है? वह मैं आपको बता रहा हूं। आगे क्या बता रहा हूं, वह सुन लीजिए। राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है इन कामों के लिए, मैं इस बात को साबित करूंगा।

तो, माननीय सभापति महोदय, हैल्को केलसीवट स्टेण्डर्ड कम्पनी का है। इसकी जो कीमत है वह 8.42 रुपया है। यह वेचा जाता है और इसके बजाए एक कम्पनी जो दो अलग अलग नामों से इस तरह का काम कर रही है, वही कन्टेन्ट है इस कम्पनी के द्वारा निर्मित दवाई जिसका वितरण जयपुर की एक मेडिकल एजेन्सी द्वारा किया जाता है और उसकी सेल प्राइस है 11.50 रुपया। दूसरी की भी सेल प्राइस 11.50 रुपया है। यह बिक रही है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी दुकान के अधिकारी, कर्मचारी और डाक्टर मिल कर यह सारी कार्यवाही कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पुनर्भरण के आंकड़े उपलब्ध हैं, पहाड़िया शासन के आने के बाद पुनर्भरण में 15 लाख की यह दवाई बेची गई है। इस प्रकार सरकार को धोखा दिया गया है। मेरा निवेदन है कि इन दवाइयों के लिखने वाले डाक्टरों के खिलाफ आप कार्यवाही कीजिये और जो ये दवाइयों उपहार के भण्डारों से, दुकानों से वेची जा रही हैं, उनको मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। · · ·

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने 50 मिनट ले लिये हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : पांच मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह हल्की दवाइयां जहर के बराबर होती हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य खानों के बारे में यहां पर चर्चा कर रहे थे। मेरे से बात कर लेते तो मैं उनको पूरी जानकारी दे देता। झामरकोटड़ा में संयन्त्र लगने वाला है उसके बारे में भी वे कह रहे थे कि वह बन गया है क्या उनको मालूम है कि खानों से कितनी आय उपलब्ध हो रही है? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़िया सरकार के आने के बाद खानों की रायल्टी में कमी आयी है। राकफास्फेट का मिनी प्लान्ट लगाने की योजना हमने हाथ में ली थी जो जून, 1980 तक लगाया जाना था और जिस पर 70 करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान था परन्तु वह अभी तक नहीं लगाया गया है। अब यह योजना 100 करोड़ रुपये की तैयार की जा रही है, इस प्रकार 30 करोड़ रुपये का व्यय अधिक बढ़ गया है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह बताया है कि यह इस साल के अन्त तक लग जाएगा। राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा है कि हमारे यहां पर खनिज सम्पदा असीम है। इसके दोहन की बहुत संभावना है। परन्तु खनिज सम्पदा का विकास करने के लिए हमें मोनोपोली को तोड़ कर छोटे-छोटे पट्टे गरीबों के हित में देकर इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे एम्प्लायमेन्ट बढ़ेगा और हमारे राज्य की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। 1979-80 में इससे नौ करोड़ की रेवेन्यू मिली थी परन्तु पिछले साल रॉक फास्फेट का क्या उत्पादन रहा? जहां पहले 4.04 लाख

(श्री कैलाश मेघवाल)

का खनन हुआ था उसके मुकाबले पिछले साल 3.50 लाख का ही खनन कार्य हो पाया है।

सभापति महोदय, यहां पर बीस सूत्री कार्यक्रम की बड़ी बात होती है। बीस सूत्री कार्यक्रम अच्छा है। इसका कार्यान्वियन होना चाहिए। आज आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं जनता को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र है जनता को आवश्यक उपभोक्ता सामग्री को उपलब्ध कराया जायगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम में यह भी एक सूत्र है और कोई भी कांग्रेस का माननीय सदस्य एक साथ में बीस सूत्र बता दे तो मैं आज ही त्यागपत्र दे दूंगा। परन्तु कांग्रेस के माननीय सदस्य नहीं बता सकते। उनको बीस सूत्री कार्यक्रम का पूरा ज्ञान नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोई चैलेन्ज स्वीकार करता है ?

श्री कैलाश मेघवाल : कोई नहीं बता सकता है।

(व्यवधान)

गरीबों के पास जाने का आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। कोई भला नहीं हो रहा है। आवश्यक उपभोक्ता सामग्री आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आज सवेरे माननीय सदस्य, श्री गोटेवाला ने एक प्रश्न उठाया था। उस प्रश्न का सरकार की ओर से पूरा जवाब नही आया है। जनता दुखी है। त्राहि-त्राहि कर रही है। इसके अलावा सभापति महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम में एक कार्यक्रम यह है कि प्रशासन में चुस्ती लाई जायगी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए माननीय सदस्या, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत ने यह कहा कि राजस्थान का प्रशासन ढीला है, क्यों ढीला है। बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रशासन को चुस्त करने की बात कही गयी है। परन्तु राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रशासन को चुस्त करने के लिए एक शब्द नहीं कहा है। प्रशासन में चुस्ती तब तक नहीं आ सकती है जब तक कि कर्मचारियों में असन्तोष है। कर्मचारियों के लिये सरकार ने बेरी आयोग की नियुक्ति की कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारियों को सन्तुष्ट किए बिना प्रशासन का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है। यह हमारी प्रशासनिक प्रणाली है। कर्मचारी उसका एक आवश्यक अंग है। उनको क्या राहत देंगे ? बेरी आयोग की रिपोर्ट कब तक आयेगी ? राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस सम्बन्ध में एक शब्द नहीं कहा गया है। यह क्या तमाशा है।

मैं यह निवेदन करूंगा, हमारे माननीय सदस्य कहेंगे जनसंख्या बढ़ रही है। स्टेटेस्टिक्स डिपार्टमेन्ट जो रिपोर्ट भेजेगा उसके आधार पर यहां पर बोलेंगे कि जनसंख्या बढ़ रही है। इसके लिए आपकी क्या योजना है। एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, दूर दृष्टि है तो इस तरह से जनसंख्या पर नियन्त्रण नहीं किया जा रहा है। जिस देश में जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया जायगा जिस देश में साक्षरता का प्रतिशत 19.7 हो, उस देश में आप चाहें, राजस्थान में आपका यह परिवार कल्याण कार्यक्रम सफल हो तो आपको जनसंख्या पर

(श्री कैलाश मेघवाल)
नियंत्रण करके, योजना वाली नीति को छोड़कर दूर दृष्टि के आधार पर 1985 में हमारी राजस्थान की जनसंख्या का क्या पर्सेन्टेज है, उस पर्सेन्टेज को मानकर हमें अपनी योजना तैयार करनी पड़ेगी। तब राजस्थान में सुधार की गुंजाइश हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने कल निवेदन किया यह प्रतिगामी अभिभाषण है जिसमें राजस्थान को आगे बढ़ाने की एक भी चीज नहीं है और इसलिए इसका कोई समर्थन में नहीं कर सकता हूं। माननीय सभापति महोदय, मानवता रोती हुई, गरीब भूखों मरते, भूखे नंगे बच्चे उनके लिए इस अभिभाषण में कोई आशा नहीं है। इसलिए मैं अपने आपको इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ पाता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : माननीय सभापति महोदय, जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस आरम्भ हुयी और विचार सामने आये तो उससे पता लगता है कि हां पक्ष के लोग भी इस भाषण से प्रसन्न नहीं हैं। अभी माननीय सदस्य मेघवाल जी ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करके यह सिद्ध किया कि जो भाषण गत विधान सभा में राज्यपाल महोदय ने दिया था वही भाषण लगभग एक तरह से यहां पर दिया गया है। इससे पता चलता है सरकार चल रही है। एक ढीली सरकार यहां पर चल रही है, स्थिर सरकार है।

माननीय सभापति महोदय कल एक माननीय सदस्य, डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने एक आरती पढ़ी, माननीय मुख्य मंत्री जी का स्तुतिगान किया था उस समय मैं उनकी ओर देख रहा था। मेरी दृष्टि में वे बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आते हैं। वे खुद इस बात को मानेंगे कि उनका मुँह बोल रहा था मन नहीं बोल रहा था उनको इस बात का बहुत कष्ट था कि मुख्य मंत्री जी इस बात को सुन नहीं रहे थे वरना कुछ न कुछ तो उनको बना ही देते। मान्यवर, जिन आंकड़ों का जिक्र किया गया है, कल डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य जिस राम राज्य की कल्पना कर रहे थे कि बिजली में सुधार हो गये हैं और सब कामों के सुधार हो गये हैं इसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करने का प्रयास कर रहा हूं। अलाटमेंट की बात कही गयी है कि अलाटमेंट किये जा रहे हैं, गरीब लोगों के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है। ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कल डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य से कोई गलती हो गयी है। उनको यह आशा थी कि उनको बिजली मंत्री बना देंगे उन्होंने उसके लिये भाषण तैयार किया था और वे वही भाषण यहां बोल गये यह कर दिया जायगा यह हो जायेगा वह हो जायगा, ऐसे बोल रहे थे और राम राज्य की कल्पना दे रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ 6 पर जिस भू-आवंटन की बात की गयी है जिस राजस्व अभियान की बात कही गयी है, पर जिस ढंग से भू-आवंटन हो रहा है उसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी यहां पर नहीं हैं अगर वे यहां पर होवे तो मैं उनको कहता। उनके क्षेत्र में जो

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

अलाटमेंट हो रहे हैं, उसका नमूना प्रस्तुत करता। उनके क्षेत्र में एक पंचायत वादीपुर है जिसमें पांच गांव लगते हैं खेरली, वीलोन्दा कादीपुरा पचलावाड़ा वन्दा खुर्द। माननीय सभापति महोदय, जो अलाटमेंट हुआ वह किशनगंज तहसील के हैड क्वार्टर पर हुआ, रात को 12 बजे हुआ और सरपंच ने विरोध किया उसके बावजूद भी अलाटमेंट हुआ। सरपंच नाराज होकर घर चला गया तो एस.डी.ओ., घर पर गये, घर पर जाकर सरपंच को मनाकर लाये और अलाटमेंट हुआ। यह क्षेत्र एस. टी. क्षेत्र है वे शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रतिनिधि बन कर यहां पर आये हैं उस जमीन पर अनुसूचित जन जाति के लोग काबिज थे। 15-15 सालों से उनको कब्जा था, उसकी रेगूलेराइज करना चाहिये था, पर वह नहीं हुआ और अलाटमेंट जमींदारों को किया गया। जो 15 सालों से काबिज हैं दर्ज हैं उन लोगों को वेदखल कर दिया गया और वहां के सामन्ती लोगों को अलाटमेंट किया गया। जो वहां 15 सालों से काबिज थे जिन्होंने मेहनत करके उसको कृषि योग्य बनाया था उनको हटाकर वहां के पटेल लोगों को वहां के जमींदारों को वह अलाटमेंट किया गया। उसके लिये एक योजना बना कर एक पटवारी लगाया गया रतिराम, जो कि तीन बार सस्पेंड हो गया है, उसको सस्पेन्शन से बहाल करके उस पंचायत में लगाया और समाज कल्याण मंत्री की सिफारिश पर वहां एक तहसीलदार को लगाया जिसकी सी. आर. में लिखा हुआ है कि इसको फील्ड में नहीं लगाया जाय। ऐसे एस. डी. ओ. को लगाया जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं जिसका ट्रनसफर हो गया था किन्तु समाज कल्याण मंत्री उसको वहां ले गये, तीनों ने मिलकर यह षड़यंत्र रचा और उन आदिवासियों को, उन भूमिहीनों को उस भूमि का अलाटमेंट नहीं किया। यह नहीं है कि उनको जमीनों को अलाटमेंट नहीं हुआ पर उनको उबड़ खाबड़ जमीनों का अलाटमेंट हुआ हैं जिस पर वे काबिज थे उसको दूसरे लोगों को 100-150 रु. बीघा की कीमत इकट्ठी करके अलाटमेंट किया, इसका प्रमाण देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, वहां के सरपंच ने एक शपथ पत्र दिया है जिसमें कहा गया है कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि इस जमीन के लिये 100 रुपया पर बीघा इकट्ठा हुआ, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि इस जमीन पर वे काबिज कब्जा है, 12 बजे रात को अलाटमेंट हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि पटवारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ? इस तरह का जो गलत अलाटमेंट हुआ है उसकी जांच करायेंगे ? आप बड़े अनुसूचित जाति और जन जाति के हितैषी बनते हैं। मैं चाहूंगा कि यदि आप आपकी सरकार उनकी हितैषी है तो आज की तारीख में घोषणा करें कि इसकी जांच की जायगी और जांच करने पर जो दोषी अधिकारी होंगे उनको दण्ड दिया जायगा। समाज कल्याण मंत्री जी यहां नहीं हैं पर वे खुद चाहते हैं वे उस एस.डी.ओ. को वहां ले आये उसकी पत्नि को वहां ले आये वह आज खुले आम चिल्ला रही है कि मुफ्त में नहीं आये हैं पैसे देकर आये हैं, पैसा कमायेंगे।

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य बड़ा स्तुतिगान

64

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

कर रहे थे यह हो जायगा वह हो जायेगा, आज घोषणा करायें कि इस अलाटमेंट की जांच करवाने की सामर्थ्य सरकार में हैं अगर नहीं करेंगे तो. . . . . .

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि समाज कल्याण मंत्री एस.डी.ओ. को वहां ले आये उनकी पत्नी को ले आए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी पत्नी को कहां ले गये जरा स्पष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल :XXX

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्य ने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है, मैं उनकी बात को गम्भीरता से नहीं लेता हूं . . . .

(व्यवधान)

उनकी पत्नी सीनियर टीचर है कोटा में थी पहले अब वहां से ट्रान्सफर कराके बारां में ले गये हैं यह बात भूल गया था आपने याद दिला दी, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

(व्यवधान)

पति पत्नी को वहां ले गये . . . माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा और . . . .

(व्यवधान)

हरदयाल पटेल है खेरली का, जिसके पास 150 बीघा जमीन है, उसके नाबालिग लड़के को अलाटमेंट हुआ है, जिसका नाम रामेश्वर है। जगन्नाथ पटेल के पास 500 बीघा जमीन है, उसके नाबालिग लड़के इन्दर को अलाटमेंट हुआ है। जो भूमिहीन नहीं है, ऐसे सैंकड़ों लोगों को अलाटमेंट हुआ है, जो गैर कानूनी है। इतना होने के बावजूद भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी।

(व्यवधान)

मान्यवर सभापति महोदय, यह भीलों का गांव है। 70 पर्सेन्ट सहरिया लोग वहां रहते हैं। उन्होंने 15 वर्षों तक वहां रहकर उस जमीन को तैयार किया लेकिन वह जमीन सवर्णों को दे दी गई उनको नहीं दी गई। उन लोगों को दी गई जो 100 रु. बीघा के हिसाब से एस. डी. ओ. साहब को पैसा दे सकें, ऐसे लोगों को अलाटमेन्ट हुआ है। मान्यवर सभापति महोदय, पचलावड़ा गांव के लोगों ने, इस गांव से लगा हुआ मध्य प्रदेश का एक गांव है गनेशपुरा। यदि आप जांच करवायेंगे तो पता लग जायगा कि वे ही सारे लोग पैसा देने वाले हैं, जिन्होंने मदनलाल से, जो वहां का पटेल है, पैसा लिया है, यह रिकार्डेड प्रूफ है, पटवारी को लाया गया, तहसीलदार को लाया गया, एस.डी.ओ. को लाया गया। रात को 12 बजे अलाटमेन्ट किया गया। वहां पर, सभापति महोदय, जनजाति के लोगों को डिसपजेस किया जा रहा है। आज भी

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

वहां पर एस. डी. ओ. जनजाति के लोगों को डिसपजेस कराने के लिए, उसकी लॉग बुक मंगाकर देख लीजिये, हर दूसरे रोज जाता है किन्तु सहरिया लोग कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यदि सरकार में थोड़ा भी नैतिक साहस हो तो इसकी जांच करवाये।

मान्यवर सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं, यह तो हो गया लेकिन एक और होने वाला है। उन्हीं की कान्स्टीट्यूएन्सी में, समाज कल्याण मंत्री महोदय की कान्स्टीट्यूएन्सी में समरानिया नदी के नीचे 300 बीघा भूमि का अलाटमेंट होने वाला है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उस जमीन पर भी वहां के सहरिया लोगों का कब्जा है, वे लोग वहां पर काबिज हैं, उनको वहां से हटाया जा रहा है जो वहां कई वर्षों से रह रहे हैं और जो वहां नहीं रह रहे हैं उन दूसरे लोगों को जमीन देने के लिये पूरा प्लान बन चुका है। डेढ़ सौ रुपया बीघा का उनसे लिया गया है और हमारे XXXउस पैसे से तीन जीपें खरीदी गई हैं, यह काम उनसे करवाया जा रहा है। रैली में भी हो वह जीपें ले जाई गई। लेकिन हमारे XXXमैं आज भी कहता हूं कि यदि इसकी जांच करवाई जाय तो जिन लोगों ने कर्जा दिया है वे सामने आ जायेंगे और सामने आकर यह बतायेंगे कि उन्होंने किन-किन लोगों को पैसा दिया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो तीन सौ बीघा भूमि का अलाटमेंट हुआ है वह भूमिहीन लोगों को करवाया जाय। जांच करवाने से यह सब मालूम हो जायगा कि किन किन लोगों को पैसा दिया गया और कैसे कैसे दिया गया। कल यह कहा जा रहा था कि राम राज्य आ गया, मान्यवर सभापति महोदय, यह तो मैंने एक नमूना बताया है यहां पर। इस तरह के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। यह कहा जा रहा है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वालों को आजादी मिल गई, उनका कल्याण हो रहा है।

मान्यवर सभापति महोदय, एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं, यह सरकार कैसे चल रही है, कैसा कम्पिटिशन हो रहा है। पहाड़िया शैली का निर्माण कैसे हो रहा है इसका एक और उदाहरण देना चाहता हूं। पिछली बार सदन में अध्यापकों के ट्रान्सफर का मामला उठा था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदय पर लोगों ने आरोप लगाये थे और उन आरोपों में एक आरोप यह भी था कि एक ही आदमी के ट्रान्सफर कई बार कर दिये गये, इसका एक उदाहरण मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक तृतीय श्रेणी अध्यापक गुलाबजी कावत, एक माह में पांच बार तबादलों का शिकार हो चुका है। इसे पिछले माह मसूदा से शामगढ़, शामगढ़ से रेमाली, रेमाली से लूलवा, लूलवा से शेरगढ़ तथा शेरगढ़ से खेमपुरा स्थानान्तरित किया गया। हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी को यह लगा कि इस पहाड़िया शैली में शिक्षा मंत्रीजी आगे निकल जायेंगे तो उन्होंने देखा कि उनके पास उतने डाक्टर नहीं हैं जितने शिक्षा मंत्रीजी के पास अध्यापक हैं। उन्होंने कोशिश की एक डाक्टर का ट्रान्सफर उससे भी ज्यादा बार किया जाय...

XXXअभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(66)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : आपके वक्त में दस-दस दफा ट्रान्सफर हुए थे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : ताकि ट्रान्सफर के मुकाबले में तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी से पीछे नहीं रह सकें।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : आपके वक्त में...

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपका नम्बर आवे तब बोलना।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मान्यवर सभापति महोदय, बारां से चार मील दूर एक गांव है बोथ–वहां पर एक डाक्टर है तेजकरण गालव, वहां से उसका ट्रान्सफर किया गया। जो उनके स्थान पर आया, इन दोनों का स्थानान्तरण किस हिसाब से किया गया, आप निर्णय कीजिये कि स्थानान्तरण के मामले में, स्वास्थ्य मंत्रीजी आज नहीं हैं, भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हैं, 9–9–80 को एक आदेश निकलता है सी ए एस/एटी/स्था 2(80) 429 डाक्टर रहमान को मांगरोल ट्रान्सफर किया गया और डाक्टर गालव को मांगरोल से झालावाड़ ट्रान्सफर किया गया। फिर 18–9–80 को 8 दिन बाद दूसरा आदेश निकला, डाक्टर गालव को वापस झालावाड़ से मांगरोल और डाक्टर रहमान को मांगरोल से झालावाड़ पोस्ट कर दिया गया। तीसरा आदेश निकलता है सात दिन बाद 24-9-80 को डाक्टर रहमान को बोथ से मांगरोल और डाक्टर तेजकरण को मांगरोल से झालावाड़ लगा दिया गया। उसके बाद जो आदेश निकला उसमें देरी हो गई जो पांचवां आदेश था, 24–9–80 के बाद 8-10-80 को निकला उसके अनुसार डाक्टर गालव को झालावाड़ से मांगरोल और डाक्टर रहमान को मांगरोल से झालावाड़ लगाया गया। इसके बाद 22–10–80 को एक और आदेश होता है। सभापति महोदय, शायद आप समझ रहे होंगे, मैं कई डाक्टरों के तबादलों की बात कर रहा हूं, केवल दो ही डाक्टरों की बात कह रहा हूं, इसलिए यह गलतफहमी नहीं रहे मैं सिर्फ एक ही ट्रान्सफर आर्डर की बात कह रहा हूं। 22-10-80 को डाक्टर गालव को मांगरोल से झालावाड़ और डाक्टर रहमान को बोथ से मांगरोल कर दिया गया। उसके बाद एक आर्डर 24-12-80 को निकला, जिसके अनुसार डाक्टर गालव को जावर से मांगरोल और डाक्टर रहमान को मांगरोल से बोथ लगाया गया। इस प्रकार से 8 बार ट्रान्सफर एक ही व्यक्ति के चार महीने में हो जाय तो अब आप निर्णय कर सकते हैं, ऐसा एक उदाहरण नहीं है। शिक्षा मंत्रीजी आगे रहे या स्वास्थ्य मंत्रीजी, यह आप निर्णय कर सकते हैं। यही नहीं, 5-2-81 को एक और आदेश निकलता है उसमें डाक्टर रहमान को बोथ से मांगरोल और डा. गालव को मांगरोल से बोथ लगाया गया। मेरे बारां में डाक्टर पाण्डे का बारां से झालावाड़ चार बार ट्रान्सफर हुआ।

इतना ही नहीं सभापति महोदय, स्थिति ऐसी है कि कहीं उनको जाने की जरूरत नहीं वह बैठे-बैठे ही वहां से अपना ट्रान्सफर

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

करा लेते हैं। सभापति महोदय, वह वहीं बैठे बैठे फोन कर लेते हैं और आर्डर उनके घर पर आ जाते हैं। बस हो गयी होम डिलीवरी शुरू। तो मेरा निवेदन यह है कि आज राजस्थान में सरकार नहीं चल रही है यहां पर तो भानमति का कुनबा है जो चल रहा है। ××× अब सभापति महोदय थोड़ा में आपके सामने लॉ एण्ड आर्डर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : यह ××× है।

(व्यवधान)

श्री तेजपाल यादव : ×××क्या हो, हमको जनता ने चुनकर भेजा है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर, आर्डर !

श्री रघवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, मैंने राजस्थान सरकार के नमूने तो आपके सामने रख दिये अब मैं थोड़ा हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें। आर्डर, आर्डर! माननीय सदस्यों को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समय का अभाव है और आपकी पार्टी को ढाई घण्टे का समय मिला है आप एक घण्टे तो बोल चुके हैं और बाकी का समय आपके लिये थोड़ा बचा है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : साहब, बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : डिस्टर्बिंग एलीमेन्ट हैं...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आप अपना भाषण जल्दी समाप्त करें और समय का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस ××× को शान्त रखो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा मुख्य मंत्री जी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अभी मुख्य मंत्रीजी का कल बहुत कुछ स्तुतिगान किया गया है। अभी थोड़े दिन पहले मैं भोपाल गया था वहां पर मुझे एक कवि मिले उन्होंने मुझे यह कहा कि आप के मुख्य मंत्रीजी इस तरह से देश के महान कवि और मनिषियों का अपमान करते हैं यह बहुत ही शर्म की बात है। इस तरह की बातें जब हमें वहां दूसरी जगह पर हमारे मुख्य मंत्रीजी के बारे में सुनने को मिलती हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं यह बात कोई एक जगह से ही आई हो यह बात नहीं। अगर मैं यहां पर यह हवाला देता कि राजस्थान पत्रिका में आया हो तो सत्ता पक्ष के सदस्य यह कह सकते हैं कि राजस्थान पत्रिका का अखबार तो मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ है पर

××× अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

मुख्य मंत्रीजी के इस प्रकार के अभद्र व्यवहार एक मनिषि के साथ करने के बारे में हमारे देश से बिड़लाजी, जो कि कांग्रेस के खास साथी हैं, के अखबार दैनिक हिन्दुस्तान में एडीटोरियल के अन्दर आया, उसमें लिखा है कि इतिहास साक्षी है कि जिस देश ने अपने विद्वानों का आदर किया है, वह देश फला फूला है। जिस देश ने उनका निरादर किया है वह डूबा है। हमारे देश में आचार्यों, गुरुओं, विद्वानो को सदा सर्वोच्च सम्मान दिया जाता रहा है किन्तु ऐसे उदाहरण भी मिल जाते हैं जब सत्ता के मद में अन्धे शासकों ने इस परम्परा के विरुद्ध मूलत: विद्वज्जनों को अपमानित किया है। ऐसा एक उदाहरण हाल में जयपुर में देश भर के लेखकों के एक समारोह में देखने को मिला। इस सम्बन्ध में पत्र-पत्रिकाओं में काफी चर्चा हो चुकी है अत: हम इस प्रसंग को और बढ़ाना नहीं चाहते।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, आगे इसी सम्पादकीय लेख में लिखा है कि जब दादुर बोल रहे हो तब सरस्वती पुत्रों के साथ जयपुर में जो कुछ हुआ उसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। सभापति महोदय, दादुर का मतलब है मेंढक और हमारे मुख्य मंत्रीजी को मेंढक कहा गया है, जब इस प्रकार की भाषा हमारे मुख्य मंत्रीजी के लिये लिखें तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं आपके इन्दिरा गांधी की पुत्र वधु श्रीमती मेनका गांधी का जो सूर्या अखबार निकलता है उसमें भी इनके बारे में काफी कुछ लिखा गया है।

(व्यवधान)

आपने कभी सूर्या पढ़ा हो तो पता चला है इसमें भी आपके मुख्य मंत्रीजी की प्रस्तुति आ चुकी है। सभापति महोदय, दिनमान में तो यह लिखा है हमारे मुख्य मंत्री जी के बारे में पता नहीं क्यों महादेवी जी का यह कथन उन्हें नागवार गुजरा और उन्होंने महादेवीजी पर व्यक्तिगत आक्रमण करते हुए बहुत कुछ ऐसा कहा गया जो जीवन नीति वाले चिन्तक विचारक नहीं कहते। उन्होंने कहा कि राजनीति को जीवन नीति मानने वाले पहले के चिन्तक विचारक ऐसी बात नहीं कहते, न इस स्तर पर उतरते। किसी राजनैतिज्ञ द्वारा कवि की कविता न समझने पर कवि छोटा नहीं हो जाता अगर कहीं कोई छोटा होता है तो राजनीतिक ही...

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : सभापति महोदय, ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर। सभापति महोदय, माननीय सदस्य अखबार पढ़ रहे हैं या अपनी बात कह रहे हैं अगर अखबार पढ़ना है तो दूसरी जगह जाकर पढ़ें। अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कथावाचक है।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो मनिषियों के निरादर की बात कही उसके बारे में मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहती हूं कि क्या माननीय सदस्य यह बता सकते हैं कि मुख्य मंत्रीजी ने किन शब्दों का

(श्रीमती कमला)

प्रयोग किया कौनसी भाषा में क्या कहा था अगर उनको वह शब्द याद हों तो हमें यहां बता दें ? ऐसी कौनसी भाषा वही जिससे कि मनिषियों का निरादर हुआ ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं आपको अभी बताता हूं।

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : क्या आपने उनके शब्दों को टेप रिकार्ड किया था क्या ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य चौमूं से आने वाले, कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, अखबारों में क्या लिखा उस पर माननीय सदस्य नहीं जायं आपके पास टेप रिकार्ड हो तो बता दें। जहां तक मुझे पता है मुख्य मंत्री जी ने जब मनिषियों की तरफ से यह कहा गया कि आज की सरकार जो है वह देश के लिये लज्जा की बात है तो उन्होंने कहा जवाब में, कि अगर ऐसी बात होती तो जनता हमें चुनकर नहीं भेजती। इन शब्दों में मनिषियों का निरादर करने की बात कौन सी है, यह आप बतावें ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप शब्दों को सुनिये।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : आप तो अखबारों की बातें करते हैं हमारे मुख्य मंत्रीजी तो सीधे साधे हैं। आप उनके बारे में कुछ भी छापें। आपके पास अगर टेप किया हुआ तो बतावें।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपके पास उनके भाषण का टेप किया हुआ हो तो बतावें।

श्री सूरजपाल सिंह : यह आपका भानमती का कुनबा नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य, आप जल्दी समाप्त करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह यहां पर पढ़ रहे हैं हम भी पढ़े लिखे हैं अखबार यहां पर पढ़ने की क्या आवश्यकता है।

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा : आपने क्या क्या काम किये आपके तो कालिक पोत दी है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आसन पैरों पर है।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : आपकी पार्टी हार चुकी है उस पर कालिक पुत गयी है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपने कोई मनिषिका का ठेका नहीं ले रखा है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर, आर्डर, आर्डर! मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में बहस चल रही हो उस वक्त पक्ष या विपक्ष कोई भी हो अपनी बात कह रहे हों तब उस समय किसी भी तरफ से रनिंग कमेन्ट्री नहीं होनी चाहिये और न ही किसी प्रकार का रिमार्क होना चाहिये। दूसरी बात, मैं माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी सदस्य जब अपनी बात कहते हों, सदन में तब अखबार से नहीं पढ़ें, अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो तो उसका कोटेशन देकर अगर वह कोटेशन किसी पुस्तक या अखबार या किसी में हो तो उसका पेज नम्बर और लाइन नम्बर बतादें। यहां पर सम्पादकीय नोट को पढ़ना डिजायरेबल नहीं है, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आइन्दा चाहे पक्ष के सदस्य हों, चाहे विपक्ष के सदस्य हों, वह जिस कोटेशन का हवाला देते हों उस वक्त मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह बीच बीच में इन्ट्रप्ट करके सदन का समय बर्बाद नहीं करें।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : कथा-वाचक की तरह अखबार पढ़ने का तो समय है नहीं।

(व्यवधान)

कथावाचक की तरह अखबार पढ़ते रहें, श्री दाऊलाल जी जोशी बैठें हैं। याददाश्त कमजोर है तो च्यवनप्राश ले लें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपका नम्बर उधर बैठने वालों में नहीं आने वाला है। मेरा निवेदन यही है कि देश का कोई समाचार-पत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें हमारे मुख्य मंत्रीजी पर टिप्पणी नहीं आई हो। इसलिए यह देश और प्रदेश के हित में है कि वह क्षमायाचना करें। जो आदमी गलती करे उसके लिए वह क्षमा याचना करे तो उसमें तो बड़प्पन होता है। उसमें निरादर नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब यही था।

मान्यवर, लॉ एण्ड आर्डर की बात चल रही है। ला एण्ड आर्डर की स्थिति पर राज्यपाल महोदय ने बड़ा सन्तोष व्यक्त किया है। अभी कांग्रेस (आई) के लोगों ने केरल में केरल बन्द का आह्वान किया। केरल बन्द रहा और किस कारण से बन्द रहा कि स्प्रिट का एक घोटाला वहां हुआ था, एक मंत्री उससे सम्बन्धित थे और एक पुलिस कर्मचारी को संरक्षण दिया। इसलिए केरल बन्द का आह्वान कांग्रेस (आई) के लोगों ने किया। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि अभी थाने में ही एक हत्या हुई और हत्या होने के बाद जैसा नाटक यहां हुआ है ऐसा नाटक कहीं नहीं हुआ होगा। धन्नालाल नायक को पुलिस

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

ने पकड़ा उसको पीटा और पीटने के बाद थाने में उसकी मौत हुई। उसकी 110 की जमानत के लिए पुलिस वाले एस. डी. ओ. के पास आते हैं और उसको पेश नहीं किया जाता, उसकी एस. डी. ओ. जमानत ले लेता है। वहां के बुद्धिजीवियों ने बार एसोसियेशन ने और मनोहरथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने और रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी स्टेटमेन्ट दिया कि पुलिस द्वारा उसके ऊपर ज्यादती हुई है इस कारण उसकी हत्या हुई है। वहां के कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष ने, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने, बार एसोसियेशन ने सर्वसम्मत्ति से मिल कर यह प्रस्ताव पास किया और इन्क्वायरी कमेटी बैठाई फिर उसकी रिपोर्ट आई और उस इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट यह आई कि उस व्यक्ति के मरने के बाद जमानत हुई है। एस.डी.ओ. ने कागजात गायब कर दिये और एस. डी. ओ. ने मरे हुए की जमानत ली। बिना आदमी के उपस्थित हुए। उसी अपराधी को, 302 के अन्तर्गत जिन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, आप इन्क्वायरी आफीसर बनाते हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति है। आज ही 3 लाख की चोरी हुई है, सरे बाजार में लोगों को लूटा जा रहा है और कहते हैं कि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत संतोषजनक है। किसानों के लिए बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं और कहते हैं कि भारत का किसान इन्दिरा के साथ...

श्री सूरजपाल सिंह : बिलकुल है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं कहता हूं कि आप क्या जवाब दे सकते हैं कि हिन्दुस्तान के इतिहास में किसानों ने कभी इतने आन्दोलन किये, जितने अब हो रहे हैं? क्या तामिलनाडु में हो रहा है? क्या कर्नाटक में हो रहा है? क्या महाराष्ट्र में हो रहा है? और क्या राजस्थान में और दूसरी जगहों पर हो रहा है...?

(व्यवधान)

श्री भैरू सिंह गुर्जर : वह तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। किसान एक भी नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, इनको निकलाइये इनको ताड़ना दीजिए। हमको संरक्षण दीजिए।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी इतने आन्दोलन किसानों ने नहीं किये। किसान कभी संगठित नहीं हो सकता, किसान कभी आन्दोलन नहीं कर सकता। सारी राजनैतिक पार्टियों ने इस व्यवस्था के कारण खड़े होकर एक तरह से विद्रोह किया। वह कह रहे थे कि 23 रुपया क्वि. गन्ना कर दिया। 110 आदमियों की जानें बन्दूक से गयीं तब जाकर यह हुआ है। किसानों की हत्यारी सरकार, जो इतना बड़ा दावा करती है कि किसान हमारे साथ हैं; आज आम चुनाव करायें किसान आपको फिर ठुकरा देगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप अपना भाषण मेहरबानी करके समाप्त करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मान्यवर, मैं बहुत जल्दी समाप्त करने वाला था लेकिन वह डिस्टर्ब करते हैं। मन से सब सुनना चाहते हैं बाहर जाकर कहेंगे कि बहुत अच्छा बोला लेकिन यहां डिस्टर्ब करते हैं।

मान्यवर सभापति महोदय, किसान दुखी हैं और यह सारे कांग्रेस के माननीय विधायक भी अपनी मीटिंगों में कहते हैं। कहते हैं कि हम लोगों को जाकर क्या बतायें। फूड फार वर्क चल रहा था, अकाल राहत के कार्य चल रहे थे, गांवों में निर्माण कार्य हुए और अब कुछ नहीं हो रहा है। क्या मुंह बतायें जाकर बताओ तो सही। आज इनके पास कोई जवाब नहीं है। किसानों का विरोध इसलिए करते हैं कि पिछली बार अकाल हुआ था तो किसानों को घर बैठे मजदूरी मिली थी और पर्याप्त मिली थी। पिछली बार गरीबों ने पहली बार गेहूं की बोरियां देखी थीं।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : 1977 में कितने काम खोले थे ? कितने लोगों को मजदूरी दी थी इतना तो बता दो। आंकड़े तो बता दो जरा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, अगर इसी तरह से चलता रहा तो···

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : भाषण आप दे रहे हैं या रघुवीरसिंह जी कौशल दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : एक लाख लोग काम कर रहे थे हमारे उदयपुर जिले में···

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय···

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप व्यवस्था दीजिए। समय जाया जा रहा है। कुछ इनमें से आप निकालिये वरना कैसे काम चलेगा।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, अकाल राहत के लिए माननीय सदस्यों को चुभन हुई है···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, इनको बैठा दीजिए। बहुत टाइम हो गया है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : हम एक को भी नहीं बोलने देंगे इस तरह से तो। इसलिए व्यवस्था दीजिये।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप मेरे आंकड़ों को मत मानिये। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखने वाली माननीय सदस्या ने अकाल के सम्बन्ध में जो भी कहा है, उन्होंने जो कहा है यदि उसको ध्यान से सुना होता तो आप इस सदन में एक दिन भी नहीं टिक सकते। जो काम अब चल रहे हैं इसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव रखने वाली माननीय सदस्या ने भी असन्तोष व्यक्त किया है। कड़ी आलोचना की है क्योंकि वह सत्यवादी हैं। उन्होंने सत्य बोलने का साहस किया। जिनमें नैतिकता नहीं वह सत्य बात स्वीकार नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, पशुपालन विभाग की चर्चा· · · · ·

श्री सभापति : आपने टाइम बहुत ज्यादा ले लिया। और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं किसी विभाग की बात करता लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी मंत्री यहां उपस्थित नहीं है। सभापति महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। यह पशुपालन विभाग द्वारा क्लास फोर्थ रखे गये। जयपुर से रखे गये। क्लास फोर्थ उसी जिले का होना चाहिये किन्तु डाइरेक्टर एनीमल हसबैण्ड्री ने 110 लोगों को जयपुर से भेजा है राजस्थान के कोने-कोने में भेजा है। मुझे यह भी पता लगा है कि इन अपाइंटमेंट्स में भ्रष्टाचार हुआ है। पैसे लिए गये हैं। उस जिले के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में उनका नाम नहीं। क्लास फोर्थ भी जयपुर से जाने लगे। क्या कृषि मंत्री महोदया जांच करवाने का कष्ट करेंगी ? डाइरेक्टर एनीमल हसबैण्ड्री ने सारे राजस्थान को क्लास फोर्थ यहां से भेजे हैं। क्या इनको अधिकार दिया गया है ? या भ्रष्टाचार का पैसा खाने की अनुमति दी गई है ? सारे अपांइटमेंट्स जयपुर से हुए हैं। क्या केवल जयपुर के लोगों को अधिकार है, फोर्थ क्लास बन सकते हैं ? कोटा जिले के नहीं बनेंगे · · ·

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : जो आप गलतियां कर गये उसको मैं सुधारूंगी। लेकिन यह परम्परायें आप छोड़ गये हैं।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उसी को आप निभा रही हैं। उसी का आप पालन कर रही हैं· ·

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी से निवेदन करूंगा, इन्होंने जो गलतियां कीं, आप तो सुधारो कम से कम।

श्रीमती कमला : आपने सुना नहीं। पहला सेन्टेन्स मैंने यही कहा जो आप गलतियां कर गये उसको मैं सुधारूंगी लेकिन आप यह परम्परायें छोड़ गये हैं· · ·

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो सुधारो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : जयपुर से राजस्थान भर में क्लास फोर्थ गये हैं, कोने-कोने में गये हैं . .

श्रीमती कमला : आपकी जानकारी के लिये बतला दूं। इस अधिवेशन के शुरू होने से पूर्व ही मैंने आदेश जारी कर दिये है कि जो जिला स्तर से आर्डर्स होने चाहिये और हैड आफिस से हुए हैं उनको निरस्त माना जाय जो जिला स्तर से किये जायं वही माकूल माने जायं। अब तक जो हो गये है उसकी माकूल कार्यवाही करेंगे। आपका प्रश्न अभी तक मैंने देखा ही नहीं है...

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आज राजस्थान की प्राथमिक शालाओं को देखते हैं कहां खोली हैं? हमारी कान्स्टीट्यूएन्सी में एक नहीं खुली। पहली बार यह हुआ है कि प्राथमिक शालायें जो इस साल खोली गई हैं..

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह गलत है, यह गलत है..

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पिछले 2।। सालों में भी हुआ है...

श्री रघुवीरसिंह कौशल : राजस्थान में जितनी प्राथमिक शालायें हैं, जितने अध्यापक चाहिये, आज उनमें नहीं हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, दीगोद विधान सभा क्षेत्र में कितने ही स्कूल ऐसे हैं जो बिना अध्यापक के बन्द है। प्राइमरी स्कूल बिना अध्यापक के बन्द हैं। हमने कलेक्टर से कहा आप अपाइंटमेंट क्यों नहीं देते? वह कहते है ऊपर से आदेश हैं कि किसी अध्यापक कि नियुक्ति नहीं की जाय। बिना अध्यापकों के स्कूल आज बन्द हैं। चार की जगह दो या तीन रह जायं, तो समझ में आ सकता है लेकिन जिन गांवों में पाठशालायें बन्द हैं, उन गांवों की पाठशालाओं की क्या स्थिति है कोई विचार करने वाला व्यक्ति नहीं है। शिक्षा मंत्री बदल गये हैं, शायद अब विचार हो। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ट्रांसफर्स में जितने भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किये गये है दूसरे लोग उसको बर्दाश्त कर सकते है, गुलाब चंद कटारिया बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन कोटा के आने वाले मन्त्री श्री राम किशन को वहां की जनता कोटा और बारां में नहीं आने देगी। अपनी धरती पर आपको पांव नहीं रखने देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रशासन चल नहीं रहा है। अध्यापक नहीं हैं, अपाइन्टमेंटस में गड़बड़ी हो रही है। अनुसूचित जाति के साथ क्या हुआ? इन सब हालात को देखते हुए आज सरकार नहीं चल रही है। माननीय सदस्य, श्री कैलाश मेघवाल ने स्पष्ट कर दिया है। पिछले अभिभाषण और इस अभिभाषण में कोई अन्तर नहीं है। इस लिये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री सभापति : श्री सूर्य कुमार जी।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो राजस्थान विधान सभा के समक्ष अभिभाषण दिया गया, जिसके

(श्री सूर्य कुमार)
लिये धन्यवाद प्रस्ताव देवगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने प्रस्तुत किया और जिसका समर्थन डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, मैं भी उन्हीं के स्वर में स्वर मिला कर उस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं।

मेरे पूर्व में ना पक्ष की ओर से दो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये उससे पूर्व हां पक्ष के दो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये। चारों माननीय सदस्यों के विचार सुने तो मुझे अलक्जेन्डर पोप की कुछ पंक्तियां याद आई जिसमें कहा गया था:

"It is with our judgements, as our watches, none go, just alike, yet each believes his own."

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कुछ हिन्दी में··

श्री सूर्य कुमार : माननीय सदस्य तिवाड़ी जी के कहने से याद आया—
"राजा कहे कहानी, रानी जूं टटोले"
राज्यपाल महोदय का अभिभाषण मात्र संसदीय प्रणाली की प्राणहीन औपचारिकता न होकर जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज है। ऐतिहासिक दस्तावेज इसलिये कि उसमें सन्तुलित तथ्यों का उल्लेख है। जहां उसमें गरीब मजदूर, शोषित किसानों के दर्द का उल्लेख है वहीं उस दर्द को कम करने की दवा का उल्लेख भी है। अगर उसमें के यथार्थ का जिक्र है तो उसे ठोस प्लान के द्वारा पूरा करने का वचन भी है। अगर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, उसमें अंकित प्रश्नों में इस प्रदेश के पिछड़ेपन का अन्धकार झलक रहा है तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इस अंधकार को दूर करने के लिये सुनियोजित योजनाओं का भी जिक्र किया गया है। ताकि अंधकार को मिटाकर आगे प्रगति के प्रकाश की राह पर अग्रसर हो सकें। अगर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गोरां धोरां री नंगी धरती की कहानी है तो वहीं उस धरती को वृक्षों से और हरियाली से सजाने की कहानी भी है। अगर वर्षा के द्वारा धोखा दिये जाने की दास्तान है तो उस वर्षा के धोखे से बचने के लिए सघन वृक्षों के लगाने की योजना भी है। सघन वृक्षों से हम अपने प्रदेश को वर्षा के धोखे से बचाये रख सकते हैं, इसका भी जिक्र किया है। यह बात सही है कि जैसा कि ना पक्ष के लोगों ने कहा जो प्रगति इस समय में हमको करनी चाहिए थी और जो कांग्रेस के घोषणा-पत्र में कही गई थी वह नहीं कर पाये इसके लिये दोषी, जैसा कि देवगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि प्रगति के रास्ते में कांटे जनता सरकार ने बिछाये थे उनको दूर करने के लिए समय लगा और जब कांटों की बात आती है तो इसके लिए एक कवि की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। कवि बच्चन ने कहा है,

"रास्ते का एक कांटा, पांव का दिल चीर देता,
रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनियां डूब जाती,
आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों।
कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले।"

तो मैं हां पक्ष और खास तौर से जो मंत्री मण्डल में बैठे हुए माननीय सदस्य हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि इस कांटे की

(श्री सूर्य कुमार)

सीख को न भूलें और हौसले तथा साहस से काम करें। दुरंगे झण्डे वाली और दुरंगी चाल चलने वाली दुमुंही जनता सरकार ने हमारी सारी अर्थ व्यवस्था को तहस-नहस कर, प्रशासन तंत्र का सारा मनोबल गिरा कर हमको दिया है। जिस प्रकार कोई महल का खण्डहर कांटों भरा जनता पार्टी की सरकार ने हमको दिया है, उन कांटों को बुद्धि के बल से साफ करते हुए इस देश को प्रगति के रास्ते पर, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर हमको आगे ले जाना है।

सभापति महोदय, जहां हम बजट के माध्यम से कुछ काम करने की बात इस प्रदेश में करते हैं, वहां पर एक राजनैतिक अभाव का, एक राजनैतिक दुर्गुण का शिकार भी हो जाते हैं और वह यह है, सभापति महोदय, कि जो विधायक प्रभावशाली होते हैं या मन्त्री मण्डल के जो सदस्य होते हैं या फिर मन्त्री मन्डल के सदस्यों के इर्द-गिर्द रहने वाले लोग होते हैं वे ही लोग ज्यादातर बजट के हिस्से को अपने क्षेत्रों में अपने विधान सभा क्षेत्रों में ले जाते हैं और वे विधान सभा क्षेत्र अछूते रह जाते हैं जिनमें....

(व्यवधान)

मैं एक ऐसे विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, सभापति महोदय ..

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारी पार्टी में आज़ादी है।

श्री सूर्य कुमार : जहां चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो और चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो, उनका ध्यान इस विधान सभा क्षेत्र की ओर नहीं गया। आप आश्चर्य करेंगे, सभापति महोदय, सन् 47 से वहां एक हाई स्कूल है और सन 47 से उस हाई स्कूल को एक कक्षा आगे नहीं बढ़ा सके। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के पढ़ने वालों के लिए उनके निवास के लिए छात्रावास की व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाये। नैनवा विधान सभा क्षेत्र एक ऐसे द्वीप के समान है जो वर्षा में चारों ओर से कट जाता है–इधर टौंक से कट जाता है, इन्द्रगढ़ से कट जाता है, देवली से कट जाता है किसी जगह से जुड़ा हुआ नहीं रहता है और अगर कहीं से जुड़ा हुआ रहता है तो केवल बूंदी से जुड़ा हुआ रहता है। मैं अपने विचार व्यक्त करते हुए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि मेहरबानी करके जिस विधान सभा क्षेत्र को अब तक उपेक्षित रखा गया है, उसकी ओर भी आंख उठाकर देखें तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राजस्थान का निश्चित रूप से सन्तुलित विकास होगा, असन्तुलित विकास जो अब तक होता आया है वह नहीं होगा। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन इसलिये भी करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने भाषण के प्रारम्भ में और अन्त में जन प्रतिनिधियों को और जनता को आव्हान किया है कि अपने कर्त्तव्यों को समझें और उनका निर्वाह करें। जब कर्त्तव्य की बात आती है तो वहां देने की बात होती है अधिकार नाम लेने का है। और कर्त्तव्य

(श्री सूर्य कुमार)

नाम देने का है तो, सभापति महोदय, मुझे प्रसिद्ध कवि भवानी-प्रसाद मिश्रा की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं,

"पल पल क्षण क्षण खुद का
देना यह जीवन का अर्थ है;
जितना अधिक दे रहा है
जो उतना अधिक समर्थ है,
अपने आस पास के कण कण में
हम अपने प्राण जगा दें,
प्राण प्राण में खुद को
बो कर जीने का अभिमान जगा दें।"

मैं यह पंक्तियां ना पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि सिर्फ वे लेने की ही बात कहते हैं—देने की नहीं अधिकार की बात करते हैं—कर्त्तव्य की नहीं। विरोध के खातिर विरोध कर वे जनता को गुमराह रखना चाहते हैं। केवल विरोध के खातिर इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करना चाहते हैं। यह पंक्तियां मैं उन लोगों को अर्पित करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन में बैठे हुए जन प्रतिनिधियों को, सबसे पहले, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए, इस बात की ओर इंगित और आकर्षित करना चाहता हूं कि वे कल तक जो सत्ता में बैठे हुए थे उनके मंत्रीगण धन्यवाद प्रस्ताव पर बड़े जोर-शोर से कह रहे थे और आंकड़ों के माध्यम से बता रहे थे कि राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले 85 प्रतिशत लोग हैं और यह बताने का प्रयास किया कि राजस्थान में जो गरीबी की रेखा उठाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी राज्यपाल महोदय के माध्यम से करना चाहते हैं वह उनका प्रयास नगण्य होगा, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात से यह गरीबी की संख्या और बढ़ जायगी। मैं सत्ता पक्ष और ना पक्ष की बात सुन रहा था, हम गंभीरता से सोचें, जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं और जो कल सत्ता पक्ष में बैठे थे, जो बात राज्यपाल महोदय के अपने अभिभाषण के माध्यम से कहना चाहते हैं और जब वे यह बात कहते हैं कि शिक्षा और साक्षरता का प्रचार करना चाहते हैं और राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक बड़ा गंभीर प्रश्न आता है। जन प्रतिनिधि के रूप में और विधान सभा सदस्य के रूप में हमारी एजेन्सी को इम्पलीमेंट करने में हमारा अधिकार कितना है। एक सरपंच को इतना अधिकार अवश्य है कि वह गांव में खातेदारी हकों को रद्दो-बदल कर सकता है। वह चाहे जो पंचायत के माध्यम से काम करवा सकता है लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि विधान सभा सदस्य को यह सुविधा नहीं है। विधान सभा सदस्यों को यह इन्फार्मेशन नहीं है, छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, मैं नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र से आया हूं जहां कितना खर्च होने वाला है और किस-किस क्षेत्र को कितना-कितना मिलने वाला है. यह बात भी आज जन प्रतिनिधि के रूप में मुझको मालूम नहीं है कि सिंचाई के मद में कितना पैसा खर्च होगा, विद्युत के मद में कितना पैसा खर्च होगा, तो यह सारे

(श्री सी.पी.जोशी)

प्रश्न इस बात को इंगित करते हैं कि या तो हमारा सिस्टम, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम जो अडाप्ट किया है सन् 47 के बाद से, शायद उसमें यह बात नहीं है इसलिये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बात करते हुए मैं जन प्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चाहे हम गंभीरता से सोचें कि राजस्थान का विकास करना चाहते हैं और चाहे हम देश का विकास करना चाहते हैं तो गंभीरता से इस ओर सोचना होगा कि जो चुनौतियां हमारे सामने हैं चाहे हम घोषणा कर दें कि 21 सूत्री कार्यक्रम से हम देश का विकास करना चाहते हैं या 5 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर हम देश का विकास करेंगे। चाहे आंकड़े बताकर कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना विकास होगा, सिंचाई के क्षेत्र में इतना विकास होगा किन्तु श्रीमन्, मेरी मान्यता है जन प्रतिनिधियों के माध्यम या जनता के माध्यम को जो चैक करके आप डिलीवर करना चाहते हैं उसको इम्पलीमेंट करना चाहते हैं वह वास्तविक रूप में इम्पलीमेंट नहीं करवा सकेंगे।

छठी पंचवर्षीय योजना में जिस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं उसमें जन प्रतिनिधि भी भागीदार हैं, किन्तु आज जो सिस्टम है उसमें ऐसा महसूस होने लगा है कि सत्ता में खासकर जो मंत्री के रूप में आ जाते हैं केवल वे ही अपने क्षेत्र का विकास कर पाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस सिस्टम को रोकने के लिये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो प्लानिंग कमेटीज हैं, उन प्लानिंग कमेटीज में जन प्रतिनिधियों को सशक्त माध्यम बनाया जाय। आज स्थिति यह है कि एक विधान सभा सदस्य अपने क्षेत्र के ए. ई. एन., जे. ई. एन. शिक्षा अधिकारियों और जो अन्य अधिकारीगण हैं उनमें अपनी पार्टी की जो घोषित नीति है, पार्टी के जो लक्ष्य हैं उस को प्राप्त करने के अन्दर सरकार की जो एजेन्सियां काम कर पा रही हैं, या नहीं कर पा रही हैं, उसमें भी जन प्रतिनिधियों का सहयोग नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार मेरे निजी विचार यह हैं कि जो आज बात करते हैं कि ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ये एजूकेशन मिनिस्टर हैं और ये फलां मिनिस्टर हैं, मेरी स्वयं की मान्यता है कि जो इस प्रकार के विभागों की प्रेक्टिस चली आ रही है उससे ऊपर होकर सोचना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर बना दें, डिवीजन मिनिस्टर बना दें तो फिर चाहे एग्रीकल्चर का मसला हो, एजूकेशन का मसला हो, इण्डस्ट्री का मसला हो, सिंचाई का मसला हो वह मिनिस्टर उन सबका मिनिस्टर इन्चार्ज कहा जाय, केवल एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहा जाय या एजूकेशन का मिनिस्टर कहा जाय यह बात गम्भीरता से मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरा इस बात का अनुभव है और जो मेरे से सीनियर मैम्बर यहां बैठे हुए हैं, वे भी इस बात को गम्भीरता से महसूस करते होंगे कि जो इम्पलीमेन्टेशन का प्रश्न है चाहे वह एस. सी. का हो, चाहे एजूकेशन विभाग का डी. डी. हो, चाहे वहां पर आर. एस. ई. बी. का एस. सी. हो वह सब इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र का मंत्री कौन है। चाहे मंत्री वह एग्रीकल्चर का हो, चाहे एजूकेशन का हो, चाहे इरींगेशन का हो लेकिन जो आफिसर्स हैं, वे इस बात

(श्री सी. पी. जोशी)

पर ध्यान रखते हैं कि मंत्री कौन है। वस्तुस्थिति की बात करना चाहें तो अधिकांश समय मंत्रियों का अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों के लिए कमिटेड है, क्षेत्र की समस्या के बारे में जो अवगत है। इन सब परिस्थितियों में इस बात को हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए कि हमारी विधान सभा का, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसके अन्तर्गत हम जन प्रतिनिधि बनकर आते हैं, जिनके तहत हमारे मंत्री बनते हैं, मुख्य मंत्री बनते हैं, उन सब सिस्टम को हमारे देश के विकास में भागीदार बनाने के लिए हम क्या ठण्डे दिमाग से सोचने का प्रयास करें तो मैं सोचता हूं कि हम अधिक अच्छा विकास कर सकेंगे।

इसके साथ ही मैं इस बात के लिए भी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मेन्शन किया, मैं खास तौर से मेन्शन करना चाहता हूं कि कम्पोनेन्ट प्लांट के माध्यम से अनुसूचित जाति का अपलिफ्टमेन्ट करना चाहते हैं, गरीबी की रेखा के ऊपर उठाना चाहते हैं तो मेरा निवेदन इस बात का है कि अच्छा प्रयास है। कम्पोनेन्ट प्लांट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करें। कम्पोनेन्ट प्लान्ट के माध्यम से हमने हर डिपार्टमेंट के आंकड़े तो ले लिए हैं लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन का तरीका क्या होगा, वह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है। जन जाति और उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र का मैं विधान सभा सदस्य हूं, में लगभग 25 प्रतिशत लोग आदिवासी लोग रहते हैं लेकिन पता नहीं सरकार की नीति किस प्रकार की है कि ट्राइबल कारपोरेशन का जो एडवान्टेज डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर क्षेत्र में मिल रहा है, वह एडवान्टेज नाथद्वारा और डूंगरपुर में 25 और 26 प्रतिशत जो भील लोग रहते हैं जो महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी में रहे हैं, उन भील लोगों को ट्राइबल कारपोरेशन का कोई एडवान्टेज नहीं मिलता है।

श्रीमन्, एक ऐसी ही स्थिति डी.पी.ए.पी. की है। डी.पी.ए.पी. का कुछ भाग उदयपुर के क्षेत्रों को मिलता है लेकिन नाथद्वारा क्षेत्र इस बात से भी वंचित है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि हम ट्राइबल कारपोरेशन का एडवान्टेज दिलाना चाहते हैं तो जिन क्षेत्रों में 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक आदिवासी लोग रहते हैं उनको भी ट्राइबल कारपोरेशन का एडवान्टेज मिलना चाहिए। ट्राइबल कारपोरेशन के माध्यम से मैं अपने आदिवासी जो जन प्रतिनिधि भाई हैं, उनको खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि जो करोड़ों रुपया हम ट्राइबल फण्ड के नाम से देना चाहते हैं, लेम्प हो या टास हो। लम्प और टास के माध्यम से जितना फायदा आदिवासियों को होना चाहिए उतना फायदा उनको नहीं हो रहा है। एक नयी एजेन्सी ऐसी पैदा हो गयी है जो आदिवासी और ट्राइबल कारपोरेशन की घोषित नीति है, उसके बीच में इनका एडवान्टेज उठाना चाहती है। श्रीमन्, मैं सदन का ध्यान भी और जो खास तौर से आदिवासी भाई हैं, जनप्रतिनिधि, उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, यदि हम ट्राइबल कारपोरेशन का सही एडवान्टेज ट्राइबल एरिया में रहने वालों को देना

(80)

(श्री सी.पी. जोशी)

चाहते हैं तो वहां पर हमें लम्प और टक्स हैं, उनके द्वारा बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है अन्यथा हम करोड़ों रुपया ही क्यों न खर्च कर दें लेकिन हालात वहीं के वहीं होने वाले हैं जो हालात अब प्रकट होने वाले हैं।

इसी तरह से मेरा अपना खुद का शिक्षा से बहुत ज्यादा सम्बन्ध है। मैं विश्वविद्यालय में अध्यापक भी हूं। मैं खास तौर से शिक्षा मंत्री, माननीय मंत्री महोदया जो बैठी हुई हैं, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट नहीं है। मुझे ये मालूम पड़ा है आई. सी. ए. आर. (इण्डियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च) में नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोग्राम के तहत 5 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को सैंक्शन किये हैं, 18 अक्टूबर, 80 को राजस्थान गवर्नमेंट को 5 करोड़ रुपये उदयपुर विश्वविद्यालय के लिए। नेशनल एग्रीकल्चरल प्रोग्राम को इम्पलीमेंट करने के लिए हमारे डायरेक्टर जनरल बराबर कोशिश कर रहे हैं। मुझे यह बात कहते हुए बहुत दुख और पीड़ा होती है कि राजस्थान सरकार ने अभी तक उनके जो अचीवमेन्ट्स हैं, उसका फायदा नहीं उठाया। असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल जैसे स्टेट ने नेशनल लेवल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोग्राम के फर्स्ट पेज को ओवर कर दिया, उस 5 करोड़ रुपये को। उसमें श्रीमन्, केवल मात्र दो शर्तें हैं। वे शर्तें ये नहीं कि यूनिवर्सिटी बने, उनकी शर्तें केवल मात्र यही हैं कि वर्ल्ड बैंक का 1.75 करोड़ रुपया रिसर्च को ट्रांसफर कर दिया जाय, उदयपुर विश्वविद्यालय को। वह इसलिए कर दिया जाय कि वे यह मानते हैं कि यह पैसा एक्सटेन्शन वर्क करने के लिए, रिसर्च एक्सटेंशन वर्क करने के लिए उदयपुर विश्वविद्यालय का भाग है। राजस्थान सरकार भी एक्सटेंशन का वर्क कर रहा है, उदयपुर विश्वविद्यालय भी एक्सटेंशन का वर्क कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ जिलों के अन्दर वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के अन्तर्गत एक्सटेंशन सर्विस दे रहे हैं और 19 जिलों के अन्दर भी हम उदयपुर विश्वविद्यालय के मार्फत एक्सटेंशन की सर्विस दे रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे जिले बहुत बचे हुये हैं जो न तो एक्सटेंशन प्रोग्राम से कवर हो रहे हैं और न ही उदयपुर विश्वविद्यालय से कवर हो रहे हैं, जबकि आई. सी. आर. 5 करोड़ रुपया इस बात के लिए राजस्थान में एग्रीकल्चरल प्रोग्राम को देने के लिए तैयार है। मैं माननीय मंत्री महोदया से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी जो दो कन्डीशन हैं, उनको मीट किया जाय और इस पैसे का उपयोग राजस्थान में एग्रीकल्चर का विकास करने के लिए किया जाय। इस सम्बन्ध में जो विश्वविद्यालय की स्थिति है, वहां पर जो अध्यापक हैं, खास तौर से जोधपुर विश्वविद्यालय में लगभग 25-30 अध्यापकों को सेवाओं से बाहर निकाल दिया है। यही हालत राजस्थान विश्वविद्यालय में है और यही हालत उदयपुर विश्वविद्यालय की बनती जा रही है और मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप एजूकेशन को लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे, हम चाहते हैं अच्छा एग्रीकल्चर का विकास हो, अच्छी इण्डस्ट्री का विकास हो लेकिन अगर हम नहीं चाहेंगे कि अच्छे मानव बनें तो गम्भीरता से इस बात को सोचना चाहिए

(श्री सी. पी. जोशी)

कि विश्वविद्यालय में आज हायर एजूकेशन में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उदयपुर विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर कालेज में 2 साल से सेमेस्टर नहीं हुआ। उस कालेज में सिल्वर जुबली के नाम पर 20 लाख रुपया खर्च कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम हायर एजूकेशन के अन्दर गम्भीरता से नहीं सोचेंगे तो उदयपुर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजूएट का कोर्स 3 साल का हो गया है, दो साल के बजाय 3 साल में एग्जाम हो रहे हैं। लॉ कालेज में 5-5 साल में 3 साल की लॉ की डिग्री हो रही है। यह सब स्थिति गम्भीरता से इस बात को बता रही है कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा के अन्दर, हम हालांकि हमारा प्रतिशत अभी 19.7 ही है लेकिन इस प्रतिशत का उपयोग भी अपने प्रदेश के लिए नहीं करना चाहते, ढंग से, तो विश्वविद्यालय का जो स्तर हमारे प्रदेश में है, वह दिन प्रतिदिन गिरता जायगा। एक जमाना था, जब उदयपुर विश्वविद्यालय राजस्थान की यूनिवर्सिटी थी, वह यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहली थी हिन्दुस्तान में। आज हालत यह है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम पहला हो गया नीचे से। मैं गम्भीरता से मन्त्री महोदया, जिनका एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय से सम्बन्ध है, से निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि प्रधान मन्त्री ने भी कहा है कि एक चौथाई पैसा हम प्रदेश में एग्रीकल्चर के इनपुट को ज्यादा बढ़ाने को किसानों के लिए खर्च करेंगे, सैन्ट्रल बजट में, तो एक तरफ हम कृषि को इतना जोर देना चाहते हैं कि हमारे बजट का 25% भाग हम एग्रीकल्चर में खर्च करना चाहते हैं, वही दूसरी तरफ दुर्भाग्य है हमारा, राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ही नहीं। इसलिए मैं गम्भीरता से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर यूनिवर्सिटी जिसको हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहते हैं वह यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेन्ट्स को मीट नहीं करती। बेसिकली वह मल्टीपर्पज यूनिवर्सिटी है और मल्टीपर्पज यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ जो एग्रीकल्चर के नीड्स हैं, वे पूरे नहीं होते। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि या तो वन टू आल सारा रिसर्च हम यूनिवर्सिटी को ट्रान्सफर कर दें। आप हालात का पता रखिये, कुछ रिसर्च तो उदयपुर विश्वविद्यालय कर रहा है और कुछ रिसर्च गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट भी कर रहे हैं। उस स्थिति में न तो प्रदेश का भला होगा और न प्रदेश में अगर हम इनपुट ज्यादा देना चाहते हैं, वह नहीं हो पायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रदेश के अन्दर हम एक सेपरेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का निर्माण करें जो एग्रीकल्चर की प्रदेश की रिक्वायरमेन्ट पर ध्यान दे। जहां तक उदयपुर विश्वविद्यालय का सवाल है, यदि हम नये ढंग से सोचें कि जो राजस्थान का अधिकांश ट्राइबल डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा में मिलता है, इसलिए मेरा निवेदन है उस यूनिवर्सिटी को एक अलग यूनिवर्सिटी बनाकर ट्राइबल नीड्स को पूरा करने के लिए, उस यूनिवर्सिटी को जो ट्राइबल नीड्स हैं और ट्राइबल कारपोरेशन का पैसा यूनिवर्सिटी के साथ लिंक कर दिया जाय। जैसा अभी किया उन्होंने। ट्राइबल रिसर्च सेन्टर वहां बना हुआ है। ट्राइबल कारपोरेशन का ट्राइबल सैन्टर तो है लेकिन उदयपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्ध नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बने, यदि हम चाहते

(श्री सी. पी. जोशी)

हैं कि उदयपुर विश्वविद्यालय की स्थिति में अन्तर न आये तो मैं, श्रीमन्, गम्भीरता से निवेदन करना चाहता हूं कि उस यूनिवर्सिटी को एग्जेक्टली ट्राइबल बेल्ट की अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनकी प्राब्लम्बस् को आइडेन्टिफाई करने के लिए, उनका रेमेडी करने के लिए हम ट्राइबल कौन्सिल का भाग बनाकर उस स्थिति को मीट आउट कर सकते हैं। मेरा अपना निजी विचार इस बारे में यह है कि जितनी प्रायोरिटी से लेंगे, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ट्राइबल कारपोरेशन के नाम से पैसा दे रही है, गवर्नमेंट आफ इण्डिया एग्रीकल्चर इन्सटीट्यूट के नाम से पैसा देना चाहती है। दुर्भाग्य से हमारी स्टेट में दोनों संगठन का उपयोग न करने की वजह से हमारे प्रदेश में जो विकास की गति है, वह गति नहीं हो पायेगी।

मेरी मान्यता है कि प्रदेश का संतुलित विकास करने के लिए हमें इस बात को सोचना चाहिए कि जयपुर, अलवर और भरतपुर, जहां पर इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स को डवलप कर सकते हैं, जोधपुर और जैसलमेर जहां अभी मरू प्रदेश है और उदयपुर जो सम्भाग है, जहां पर पहाड़ी इलाका ज्यादा है उन तीनों इलाकों की प्रायोरिटी अलग अलग किस्म की है। यदि इन तीनों को साथ-साथ रखेंगे स्टेट रेवेन्यू को लेने के लिए, एक्सटेंशन के लिए, तो प्रदेश का विकास संतुलित नहीं हो पायेगा। इसलिए मेरा निजी विचार है, कि जिस प्रकार, से मरू विकास बना रखा है। इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स बनाया जाय और इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स अलवर, जयपुर और जोधपुर और भरतपुर के इलाके में करेंगे तो प्रदेश में इण्डस्ट्री का विकास सही और संतुलित ढंग से हो सकेगा।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे बजट का बहुत ज्यादा खर्चा ट्वन्टी पाइन्ट प्रोग्राम के माध्यम से होगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्र शब्दों में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्वन्टी पाइन्ट का सही ढंग से इम्पलीमेंटेशन करना चाहिए। जिन लोगों को इस ट्वन्टी पाइन्ट एवं फाइव पाइंट प्रोग्राम के तहत इन्वेस्टमेंट करके लाभ पहुंचाना है तो उस प्रोग्राम की प्रायोरिटी तय करके उसके अनुसार इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी जाकर हम प्रदेश का विकास कर सकेंगे।

माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा। आज हालत यह बनी हुई है कि तहसीलदार को जनगणना का कार्य करना है 80–81 की जनगणना का कार्य तहसीलदार को करना है और पंचायत समिति के पेमेंट करने का माध्यम भी आपने तहसीलदार को ही बनाया है अकाल राहत में। इस स्थिति में वह सही समय पर मजदूरी चुका नहीं सकेगा और हालत यह होगी कि न तो वह जनगणना का काम ठीक ढंग से पूरा कर सकेगा और न ही अकाल राहत का काम ही। हमारे पंचायत एक्ट में यह प्रोविजन है कि बी. डी. ओ. के अलावा कोई पंचायत समितियों का भुगतान नहीं कर सकता है। इस स्थिति में भी आप तहसीलदार को माध्यम बना कर अकाल राहत का पेमेंट कराना चाहते हैं तो यह पोजीटिव वर्क नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 28 फरवरी

(श्री सी. पी. जोशी)

को जो ओवरसियर्स काम कर रहे हैं उनकी सर्विसेज टर्मिनेट करने का आर्डर किया है। एक तरफ तो आप ओवरसियर्स के द्वारा काम करवाना चाहते हैं, पेमेंट करवाना चाहते हैं, जो पंचायत समितियों के वर्क्स का टोटल सुपरविजन करता है, दूसरी ओर उसको सर्विस से निकालना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूं कि जितने जोश और खरोश के साथ आप अकाल राहत की बात करते हैं वह हो नहीं सकेगी।

इसी सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि बीस करोड़ रुपया आपको इसके लिए पहले मिला और बीस करोड़ और मिलाकर चालीस करोड़ हो गया है। यह हमें सिक्स्थ प्लान के एण्टीसिपेशन आफ प्लान राशि मिली है। एक तरफ तो सिक्स्थ प्लान की राशि में से चालीस करोड़ रुपया अकाल पर खर्च होगा दूसरी तरफ से डिमार-केशन यह भी रखा है कि सिक्स्थ प्लान में इतने करोड़ इर्रीगेशन पर खर्च होगा, इतना पी. डब्ल्यू. डी. पर खर्च होगा, इतना बिजली पर खर्च होगा और उधर अकाल राहत कार्यों में पांच रुपया मजदूरी देंगे तो यह सम्भव नहीं होगा। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि उन्हीं कामों को हाथ में लिया जावे जिन कामों को हम सिक्स्थ प्लान में पूरा कर सकें, क्योंकि चालीस करोड़ की मोटी रकम आप प्लान बजट में से अकाल पर खर्च कर रहे हैं। यह अकाल इस प्रदेश की मजबूरी रही है। पिछले साल के और इस साल के अकाल में यह अन्तर है कि पिछले साल तो सेन्टर ने एडीशनल फण्ड दिए थे, सिक्स्थ प्लान का पैसा नहीं काटा था। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो काम आप करवाना चाहते हैं, चाहे वे इर्रीगेशन के काम हो, चाहे पी. डब्ल्यू. डी के काम हो और चाहे किसी विभाग के काम हो, उन्हीं के कामों को हाथ में लें जिनको सिक्स्थ प्लान में पूरा कर पायें। अगर यह नहीं किया गया तो हालत यह होगी कि चालीस करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट वेकार चला जाएगा और सिक्स्थ प्लान के माध्यम से जो काम होंगे पूरे नहीं हो सकेंगे।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि अकाल की विभीषिका इस प्रदेश के साथ जुड़ी हुई है। सालों से हमारे प्रदेश में बराबर अकाल पड़ रहा है और पहले भी पड़ता रहा है। इसके लिए अकाल का कोड जो कि 60–61 का बना हुआ है उसमें अकाल कोड में भी आप आमूलचूल परिवर्तन करें। आज मजदूरों को केवल पांच रुपया मजदूरी दे रहे हैं और डिपार्टमेंटल वर्क्स की तरह से उनसे काम कराना चाहते हैं। डिपार्टमेंट वर्क में मिनिमम वेजेज सात रुपया प्रेस्क्राइब कर रखी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अकाल के कोड में मूलभूत परिवर्तन करने की बहुत भारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि आज जन प्रतिनिधियों का जहां तक प्रश्न है, एम. एल. एज. के माध्यम से काम होते हैं। चाहे पंचायतों के काम हों, चाहे म्युनिसिपेलिटीज के काम हों तो हर काम में एम. एल. ए. को जिम्मेदार बनाया जाता है। सरकार से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि एम. एल. एज. की सही भूमिका निभानी है तो पंचायत समितियों के चुनाव जल्दी

(श्री सी.पी. जोशी)

जल्दी करवा दें जिससे इस प्रक्रिया में दूसरे जन प्रतिनिधि भी भाग ले सकें और जन समस्याओं का निराकरण उचित ढंग से हो सके।

इसके साथ साथ जितने भी कारपोरेशन्स बना रखे हैं उनमें सरकारी अधिकारियों को लगा रखा है। जब तक "वाच-डाग" की स्थिति में जन-प्रतिनिधि नहीं होंगे, तब तक सरकारी अधिकारियों को खुला मौका रहेगा अपनी मर्जी के अनुसार, अपने ढंग से काम करेंगे। जो बोर्ड्स के चेयरमैन सरकारी अधिकारी बिठा रखे हैं, वहां पर जन प्रतिनिधियों की नियुक्ति अविलम्ब कर दी जावे ताकि जिस ढंग से हम प्रदेश का विकास करना चाहते हैं वह सही ढंग से विकास हो सके।

इसके साथ-साथ मेरा आपसे निवेदन यह भी है कि जैसा मुझे अभी मालूम हुआ कि माइन्स की जो लीज की डेड रेंट होती है, उसके लिए यह प्रोविजन है कि 90 डेज में लीज रिन्यू करानी पड़ती है और लीज होल्डर को यह अधिकार दिया गया है कि जो भी प्रास्पेक्टिव लीज होल्डर है वह एप्लीकेशन दे दें अगर डिपार्टमेंट मना करता है तो वह टाइम एक्सपायर होने से पहले कर दे। मुझे मालूम हुआ है कि टाइमली एक्शन नहीं होने से एक प्राइवेट पार्टी वालों को लाखों का नुकसान हो गया है। एक तरफ तो हम माइन्स का दोहन करना चाहते हैं, स्टेट की रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है और उधर लीज की रिन्यू टाइमली नहीं करें, टैक्निकल मिस्टेक के आधार पर रोक दें तो इससे स्टेट रेवेन्यू का बड़ा भारी लॉस होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने रिसोर्सेज को टेप कर सकें, किया जावे।

अन्त में एक बात में विरोधी पक्ष के नेताओं से और सदस्यों से अवश्य कहना चाहूंगा। बड़े जोश खरोश के साथ बात करते हैं कि प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है। यह बात स्पष्ट है कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से शासन चलाना चाहते हैं और हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रोसिजर को अडाप्ट किया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह स्थिति है कि आल्टरनेटिव पॉलिसी के लिए विरोधी पक्ष तैयार रहता है। हमारी हालत यह है कि हर चीज पर, हर विकास के काम पर हम बातें तो बहुत करते हैं। हमारा पिछला अनुभव यह रहा है कि पिछली सरकार ने भी यह घोषणा की थी कि हम दस साल में बेरोजगारी दूर कर लेंगे, यह कर देंगे, वह करेंगे लेकिन कितना कर पाये हैं? इसलिए हम वफादारी के साथ विचार करें, गम्भीरता से विचार करें कि आज जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है, उसमें लोगों की आकांक्षायें और अपेक्षायें तो बहुत बढ़ गई हैं लेकिन उन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप हम कुछ नहीं कर पाये हैं। इसलिए हम गम्भीरता से सोचें, चाहे विरोधी पक्ष के सदस्य हों और चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों, इस बात को गम्भीरता से जरूर सोचें कि इस सिस्टम में कितने अच्छे ढंग से हम सब की आशाओं के अनुरूप कार्य कर सकते हैं।

अन्त में राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया और जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं भी उसका समर्थन करता हूं, हमें विश्वास है कि विरोधी पक्ष

(श्री सी.पी. जोशी)

भी इस बात को समझ कर प्रदेश के विकास के लिए पोजीटिव सजेशन शासन पक्ष को देगा।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय सभापति महोदय, मैं आज की बहस को किसानों पर से शुरू करने का इरादा रखता हूं। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने भी और मैं कहूं कि कांग्रेस सरकार ने भी किसानों को लेकर एक रैली निकालने की कोशिश की...

एक माननीय सदस्य : कोशिश नहीं की, निकाल दी।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : किसानों की रैली नहीं कहें ...

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : कचूमर निकाल दिया....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : जी हां, कचूमर निकाल दिया। सही कह रहे हैं यह किसान रैली नहीं थी। किसानों की रैली से आप क्या दर्शाना चाहते थे और किसान रैली से क्या पाया? आपकी इन्दिरा गांधी जी ने क्या दिया और आप क्या मुद्दे लेकर लोगों को कहेंगे कि इसलिए हमने किसान रैली निकाली? किसान देश की रीढ़ की हड्डी होते हुए भी शोषित होता चला जा रहा है। एक बार फिर आप लोगों ने उसका तमाशा बना कर फिर से शोषण किया है। इन्दिरा सरकार के आने के बाद सबसे पहली सौगात तो किसानों को यह दी कि खाद के भाव दुगुने कर दिये गये, उसके डीजल के भाव दुगुने कर दिए गए, उसके खेतों में जो भी इम्पुट लगता है, खेतों में चीजें लगती हैं, उसकी कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उसके दैनिक काम में आने वाली चीजें हैं, चाहे कपड़े लत्ते हों, चाहे खाने की चीजें हों, चाहे पहनने की चीजें हों, चाहे दवाई हो, उसकी हर चीज दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है और उसकी पैदावार के भाव आज भी वहीं के वहीं पर करीब करीब स्थित हैं। ऐसी स्थिति में श्रीमती इन्दिरा गांधी की यह सिर्फ घोषणा कर देना कि पच्चीस प्रतिशत बजट का, हमने किसानों के लिए, खेती के लिए रखा है, सही नहीं है। लेकिन जो 25 प्रतिशत रखा है उसके छठी पंचवर्षीय योजना में और जनता पार्टी के सिक्स्थ प्लान के प्रारूप में, जो उनके द्वारा तैयार किया गया था, कितना अन्तर है, कितना फर्क है वह मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सिक्स्थ प्लान, जनता पार्टी ने जो प्लान बनाया था, 1 करोड़ 70 लाख हैक्टेयर जमीन को सिंचित करने का प्रावधान था लेकिन आपके प्रारूप में 1 करोड़ 40 लाख हैक्टेयर जमीन को सिंचित करने का प्रावधान है। इसका मतलब यह हुआ कि तीस लाख हैक्टेयर जमीन को सिंचित करने का जनता पार्टी का जो प्लान था उसके बदले में उलटा कम किया है।

86

(श्री यदुनाथ सिंह)

(3.10 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत, सभापति, पदासीन)

इसके बाद एग्रीकल्चर में जनता पार्टी के प्लान में 5801 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान था, जबकि इन्दिरा कांग्रेस के प्लान में 5695 करोड़ रुपया खर्च किया जायगा। इस प्रकार जहां 5.8 प्रतिशत इन्दिरा कांग्रेस के प्लान में होता है वहां जनता पार्टी का प्लान एग्रीकल्चर के लिये 8.4% होता था।

इरिगेशन में 9000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है, जब कि जनता-पार्टी के प्रपोजल में राजस्थान में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान था।

इसी प्रकार काटेज इण्डस्ट्री के लिये 1.8 प्रतिशत का पूरे प्लान का प्रावधान रखा है, जनता पार्टी के प्लान में 2 पर्सेन्ट का प्रावधान था। मिनिमम नीड प्रोग्राम में इन्दिरा कांग्रेस ने प्रावधान रखा 5 प्रतिशत का और जनता पार्टी का 6.3 प्रतिशत प्रावधान था। ग्रामीण रोजगार के लिये आपने 354 करोड़ रुपये रखे, जनता पार्टी ने 500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था।

एजूकेशन में जनता पार्टी ने 900 करोड़ रुपये रखे थे और आपने उसे घटाकर 852 करोड़ रुपया कर दिया। इसी प्रकार हैल्थ में 490 करोड़ रुपये का जनता पार्टी ने प्रावधान रखा था आपने उसको घटाकर 408 करोड़ कर दिया। लेकिन आपने बढ़ाया कहां, किसको फेसिलिटी दी ? किसान का नारा तो आप लगाते हो पर आपने प्रावधान बढ़ाया बड़ी इण्डस्ट्रीज का, प्रावधान बढ़ाया टाटा बिडला को। जनता पार्टी ने बड़ी इण्डस्ट्रीज पर 7000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, आपने 13,000 करोड़ कर दिया दुगुना कर दिया। टाटा, बिड़ला को आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो किसान अपने खून पसीने से मेहनत करता है, वह भीख नहीं मांगता है, अपनी पैदावार की कीमत मांगता है। आप यहां दलीलें देते हैं कि किसान की पैदावार का भाव बढ़ायेंगे तो और चीजों के भाव बढ़ेंगे। यह कोई दलील नहीं है। 70-71 के प्राइस इन्डेक्स देखें तो जाहिर होगा कि किसानों का किस तरह से शोषण किया गया है। उसकी आपको मैं एक नजीर पेश करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : जनसंख्या को भी देख लें।

श्री यदुनाथ सिंह : जनसंख्या को भी देख लेंगे। आपको भी देख लेंगे।

70-71 में प्राइस इन्डेक्स--100 था वह 204 एग्रीकल्चर का हो गया और 294 नान एग्रीकल्चर का है। इस तरह से 44 प्रतिशत का डिफरेंस हुआ। पिछले 79 में खेती की कुल 30,000 करोड़ रुपये की पैदावार हुई जिसमें से 18,000 करोड़ रुपये की पैदावार को किसानों ने मंडी में बेच दी। इस तरह से 44% आप लगायें तो 8 हजार करोड़ रुपये का किसानों का सीधा नुकसान किया गया। उसका शोषण किया।

किसानों के साथ और भी अन्याय होते हैं। बिड़ला को दो पैसे यूनिट बिजली दी जाती है जबकि किसान को 23 पैसे यूनिट पर देते हैं। उसको रात में बिजली देते हैं,

(श्री यदुनाथ सिंह)

किसानों का शोषण आप करने चले आ रहे हैं। उसकी लागत दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। आप सीमा देखें। आपने किसानों की सीमा बांध दी 18 एकड़, एक एकड़ से ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अगर उसका भाग्य अच्छा हो, मान लें हम कि एक हजार रुपया उसको मिलता है तो आपने किसान की आय की सीमा बांध दी, एक साथ में 18,000 रुपया लेकिन जो बिडला 30 करोड़ का था आज उस बिडला को 14 सौ 15 सौ करोड़ का कर दिया, यह आपकी नीतियों ने किया है। किसान का शोषण और भी तरीके से करते हैं। इन्स्टालमेंटेशन के हिसाब से जब आप एक्सपोर्ट नीति बनाते हैं, तो इण्डस्ट्रियल गुड्स के लिए आप सपोर्ट देते हैं।

400 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन सपोर्ट के लिये विदेशों में आपका अच्छा माल मिले, इण्डस्ट्री बनाने वाले का, उसके सपोर्ट के लिये आपने पैसा दिया, सब्सिडी दी लेकिन जो किसान बाहर माल भेजना चाहता है तो उस पर आप एक्स्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी पैदावार बाहर नहीं जाये कीमत नहीं बढ़े, इसलिये उस पर ड्यूटी लगायी ? यह दलील देना कि किसानों की पैदावार का भाव बढ़ाने से और चीजों के भाव बढ़ेंगे, इसको मैं गलत मानता हूं। किसान का आलू बाजार में 50 पैसे, 40 पैसे में बिकता है, लेकिन उससे पैदा किया हुआ है पर, उससे पैदा की हुई चीजें 20-22-25 और 30 रुपये किलो में बाजार में बिकती हैं। वह मुनाफा बीच का आदमी ले रहा है किसान नहीं ले रहा है। दलाल ले रहे हैं। दलालों को खत्म करने के लिये अभिभाषण में, जो राज्यपाल महोदय के द्वारा जबर्दस्ती पढ़ाया गया है, कोई प्रावधान नहीं है। धन्यवाद देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

गांव के साथ शुरू से शोषण होता चला आ रहा है, गांवों में हमारे देश की आत्मा रहती है। गांवों में 80 प्रतिशत आदमी रहते हैं। लेकिन गांव के साथ कितनी डिसपेरिटी है, इसका एक नमूना पेश करना चाहूंगा। आज देश में एक लाख गांवों से ऊपर गांव हैं, पीने का पानी नहीं है। कल सभापति महोदया, आपने भी कहा कि राजस्थान में पीने का पानी नहीं है। ईरिगेशन के लिए पानी नहीं है, 33 साल 34 साल हिन्दुस्तान को आजाद हुए हो गये हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार के लिये मेरे ख्याल से चुल्लू भर में डूबने के लिये भी पानी नहीं है। पानी की कमी मुझे यहां पर खास तौर पर नजर आती है, देश में 1 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं है।

15 प्रतिशत बिजली गांवों को दी जाती है टोटल बिजली प्रोडक्शन की। देश में 2.3 हिस्से में डाक व्यवस्था नहीं है। पूरी दुनियां के आधे अन्धे हिन्दुस्तान के गांवों में रहते हैं। जो इल्लिट्रेसी हिन्दुस्तान में है 40% पूरी वह गांवों में रहती है। हिन्दुस्तान में यह हमारे लिए डूब मरने की बात है। 13 करोड़ आदमियों की जितनी आय है उतनी आय एक टाटा बिडला की एक साल की होती है। तो मेरे कहने का

88

(श्री यदुनाथ सिंह)

मतलब यह है कि शोषण कई तरह से हो रहा है। इसे रोकने के लिए अभिभाषण में कोई संकेत नहीं दिया गया है। मैं आपको नसीहत देना चाहता हूं कि गांवों का किस तरह से शोषण किया जा रहा है। हमारे बचत के खातों में हर जिले के हिसाब से आपके वेंकटरमन साहब के पार्लियामेंट में दिये हुये आंकड़े हैं। उनके आधार पर मैं बता रहा हूं, बचत खाते का विभिन्न बैंकों में पैसा जमा है। लोगों ने अपना पेट काटकर, भूखे रहकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये, शादी के लिए किस तरह से बचत खातों में पैसा जमा किया है उसमें से कितना पैसा टाटा और बिडला के लिए दिल्ली में फाइव स्टार होटल बनाने के लिए बम्बई में चले जाते हैं, उसका एक नमूना देता हूँ। गंगानगर जिले में 79, दिसम्बर के अन्त तक उस साल के 52 करोड़ 77 लाख रुपया जमा थे, जिसमें से पूरी योजनाओं पर गंगानगर जिले में 42 करोड़ 13 लाख रुपये लगा, भरतपुर में 23.96 करोड़ जमा था उसमें से 20.51 करोड़ रुपया लगा, अलवर में 28.41 करोड़ जमा था उसमें से 19.56 करोड़ लगा, झुन्झुनूं में 22.40 करोड़ जमा था, उसमें से 14.77 करोड़ रुपया लगा। तो हमारे गांवों में जो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, अपनी बचत करके, भूखा रहकर, उसको बड़े-बड़े शहरों और सेठों के यूटिलाइजेशन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह शोषण हो रहा है। यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देश का किसान और आदमी जाग रहा है आपके दिन लद चुके हैं।

(व्यवधान)

अब मैं अभिभाषण में शिक्षा नीति पर जो बातें कही गई हैं, कि इतने स्कूल खोलेंगे। स्कूल आप गांव-गांव में बनाइये, चाहे एक गांव में दस खोल दीजिये, उससे देश का उद्धार होने वाला नहीं है। शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। आमूलचूल परिवर्तन इस मायने में आप वाली उस आदमी को शिक्षा देकर बेरोजगार, स्कूल से निकालते हैं, उसको शिक्षा नहीं देते हैं, बहुत से मेरे भाई नौजवान खास तौर से अगर हमें नौकरी मिल गई होती तो विधान सभा में नहीं आ सकते। यह बेरोजगारों की भीड़ विधान सभा में बैठी हुई है। शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन से मेरा तात्पर्य यह है कि सबसे पहले तो आमूलचूल परिवर्तन एकदम किया जा सकता है वह यह करना होगा कि देश में शिक्षा नीति एक सी होगी। एक भंगन का लड़का और इन्दिरा गांधी का लड़का एक ही स्कूल में पढ़ेगा। पब्लिक स्कूल हमें खत्म करने होंगे। पब्लिक स्कूल्स से हमारे साथ क्या धोखा हो रहा है। पब्लिक स्कूल में बच्चा पढ़ता है करोड़पति, लखपति, बड़े अफसर का, वह वहां पर पढ़ता है, अंग्रेज दिल्ली की सड़क पर पैदा हुआ, यहीं पला, यहीं पढ़ा, यहीं पर उसकी नौकरी लग गयी, आई. ए. एस. बन गया, उसको गरीब की नब्ज का पता नहीं है, यहां पर बड़ा मखौल देश के साथ हो रहा है, राजस्थान के रेगिस्तान की नीतियां बनाई जा रही हैं। वह लोग जो पब्लिक स्कूल में पढ़ कर एयरकण्डीशन्ड कमरों में बैठकर देश के रेगिस्तान की नीति बनाते हैं उनको गरीब का और रेगिस्तान में रहने वाले का क्या दर्द है, इसके दर्द का अहसास कभी नहीं हो सकता। इसलिये शिक्षा नीति में सबसे पहले

(श्री यदुनाथ सिंह)
आमूलचूल परिवर्तन करना आवश्यक है। शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए औद्योगीकरण की ओर ले जाना पड़ेगा और अपने को रोजगारोन्मुखी शिक्षा नीति बनानी पड़ेगी लेकिन इस पर बहुत सारा पैसा खर्च होगा। आप शिक्षा पर, रोजगार देने पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं लेकिन दिल्ली में 700 करोड़ का इन्डोर एयर कंडीशंड स्टेडियम बना रहे हैं, यह तमाशा करना चाहते हैं। सात सौ करोड़ का तमाशा हो रहा है। दिल्ली में एयर कंडीशंड स्टेडियम बना कर तमाशा करना चाहते हैं। इससे क्या होने वाला है। दिल्ली में 50 स्टेडियम हैं। देश में पहले भूखों को रोटी दो इस पर आपको पैसा खर्च करना होगा। खाली स्टेडियम से नहीं होगा। पसा खर्च करने से पहले आपको देखना पड़ेगा, उसका रिटर्न क्या है। इससे तो आप अपनी संतुष्टि करेंगे जब सात सौ करोड़ इस पर बैठते हैं तो दो करोड़ आप हर जिले को दे सकते हैं। 399 जिले इस देश में हैं, तो खिलाड़ी की भावना पैदा कीजिये, खिलाड़ी पहले पैदा किये जायं न कि इस प्रकार का तमाशा करने के लिये खर्च जायं। इसके अलावा पीने का पानी और बेरोजगारी का सवाल है। बेरोजगारी दूर करने के लिए राजस्थान में 26 टैक्सटाइल्स मिलें और खोली जायेंगी। टैक्सटाइल मिलें खोलने से बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। एक टैक्सटाइल मिल में पावर-लूम लग जाती है धागा बनाने की, इससे तो आर्टिफिशियल धागा बनेगा उससे कपास पैदा करने वाले भूखों मरेंगे। इससे बुनकर और ज्यादा बेरोजगार होंगे इससे और बेरोजगारी बढ़ाने का साधन यह अभिभाषण में बताता है। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति : कांग्रेस (अर्स) की ओर से बोलेंगे ?

एक माननीय सदस्य : कल बोलेंगे।

श्री सभापति : कांग्रेस की ओर से कौन बोलना चाहेगा, श्री बी. डी. कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर देवगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसका मैं समर्थन करता हूं। सभापति महोदया, राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जिसे हम कृषि प्रधान प्रान्त कह सकते हैं। इसकी अधिकतर जनसंख्या गांवों में रहती है और प्रत्येक एक वर्ष के बाद यहां पर प्रकृति का प्रकोप बढ़ने के कारण से अकाल की विभीषिका इस प्रान्त पर छायी रहती है जिसके कारण से किसान अपनी फसल को उचित मात्रा में, सही मात्रा में प्राप्त नहीं कर सकता है और यदि नार्मल वर्षा हो जाय तो भी किसान को बरसात में कातरा, आदि फसल की अन्य बीमारियों के कारण अपनी फसल का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो फसल बीमा योजना की बात की है, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं अपने सम्माननीय पहाड़िया जी को बधाई देता हूं कि जिस दिन यह योजना इस प्रदेश में लागू हो जायगी, आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा और राजस्थान का किसान जो अपनी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

फसल की अनिश्चितता के लिये; अपनी फसल के उत्पादन के लिये हमेशा अनिश्चितता की स्थिति में रहता है वह निश्चिन्त हो जायगा। फसल बीमा के कारण से उसको अपनी फसल के बारे में रिस्क लेकर फसल का उचित लाभ मिलेगा।

इसके अतिरिक्त इस राजस्थान में निरन्तर अकाल की विभीषिका के कारण से जो किसान को नुकसान होता है उस नुकसान से भी वह वंचित रह जायगा। सभापति महोदया जी, हमारे प्रदेश में अन्तर्राज्जीय विवाद हैं जो प्रमुख रूप से जल और विद्युत के संबध में हैं उनके लिये मुख्य मंत्री जी अपने भागीरथ प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु फिर भी पंजाब और मध्य प्रदेश से हमें पर्याप्त मात्रा में जल और बिजली नहीं मिल पा रही है। इसका एक कारण तो यह है कि बरसात की कमी के कारण से हमें पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है और दूसरा कारण यह है कि अभी तक केन्द्रीय स्तर पर हमें और अधिक प्रयत्न करना होगा ताकि हमें भाखड़ा, राजस्थान नहर और चम्बल का पूरा पानी मिल सके और सतपुड़ा की बिजली हमें पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसके लिये भाखरा बोर्ड के अन्तर्गत जोइन्ट रेगूलेटर की स्थापना की जानी चाहिये। इस पर राजस्थान का एक समुचित नियंत्रण भी उसमें रहना चाहिये।

समूचे प्रदेश में अकाल की काली छाया के कारण राज्य के निवासी रोजगार के लिये इस वर्ष इधर उधर घूम रहे थे लेकिन इस वर्ष पहली बार नवम्बर में टेस्ट वर्क शुरू किये गये और अब तक 3,41,155 लोगों को रोजगार दिया गया। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं राज्य सरकार को कि अकाल पीड़ितों के लिये अकाल का स्थाई हल निकालने के लिये केन्द्रीय स्तर के ऊपर राजस्थान और केन्द्रीय सरकार की एक सामान्य बैठक होनी चाहिये और अकाल के स्थाई हल के लिये व्यापक योजना बनाई जानी चाहिये।

राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रेलों का विकास बहुत कम और मंद गति से हुआ है। इस अकाल के समय में राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में रेलों के विकास के काम को हाथ में लिया जाना चाहिये। यदि राजस्थान नहर परियोजना जैसी राष्ट्रीय महत्व की योजना को इसमें प्राथमिकता देकर काम किया जाय तो अकाल पीड़ित लोगों को और अधिक रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर राज्य के लोगों को अकाल में लघु सिंचाई योजना से दीर्घगामी विकास में लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त खरीफ की फसल के अलावा राजस्थान में रबी की फसल बहुत कम हिस्से में होती है, हमारे राजस्थान के किसान 6 महीने तक बेरोजगार रहते हैं, अर्द्ध बेरोजगारी पूरे प्रदेश में व्याप्त है, इसको दूर करने के लिये राज्य सरकार को महात्मा गांधी ने कुटीर उद्योग, हाथ कर्घा उद्योग, लघु उद्योगों के बारे में जो भी योजना दी थी, उनका विस्तृत विकास कार्यक्रम बेरोजगारी को दूर करने के लिये किया जाना चाहिये।

सभापति महोदया, राजस्थान में पेयजल की समस्या वर्षों से चली आ रही है पिछली सरकार ने इसके लिए जनता से वायदा किया था लेकिन इस योजना को लागू नहीं कर पायी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

थी। वर्तमान में मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की जनता से वायदा किया है कि छठी पंचवर्षीय-योजना में राजस्थान के प्रत्येक गांव में पीने के पानी की समस्या हल कर दी जायगी। मैं इस योजना का हार्दिक स्वागत करता हूं लेकिन यह सुझाव देता हूं कि नलकूपों की जो योजना राजस्थान में लागू की गई है, यह योजना अलवर और भरतपुर के इलाकों में जहां पानी कम गहराई पर उपलब्ध होता है वहां कामयाब हो जायगी, लेकिन बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर जहां पानी बहुत अधिक गहराई पर मिलता है साढ़े पांच सौ, छः सौ फीट तक जहां पानी मिलता है, यहां पर रिग्स की आवश्यकता है। आने वाला समय बड़ा संकटपूर्ण समय है, मई और जून में बीकानेर, चूरू जिलों में जनता को पीने के पानी की समस्या का बहुत सामना करना पड़ेगा। इसके लिये रिग्स की आवश्यकता है। राजस्थान के अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के पास में रिग्स की कमी है और इसके लिये सैंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के माध्यम से या अन्य स्थान से रिग्स उपलब्ध कराये जाकर इन स्थानों पर नलकूपों की खुदाई कराई जानी चाहिये। नहीं तो आने वाले समय में यहां के किसान पीने के पानी के लिये संकट ग्रस्त हो जायेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि किसी तरह से इन स्थानों के लिये रिग्स की व्यवस्था कर कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिये।

अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में चारे की व्यवस्था के लिये हालांकि अच्छे प्रबन्ध किये गये हैं लेकिन वह पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। अकाल को दूर करने के लिये मास्टर-प्लान बनाया जाना चाहिये। खास तौर से मरू प्रदेश में डा. श्रीगन्स ने 1959 में इस मरू प्रदेश के बारे में बताया था कि यहां पर 2 साल में एक बार अकाल पड़ता है और यहां पर वर्षा की कमी है। औसत वर्षा कम है। चारे की कमी रहती है। ऐसे स्थानों पर खास तौर से बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, सिरोही, गंगानगर इन इलाकों में चारा बैंकों की स्थापना करनी चाहिए ताकि सेवण और धामण जो घास इस इलाके में होती है उसको सुरक्षित रूप से रखा जा सके।

सभापति महोदय, इस वर्ष राज्य में वृक्षारोपण महत्वपूर्ण रूप से किया गया है। एक करोड़ 75 लाख पेड़ लगाये गये हैं। मैं समझता हूं कि जो पांच सूत्री कार्यक्रम लिया गया था उस समय भी इतने पेड़ नहीं लगाये गये थे। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इन पेड़ों की रक्षा हो, इन पेड़ों का रख-रखाव कैसे हो और आज तक कितने पेड़ जिन्दा हैं, इन सबकी जानकारी विशेष रूप से होनी चाहिए, ताकि वृक्ष विकसित होकर रेगिस्तान को रोक सकें और राजस्थान का पर्यावरण सुरक्षित रह सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। यह योजना 236 पंचायत समितियों में लागू की गई है। इससे आने वाले समय में लगभग 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और जो लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहते हैं उनको रोजगार मिलेगा। यह स्वागत योग्य है। इस योजना को लागू

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

करने के लिए जन प्रतिनिधि को साथ रखना चाहिए और जिला स्तर और ग्राम स्तर पर समितियों का गठन होना चाहिए।

इसके साथ-साथ राजस्व अभियान चालू करने की जो बात कही गयी है वह स्वागत योग्य है। परन्तु यह ध्यान में रखने की बात है कि राजस्थान में जागीरदारी और जमींदारी प्रथा समाप्त करने के बाद भी गांवों में आज भी छोटे-मोटे जागीरदार विद्यमान हैं। उनकी समाप्ति के लिए और भूमिहीन लोगों को भूमि दिलाने के लिए कृषि भूमि का आवंटन समय पर किया जाना चाहिये। उपखण्ड और विभाजन की समस्या हमारे यहां पर बहुत बड़ी है, इसको हल किया जाना चाहिये। नये आयाम के साथ राजस्व अभियान को शुरू किया जाना चाहिये।

हमारे प्रान्त में श्वेत-क्रान्ति के बारे में काफी प्रयास किया गया है। श्वेत क्रान्ति की शुरूआत जैसे-जैसे हो रही है, पीछे से इस योजना में शिथिलता बरती जा रही है। मैं यहां पर बीकानेर का उदाहरण देकर कहना चाहता हूं कि बीकानेर डेयरी में जितना उत्पादन होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो दूध से सम्बन्धित उत्पाद हैं दुग्ध चूर्ण, पनीर, मक्खन, इनका उत्पादन भी नगण्य है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार लाना चाहिए। साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि डेयरी उद्योग में औद्योगिक अशान्ति है उसको दूर करने के लिए व्यापक सुधार किए जाने चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपको 15 मिनट हो गये हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 25 मिनट का समय सचेतक जी ने देने के लिए कहा है। मेरे इलाके की कई समस्यायें हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : सभी माननीय सदस्य अपने अपने इलाके के बारे में ही कह रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने सचेतक जी से 25 मिनट का समय मांगा था।

श्री सभापति : समय तो आसन देगा। दो मिनट में जल्दी ही समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। राजस्थान कच्चे माल का निर्यातक रहा है। यहां पर आधारभूत उद्योगों की कमी है। जहां जहां पर खनिज पदार्थ पाये जाते हैं वहां पर खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। जैसे बीकानेर एशिया में सब से बड़ी ऊन की मण्डी है। इसलिए वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र में वूल टाप्स का उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार दो करोड़ का जिप्सम प्रति वर्ष बीकानेर से निर्यात किया जाता है। इसलिए यहां पर जिप्सम आधारित खाद का कारखाना लगाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कृषि उपज मण्डी अधिनियम लागू हुए 19 वर्ष हो गये लेकिन आज तक बीकानेर में कृषि उपज मण्डी, ऊन मण्डी, सब्जी मण्डी, घास मण्डी नहीं बन पायी है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां पर अति शीघ्र ही इन मण्डियों का निर्माण किया जाना चाहिये।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सभापति महोदया, शिक्षा के बारे में अभी कई विचार आपके सामने आये हैं। राज्य में जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल खोले गये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। परन्तु उच्च शिक्षा के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

हमारे यहां पर कृषि विश्वविद्यालय की कमी है। राजस्थान नहर के विकास के कारण से राजस्थान नहर के सिंचित क्षेत्र में कृषिगत कार्य का विकास होगा। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर में आने वाले समय में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए और जो पोलिटेक्निक कालेज है उसको इन्जीनियरिंग कालेज के रूप में आगे विकसित किया जाना चाहिए क्योंकि राज्य में 75% नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् भी विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिल पाता है। राज्य में जो चुने हुए पोलिटेक्निक कालेज हैं उनको इन्जीनियरिंग कालेज के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

आवासन बोर्ड ने राजस्थान में दस हजार मकान बनाये हैं और आगे भी मकान बनाने वाला है इसका मैं स्वागत करता हूं।

साथ ही मेडिकल विभाग और आयुर्वेद विभाग द्वारा जो एलोपैथी के अस्पताल खोले गये हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मेडिकल की उच्च शिक्षा बीकानेर जैसे शहर में जहां लगभग एक करोड़ की राशि से कैंसर का उपचार केन्द्र खोला गया है, वहां पर बीकानेर में कैन्सर रिसर्च इन्स्टीट्यूट राज्य सरकार को शीघ्र ही खोलना चाहिए ताकि वहां पर लगे हुए यंत्र का रेडियम पैथोलोजी का उपयोग किया जा सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री बुलाकी दास कल्ला : आधा मिनट और दें। एक महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया है।

श्री सभापति : कितनी दफा कहूं आधा मिनट में समाप्त करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला : हम राजस्थान के निवासी इन्फास्ट्रक्चर की काफी बात करते हैं। हमारे मुख्य मंत्री इस बात के लिए जागरूक हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले के पलाना में इतना लिग्नाइट उपलब्ध है कि उससे सारे राजस्थान के 16 जिलों को बिजली मिल सकती है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि छठी पंचवर्षीय योजना में पलाना में लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की जानी चाहिए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल !

(अनुपस्थित)

श्री रतनलाल ताम्बी। आपके दल को 50 मिनट का समय दिया गया है। जितने सदस्य आपके दल के बोलने वाले हैं उस हिसाब से बोल लें।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : कल बोल लूं। कोई मंत्री-गण नहीं है किस को सुनाया जाय। इसलिए कल का समय दे दें।

श्री सभापति : कल के लिए नहीं कह सकती हूं। आज बोलेंगे क्या ?

श्री रतनलाल तम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर यह बहस हो रही है। पिछले वर्ष राज्य सरकार द्वारा चलाये गये कई प्रकार के कार्यक्रम के बारे में जो कमियां रही हैं उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा।

राजस्थान प्रदेश प्राकृतिक दृष्टि से जहां कई प्रकार की विषमताओं से प्रसिद्धि प्राप्त करता है वहीं भगवान ने इस बात का वर-दान दे रखा है कि यहां पर बड़ी तादाद में खनिज सम्पदा है। उसका समुचित तौर पर विकास हो तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। आज के दिन राजस्थान के हालात पर विस्तार से देखते हैं और उस बारे में गहराई से सोचते हैं तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति, राजस्थान की योजनाएं और सारे के सारे कार्यक्रम के अन्दर गतिशीलता की आवश्यकता है। राजस्थान में, जहां पर कि हर दूसरे, तीसरे वर्ष अकाल पड़ता है, अकाल के बारे में चर्चा करते हैं, हर बार योजनायें बनती हैं और उसी के आधार पर बहुत बड़ी तादाद में धनराशि खर्च होती है। इसके लिये एक स्थायी तौर पर योजना बनाने की आवश्यकता है। इस वर्ष राजस्थान में भयंकर अकाल है। राज्य सरकार ने इसके लिये राहत कार्य शुरू किये हैं। मै समझता हूं कि स्वयं मंत्रीजी ने महसूस किया होगा, मैं महसूस करता हूं कि 16 नवम्बर से टैस्ट वर्क केवल नाममात्र के ही शुरू किये गये हैं उसके बाद में इन कामों में जिस प्रकार की तेजी आनी चाहिए थी वह नहीं आ पाई। राजस्थान आज भयंकर अकाल से ग्रस्त है लोगों को काम नहीं मिल रहा है। आज गांवों में भीलवाड़ा जिले की चर्चा करूं, एक लाख तीस हजार लोगों को लेने की आवश्यकता है, वहां पर 13 लाख की जनसंख्या है पर वहां मुश्किल से बीस बाईस हजार लोगों को काम दिया हुआ है ऐसी स्थिति है रोजगार की। पेयजल की समस्या तेजी से गम्भीर होती जा रही है और यह समस्या भी गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। लोगों को कीचड़ मिला पानी पीना पड़ता है। बेकारी की हालत हो रही है, पेयजल की समस्या सामने आ रही है और योजनाएं ठप्प पड़ी हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि रोजगार के साथ पेय जल की समस्या भी गम्भीर है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि जो समस्याग्रस्त गांव हैं, जो समस्याग्रस्त घोषित गांव हैं और इस दिशा में जो काम हो रहा है वह धीमी गति से हो रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और पेय जल की समस्या की ओर खास तौर से ध्यान दे। इसके अलावा जो योजनाएं तैयार हो चुकी हैं जिनका सर्वे हो चुका है, पर राज्य सरकार के पास पैसे की कमी के कारण, साधन की कमी के कारण या और किसी कारण से उन योजनाओं को नहीं लिया जा रहा है, पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनको अकाल के मौके पर लिया जाय और इस दिशा में तेज गति से ठोस कदम उठाये जायं यह मेरा सुझाव है।

मैं इस पर खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है जो मैं सुन रहा हूं और जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि स्थिति भयंकर रूप से खराब है। लगभग 105 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट

(श्री रतन लाल ताम्बी)

हमारे ऊपर है यह हमारे लिये शर्म की बात है। राज्य सरकार ने जो कहा था नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का तो वह नहीं कर रहे हैं। मैं इस संबंध में दो चार सुझाव आपको देना चाहूंगा।

एक तो राजस्थान का खनिज विभाग, मैं समझता हूं, नान टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। परन्तु इस विभाग की हालत बहुत खराब है। उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में ही करीब एक करोड़ का नुकसान राज्य सरकार उठा चुकी है। मैं चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं कि लगभग 50 लाख रुपये की रॉयल्टी का नुकसान इस बात से हो रहा है कि वहां नाजायज तौर पर खनन कार्य हो रहा है, कृषि भूमि और खनिज भूमि पर नाजायज खनन हो रहा है और इसको कुछ राजनेताओं का प्रोत्साहन मिल रहा है। जो रायल्टी जिन लोगों में बाकी निकल रही है उसके बारे में मैंने पिछले सत्र में भी इस विधान सभा में पूछा था। एक प्रश्न रखा था और उस पर राज्य सरकार ने जवाब दिया था कि वसूली की कार्यवाही की जा रही है, नोटिस दिये जा रहे हैं, पर मेरे पास जानकारी है कि राज्य सरकार उन लोगों को जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन पर लाखों की तादाद में वसूली बाकी है, उनको संरक्षण के प्रयास कर रही है, सौदेबाजी हो रही है, कुछ रियायत देने की बात की जा रही है और राज्य सरकार को 50 लाख का नुकसान हो रहा है। मैं राज्य सरकार से आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि जो वहां पर नाजायज खनन कार्य हो रहा है उसके लिये कोई ईमानदार रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य को या हाई कोर्ट के जज को लगाकर इसकी जांच कराई जाय कि भीलवाड़ा तहसील में नाजायज खनन किस तेजी से हो रहा है। वहां लाखों का नुकसान हो रहा है। कई राजनेता सारे काम में हस्तक्षेप करके अपना प्रभाव डालकर राज्य सरकार से छूट ले रहे हैं। उन्होंने इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है। मेरे प्रश्न के जवाब में भी यह आया था। छूट के नाम पर यह सब हो रहा है। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि नाजायज खनन कार्य करके जो ऐसे वाले खनन करके राज्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी जांच की जाय, छूट नहीं दी जानी चाहिए और 50 लाख रुपये राज्य के खजाने में आना चाहिए वह आ सकता है।

इसके साथ साथ एक निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि राज्य सरकार की नीति स्पष्ट होने पर काफी लोगों ने खनन पट्टों के लिए अप्लाई किया था अगर उसकी स्वीकृति मिल जाती तो राज्य सरकार को 50 लाख रुपया रायल्टी के रूप में मिल सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह नहीं हो सका जबकि खजाने खाली पड़े हैं, जो पहाड़िया जी ने घोषणा की थी कि राजस्थान का विकास करने आये हैं, मुख्य मन्त्री जी की जो घोषणायें थी जो कार्यक्रम थे, योजनायें थीं, वे उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस मामले पर विशेष ध्यान देकर विचार किया जाय तो काफी नॉन टैक्स रेवेन्यू खानों से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस ओर ध्यान दें।

मैं इसके साथ साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं। मैं इसको राजस्थान का

(श्री रतन लाल ताम्बी)

दुर्भाग्य मानता हूं और राज्य सरकार की कमजोरी मानता हूं। आगूचा में और भीलवाड़ा जिले में सब तरह का खनिज भण्डार है पर उसका लाभ राजस्थान को नहीं मिल रहा है। वहां पर राजस्थान खनिज विकास निगम के मार्फत काम होना चाहिए, राजस्थान की आय बढ़नी चाहिए, इसको भारत सरकार को सुपुर्द करना राजस्थान के लिए बहुत दुर्भाग्य पूर्ण होगा, इसको राजस्थान खनिज विकास निगम को सौंपे और स्मेल्टर प्लांट आगूचा में लगाया जाय जहां पर यह खनिज सम्पदा है। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस प्रश्न पर बहुत गम्भीरता से विचार करेगी।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने इस अभिभाषण को बहुत विस्तार से और गौर से पढ़ा है और इसके साथ साथ गत वर्ष के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को और बजट भाषण को भी बहुत गौर से पढ़ा है। राजस्थान सौभाग्य से नदी नालों का प्रदेश है और प्रदेश का पानी यहां बाहर प्रवाहित होता रहता है इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान का जितना सरप्लस पानी है उसके लिये कोई योजना बनायें और उसके लिये लघु सिचाई योजना मध्यम सिचाई बनाकर इस ओर ध्यान दिया जाय। इसके लिए पिछली बार कहा गया था कि 46 नयी लघु सिचाई योजनायें हाथ में ली जायेंगी इतनी मध्य सिचाई योजनायें पूरी की जायेंगी। इसके आधार पर वर्तमान अकाल समस्या का समाधान किया जायगा पर जब यह अभिभाषण देखा और उपलब्धियों को देखा तो मैं कहीं नजर नहीं आयीं। आज भी इनको पूरा नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे। सिचाई के क्षेत्र में आज भी राजस्थान में काफी काम करने की गुंजाइश है।

बिजली के बारे में स्थिति साफ है कि बिजली का संकट आया हुआ है। जब इस तरफ देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि राजस्थान की सिचाई योजनाओं की ओर तथा राजस्थान को अन्तर्राज्यीय बिजली योजनाओं की ओर राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी बिजली और पानी का अन्य राज्यों के लोग लाभ उठा रहे हैं। इस प्रश्न पर राजस्थान की जनता को, राजस्थान की सरकार को और सभी दलों को मिल जुल कर महत्वपूर्ण रोल अदा करने की आवश्यकता है। बिजली की कमी हो रही है और योजनायें पूरी नहीं हो रही हैं, सतपुड़ा को पूरा करने की बात है। ये काम वर्षों चलते हैं और समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं जिससे खर्चा बढ़ जाता है और वह काम राज्य सरकार के बूते के बाहर चला जाता है। इसका ज्वलन्त उदाहरण राजस्थान नहर है इस पर कितना खर्च हो चुका है पर यह नहर पूरी ही नहीं हो रही है, हर बार इसका खर्च बढ़ता ही जाता है और राज्य सरकार पर्याप्त धन की कमी पूरी नहीं कर पाती है। यह राजस्थान के लिये वरदान साबित हो सकती है पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि इसमें कभी सीमेंट की कमी हो जाती है कभी डीजल नहीं मिलता है, कोयला नहीं मिलता है कभी पैसे नहीं हैं। इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, दुर्दशा हो रही। मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्री जी ने एक जागरूक व्यक्ति को अलग से इसका

(श्री रतनलाल ताम्बी)

विभाग दिया है वे इसमें कितना कुछ कर पायेंगे यह तो भविष्य ही बतायेगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जायगा। ऐसी आशा करता हूं।

मैंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा है विकास की बात करते हैं, पंचायती राज की बात करते हैं कई बार कहा गया, पंचायती राज मंत्री बैठे हैं सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने कई बार आश्वासन दिये कि सहकारी समितियों के चुनाव करवायेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की बात कही थी कुछ अधिकार देने की बात कही थी, पर इन सब बातों की इस अभिभाषण में चर्चा नहीं की गयी है। मेरी सबसे पहली मांग यह है कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को प्रजातांत्रिक ढंग से चलाया जाना चाहिए। आज नौकरशाही के हाथों में यह व्यवस्था छटपटा रही है, जनता से इनका कोई सम्पर्क नहीं है, ये जनता की संस्थायें नहीं रही हैं, ये तो अब नाम मात्र की संस्थायें रह गयी हैं। इसलिये राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के और सहकारी संस्थाओं के चुनाव शीघ्र कराये जायं। जनता पार्टी के राज में जो नियमों की हत्या कर दी गयी थी उनको वापस प्रजातांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से कायम किया जाय और पंच और सरपंचों के माध्यम से पंचायत समितियों के चुनाव कराये जायं। सरपंच, विधायक और दूसरे सदस्यों के माध्यम से जिला स्तर के चुनाव करवाये जायं। भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री मोहन लाल जी सुखाड़िया के समय में जो व्यवस्था थी वापस उसी ढंग की व्यवस्था की जाय और राजस्थान की जनता में एक नया उत्साह पैदा किया जाय। आज राजस्थान में पंचायत समितियां और जिला परिषदें नाम मात्र की रह गई हैं। कुछ ही लोग वहां पर बैठते हैं, काफी स्टाफ कम कर दिया गया है, मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।

मैं इसके सन्दर्भ में साथ-साथ यह भी निवेदन करूंगा कि मैंने कुछ सुझाव खनिज पर और सहकारिता वगैरह पर दिये हैं, सिंचाई पर भी दिये। इसके साथ-साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में अकाल की भयंकर समस्या है, इसके बारे में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जो स्थाई उपयोग के काम हैं, कई जगह सिंचाई की योजनाएं सर्वे की हुई हैं और कई इस प्रकार के अन्य काम हैं जो अकाल को रोकने में सहायक हो सकते हैं चाहे वनों के विस्तार का कार्यक्रम हो, चाहे भू-संरक्षण का काम है, इस प्रकार की योजना बनायी जानी चाहिये जिससे किसानों का भला हो सकता हो। सड़कों पर मिट्टी डालते हैं दो महीने के बाद वह मिट्टी स्वाहा हो जाती है लाखों रुपया खर्च हो रहा है लेकिन उसका कोई स्थाई फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि माननीय अकाल राहत मन्त्रीजी राजस्थान का भला करने का यदि आपका इरादा है तो उन योजनाओं को लागू करें जिनसे स्थाई हल निकाला जा सके जो कई वर्षों से सर्वे की हुई पड़ी हैं विभाग में चाहे वे योजनाएं कितनी ही बड़ी क्यों न हों उन योजनाओं को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये वह छठी योजना में पूरी हो सकती है, जिससे अकाल का स्थाई हल निकल सके, ऐसी मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इसके अलावा पिछली बार यह कहा गया था कि समाज कल्याण के कई कार्यक्रम हाथ में लिये जायेंगे। लेकिन कुछ ही स्थानों पर छात्रावास खोले गये और कुछ ही छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई। इसके अलावा कोई लम्बा चौड़ा काम नहीं किया गया। आदिवासी उपखण्ड जो बने हुए हैं वह भी नाम मात्र के हैं, उनका विकास किया जाना चाहिये और समस्त विकास की योजनाओं को वहां पर तेजी से लागू किया जाना चाहिये। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक 50 पर्सेन्ट से ऊपर की आबादी हो तो उन गांवों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि यदि 28 पर्सेन्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते है तो भी उन गांवों को उस आदिवासी उपखण्ड में शामिल किया जाय, ताकि वहां भी आदिवासियों के उत्थान के कार्यक्रम हाथ में लिये जा सकें।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा जिला राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है। राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से जहां तक मैं समझता हूं, कोटा के बाद एक आध जिले को छोड़कर उसके बाद भीलवाड़ा जिला महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कई बार इस सदन में सुझाव दिया गया कि वहां पर पोलिटेक्निक विद्यालय नहीं है। वहां के निवासियों की बहुत मांग है, वहां बहुत बेरोजगारी है विज्ञान और तकनीकी में वहां के युवकों की बहुत उत्सुकता रहती है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, जो शायद शिक्षा विभाग के मंत्री नहीं हैं नं. 2 के मंत्री जरूर हैं, वहां पर पोलिटेक्निक खोलने के बारे में रुचि लेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

और भीलवाड़ा की इस मांग को पूरा करने में पूरा सहयोग देंगे। मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं पर नम्बर दो के मंत्री जी हैं...

श्री नाथूसिंह : जैसे पैसा दो नम्बर का होता है, मंत्री महोदय दो नम्बर...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दो नम्बर के मंत्री राज्य मंत्री होते हैं, प्रभाकरजी तो केबिनेट मंत्री हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : भीलवाड़ा में गलीचा उद्योग के विकास की बात पहले भी कई बार हो चुकी है मेरा निवेदन है कि गांवों में कई लोग इस प्रकार का काम करते हैं और उसके लिये शाहपुरा और जहाजपुर में कामगर लोग उपलब्ध हैं, जो बहुत योग्य हैं, मेरा सुझाव है कि वहां पर गलीचा उद्योग केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि इस दिशा में आगे बढ़ सकें और अपने धन्धे को जीवित रख सकें। मैं इस मौके पर चिकित्सा विभाग

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

के बारे में भी अपने सुझाव देना चाहता हूं। भीलवाड़ा जिले में कई ऐसे स्थान हैं, शाहपुरा में एस. डी. ओ. का हैड क्वार्टर है लेकिन वहां पर हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है, मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, रोगी शैयाओं की व्यवस्था नहीं है। मेरा सुझाव है कि इस दिशा में भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। राज्यपाल

(श्री रतनलाल ताम्बी)

महोदय के अभिभाषण में इस विषय में कोई संकेत नहीं दिया गया है कि कितनी रोगी शैयायें बढ़ाई जायेंगी और आगे क्या कार्य होगा इस दिशा में । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में शाहपुरा की उपेक्षा हो रही है, वहां के लोग बहुत रोष में हैं, बड़ी गम्भीर हालत है। रोगी खुली हवा में पड़े रहते हैं, नीचे मार्ग में पड़े रहते हैं। इस लिए इस दिशा में खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा। एक और सुझाव नगर-पालिका क्षेत्र में कई जगह पाइप लाइनों की व्यवस्था नहीं है जिससे पानी की बड़ी दिक्कत होती है । वहां पर पाइप लाइन पहुंच सके तो ठीक होगा। उन इलाकों में कम से कम हैण्ड पम्प लगा दिये जायं ताकि वहां के लोगों को पेयजल की सुविधा मिल सके। पंचायत समितियां और जिला परिषदें पेयजल उपलब्ध नहीं करा रही हैं, इसलिए राज्य सरकार को मेरा सुझाव है कि कम से कम इस बात को देख लें जो ढाणियां एक दो किलोमीटर में आती हैं वहां पर ठीक प्रकार से हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था की जावे। गन्ने का मूल्य जहां जनता सरकार के समय में···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बीस मिनट बोल चुके हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : हमारे 50 मिनट का समय।

श्री सभापति : इसमें दूसरे भी सदस्य बोलने वाले हैं, अब आप पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं लें ।

श्री रतनलाल ताम्बी : जनता राज में गन्ने का मूल्य चार-पांच रुपये क्विण्टल हो गया था, इसलिए गन्ना जला दिया गया था सौभाग्य से इस सरकार ने इस ओर कुछ ध्यान दिया है जिससे गन्ने का मूल्य 25 रु. 27 रु. क्विण्टल हो गया है, इसके लिए मैं सरकार का आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि केशोरायपाटन की जो शुगर मिल है उसकी हालत बहुत ही खराब है, राज्य सरकार के आदेश हो चुके हैं फिर भी छोटे उद्योगों को बिजली नहीं मिलती। गन्ना, कृषि पर आधारित है। छोटी फैक्ट्रीज को बिजली मिलनी चाहिये समाज कल्याण मन्त्री महोदय यहां पर नहीं हैं जो भी मन्त्री महोदय बिराजमान हैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह विकलांग वर्ष है, विकलांगों के लिए भी इस सरकार से मैं कुछ अपेक्षा रखता हूं। खास तौर से नौक-रियों में उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिये पदोन्नति में भी रिजर्वेशन हो, जो भी छात्र पढ़ना चाहें उनका खर्च राज्य सरकार को उठाना चाहिये। उनको प्राथमिकता के आधार पर पदोन्नति भी दी जानी चाहिए, यह भी मेरा सुझाव है। जिला केन्द्रों के मार्फत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मार्फत जो उद्योग धन्धे करने वाले हैं, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह के बारे में मेरा निवेदन है कि ग्रामीण उद्योगों की दशा बहुत ही दयनीय है, उनको अनुदान और ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिये और राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसी एजेन्सी कायम की जानी चाहिये जिससे उनको समय पर ऋण उपलब्ध हो जाय, इस बात की ओर खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सभापति महोदया, इस अवसर पर मैं थोड़ा सहकारिता के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदया, सहकारिता विभाग द्वारा परिपूर्ण ऋण योजना शुरू की गई है उसका मैं स्वागत करना चाहूंगा। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना को अगर सही ढंग से गांवों में लागू किया जाय तो यह एक बहुत अच्छी योजना है इसको अच्छी तरह गांवों में लागू किया गया और इस दिशा में ठीक कदम उठाये गए तो इस योजना से गांवों की जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गरीबी के स्तर के नीचे के परिवार वाले लोगों को ऊपर उठाने के लिये जो कहा गया है कि हर पंचायत समिति के कुछ परिवारों को ऊपर उठाया जाने के लिये कार्यक्रम शुरू किया जायगा। सभापति महोदया, अगर वास्तव में सरकार गरीबी हटाने के लिये योजना को क्रियान्वित करना चाहती है तो यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके लिये मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जो अभिभाषण में 600 परिवार एक पंचायत समिति में लिये जायेंगे तो जनसंख्या का जो आधार रखा गया है वह बहुत कम है क्योंकि कई पंचायत समितियां बड़ी होती हैं और कई पंचायत समितियां छोटी होती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक हजार परिवार हर पंचायत समिति के इसमें शामिल किये जाने चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया गया और सिर्फ 600 परिवार हर पंचायत समिति से ही लिये गये तो इस प्रकार कितने वर्ष लग जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें वृद्धि की जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदया, अन्त में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका आंशिक रूप से समर्थन करता हूं क्योंकि पिछले साल राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में जो संकेत दिये थे योजनायें घोषित की थीं और पिछले वर्ष बजट में राज्य सरकार द्वारा योजनायें घोषित की गयी थीं वह बहुत कुछ अधूरी रह गयीं और अभी जो योजनायें हैं, उनकी तस्वीर भी हमारे सामने साफ नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि पिछले बजट में जो घोषणायें की गयी थीं वे इस साल में पूरी होने को थीं और पूरी नहीं हुई हैं। इसके लिए राज्य सरकार को चाहिए कि अभी तक एक महीना बाकी है, मार्च के महीने में वैसे भी राज्य सरकार के लिये मार्च का महीना इमर्जेन्सी का महीना होता है, इस पूरे महीने में रात भर काम चलते रहते हैं इसलिये उन्हें पूरा कराया जाना चाहिये। सभापति महोदया, अन्त में मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार सभी विभागों का विश्लेषण करे और उसमें देखे कि जो योजनायें घोषित की गयी थीं, चाहे वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में की गयी हों चाहे राज्य सरकार के बजट के समय, उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाना चाहिये।

सभापति महोदया, अभी मेरे पास समय कम है इसलिये मैं यह तो नहीं बता सकता कि क्या काम अधूरे रहे। हालांकि मेरे पास आंकड़े तो बहुत इकट्ठे किये हुए हैं पर

(श्री रतनलाल ताम्बी)

समय के अभाव में मैं अब ज्यादा कुछ नहीं निवेदन कर सकता। मेरे पास कम समय था मैं जो भी लुब्बेलुबाब में आपको निवेदन कर सका, सभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इसके लिए आप समीक्षा करलें। उसके आधार पर, इसके अलावा जो भी बाकी रह गये हैं उसकी सूचना आपके पास है वह घोषणायें चाहे आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय की हों चाहे बजट भाषण में हों उनको आप जल्दी पूरी करें और खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों की तरफ राज्य सरकार को चाहिये कि उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दें, अन्त में, इसके साथ ही मैं राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में आया है उसका आंशिक रूप से समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री भैरूंलाल भारद्वाज। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगी कि आपको अधिक से अधिक 15 मिनट का समय दिया गया है उस समय में आप अपना भाषण समाप्त करदें और ज्यादा समय के लिये टोकने की चेष्टा करने के लिये मुझे आप मौका न दें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय ने जो अपना भाषण दिया और उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। सभापति महोदया, राज्यपाल-महोदय ने अपने अभिभाषण में राजस्थान के विकास के कार्यक्रमों के बारे में विशेष रूप रेखा का उल्लेख किया है। इस अभिभाषण में सारी योजनायें जो रखी गयी हैं वह राजस्थान का विकास किस प्रकार हो उसके लिये प्रस्तुत की गयी हैं। लेकिन सभापति महोदया, मुझे सन्देह है कि इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिये जो मशीनरी है वह इस विकास के कार्यक्रमों को पूरा कर सकेगी कि नहीं। सभापति महोदया, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले तीन सालों में जनता सरकार के शासन में यह मशीनरी लंगड़ी बन गयी थी और अभी तक उसका लंगड़ापन निकला नहीं है। सभापति महोदया, जनता पार्टी के तीन साल के शासन काल में हमारे देश की जनता के कुछ लोगों को विशेष रूप से आजादी मिल गयी थी। इनमें दो वर्ग मुख्य थे एक तो व्यवसायी वर्ग, जो बहुत ही उछृंकल और बेलगाम हो गया था, जिसने मुनाफाखोरी को बहुत बढ़ाया जिससे हमारे देश में महंगाई बहुत अधिक हो गयी। इसके अलावा दूसरा जो वर्ग है वह है नौकरशाही। नौकरशाही वर्ग जनता पार्टी के शासन काल में बहुत अधिक बेलगाम हो गया और इसी नौकरशाही की वजह से हमें बहुत सी दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। सभापति महोदया, इसी नौकरशाही के जरिये हमारे राज्य सरकार के जो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक कार्यक्रम होते हैं उनकी क्रियान्विति की जाती है। सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जो भी योजनायें पूरी होती हैं उनका इन्जन यह नौकरशाही होती है पर यह इन्जन ही इस गाड़ी को चलाने का काम नहीं करके इसके अन्दर ब्रेक लगाने का काम करता है। जो भी कार्यक्रम

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

सरकार लागू करना चाहती है उसमें यह नौकरशाही रोड़े अटकाती है। सभापति महोदया, यह नौकरशाही सिवाय रोड़े अटकाने के कोई काम दूसरा नहीं करती हैं। सभापति महोदया, मैं जानता हूं समाजवादी अर्थ व्यवस्था को लागू करने में कुछ ऐसे प्रतिक्रियावादी इस नौकरशाही के अन्दर इस जनता पार्टी के शासन के तीन साल में घुस गये हैं जो कि इन योजनाओं को पूरा करने में रोड़े और अधिक लगाते हैं यही कारण है कि हमारी योजनायें पूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए यहां पर मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से यह राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो योजनायें राजस्थान के विकास के लिये बनायी गयी हैं अगर आप राजस्थान का सही मायने में विकास करना करना चाहते हैं तो आपको नौकरशाही के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदया, कि हमारी योजनायें जो बनती हैं वह सभी जिला स्तर पर क्रियान्वित की जाती हैं। अगर हमें राजस्थान का विकास करना है तो हमें जिला स्तर के यूनिट पर ध्यान देना पड़ेगा। सभापति महोदया, जिला स्तर पर जो योजनायें क्रियान्वित होती हैं वह जिलाधीश द्वारा की जाती हैं। सभापति महोदया, आज के प्रजातन्त्र के युग में जिला अधिकारी को जिलाधीश कहना यानि जिलाधीश का मतलब जिला का ईश्वर यह कहना कहां तक उचित है ? मैं समझता हूं कि प्रजान्तत्र के युग में जिला अधिकारी को जिलाधीश कहना शोभा नहीं देता। आज प्रजातन्त्र में जिले का मालिक होता है वहां की जनता, जनता ही सर्वेसर्वा है। पर आज भी मुझे खेद है कि वही राजा महाराजाओं के जमाने वाली बातें और वही अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही दकियानूसी भाषा चली आ रही है, इसलिए मेरा निवेदन है कि जिलाधीश के नाम को जिला अधिकारी नाम करण किया जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि इस पर विचार किया जाना चाहिये। एक व्यक्ति जो कि सेवा भावी अधिकारी है जनता के खजाने से महीने के महीने तनख्वाह पाता है जनता का मालिक कैसे हो सकता है, वह जिलाधीश कैसे हो सकता है इसलिये मैं यहां पर जिलाधीश संबोधित नही करते हुए जिलाधीश के बदले जिला अधिकारी सम्बोधित करना चाहूंगा।

सभापति महोदया, जिला अधिकारी अगर सक्रिय होता है और राज्य सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति में दिलचस्पी लेता है और अपने विभागीय अधिकारियों से कोआर्डिनेशन करके उन कार्यक्रमों को पूरा करता है तो वह जल्दी योजनायें पूरी हो जाती हैं लेकिन जब जिला अधिकारी सुस्त, अयोग्य हो तो राज्य सरकार की योजनाओं की मिट्टी पलीत हो जाती है। सभापति महोदया, आज जयपुर राजस्थान की राजधानी है और राजस्थान के अन्य जिलों से सर्वाधिक बड़ा है। वहां का जिला अधिकारी अयोग्य है और इसके कारण आज हमारे जयपुर जिले में कोई भी विकास के कार्यक्रम शुरू नहीं किये गये हैं, वे सभी कार्यक्रम अपूर्ण पड़े हैं, सभापति महोदया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जयपुर जिले में इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ा

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

हुआ है लेकिन अकाल राहत के अन्तर्गत जिला अधिकारी द्वारा कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। मैं विशेष रूप से जमवा-रामगढ़ क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वहां बड़ा ही भयावह अकाल है पर कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है वहां। और तो और सरकार को जो योज-नायें जिला अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर बनाकर भेजी जाती हैं वह भी नहीं भेजी गई हैं। सभापति महोदया, इस तरह की कोताही और सुस्ती जयपुर जिला अधिकारी द्वारा दिखाई गई है। सभापति महोदया, इस तरह आज अयोग्य अधिकारियों द्वारा जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सभापति महोदया, योजनाओं के कार्यक्रम के नाम पर कोई काम नहीं, पर कहीं-कहीं एक टैस्ट केस की तरह 10–20 और 30 मज-दूर काम करते हैं। इसलिये मैं राज्य सर-कार से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि जमवारामगढ़ में जहां कि भयंकर अकाल है, जो कि पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर जल्दी से जल्दी राहत कार्य खोले जायं और लोगों को रोजगार दिलाया जाय। सभापति महो-दया, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर जिला अधिकारी सुस्त और अयोग्य है तो जो योज-नायें होती हैं वह पूरी नहीं होतीं और यह कार्यक्रम किताबों में ही रह जाते हैं आज हमारे यहां सीमेंट, चीनी वितरण के लिए राज्य सरकार की तरफ से वितरण व्यवस्था है लेकिन इन अधिकारियों की ढिलाई के कारण और कुछ बड़े अधिकारियों की मिली-भगत के कारण सीमेन्ट और चीनी का भारी ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। इसके लिए अंकुश लगाये जाने चाहिये। सभापति महो-दया, आज जो सामान हम वितरण के लिये, चीनी जिसको कि हम विदेशों से मंगाते हैं उसके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं उसका हमारी जनता में वितरण नहीं होकर ब्लैक होता है। इसी तरह सीमेन्ट, हालांकि सीमेन्ट की राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हमारे देश में कमी है, पर इन अधिकारियों की मिली भगत के कारण लोग ब्लैक-मार्केटिंग कर रहे हैं। इसलिये इन गड़बड़ियों को रोकने के लिये मेरा निवेदन है कि हमें इन अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए विचार करना पड़ेगा।

मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आम जनता के अभाव अभियोगों को सुनने के लिए जनाभाव अभियोग सतर्कता समिति की बैठकों का आयोजन हर महीने की महीने किया जाना जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक के अभाव अभियोग या शिकायतों को लेकर किसी भी मंत्री अथवा मुख्य मंत्रीजी के पास जाना न सम्भव है और न उचित ही है। इसलिए जितने भी अभाव अभियोग हैं, जितनी भी शिकायतें हैं, किसी भी प्रकार के छोटे-मोटे भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं इनको सुनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि महीने के अन्दर एक जिला स्तरीय अभाव अभियोग सतर्कता समिति की बैठक की जाय। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान जयपुर के जिला-धिकारी ने एक भी बैठक नहीं बुलाई है। मेरे पास एक सतर्कता समिति का प्रतिवेदन है जो कि सरकार की ओर से आया है, यह मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। जयपुर जिले में 1973 में इस सतर्कता समिति की 4 मीटिंगें हुई, 1974 में 5 मीटिंगें हुई;

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

1975 में 5, 1976 में 12, 1977 में 1, 1978 में 11, 1979 में 11 और 1980 में आज तक एक भी बैठक नहीं बुलाई गई। बल्कि जो लोग भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत करना चाहते हैं उनकी मदद करने के बजाय भ्रष्टाचारियों को मदद दी जाती है।

इस मौके पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत से चीनी के ब्लैक मार्केटियर्स की शिकायतें की गयी हैं उनका कोई भी बिगाड़ आज तक नहीं हुआ क्योंकि लोगों के पैसे बांध रखे हैं····

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ था उसका भी जिक्र कर दें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एक कांग्रेसी कार्यकर्ता साधारण व्यवहार की परवाह नहीं करता लेकिन जनता के प्रतिनिधि यदि कोई शिकायत और भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहना चाहता है तो अधिकारी को सुनना चाहिए। जयपुर के जिलाधीश के बारे में यह भी मैं कहना चाहूंगा कि 200 आदमियों का एक डेपूटेशन जो कि भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर मेरे इलाके का गया था उससे उन्होंने न केवल मिलने स इन्कार किया बल्कि जन प्रतिनिधि को दलाल शब्द से संबोधित किया कि मैं दलालों के मार्फत मिलना नहीं चाहता। इससे गन्दी बात और कोई नहीं हो सकती। इसके लिए मैंने मुख्य मंत्री जी को शिकायत की है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वह छानबीन करके उसको सजा दिलाने की कार्यवाही करेंगे।

मैं आपको यह भी इस मौके पर बताना चाहता हूं कि जितने आपके नौकरशाही के काम हैं जब तक आप उनके लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक यह सही अन्जाम देने वाले नहीं हैं। हमको यह लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे कि जो अधिकारी अपने साल के बजट का काम पूरा करेगा उसको ही सही माना जायगा। आज यह स्थिति है कि बजट लैप्स होता है और राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया, जो पैसे की व्यवस्था की है उस पर यदि जिला अधिकारी काम पूरा नहीं करते हैं····

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सभापति महोदया, अभी माननीय सदस्य भाषण में कह रहे थे कि जिलाधीश महोदय ने जन प्रतिनिधियों को दलाल कहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जन प्रतिनिधियों को दलाल कहा जाना उचित है? यह स्पष्टीकरण भी करें कि विधान सभा सदस्य या जन प्रतिनिधि कोई और हैं उनके लिए कहा है–नम्बर एक? और सचमुच में जन प्रतिनिधियों को दलाल कहा है तो मैं यह समझता हूं कि यह विशेषाधिकार का हनन है, इस बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैंने यह मामला विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया है मैं समझता हूं उचित समय पर निर्णय दिया जायेगा।

श्री सभापति : नोटिस आया हुआ है। इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अभी माननीय सदस्य ने यह बात सदन में कही और जन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
प्रतिनिधियों के लिए दलाल शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार की बात कहते हैं, उसके लिए मैंने कहा है।

श्री सभापति : इसी बारे में लिख कर भेज चुके हैं और उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। जो उन्होंने कहा है पहले लिख चुके हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं इस मौके पर पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए सुझाव दूंगा क्योंकि जनता पार्टी के समय में इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया। ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने के बाद में जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये गये और इसके कारण पंचायती राज संस्थायें बेकार पड़ी रही। इसलिए मैं काम के बदले अनाज योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि उस समय देश के भण्डारों में जो गेहूं था वह भ्रष्ट सरपंचों ने ब्लैक मार्केट में बेच दिया, बाजारों में बेच दिया उनके खिलाफ मैंने शिकायत कर रखी है। मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे तत्व हैं नौकरशाही के अन्दर जो उन सरपंचों को मदद करते हैं। जहां 1 लाख 65 हजार रुपये गेहूं की जांच चल रही है और माननीय पंचायत मंत्री जी ने ऐसे सरपंच को जांच के बाद सस्पेन्शन के आर्डर्स भी निकाले हैं लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि नौकरशाही उन फाइलों को दबाये बैठी है और अभी तक आर्डर्स नहीं निकाले। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए हमको न केवल भ्रष्ट सरपंचों को ही सजा नहीं देनी पड़गी बल्कि भले और ईमानदार आदमियों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। मैं सुझाव दूंगा कि प्रत्येक पंचायत में सचिव देना बहुत जरूरी है। आज बिना सचिव के यह पंचायतें लूली लंगड़ी के बतौर काम कर रही हैं। तीन-तीन पंचायतों में एक सचिव काम नहीं कर सकता और वह न हाजिर रहता है इसलिए पंचायतों में सारे काम बन्द पड़े हैं।

जहां तक सरकारी समितियों का ताल्लुक है, दो तीन पंचायत-समितियों की एक सहकारी समिति बनाई गई है। यह भी गलत बात है एक ग्राम पंचायत, एक सहकारी समिति, और यहां का स्कूल–यह हमारे लिए एक पुरानी भावना है जो कि गांव के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सहकारी समितियों का दायरा जो पहले बीच में बनाया गया था जनता पार्टी के समय में, वह गलत है और ग्राम पंचायतों के स्तर पर उसको लाया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

शिक्षा के बारे में मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हमें करनी है। आज यूनिवर्सिटीज में जो शोर मचता है उसका कारण यह है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बिना पढ़े ही पास होते जा रहे हैं। और तो और 40 विद्यार्थियों के ऊपर एक अध्यापक रखा गया है। उस हिसाब से भी राजस्थान में आज 10 हजार अध्यापकों की जरूरत है। कई गांवों के अन्दर तो स्कूल्स के अन्दर ऐसी

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

स्थिति हो रही है कि 60-70 छात्र हैं और एक भी अध्यापक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो आपने 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक का रेश्यो बना रखा है यह तुरन्त पूरा किया जाय। यद्यपि मैं ऐसा मानता हूं कि 40 के ऊपर भी एक अध्यापक कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए 25-30 पर ही एक अध्यापक देना चाहिए। जब तक प्राथमिक शिक्षा मजबूत नहीं होगी तब तक आगे की शिक्षा कभी मजबूत नहीं हो सकती।

मैं इस मौके पर यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर पेयजल की योजना सात-आठ सालों से 2500 रुपया जमा है, उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। इसलिए इसको प्राथमिकता से लिया जाना चाहिए। जिन लोगों के पैसे जमा हैं उन पेयजल की योजनाओं पर तुरन्त ही काम होना चाहिए और बाकी दूसरे गांवों में भी काम जल्दी से कराया जाना चाहिए।

मैं इस मौके पर अनुसूचित जाति और जनजातियों को दी जाने वाली सहायता के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो सहायता है उनका जो होशियार आदमी है, वही लाभ उठाते हैं और आम गरीब आदमी रह जाते हैं। इसलिए हमारी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम पर जो कुछ सहायता देना चाहती है वह वास्तव में गरीबों को मिले जो कि इस बात के ज्यादा हकदार हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए।

विद्युतीकरण के बारे में कहना चाहूंगा कि अलबत्ता मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बिजली के लिए किसानों को प्राथमिकता दी जायगी लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बिजली बोर्ड का गठन ही किसान विरोधी है। किसानों का कोई प्रतिनिधि बिजली बोर्ड में नहीं है इसलिए बिजली बोर्ड के अधिकारी और बड़े-बड़े आफिसर्स हमारे मुख्य मंत्री जी और बिजली मंत्री जी को गुमराह करके बताने की कोशिश करते हैं कि यह जो बिजली दी जा रही है वह पर्याप्त है। मैं कहता हूं कि जब राजस्थान को 76 लाख यूनिट मिल रही थी तो किसानों को 8 घंटे रात को और 6 घंटे दिन में बिजली दी जाती थी और आज इस समय 92 और 94 लाख यूनिट बिजली मिल रही है उसके बावजूद हमको सिर्फ 6 घंटे ही बिजली मिलती है। यह फाल्गुन का महीना है और फसलें सूख रही हैं, जल रही हैं, मैंने मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं सदन के मार्फत भी कहना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी, जिनमें किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं है, कारखानेदारों को और दूसरे लोगों को बिजली देने में तरजीह देते हैं लेकिन किसानों की तरफ इनकी तवज्जोह नहीं है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके ऊपर निगाह रखकर यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि फसल के समय में कम से कम महीने डेढ़ महीने तक पूरे समय नहीं तो 10 घंटे तो बिजली देने की व्यवस्था की ही जानी चाहिए। जब आप पूरी बिजली और सही बिजली नहीं देते हैं तो फिर न्यूनतम चार्जेज देने का भी नैतिक अधिकार नहीं बनता।

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

जहां तक सड़कों का सवाल है इस मामले में यह जयपुर जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जो राजधानी का जिला जयपुर जिला कहलाने वाला और जिसमें दो-दो और तीन-तीन नेशनल हाईवे रन करती हैं उसमें जयपुर से आठ-आठ मील दूर जाकर देखे तो किसी भी जगह की कोई सड़क डामर रोड तो नहीं, लेकिन कच्चे रास्तों की भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं उन सड़कों, जिनका काम हमने पहले चालू करवाया था और जनता पार्टी की सरकार ने बन्द कर दिया था, को जल्दी शुरू करवाने की बात कहना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

और इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारा हिन्दुस्तान खास तौर से कृषि प्रधान देश है इसलिए यहां सिंचाई का बहुत महत्व है। सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि सिंचाई के लिए किसानों को पानी देने की जिम्मेदारी सरकार की है एक एक चप्पे जमीन पर पानी पहुंचाना सरकार का काम होना चाहिये और हमारी योजनायें उनके अनुसार होनी चाहिये। जयपुर जिले के अन्दर जहां कुओं से खेती होती है, कुओं का पानी सूखता जा रहा है तो मेरा सुझाव है जयपुर जिले की जितनी नदियां, नाले हैं, दो-दो तीन-तीन किलो मीटर पर एनीकट होने चाहिये और पानी को रोका जाना चाहिये। कुओं के पानी का स्तर गिरता जा रहा है। इसलिये माननीय सभापति महोदया, इस सदन के जरिये मैं चाहूंगा कि यह सिंचाई की व्यवस्था, खास तौर से जयपुर जिले में छोटे छोटे एनीकट की व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है। मैं आशा करता हूं सरकार इस बात का ध्यान रखेगी।

जहां तक उद्योगों का सवाल है शहरों में उद्योगों को पनपाकर वातावरण दूषित किया जाता है। इस नीति को छोड़ा जाना चाहिये। अब जो भी लाइसेंस दिये जायें वह शहरों में न दिये जायें, गांवों में उद्योग स्थापित करने चाहिये। जब हम गांवों की तरक्की करना चाहते हैं तो उद्योगों के लाइसेंस निश्चित रूप से गांवों में देने पड़ेंगे। किसी उद्योगपति ने काम शुरू नहीं किया है उसका लाइसेंस रद्द करके गांव में देना चाहिये। जयपुर जिले में ऐसे स्थान है जहां बिजली, पानी और कई जगह सड़कों की भी सुविधा है, ऐसे स्थानों को उद्योगों के लिये चयन करना चाहिये। हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये।

मैं पर्यटन की बात कह कर समाप्त करता हूं। पर्यटन के नाम पर हर पर्यटक जयपुर आता है। इस व्यवस्था की ओर कोई उचित ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे ही पर्यटक आता है हवा महल और आमेर के महल देखने के बाद किसी फाइव स्टार होटल में ठहर कर दूसरे दिन चलता बनता है। मेरा सुझाव यह है कि जयपुर में आने वाले पर्यटक को जमवारामगढ़ बांध पर ले जायें, जिससे वह शांति से ठहर सके। इसलिये जमवारामगढ़ को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना चाहिये। आमेर के

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

पुराने महलों को देखकर वह वापस लौटता है। पर्यटन ग्राम के रूप में जमवारामगढ़ और आमेर को विकसित किया जाना चाहिये आकर्षक केन्द्र बनाये जाने चाहिये। मेरे इलाके में कैतसर सागर का बांध है। यहां सैकड़ों प्रकार के पक्षी, जैसे घाणा में आते हैं, उसी प्रकार कैतसर सागर में दिनचर्या पूरी करते हैं। मेरा सुझाव है जयपुर के नजदीक एक पक्षी विहार बनाया जाना चाहिए और घाणा पक्षी विहार की तरह उसको दर्जा दिया जाना चाहिये। इससे न केवल हमारे पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि हमको और भी काफी आर्थिक सुविधायें भी मिल सकेंगी।

वन विभाग को एक सुझाव देना चाहूंगा..

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

कि राजस्थान में हर पहाड़ी पर, जहां पेड़ नजर नहीं आते, अधिकारियों को पाबन्द करना चाहिये कि पहाड़ियों और सड़कों के आसपास जहां कहीं भी जगह हो पेड़ लगाये जाने चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

खास तौर से जयपुर जिले में वन लगाये जाने के लिये घोषित करना चाहिये। राजस्थान मे चारों तरफ न्यूनतम 30 किलोमीटर चौड़ी बैल्ट में हरे पेड़ लगा कर वातावरण को शुद्ध करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मेरा समय समाप्त हो गया। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता था। मेरी मूल भावना केवल यही है कि कांग्रेस सरकार ने, खास तौर से हमारी मौजूदा सरकार ने गरीबों के फायदे के लिये कई लम्बे चौड़े वास्तव में कार्यक्रम बनाये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं इन सब कार्यक्रमों के जरिये हम जनता की सेवा करेंगे और जो बाधायें नजर आती हैं उनके बारे में मैंने निवेदन कर दिया है मुख्य मंत्री जी और अन्य मंत्रीगण उसका समर्थन देंगे...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

और जनता तक पहुंचाने में कामयाब हों। उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण का, जो उन्होंने इस सदन में दिया है, उसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री भंवरलाल शर्मा : इन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन किया है, धन्यवाद प्रस्ताव का नहीं किया है।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदया,......

श्री सभापति : आप भी समय का खयाल रखें। आप ज्यादा बोलने वाले हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण 20 फरवरी को इस सदन में हुआ, और इससे पूर्व 8 जुलाई, 80 को हुआ था। दोनों अभिभाषणों को सुनने और पढ़ने से ऐसा लगता है और मन में ऐसा सोचा था कि जो सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम,

(श्री गोपाल पचेरवाल)

इन्दिरा गांधी की जय जय कार करने वाली सरकार, राजस्थान सरकार हरिजन मुख्य मंत्री कहलाने वाली सरकार, कुछ उन गरीब तबकों की समस्याओं को जो गांवों में जानवरों की तरह जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं उनके उत्थान के लिये कुछ सोचेगी। कथनी और करनी में कितना फर्क है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। दोनों भाषणों को पढ़ने से, पिछला और यह जो अभी दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि कथनी और करनी में फर्क है। आज देश में बेरोजगारी की व्यापक समस्या है। दो तरह की बेरोजगारी है। शिक्षित बेरोजगारी और दूसरे अशिक्षित ग्रामीण बेरोजगारी। दोनों बेरोजगारी आज जिस तेज गति से बढ़ रही है, इसकी सीमा का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता कहां जाकर टिकेगी और सरकार के पास इस समस्या का क्या हल होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगार कालेज से जब निकलता है तो मंत्रियों की कोठी पर आता है रोजगार के लिये जब रोजगार नहीं मिलता है और रोजगार नहीं मिलने से जब जेब के पैसे बीत जाते हैं तो फुटपाथ पर रातें गुजारता है। पुलिस 109 के अन्दर बंद करती है तो नौजवान के दिल पर क्या गुजरेगी? वह सोचता है आज की शिक्षा पद्धति ऐसी है जिसकी वजह से रोजगार नहीं मिलता जिसकी वजह से मंत्रियों के इर्द-गिर्द घूमना पड़ता है तो आज की शिक्षा पद्धति के खिलाफ वे अपने साथियों से कहते हैं, आज की शिक्षा पद्धति से नौजवानों को रोजगार मिलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं गलत काम कर जाते हैं। यह जो देश में गुण्डा गर्दी बढ़ी हुई है आज की सरकार की जो नीति है, भूखा मरता क्या नहीं करता। उनको करना पड़ता है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसका सरकार के पास कोई हल नहीं है। हमारी शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन हो। जैसा माननीय मदेरणा साहब ने कहा था जो भी नया शिक्षा मंत्री आता है जो भी सरकार बैठती है, आते ही घोषणा करती है हम आमूलचूल परिवर्तन करेंगे लेकिन कोई होता नहीं है। श्रीमन्, राज्य सरकार द्वारा उन बेरोजगार शिक्षित बेरोजगारों के लिये, प्रदेश के नौजवानों के लिये कोई न कोई कार्यक्रम तय किया जाना चाहिये जो भटकाव की स्थिति है उसको रोका जाना चाहिये।

दूसरा, हमारे सामने सवाल है अकाल का। जितने ग्रामीण अशिक्षित बेरोजगार हैं, वे बड़े संकट में हैं। आज गांवों में जब अकाल नहीं हो तो कोई न कोई मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है लेकिन अकाल के संकट में वह कई समस्याओं से जुड़ा हुआ है। अकाल में सरकार तेजी से काम नहीं कर रही है जिससे रोजी रोटी उनको उपलब्ध हो जाय। आज हमारे बैद जी ने यह महसूस किया कि जो अकाल से पीड़ित हैं, अकाल से बेरोजगार हैं जिनके मासूम बच्चे रोटी के लिये तरस रहे हैं उनके लिये सरकार महसूस करती है कि हम जीवनोपयोगी चीजें उनको नहीं दे पा रहे हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री ने कहा है, सदन में कहा है कि जीवनोपयोगी चीजें तक हम उन लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जबकि उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उन लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं

(श्री गोपाल पचेरवाल)

पहनने के लिए कपड़ा नसीब नहीं है तो सरकार का क्या घोषित कार्यक्रम है? यह कोई नई बात नहीं है राज्यपाल महोदय हर बार अभिभाषण यहां पढ़ देते हैं।

गरीब लोग अकाल की चपेट में जीवन से संघर्ष कर रहे हैं उनके लिये कोई नई बात नहीं कही है, कोई नई दिशा नहीं दी है। हमारे प्रभाकरजी नहीं हैं, उठकर चले गए। सरकार का जब सवाल था और जब शक्कर 18-20 रुपये किलो बिकने लगी तब यह कहा था कि जो शक्कर की बिक्री में गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनका केस बनायेंगे उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बन्द करेंगे लेकिन केवल एक स्टेटमेंट दे देना ही उनके लिये काफी है, काम करना मुश्किल है। मैं पूछना चाहता हूं आज तक किसी बड़े तस्करी को, किसी बड़े व्यापारी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बन्द किया? या कोई सख्त कदम उठाया जिससे शक्कर की कालाबाजारी रुक जाय और जो महंगी चीजें नहीं मिल रही हैं, उनकी रोकथाम हो जाय। सरकार कर क्या रही है?

एक माननीय सदस्य : सरकार कहां है?

श्री गोपाल पचेरवाल : सरकार कहां है, लेकिन जो है वह है। तो मैं निवेदन कर रहा था गरीबों के लिये इस अभिभाषण में कोई कार्यक्रम नहीं है, भूखों मरने वालों के लिये कोई रोजी रोटी का प्रबन्ध नहीं है फिर राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उससे क्या इस गरीब देश को मिलेगा?

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने पेयजल के बड़े आंकड़े दिये हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रदेश के लोगों को पानी, रोजी-रोटी और रोजगार समय पर दे। पेयजल का जहां सवाल है 71 की जनगणना के अनुसार राज्यपाल महोदय ने स्वीकारा है कि राजस्थान में पेय जल की गम्भीर समस्या है। 1971 में राज्य में 33,305 गांवों में से हमारे अनुमान से 24,037 गांव इस समस्या से ग्रस्त हैं। यह उन्होंने माना है। आपके पिछले राज्यपाल का जो भाषण है उसमें लक्ष्य रखा गया था कि अप्रेल, 80 तक 2904 गांवों में स्वच्छ जल की योजना की जायगी और 2000 गांवों में पेय जल का प्रबन्ध किया जायगा लेकिन अभी भी जो राज्यपाल का भाषण है उसके सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा जितने साल यह पार्टी इन वित्तीय वर्षों में केवल 2500 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, श्रीमन्, 6 महीने में जब 2000 की बात थी अब 500 की बात कह रहे हैं ये आपके एक वर्ष में 2500 गांवों में पेयजल उपलब्ध करायेंगे? आज आप मानते हैं 24 हजार से अधिक गांवों में यह समस्या है तो फिर कितने वर्षों तक आप उनकी पूर्ति करा पायेंगे? उनके लिये रोजगार दूर रहा शिक्षा देना दूर रहा लेकिन पानी एक ऐसी चीज है जिससे वह जीवित नहीं रह सकता है। आज कई क्षेत्रों में खारा पानी है। मेरे क्षेत्र नैनवा और लाखेरी में आज भी ग्रामीण लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। ड्रेनेज का पानी जो नालों में गिरता है उसको इकट्ठा करके लोग पानी पी रहे हैं।

पिछली बार भी मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया था कि जो लोग पानी के लिये तरस रहे हैं उनको पानी दीजिये। आज मेरी एक माननीय सदस्या से बात हो रही

(श्री गोपाल पचेरवाल)

थी कि चार हजार हैण्ड पम्प के लिए जो कहा है हमारा एक-एक हैण्ड पम्प इतना महंगा लग रहा है कि उससे वहां तीन-तीन हैण्ड पम्प लगाये जा सकते हैं फिर भी सही मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। एक तरफ किसानों को गन्ने के उत्पादन के लिए पानी दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ के किसान पानी के लिये तरस रहे हैं। दूसरी जगह पानी नहीं मिल रहा है तो मैं निवेदन करना चाहूँगा केवल इन आंकड़ों के भ्रम-जाल में डालकर प्रदेश की जनता को गुम-राह मत कीजिये। उनके लिये पानी की व्यवस्था कीजिये अन्यथा आपके राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है और न ही अभिभाषण से प्रदेश की जनता का कोई भला होने वाला है।

एक बात सरकार ने बड़े जोर-शोर से कही कि हम औद्योगीकरण को प्रोत्साहन दे रहे हैं और वित्त निगम से उनको कर्जा दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उद्योगों के मामले में कि हमारे देवली में एक अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने हड्डी पीसने की मशीन लगाई है और उसको लोन मिल गया लेकिन राजस्थान सरकार वर्किंग केपीटल के लिये एक पैसा देने को तैयार नहीं है और जो सब्सिडी दी गई उसमें 50 हजार के लोन की कटौती कर ली गई। आप अनुसूचित जाति के लोगों को आगे लाना चाहते हैं औद्योगिक क्षेत्र में आगे लाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना चाहते हैं और अन्य क्षेत्र में आगे लाना चाहते हैं। लेकिन आपके जो अधिकारी हैं उन पर आप कन्ट्रोल नहीं कर पाये। आज भी आपके मन्त्री भी अधिकारियों के चंगुल में फंसे हुये हैं। अगर वित्त निगम का चेयरमैन कह दे तो आपके मन्त्री की हैसियत नहीं है उनको मनवा दे। अगर हैसियत है तो वित्त मन्त्री जी किसी बैंक से या निगम से बैरवा जाति के व्यक्ति ने जो उद्योग लगाया है उसको केपीटल लोन दिलवा दीजिए लेकिन आपके अधिकारी जो चाहते हैं वह होता है,- आप जो चाहते हैं वह नहीं होता है। सरकार की नीति है पिछड़े वर्ग को आगे लाने की, औद्योगिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों को प्रोत्साहन देने की तो फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति का कनेक्शन काट दिया गया और सब्सिडी में से लोन की रकम काट ली गई उसे वापस दिलवा दीजिये। केवल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पढ़ने से गरीबों को लाभ मिल जायगा ? क्या हरिजनों का उत्थान हो जायगा ? यह नहीं होने वाला है। इस अभिभाषण को पढ़ने से यदि कोई लाभ होता हो या 200 एम. एल. ए. के पढ़ने से कोई लाभ होता हो तो हम बड़ी चौपड़ पर खड़े होकर रोज इस भाषण को पढ़ देंगे लेकिन आपकी करनी और कथनी में बड़ा अन्तर है।

गरीबों के प्रति यदि सहानुभूति है तो मैं कहना चाहता हूं गरीब आदमी की जिस की फैक्ट्री लगी हुई है जिसके लाखों रुपये डूब गये हैं सरकार अपने वित्त मंत्रालय से या किसी न किसी बैंक से उसको लोन दिलवा कर प्रोत्साहन दे ताकि एक शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को फैक्ट्री लगाने का प्रोत्साहन मिले।

आपने सहकारिता की बात कही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं सहकारिता मंत्री

(श्री गोपाल पचेरवाल)
जी यहां नहीं हैं सहकारिता आन्दोलन को ले जाने की बात कही है आगे मैं सरकार से कहना चाहूंगा रामगंज मण्डी में वहां के शिड्यूल्ड कास्ट के बैरवा जाति के लोगों ने राजस्थान ठेका श्रमिक संघ नाम से एक ठेके का रजिस्ट्रेशन करवाया है और उन्होंने खनिज की मांग की है लेकिन सरकार ने लखपति लोगों के कहने पर उन्हें ठेका नहीं दिया...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा आरोप है कि सरकार ने रैली में किसानों को ले जाने के लिए अपने साधन जुटाने के लिए, अपने चुनाव के लिए लाखों रुपया बर्बाद किये हैं लेकिन दूसरी तरफ उस सहकारी समिति को खनिज के पट्टे देने से रोक दिया गया है यदि यह असत्य है तो जो हम उस सोसायटी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं उसे खनिज के पट्टे दिये जाने चाहिये...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : गुस्से और रोष में आपको पता नहीं चलता है, कितना समय हो गया है। दो तीन मिनट और बोल लें।

श्री गोपाल पचेरवाल : नहीं, साहब सब पता चलता है मैं बोल ही रहा हूं। अब सभापति महोदया मैं आरक्षण पर आता हूं। मैं निवेदन करना चाहता था, सरकार से कि अगर सरकार उन गरीबों के प्रति हमदर्दी रखती है और आपकी नीति सही है, अगर सहकारी आन्दोलन को आगे ले जाना चाहते हैं, सहकारी आन्दोलन से आप गरीबों को आगे ले जाना चाहते हैं, सहकारी आन्दोलन के माध्यम से आप उस गरीब को रोजगार देना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो सोसायटी बनी है, खनिज के लिए, उसको आप खनिज दिलायें उन गरीबों को जो शिड्यूल्ड कास्ट के मैम्बर हैं, उसमें बैरवा जाति के लोग हैं, उसमें मेहतर हैं उसमें बहुत से गरीब हैं। उनको प्रोत्साहन देने के लिए उस लखपति के शिकंजे से निकालकर आप गरीब को अपनाइये और उस सोसायटी को प्रोत्साहन दीजिए ताकि वह काम कर सके।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके राज्यपाल के अभिभाषण में एक बात बड़ी जोरदार कही है, मुझे पढ़कर आश्चर्य हुआ, पिछली बार भी हमने यह मामले उठाये थे, लेकिन इसमें लिखा है कि गत एक वर्ष से राज्य में संगठित तरीके से हरिजनों के अत्याचार का कोई मामला नहीं हुआ न जाति भेद के कारण सवर्णों में कोई तनाव पैदा हुआ। मेरे को बड़ा अफसोस है। निर्लज्जता की भी कोई हद होती है, कोई सीमा होती है। बिलकुल झूंठ इसमें लिख दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्री से, सरकार से और राज्यपाल महोदय से, हमने उनको भी ज्ञापन दिया था, जब आपका पिछला अधिवेशन चला तो आप ही के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भंगियों को गोली मारकर उड़ा दिया, छुआछूत के मामले में। आपके अनूपगढ़ में, मोहनपुरा गांव में आज भी 15 जनवरी के आसपास की घटना है लेकिन वहां पर सबने मिलकर उस भंगी के परिवार को उजाड़ दिया। कोटा के अस्पताल में दवाइयों की अव्यवस्था में 2 व्यक्ति उस परिवार के मारे गये। यह किस परिधि में आते हैं, क्या यह बात हुई है या जो

(श्री गोपाल पचेरवाल)

मारे गये, वह सही है, किसको सही माना जाय ? आपका पुलिस रिकार्ड है कि वहां 2 आदमियों की मृत्यु हो गयी। केवल वहां के डाक्टरों की गैर जिम्मेदारी से, वहां के जिला स्वास्थ्य अधिकारी की लापरवाही से लेकिन यह सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। फिर यह भाषण किस काम का, यह सही है कि उनको मौत के घाट उतार दिया गया, या वह सही है ? किस बात को सत्य माना जाय और बताऊं मैं आपको। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं बड़ी निर्लज्जता का सवाल है कि जब राजस्थान में जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई तो राजस्थान की उन महिलाओं पर पुलिस ने उन मेहतरानियों पर लाठियां चलायीं और विकलांग बना दिया। सरकार ने विकलांग वर्ष मनाने की घोषणा की है लेकिन सरकार आदमियों को विकलांग करने में लगी हुई है। एक 70 वर्षीय महिला आन्दोलन में आ गयी थी, अपने लड़के की सहानुभूति में। पुलिस ने उसको मारा उसके कपड़े फाड़ दिये, उसकी दायें पैर की हड्डी टूट गयी, यही आपकी हरिजनों के प्रति सहानुभूति है ? फिर आप कहते हैं कि इस तरह के तनाव नहीं हुआ, झगड़े नहीं हुए, सवर्णों के झगड़े नहीं हुए क्या है, किसको सही माना जाय ? क्या वास्तविकता आप खड़ी करना चाहते हैं, क्या झूंठ बोल कर आप राज चलाना चाहते हैं? इस प्रदेश की जनता को भ्रम जाल में फंसाकर आप प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से, कि या तो कहना बन्द करें और कहते हैं तो उसको अमल में लायें। अन्यथा यह कहने से कोई समाज या प्रदेश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान की हरिजन महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, आपके पास महिला पुलिस नहीं थी ? आपके पास महिला पुलिस नहीं थी तो ऐसा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन हरिजन महिलाओं की निर्दयता से पिटाई की गयी कई महिलाओं को चोटें आयीं और जख्मी हो गयीं। मैं फोटो रखूंगा जब गृह मंत्रालय की डिमाण्ड पर बोलूंगा लेकिन उन महिलाओं के कपड़े फाड़ दिये और पुलिस को, सरकार की हठधर्मी को घुटने टेकने पड़े हरिजनों के सामने मैं निवेदन करना चाहता हूं आंकड़ों के भ्रम जाल में इस तरह गुमराह न करें।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं। औद्योगीकरण के मामले में मैं निवेदन कर रहा था। औद्योगीकरण के मामले में आपने कहा कि आप औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देना चाहते हैं लेकिन उद्योगों को आप प्रोत्साहन देंगे कैसे ? आप बिजली देंगे नहीं। किसानों के नाम पर आप रैली निकालिये, आप दिल्ली ले जाइये, अकाल में काम करने वाले लोगों को आप जबर्दस्ती ले जाइये और मौत के घाट उतार दीजिए लेकिन आंकड़ों से काम चलने वाला नहीं है। आज आप किसानों को 6 घण्टे बिजली दे रहे हैं, उद्योगों को बिजली की कटौती कर रहे हैं। एक तरफ आप बिजली में कटौती कर रहे हैं दूसरी ओर आप उद्योग लगाना चाहते हैं तो दोनों बात चलेंगी कैसे ? बिजली आप देना चाहते नहीं, उद्योगों को आप लगाना चाहते हैं तो बिना

(श्री गोपाल पचेरवाल)

बिजली के उद्योग चलेंगे कैसे ? यह इसमें नहीं दिया गया है, अगर कोई चमत्कार इन्दिरा गांधी या पहाड़िया जी के पास या माननीय राज्यपाल के पास कोई चमत्कार हो, वह राज भवन में बिना बिजली के कारखाना चला सकते हैं तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। अगर आप वास्तव में उद्योगों को पनपाना चाहते हैं, इस प्रदेश की गरीब जनता को राहत देना चाहते हैं और बेरोजगारी समाप्त करना चाहते हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमन् मैं एक पार्टी से एक ही बोल रहा हूं, मुझे तो पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

श्री सभापति : और भी बोलेंगे आपकी पार्टी से।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ आप गरीबों की बात करते हैं, हरिजनों की बात करते हैं, बिना बिजली के आप औद्योगीकरण कैसे करना चाहते हैं, उद्योग कैसे लगाना चाहते हैं ? यह स्पष्ट इसमें कहीं नहीं है। श्री पहाड़िया साहब के पास कोई चमत्कार हो या इन्दिरा गांधी के पास कोई चमत्कार हो कि बिना बिजली के कोई कारखाना चल जाय तो फिर हमें खुशी है। मैं धन्यवाद दूंगा कि बिना बिजली के कारखाना चल जायगा। इन्दिरा गांधी इस तरह का चमत्कार दिखा दे, इस देश की जनता को कि बिना बिजली के कारखाना चल जाय और खेती चल जायगी तो फिर हमें कुछ नहीं कहना, हम चुपचाप बैठ जायेंगे।

दूसरा, मैं बिजली के मामले में कहना चाहता हूं। श्रीमन्, आपका अणु बिजली घर है उसके बारे में बड़ी बात कही गयी है। उसके मामले में एक रिकार्ड है, अणु बिजली घर का जो रिकार्ड है, एक वर्ष में 8760 घण्टे होते हैं लेकिन अणुघर में 6936 घण्टे बन्द रहने का रिकार्ड कायम किया है, दुनियां भर में इतने घण्टे बन्द रहा, फिर कैसे बिजली देना चाहते हैं किसानों को, कैसे किसानों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं? दूसरे, मेरा निवेदन है, इस सम्बन्ध में, कि 150 करोड़ रुपये की लागत से 72 में जब चालू हुआ तब 30 प्रतिशत यूनिट देने की बात थी लेकिन जब 64 में आधारशिला रखी गयी उस वक्त बिजली की लागत 5 पैसा प्रति यूनिट का अनुमान था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जब 72 में यह चालू हुआ तो 7 पैसा प्रति यूनिट से देने की बात हुई।

दूसरे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की दरों को लेकर राजस्थान में एक विवाद चला और विवाद विगत अगस्त में प्रधान मंत्री की दखलंदाजी के बाद यह तय हुआ कि राजस्थान में 20 पैसा प्रति यूनिट बिजली दी जायगी। लेकिन, श्रीमन्, आज भी राजस्थान का अणु बिजलीघर का जो 25 करोड़ रुपया जो बकाया है, उसकी हमें किश्तें देनी पड़ रही हैं, आज जब हम इसका कर्जा देंगे, किश्तें चुकायेंगे तो आगामी 22 करोड़ की देनदारी और होगी तो 22 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार कैसे देगी ? क्या आपने कोई कार्यक्रम बनाया हमारा जो कर्जा लेना पड़ रहा है ? फिर भी हम देश की, प्रदेश की जनता को, हमारे किसानों को हमारे उद्योगों को हम बिजली नहीं दे

(श्री गोपाल पचेरवाल)

पा रहे हैं तो प्रदेश में काम कैसे चलेगा ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपसे, कि आप अपने सोर्स तैयार कीजिए, अपना आधार तैयार कीजिए, जिससे देश के औद्योगीकरण को बढ़ावा मिल सके, देश को बिजली दे सकें लेकिन केवल मात्र आंकड़ों से ही, भाषण से ही काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, श्रीमन, एक बात आज भारत सरकार से इस योजना के बारे में कही गयी है, शेष वही बात कही है जो पिछले साल राज्यपाल के अभिभाषण में कही गयी है, उसी बात को पुराने बजट से 80 वाले से उतारकर इसमें रख दिया गया। इसमें कोई हेर फेर नहीं किया गया है, इसमें केवल यह किया है कि शीघ्र निश्चित करने का निर्णय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आप इसको ये जो उपलब्धि है, इन्होंने आंकड़े दिये हैं कि हमने इतने केन्द्र खोल दिये। हमारे भाई माननीय सदस्य, श्री मेघवाल साहब ने कहा 19 केन्द्रों में से 18 केन्द्र हो गये। यह तो आपकी प्रगति है, साल भर की। 80 के राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि 19 केन्द्र स्थापित किये गये हैं, उसमें से, अभी मेघवाल साहब बता रहे थे, 18 रह गये, यह तो आपकी उपलब्धि है, एक घट गया लेकिन यह उपलब्धि आपकी नहीं है, यह कांग्रेस सरकार की उपलब्धि नहीं है, यह योजना मण्डल की उपलब्धि है, यह जनता सरकार की है, आपकी उपलब्धि नहीं है। आप रिपोर्ट दे रहे हैं, आपकी सरकार है, आपके जो मंत्री हैं, आपकी समझ की बात नहीं है···

(व्यवधान)

यह आपकी समझ में आने वाली बात नहीं है, आ भी नहीं सकती, आपकी समझ की बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : समझदार होते तो मन्त्रिमण्डल में नहीं आ जाते।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जनता सरकार जब थी तो 50 लाख की लागत से प्रोजेक्ट को बनाया गया था, केन्द्र सरकार से उसको लाये थे।

एक माननीय सदस्य : किसको ?

एक माननीय सदस्य : आपको।

श्री गोपाल पचेरवाल : आप इधर बैठ जाइये मैं आपको बता दूंगा लेकिन पहाड़िया जी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। आप रिजेक्टेड हैं, रिजेक्टेड से बात नहीं करता मैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 50 लाख की लागत के प्रोजेक्ट का, जिसको चालू करें। बुनकरों को, जिनकी आप रात दिन बात करते हैं, बुनकरों में चमार जाति के लोग होते हैं। आप उनकी रात दिन बात करते हैं। इन्दिरा गांधी से लेकर पहाड़िया से श्रीराम गोटेवाला तक इनकी बात करते हैं, उस गरीब के हिमायती हैं लेकिन बुनकरों को जो लाभ मिलने वाला है उसको तो कर नहीं रहे हैं और आप 19 केन्द्र से 18 केन्द्र कर रहे हैं, तो कैसे उसको फायदा होगा, उसका गरीब को, आप कैसे उसको आगे लाना चाहते हैं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 50 लाख का आपका यह है, उसको आप प्रोत्साहन

(श्री गोपाल पचेरवाल)

दीजिए और ध्यान दीजिए, मेरा आग्रह है आपसे। दूसरे, मैं निवेदन करना चाहता हूं विशेष तौर से यहां रहमान साहब बैठे हुए हैं, आप मुसलमान प्रतिनिधि तो हैं इस सरकार में, इस पूरे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उर्दू का जिक्र है क्या ? कहीं भी उर्दू भाषा का जिक्र नहीं किया गया है, इसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है। दुर्भाग्य है प्रदेश के मुसलमानों का, जो डिप्टी मिनिस्टर बनकर चुपचाप बैठे हैं, कहीं कुर्सी न चली जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप उसके प्रति,मुसलमानों के प्रति सच्ची या प्रदेश के प्रति हमदर्दी रखते हैं, मुसलमान उत्थान की बात करते हैं तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपके राज्यपाल के उस अभिभाषण में उर्दू का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, इसमें प्रदेश के मुसलमानों की उपेक्षा है, उसकी भाषा की तोहीन है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप मुसलमानों के प्रतिनिधि बनते हैं, जितने मानीनय सदस्य बैठे हुए हैं। आप अपनी सरकार पर जोर दीजिए कि उर्दू की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जायगी, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके कह देने से इसमें काम चलने वाला नहीं है। यह बिलकुल अल्पसंख्यकों को चर्चा का विषय बना दिया गया है, यह बोर्ड बना दिया गया है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं उर्दू भाषा के मामले में आप अधिक से अधिक उर्दू को प्रोत्साहन दें। जो पिछड़ा हुआ वर्ग बुनकर है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए आप अन्य और कार्यक्रम बनायें। मैं और निवेदन करना चाहता हूं आपसे। दूसरी बात आपने कही है खास तौर से समाज कल्याण की लेकिन मैला ढोने वालों के लिए कोई आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भेड़ों के मामले में भी इसमें एक बात कही गई है। भेड़ पालकों के लिए इसमें लिखा है :

"इस वर्ष निष्क्रमणार्थी भेड़ों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है और चित्तौड़गढ़ आदि जिलों के लिए निष्क्रमण मार्गो पर 43 चौकियां स्थापित की गई हैं।"

इन प्रकोष्ठों से कोई समस्या हल नहीं हुई है और न ही समस्या हल होने वाली है। प्रकोष्ठ में या खुद की चौकियों में क्या हो जायगा ? आप दवाई दे देंगे और उसमें गणना हो जाएगी कि भेड़े कौन ले जा रहा है। इससे जो समस्या प्रदेश में पैदा हुई है, माननीय सदस्य जो करौली से आने वाले हैं, जो माननीय सदस्य सवाई माधोपुर से आते हैं उनसे पूछिये कि वास्तविक समस्या क्या है, उनसे आपको सही जानकारी मिलेगी। इन भेड़ों के कारण गोलियां चली हैं आदमी मारे गये हैं चौकी स्थापित करने से कोई उसका कोई भला नहीं हुआ या आज भी गोली नहीं चली हो या आदमी मरने की स्थिति नहीं आई हो, यह स्थिति नहीं है। जब भेड़े वहां निकलेंगी तो दूसरों की फसलें नष्ट करेंगी। दोनों गुटों में आपस में झगड़े होंगे और ऐसे अवसर झगड़े हुए हैं। अगर सरकार यह समझती है कि प्रकोष्ठ या चौकियां स्थापित कर देने से समस्या सुलझ जायगी तो मैं आपसे कहता हूं कि इससे लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। उनको दवा तो मिल गई

(श्री गोपाल पचेरवाल)
उनकी गणना भी हो गई लेकिन इससे कोई राहत मिली हो, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इसलिये माननीय सभापति महोदया, मैं...

श्री चेतराम मीणा : आप सुझाव दीजिए।

श्री गोपाल पचेरवाल : आप तो रिजेक्टेड आदमी हो, आपको क्या बतलाऊं। आपकी सरकार को जरूरत हो मुझसे बात करे, मैं आपको सुझाव दूंगा।

श्री चेतराम मीणा : जब आप आलोचना कर रहे हैं तो सुझाव भी दीजिये।

(व्यवधान)

श्री चंद्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : यह बीच में व्यवधान क्रियेट होता है तो बड़ा समय बर्बाद होता है सभी का, जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनका समय भी बड़ा वेस्ट करते हैं।

श्री सभापति : इसका भी खयाल रखूंगी और आप लोग बीच में व्यवधान करते हैं उसका भी खयाल रखूंगी।

श्री गोपाल पचेरवाल : श्रीमन् मैं यह निवेदन कर रहा था कि राज्यपाल महोदय द्वारा जो भाषण दिया गया है उसका समर्थन करने का तो सवाल ही नहीं उठता, धन्यवाद देने का सवाल ही नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि वह आंकड़ों का भ्रमजाल है और आंकड़ों के भ्रमजाल से प्रदेश की जनता को गुमराह करने का भाषण है इस प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया है आंकड़ों के भ्रमजाल है। इसलिए इसको अस्वीकार करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमीन खां!

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदया, काफी लोगों ने कई विभागों के बारे में कहा है और वहां पर ज्यादा होशियार और काबिल लोगों ने भाषण दिये हैं और आगे भी देंगे। मैं केवल इतना ही, जो कि एक हकीकत है उस पर कहना चाहूंगा। वह यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो आपने ही समझो, प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करते हुए मैं एक लाइन कम से कम जोड़ना चाहता हूं। जो राज्य सरकार की मंत्री महोदया, कम से कम, विराजी हैं, वह बिलकुल इसको जुड़ावें। उर्दू भाषा के जिक्र का जहां तक सवाल है, उर्दू एक मुसलमान की भाषा नहीं है, उर्दू भाषा तो हर जाति और मजहब के रहने वालों की भाषा है। मगर अल्पसंख्यकों का जहां तक सवाल है गत वर्ष गवर्नर के भाषण में भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारण्टी और उनके रोजगार की एक लाइन तो आई थी। एक से लेकर 28 पेज तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अल्पसंख्यकों का कोई भी किस्म का जिक्र नहीं है, यह शायद मेरे खयाल में जहां तक मेरा ध्यान है, राजस्थान में पहली बार हुआ है। दुनिया में और हर प्रदेश में जिस तरह का राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है जो महत्वपूर्ण सरकार का दस्तावेज होता है उसमें अगर माइनोरिटीज का जिक्र नहीं आता है तो माइनोरिटीज की इतनी बड़ी संख्या है वह वास्तव में मायूस हैं। इसलिए अभी भी कोई हर्ज नहीं हुआ है। अभी भी जो बहस चल रही है उसमें सरकार का फर्ज है कि यह पैरा जोड़ना चाहिए।

(श्री अमीन खां)

अब मैं राज्यपाल महोदय के भाषण के एक से चार पेज पर जो गवर्नर महोदय ने खुद ने भी चिन्ता व्यक्त की है अकाल के बारे में और कई महानुभाव सदस्यों ने और तजुर्बेकार सदस्यों ने भी कल हमारे बाड़मेर का जिक्र आ रहा था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये उनमें सभी की एक समान समस्या है। इसलिए मैं एक गंवार आदमी होते हुए भी जहां जिस पीड़ित क्षेत्र में हूं, जिस वर्ग में हूं, हर हालत में, हर जगह अकाल की समस्या है इसमें कोई शक नहीं है। मगर जिस तरीके से बाड़मेर और जैसलमेर में अकाल की समस्या है, मैं खुद जानता हूं कि सदन के जितने भी मंत्रिगण और सदस्यगण हैं, उसमें भूतपूर्व रिलीफ मिनिस्टर परसराम मदेरणा, श्री खेतसिंहजी और तत्कालीन भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी के सिवाय हर आदमी को इतना मालूम नहीं है, जितना कि उस क्षेत्र की समस्या हमें है। बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में आज भी वही हालत हो गई है कि जहां बीस-बीस किलोमीटर के नजदीक कोई पीने का पानी नहीं है। लोगों ने अपने पीने के पानी की समस्या के कारण घर खाली कर दिये हैं और आबादी ऐसी हालत में फंसी हुई है जो राजस्थान के किसी जिले में नहीं हुई है। जैसलमेर सबसे कम आबादी का जिला है जहां 38 हजार किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र है और दो लाख से अधिक वहां की आबादी है। बाड़मेर दूसरे नम्बर में आता है जो 28 हजार वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में आता है और जो दूसरे नम्बर पर है आबादी में भी। जब अकाल के एक समान होने की बात करते हैं, बाड़मेर और जैसलमेर में कितने बाहर के जिलों के मजदूर वहां पर रोजगार के कारण हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान के हर जिले में बाड़मेर और जैसलमेर जिले के मजदूर मिलेंगे। नागौर जिले में हमारे बाड़मेर जिले के एक हजार मजदूर चले गये हैं। वहां क्या इतना भयंकर अकाल है कि इस बाड़मेर जिले के आदमी नागौर में कैसे मजदूरी कर रहे हैं? नागौर का कोई भी आदमी बाड़मेर में आज तक न तो गया है मजदूरी करने के लिए और न जा सकता है, कुदरती समस्या है, इसमें सरकार का कोई कसूर नहीं है। सरकार की जो नीति है उसमें भी मुझे पूरा विश्वास है कि गरीबों की हमदर्दी की जा रही है। मगर सरकार की नीति का जो अमल दरमाद करते हैं, उसमें जो धांधली और घोटाले हो रहे हैं रेगिस्तानी और बार्डर एरिया में, अभी जो पानी की जितनी स्कीमें सैंक्शन हुई हैं, जो भी गावों की स्कीमें सैंक्शन हुई है उनमें भी जवान औरत अपने गधे पर गरीब से गरीब परिवार की औरत घड़ा उठा कर बीस मील से बाहर जाती है, ऐसे किसी गांव की एक भी स्कीम सैंक्शन नहीं हुई है जहां लोग खारी वाले रहते हैं; और आराम से वक्त गुजारते हैं, ऐसे गांवों में करोड़ों रुपयों की स्कीमें सैंक्शन हुई हैं। आज से पहले हमारी कांग्रेस सरकार ने हमारे बाड़मेर जिले के अन्दर एक एक करोड़ रुपयों की एक एक स्कीम, जिस वक्त खेतसिंह जी इस महकमे के मिनिस्टर थे, सैंक्शन की हैं और जो कदीम गांव खाली होते थे वे गांव आज आबाद हुए हैं। मगर इस वर्ष बाड़मेर जिले में पानी की जो स्कीमें सैंक्शन हुई हैं उनसे

(श्री अमीन खां)
लोगों को मायूसी है, काफी लोगों का रहना दुश्वार हो गया है ।

श्री सभापति : समय हो रहा है, उसके लिए क्या करे ?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जावे ।

कई माननीय सदस्य : नो नो ।

श्री अमीन खां : बाड़मेर की जो हालत हैं, मेरे क्षेत्र में जो हालत है · ·

श्री सभापति : जब तक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तब तक के लिए समय बढ़ाया जा रहा है और उसके बाद में और सोचा जाएगा । आप आरम्भ करें ।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अमीन खां : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बाड़मेर जिले में, बाड़मेर, शिव जिसमें जैसलमेर के 84 गांव आते हैं, उसकी 60 किलोमीटर उधर लम्बी और 60 किलोमीटर इधर लम्बे एरिया में एक भी अकाल राहत कार्य नहीं खोला गया है और वहां वर्क्स नहीं चल रहे हैं । यहां आंकड़े बताए जाते हैं । दूसरी मैंने नई बात यह सुनी सभी बाड़मेर के विधायकों ने मिल कर सैक्रेटेरियट में मिल करके मालूम किया तो पता नहीं किसकी कमजोरी है, यहां जो सरकार में बैठे हुए हैं, हम भी सरकार के अंग हैं, जो हमारे मंत्री हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं । रिलीफ मिनिस्टर की सैंक्शन होने के बाद में भी फाईनेंस डिपार्टमेंट एक महीने से रिलीफ वर्क चालू करने की इजाजत नहीं दे रहा है । हमारे बीस बीस वर्क जिलाधीश बाड़मेर ने प्रस्ताव बना कर 21 जनवरी को भेजे हैं, वे सैक्रेटेरियेट में मौजूद हैं लेकिन अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं । ऐसी मजाक और धांधली या ढील तो शायद, एम. एल. ए. तो मैं पहली बार हुआ हूं लेकिन साधारण वर्कर के नाते भी, मैंने नहीं देखी । यह किस की ढील है, कानूनी क्या प्रक्रिया है, वह मैं अनपढ़ आदमी तो इतना नहीं सुझा सकता हूं, पढ़े लिखे अफसर सोचें-मगर जिलाधीश ने स्पेशल मैसेंजर के साथ तो तत्काल राहत कार्य खोल करके लोगों को भूख से बचाने के लिए जो इन्तजाम करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, वे एक महीने तक सिर्फ तकनीकी कारणों से अफसर उस फाइल पर स्वीकृति की लाइन नहीं खींच सकते हैं तो लोगों को भूख से बचाने की कोई गारण्टी नहीं है । आज कहते हैं कि लोग भूख से नहीं मर रहे हैं । इन्सान हर जगह रहते हैं । भूखे इन्सान को पड़ोसी इन्सान अपनी रोटी दे देंगे तो भी नहीं मरेंगे । मगर हालत गंभीर है । 60-60 किलोमीटर तक मजदूरी का नाम नहीं है तो लोग कैसे बचेंगे ? आज हमारे जिले में वहां से कई लोग गुजरात चले गये, अलवर चले गये; भरतपुर, जयपुर में चले गये । अकाल के बाबत सब सदस्य कहते हैं ।

सभापति महोदया, बाड़मेर जिले के हम वह इन्सान हैं, जहां दो बार भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ है । कई बार वहां गाँव खाली हुए हैं । अकाल के कारण कई बार दूसरे प्रान्तों में जाना पड़ता है । ऐसे राजस्थान में किसी जिले के लोगों को नहीं जाना पड़ता है । बाड़मेर और जैसलमेर की हालत विशेष रूप से रखी जाय । आज अलवर और नागौर में भी अकाल है ।

(श्री अमीन खां)

वहां कितनी फैक्ट्रियां हैं, वहां सरकारी नौकर कितने हैं, अन्य कितने प्रकार के धन्धे हैं। हमारे पास एक गाय, बकरी, भेड़ और खेती का धंधा नहीं है, ऊपर से बरसात नहीं पड़ी। तो कोई इलाज नहीं है। बाकी सब के पास इलाज है। इसलिये मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बताना चाहता हूं कि बाड़मेर और जैसलमेर को अकाल की विशेष परिस्थिति से जोड़ा जाय।

दूसरा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि टैंकरों के द्वारा लाखों रुपयों का खर्चा किया जा रहा है। मगर पानी की परमानेन्ट स्कीम के लिये कहते हैं कि बजट नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि जो टैंकर गांवों में भेजे जा रहे हैं, आज ही बन्द कर दें। बी. आई. के जो कुओं पर 40-40 रुपये देने चाहिये, यह सरपंच खा जायगा। इनको बन्द करदें। एक भी गांव में जितना राज्य सरकार कर सकती है, परमानेन्ट पानी का इन्तजाम करे ताकि सरकार को जिन्दगी भर याद रखें और अहसान माने।

दूसरा, यह बात मालूम हुई कि जिस गांवों की जनसंख्या ज्यादा है, पानी ऊपर मिल रहा है, ऐसे गांवों की स्कीम बनाने के लिये विलेजेज के फिगर्स बताते हैं। यह गरीबों के हमदर्द होने की नाती नहीं हैं, अगर गरीब इंसान को रहम दिल से देखें तो सबसे पहले उस इलाके में पानी की व्यवस्था करें और सारा बजट वहां खर्च करें। इसके लिये मैं सरकार को यहां तक कहता हूं कि चाहे फर्जी नोट छापने पड़ें, तो छापें। चाहे शराब खुले आम पीने दें। इसको चालू करके चौगुना टैक्स करके शराब के टैक्स के पैसे से पीने का पानी दिलावें। मैं वास्तव में मुसलमान हूं, कहता हूं, शराब पीना हराम समझता हूं तो भी मजबूर होकर कहता हूं यदि राज्य सरकार के पास धन नहीं है तो चालू करे, इस पर डबल टैक्स करके इसके पैसे से जो 20-20 मील जाते हैं उनको पानी दें। इसके लिये कई मरेंगे। एक दो मरेंगे तो लाखों बचेंगे वह आपको आशीष देंगे कोई मरने वाला है तो मरने दें, एक आदमी के मरने से लाखों को बचाना सरकार का इंसाफ होता है। इसलिये मेरा सुझाव है, अल्प-संख्यकों का जिक्र है वह अभिभाषण में जोड़ा जाय और बाड़मेर और जैसलमेर को विशेष नहीं मानते हैं, अकाल एक तरह का है उसको लिया जाय। बाड़मेर में 60-60 किलोमीटर तक वर्क नहीं है, उसका तत्काल इन्तजाम करें, नहीं तो वहां के लोग भूख से मर जायेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।

धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : कई माननीय सदस्य डिबेट में भाग लेना चाहते हैं उनकी हमने लिस्टें दी हैं। अगर इस तरह समय नहीं बढ़ायेंगे तो सभी को मौका नहीं मिल पायेगा अपनी बात को कह नहीं सकेंगे। यह आपके सोचने की बात है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि समय बढ़ाया जाना चाहिए। जिससे ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को भाग लेने का मौका मिलेगा। नहीं देना चाहें तो आपकी इच्छा।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रस्ताव तो करो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाय।

एक माननीय सदस्य : दो घण्टे बढ़ाओ।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि सदन की कार्यवाही का समय 6 बजे तक के लिये बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मेघराज तावड़

(अनुपस्थित)

श्री फतेहसिंह

(अनुपस्थित)

श्री माधवसिंह

(अनुपस्थित)

श्री महाराम

(अनुपस्थित)

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदया, जिनके नाम आपने पुकार लिये हैं उनको वापस मौका नहीं मिले। यह हमारे यहां पर परम्परा रही है।

श्री सभापति : मेरे पास तो इस समय सूची में किसी का नाम नहीं है। कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोलें।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : चौधरी हेमाराम का नाम है आपके पास।

(व्यवधान)

श्री सभापति : जो भी बोलना चाहें चौधरी हेमाराम, और भी नाम हों तो देवें।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह हो क्या रहा है, सभापति महोदया।

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर ··

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : नाम इसलिये बोल दिया गया, कोई नाम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : जरा पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, नियम यह है कि सदन में कोई भी माननीय सदस्य तब बोल सकते हैं तभी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, जब आप उनको पुकारें··

एक माननीय सदस्य : आप किस नियम के अनुसार निवेदन कर रहे हैं ?

श्री नाथूसिंह : आप नियम पढ़ते ही नहीं हैं तो आपको क्या पता। मैं बता रहा हूं।

श्री सभापति : पाइन्ट ऑफ आर्डर है, उनको कहने दें।

(श्री सभापति)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप आसन की ओर मुंह करके बात कहें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, ऐसे अवसर पर जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, उसमें पहले आपको नाम दिये जाते हैं, उसके बाद आसन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे तभी विचार प्रकट कर सकते हैं। लेकिन यह स्थिति दूसरी है। इस समय · · ·

श्री सभापति : यह सब जरूरी नहीं है।

श्री नाथूसिंह : इस समय किसी भी माननीय सदस्य का नाम नहीं है आपके पास।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरे पास 2-3 नाम और मिले हैं। हेमाराम चौधरी के साथ 2-3 नाम और हैं। और न भी हों तो भी समय बढ़ जाता है।

श्री नाथूसिंह : नहीं, नहीं। समय बढ़ाने का सवाल नहीं है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस समय आपके सामने कोई नाम नहीं है उस समय बाकी नाम पुकारें, उधर से कोई नाम नहीं आया · · ·

श्री सभापति : यह पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री हेमाराम जी बोलिये।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : 5–7 एक साथ खड़े हो जाएंगे, आप किसको पुकारेंगी।

श्री सभापति : यह पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। मैं जिसे ठीक समझूंगी, बुला लूंगी आप बैठियेगा। आसन को अधिकार है, किसे बुलाया जावे, स्थान ग्रहण करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर है। आपने कुछ माननीय सदस्यों के नाम लिये। उन्होंने बोलने की रजामंदी नहीं की। अभी आप बोल रहे हैं। आपने कहा कि कोई नाम नहीं है, इस स्थिति में माननीय सदस्य को बोलने के लिये कहा। मेरा निवेदन है कि बोलने वाले माननीय सदस्यों की सूची दी हुई है। हमारे दल की ओर से उस पर यदि आप विचार करतीं · · ·

श्री सभापति : मेरे पास सूची हेमाराम जी वगैरह तीन व्यक्तियों की है आप भी जो देंगे। एक घण्टे का समय बढ़ाया है, सबको समय दिया जायगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने जो नाम बताये हैं, इनको जो अनुमति दी है वह इसलिए दी है कि हमारे नाम आपके पास उपलब्ध नहीं हैं।

श्री सभापति : मेरे पास सब नाम उपलब्ध हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके दो मैम्बर पहले बोल चुके हैं। इसलिए माननीय सभापति महोदया ने उनको बोलने का मौका दिया था।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने फर्माया था कि और कोई नाम नहीं है।

श्री सभापति : अगर नाम नहीं है तो भी आपमें से जिसके नाम आयेंगे उसको बुला लिया जावेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : पहला अधिकार हमारा है · ·

श्री सभापति : इसमें अधिकार की बात नहीं है।

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। ऐसा कोई सवाल नहीं है ऐसा कोई क्रम नहीं है कि एक इधर का हो तो एक उधर का ही हो। 10 घण्टे कांग्रेस को दिये हैं कोई पहले बोल जाय तो उसमें कोई फर्क या अधिकार की बात नहीं है। मैं आपको भी मौका दूंगी आप कहेंगे तो टाइम को एक घंटा और बढ़ा देंगे।

श्री हेमाराम जी:

(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मेरे से पूर्व शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने अकाल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की, मैं भी उसी के बारे में माननीय अकाल राहत मंत्रीजी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह इस अकाल की गम्भीर समस्या की ओर विशेष ध्यान देकर के मनुष्य के जीवन को बचायें। यह एक समस्या अन्य सभी समस्याओं से महत्वपूर्ण समस्या है। विकास की बात उसके बाद की है। मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जिन्दा रहना सबसे पहली मूलभूत आवश्यकता है। आज ऐसी स्थिति बाड़मेर में हो गई है कि अकाल की जो अभी गति चल रही है उससे अगर लोगों की मदद नहीं की गई, तो इन्सान भूख से मर जायेगा फिर विकास किस काम आयेगा विकास किस बात का? सबसे पहले हम तो उसी में अपना विकास समझेंगे कि हमारे वहां जनता भूख से मर रही है उसको रोजगार देकर के जिन्दा रख दिया जावे तो वे वापस पैरों पर खड़े होकर भगवान की मेहरबानी हुई तो वापस सही स्थिति में आ सकेंगे।

सभापति महोदया, बाड़मेर जिले की अकाल की स्थिति इतनी गंभीर है कि राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर, राजस्थान के किसी भी अन्य जिले में ऐसी स्थिति नहीं है। अगर मेरी बात में फर्क हो तो सदन के अन्दर जितने सभी माननीय सदस्य बैठे हैं चाहे वे किसी भी पक्ष के हों वे हमारे क्षेत्र का दौरा करके बाड़मेर जिले की स्थिति का जायजा लें, उनकी आत्मा गवाही दे कि वहां ऐसी गम्भीर स्थिति है जैसी अन्य जिलों में नहीं है तो वह हमारी मदद करें। अभी सदन के सदस्य यह मान लें केवल इसको राजनैतिक रूप दिया जा रहा है तो भले ही सहायता न दी जाय लेकिन हम इसको राजनैतिक रंग नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि स्थिति ऐसी गम्भीर है, विशेष रूप से इस जिले को सहायता दी जाय। लोगों की हालत ऐसी है कि मैं किस तरह से बताऊं कि किस तरह से स्थिति गम्भीर है।

बाड़मेर जिले में हमारे वहां कई बार अकाल पड़ा है। सं. 2025 में भयंकर अकाल पड़ा। उसके बाद 2026 में भी अकाल पड़ा। जब से प्रजातंत्र शुरू हुआ, जब से आजादी हुई है उसके बाद बाड़मेर जिले में भयंकर अकाल 2029 में पड़ा था, उसके बाद गत वर्ष और इस वर्ष भी ये दो अकाल पड़े हैं।

सभापति महोदया, 2025 में अकाल पड़ा था उसके पूर्व सं. 2024 में हमारे बाड़मेर जिले में इतना अनाज हुआ था कि

(श्री हेमाराम चौधरी)

मण्डी में व्यापारी तो क्या सरकार भी उसको खरीद नहीं सकी। इतना अनाज था उसके बाद 2025 के अन्दर अकाल पड़ा उस समय सरकार ने 1.31 लाख मजदूर दिसम्बर के अन्दर लगाये और जून माह तक 1.78 लाख मजदूर लगाये। इस तरह से उस समय सरकार ने हमारी मदद की। उस समय राजस्थान सरकार के तत्कालीन मुख्य मंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया और अकाल राहत मंत्री परसराम जी मदेरणा थे जो मौके पर आये, समस्या को देखा और मौके पर ही फैसले किये। मोहनलालजी सुखाड़िया ने मौके पर ही घोषणा की और लोगों की मदद की। 2025 में अकाल पड़ा और 2026 में लगातार दूसरी बार अकाल पड़ा तो उन्होंने देखा खाली अकाल राहत कार्य ही काफी नहीं है तो उन्होंने लोगों को 10 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह देने की तत्काल वहां पर घोषणा की थी कि हम प्रति व्यक्ति को प्रति माह 10 रुपये आधा अनुदान और आधे ऋण के रूप में देंगे। फिर उन्होंने ढाई रुपये और बढ़ाये और साढ़े बारह रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति को आधा सहायता अनुदान और आधे ऋण के रूप में देना स्वीकार किया। इस तरह से हमारी मदद की।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : माननीय सदस्य, वह रुपये हमारे कहने पर बढ़ाये गये थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने मुझे याद दिलाया था कि बीच में बोलेंगे नहीं, आप व्यवधान कर रहे हैं।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : मैं सरकार के नियम को भंग नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उनकी इन्फार्मेशन के लिये बता रहा हूं, व्यवधान के लिये नहीं बोल रहा हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : तो 2025 में अकाल की स्थिति जो हमारे जिले की थी उससे आज की स्थिति पांच गुनी ज्यादा खराब है जब कि इस साल का जो अकाल है जब कि गत वर्ष भी पूरे जिले में अकाल था और उससे पहले तीसरे साल भी अकाल था और कहीं कहीं चार साल से लगातार बाड़मेर जिले में बागा क्षेत्र में अकाल पड़ रहा है। कई गांवों में 4 साल से एक भी अनाज का दाना पैदा नहीं हुआ हो, खेती के अलावा लोगों का दूसरा कोई धन्धा न हो उन लोगों की क्या हालत है यह तो मौके पर जाकर देख कर आवें, उन लोगों की स्थिति देखें तो ही मालूम हो सकता है।

इसलिये, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में लोगों के भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई है। एक महीने तक इन्सान भूखा रह सकता है उसकी मौत नहीं होगी लेकिन उसका स्वास्थ्य गिर जाता है क्योंकि 2–2, 3–3 दिन में खाना मिलता है। यह बात सही है। अगर यह बात सही नहीं है तो कतई हमारी मदद नहीं की जाय लेकिन आज लोग भूखे रहने की स्थिति में है। तो इस तरह की हमारी लोगों की स्थिति है। लोगों का स्वास्थ्य दिन–ब–दिन गिरता जा रहा है। अगर हमारी मदद नहीं की गई, राहत कार्य नहीं खोले गये, हमें किसी तरह की सहायता नहीं

(श्री हेमाराम चौधरी)

दी गई तो इन लोगों के जीवन-मरण का प्रश्न हो जायेगा और धीरे धीरे इन लोगों की मौत भी हो सकती है। तो इनकी मौत न हो इसका सरकार इन्तजाम करे इसलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह हमारे जिले की ओर ध्यान दें। हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके सामने पूरा हिन्दुस्तान है, को देश का ही नहीं, विदेशों का भी ख्याल रखना पड़ता है। उन्होंने भी अपना पूरा समय निकाल कर पूरे एक दिन बाड़मेर, जैसलमेर को दिया और अकाल राहत कार्य देखे, लोगों को सुना, लोगों की तकलीफों को सुना लेकिन मुझे बड़ा दुःख है कि हमारी राजस्थान सरकार ने अभी बाड़मेर जिले में आकर लोगों को सुनने की तकलीफ तक नहीं की है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार की प्रधान मंत्री हमारे वहां आ गई और फेमिन केन्द्र के लोगों की समस्या सुनी है उसके बाद जब प्रधान मंत्री हमारे वहां से आई तो हमारे वहां जो अकाल राहत कार्य खुला हुआ था उसकी व्यवस्था उस समय तो कर दी गई लेकिन प्रधान मंत्री के जाने के बाद उस पर ध्यान देना बन्द कर दिया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस तरह का जो हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इसको बन्द करके राज्य सरकार हमारी तरफ ध्यान दे। यह राजनैतिक रूप देने की बात नहीं है। हमारे जीवन-मरण का प्रश्न है, हम तो कहते हैं हमारे पूरे विकास बन्द कर दें लेकिन हमारे को रोटी दो। और हम क्या मांगते हैं अगर कुछ भी नहीं कर सको तो पांच आदमियों के बीच में एक आदमी को भी रोजगार दो, एक आदमी को ही अकाल राहत कार्य पर लगा दें, अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसके परिवार की क्या हालत होगी? हमारे वहां जिले में 20 हजार मजदूर लगाये थे लेकिन 2025 में दिसम्बर में 1.31 लाख मजदूर लगाये गये, यह आंकड़े बजट अभिभाषण में बताये गये हैं कि बाड़मेर जिले में केन्द्रीय सरकार की सहायता के बिना ही टैस्ट वर्क चालू कर दिये लेकिन उनसे हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। इससे तो और जहर फैला दिया है पांच आदमियों को लगावें तो हजार आदमियों में पांच आदमियों का सलेक्शन कैसे करें। आप अपनी तरफ से आदमी भेज कर लगावें। हम किस को रखें और किस को न रखें। वहां पर सभी को रोटी चाहिए। भूख की स्थिति है। चार साल से अकाल है। अमीर और गरीब की स्थिति एक जैसी है। किसी भी परिवार के घर में अनाज नहीं है। किसी भी परिवार के अन्दर एक पैसे की आमदनी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट फेमिन कमेटी में तय किया गया था कि किसी भी परिवार के अन्दर एक भी आदमी चाहे वह चपरासी है तो उसको रोजगार मत दीजिए लेकिन किसी के परिवार में एक भी आदमी कहीं पर भी रोजगार पर नहीं है तो उसकी क्या हालत है, यह आप सोच सकते हैं। चार साल से वह अकाल से जूझ रहा है। इस तरह की स्थिति है उस ओर सरकार ध्यान दे। एक जैसी सभी जिलों की स्थिति नहीं है परन्तु राजस्थान के सभी जिलों को अकालग्रस्त

(126)

(श्री हेमाराम चौधरी)

घोषित कर दिया गया है। बाड़मेर से जब मैं रवाना होता हूं और ज्यों ज्यों आगे आता हूं तो हरियाली नजर आती है। हमारे यहां पर हरियाली का नामोनिशान नहीं है। इस तरह की स्थिति है। कहीं भी कोई आदमी नहीं लगा सकते हैं। बाड़मेर जिले के लोग सभी जिलों में हैं। कई लोग मजदूरी पर गये हैं। बाहर के लोग कितने बाड़मेर में है? हमारे यहां के लोग जोधपुर में काम कर रहे हैं। लेकिन बाड़मेर जिले की जो स्थिति है वह गंभीर है और लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि यदि शीघ्र ही पांच सदस्यों में से एक आदमी को रोजगार नहीं दिया गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी हमारी होगी क्योंकि सरकार हमारी है। आज स्थिति यह हो गई है कि हम लोगों को मुंह नहीं दिखा सकते हैं। हम उनको क्या जवाब दें? हम क्या करें हमको यह सब सुनना पड़ता है ...

(व्यवधान)

शान्ति रखें।

इस तरह की हमारी स्थिति है इसलिए, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को यह निवेदन करूंगा कि वह इस ओर विशेष ध्यान दे और हमारी मदद करे।

मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो स्थिति बाड़मेर जिले की है, उसकी जानकारी हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को नहीं मिल रही है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि हमारे जिले की जो स्थिति है उसकी जानकारी हमारे देश की प्रधान मंत्री को दी जावे ताकि हमारी विशेष रूप से सहायता हो सके। बार बार निवेदन इसीलिए कर रहा हूं कि हमारे जिले की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। वहां की विशेष स्थिति है, गंभीर स्थिति है जैसी अन्य जिलों में नहीं है। हमारे यहां का पशुधन चारे के अभाव में मर चुका है। अकाल के डिस्कशन के समय मैं वहां की अकाल की स्थिति, समस्या को सामने रखूंगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव की बहस पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जो अकाल की स्थिति हमारे जिले की है उसमें अगर आप ध्यान दें तो उचित होगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सारी बातें आ गई हैं वे ठीक कही गयी हैं उसकी मैं प्रशंसा, सराहना करता हूं। अकाल के अन्दर हमारे जिले की विशेष मदद की जाए इसके लिए मैं पुनः सरकार से निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के नाम हैं। अन्त में श्रीमती उजला आरोड़ा का नाम है। महिला होने के नाते क्या उनको अवसर दिया जाए? अगर आप चाहें तो उनको मौका दें।

श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदया, सन् 1980 के चुनावों के समय कांग्रेस ने यह घोषणा की थी कि हम जनता को अच्छा राज्य देंगे, कानून और व्यवस्था को कायम रखेंगे, महंगाई को घटायेंगे, देश से गरीबी और बेरोजगारी को दूर करेंगे लेकिन पिछले 9-10 महीनों में जो कांग्रेस

(श्री हीरा लाल आर्य)
का शासन रहा है अपने प्रान्त का, उससे यह लगता है कि प्रान्त में न तो कहीं सरकार जैसी कोई चीज लग रही है न ही कहीं पर कानून और व्यवस्था नजर आती है। महंगाई आसमान को छू रही है। शक्कर, खाद्य तेल, मिर्च मसाले और दैनिक उपयोग की चीजों के भाव थम नहीं रहे हैं। जनता में बड़ा असन्तोष है। विकास कार्यक्रम ठप्प पड़े हैं और गांवों के लोगों में बेचैनी है। जब ये लोग गांवों में जाते हैं तो लोग पूछते हैं हमारे गांवों के जो विकास के काम थे, जो विकास की योजनायें थी, वह काम कहां गये। गांव वाले पूछते हैं फूड फार वर्क योजना के अन्तर्गत जो काम हुआ था वह क्यों नहीं हो रहा है। ग्राम पंचायत को मिलने वाला अनुदान समय पर नहीं मिल रहा है। बिलकुल नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायत पिछले एक साल से चुपचाप बैठी है। गांव का गरीब व्यक्ति, जिसको काम काम के बदले अनाज योजना में काम मिला था वह हाथ पर हाथ धरे बैठा है कि उसको काम मिलेगा। यह सरकार उन सब की जन भावनाओं के अनुसार काम करने में विफल रही है। आप सब को पता है कि पूरे प्रदेश में भयंकर अकाल है। अकाल की स्थिति से निपटने में यह सरकार इतनी उदासीन रही कि समय पर काम उपलब्ध कराना तो दूर रहा लेकिन केन्द्रीय सरकार को जहां से हमको अनुदान प्राप्त करना था, वह भी समय पर नहीं बताया। यह सरकार की घोर उदासीनता है। गांव के लोग अकाल के कारण गांव को छोड़ रहे हैं। कुओं का पानी सूख गया है। पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पशु चारे के अभाव में मर रहे हैं। सस्ते अनाज की दुकानें गांवों में नहीं खुल पाई हैं। गांव के लोग अकाल से भयभीत हैं, त्रस्त हैं। भूखों मरने की स्थिति है। आदिवासी और गरीब लोगों को अनाज के अभाव में पेड़ के तने खाने को बाध्य होना पड़ रहा है और सरकार में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि हमने अच्छा शासन दिया है। आज अकाल से किस तरह से लोग भयभीत हैं। किसी तरह का काम नहीं चलाया गया है। यह सरकार की विफलता है जबकि हम यह जानते हैं कि राजस्थान में हमेशा से ही अकाल पड़ते रहते हैं। अकाल की स्थिति पैदा होती है उसके पूर्व ही हमें तैयार होना चाहिए था। यह सरकार अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचाने में विफल रही है इससे गांव की जनता में बड़ा असन्तोष है। डीजल और बिजली के अभाव में किसानों की फसलें सूख गई हैं। सभी विकास के कार्यक्रम ठप्प पड़े हैं। ग्रामीण विकास का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो जनता सरकार के वक्त में काम के बदले अनाज योजना में प्रारम्भ किया गया था उससे गांव के लोगों को यह लगा था कि सबसे पहली बार कोई सरकार आई है जिसने कि गांवों की ओर ध्यान दिया है। आप सब जानते हैं कि यहां जिले में या प्रान्त में, केन्द्र में जो लोग बैठे हैं, वे यह नहीं जान सकते हैं कि गांव के लोगों की क्या दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं? उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए वहां की स्थानीय इकाई को मजबूत करना जरूरी था और इसीलिए जनता सरकार ने गांव की भावनाओं को समझ कर गांवों के विकास के लिए गांव की पंचायत को अधिक सक्षम बनाया था उनको काम करने का अधिकार दिया था फलस्वरूप गांवों में सड़कें

(श्री हीरालाल आर्य)

बनी थीं, पीने के पानी के लिये कुएं बने थे, स्कूल भवन बने थे, औषधालय भवन बने थे। गांव वालों ने क्या गलती की थी कि जो गांवों के विकास की इतनी बढ़िया योजना थी उसको इस सरकार ने बंद की है ? इससे गांवों मे बड़ा असंतोष है उसी असंतोष के कारण मेरे जो कांग्रेस के विधायक साथी हैं वे गांवों में जाते नहीं हैं। गांवों में कोई काम नहीं हो रहा है। इतनी अच्छी योजना को बंद किया जाना इस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप गांवों का विकास करना चाहते हैं तो गांवों में विकास कार्य पुनः प्रारम्भ करें और गांवों के विकास के लिये जो योजनायें बनायें उनमें पंचायतों को अधिकार दें। कांग्रेस सरकार कहती है कि हम गांवों का विकास कर रहे हैं लेकिन पहली बार हमने ग्राम पंचायतों को काम करने के लिये कोई काम दिया था, उनको ढाई रुपया प्रति व्यक्ति का अनुदान दिया था उसके माध्यम से वह पैसा गांव वालों को दिया था। हमें खेद है कि कांग्रेस सरकार के समय में पंचायतों को केवल मात्र पांच सौ रुपये अनुदान प्राप्त करने के लिये उनको चक्कर काटने पड़ते हैं, उनको प्रथम बार हमारे राज में अधिक पैसा मिला था। हम जब गांवों में जाते हैं तो गांव वाले पूछते हैं कि जो पैसा अनुदान का गांव वालों को पहले मिलता था वह अब क्यों नही मिल रहा है ? लेकिन कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। विकास के काम रुक गये हैं, ग्रामीण विकास की जो दूसरी योजनाएं थीं जैसे ग्रामीण विकास योजना, सीमान्त एवं लघु कृषक अभिकरण जिनसे गांव के लोगों का विकास हो रहा था, वे भी अब ठीक तरह से नहीं चल रही हैं।

गांव का जो गरीब किसान है जो गरीब आदमी है जो अनुदान लेने आता है अनुदान के नाम पर उनके साथ फ्राड किया जा रहा है, जो बैंकें अनुदान दे रही हैं विकास अधिकारी उन बैंकों से मिलकर जो ऋण प्राप्त करने आता है उन किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं। जो अनुदान स्वीकार किया जाता है वह समय पर नहीं मिलता है और कई किस्तों में मिलता है। कुओं के लिये अनुदान दिया, पूरा नहीं दिया जाता है और उसको ऋण लेने के लिये बैंकों के और पंचायत समितियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं लेकिन अनुदान व ऋण नहीं मिलता है। बैंक इस तरह की व्यवस्था कर रही है कि पहले फिक्स डिपाजिट का खाता खोलकर सारी रकम उसमें जमा करती है, यह गांव के गरीब आदमी के साथ खिलवाड़ है। जो आदमी कुएं के लिये अनुदान लेने आया है, ऋण लेने आया है, उस पैसे में से फिक्स डिपाजिट की राशि बैंक में जमा करना अन्याय है। जिसके पास पैसा नहीं है उसका फिक्स डिपाजिट का खाता क्यों खोला जा रहा है ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? उन गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन गरीबों के साथ, किसानों के साथ क्यों मखौल हो रहा है ? जो अनुदान मिला है जो ऋण मिला है उसमें से पैसे काटकर फिक्स डिपाजिट में रकम जमा

(श्री हीरालाल आर्य)

कराये जा रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? किसानों को इसका जवाब चाहिए, हमें इसका जवाब चाहिए। ऐसा मखौल किसानों के साथ हो रहा है। इस सरकार ने कहा था कि हम गांवों का विकास करेंगे, गरीबों का विकास करेंगे। जनता सरकार ने गांवों के गरीब लोगों के लिए अन्त्योदय योजना लागू की थी। अपने यहां पर गरीब बहुत अधिक हैं यह सब जानते हैं कि सभी गरीबों को एक साथ सहायता देकर ऊपर नहीं उठाया जा सकता है पर कोई एक मापदण्ड बनाकर ऐसा किया जा सकता है वही हमने किया। अन्त्योदय के माध्यम से प्रत्येक गांव से पांच-पांच, सात-सात, आठ-आठ आदमियों को चुना था और उनको ऋण दिया था, उपलब्ध कराया था, उनको जमीनें दी थीं, छोटे उद्योग लगवाये थे, पर इस सरकार ने इस अन्त्योदय योजना को बंद कर दिया जिसके माध्यम से गरीब को ऊंचा उठाना चाहते थे, जिसके माध्यम से गांव वालों ने अनुभव किया था कि कोई सरकार है। उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि गरीब बोल नहीं सकता है, पढ़ा लिखा नहीं है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता है, उनकी तो भावनाओं को समझकर ही उनकी दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। जनता सरकार ने पहली बार व्यवस्था करके उनको उठाने का प्रयास किया वह अन्त्योदय योजना के माध्यम से, जिस योजना को राजस्थान के बाद हिन्दुस्तान के और प्रदेशों ने भी स्वीकार किया और अपने यहां लागू किया था। वर्ल्ड बैंक टीम ने सराहना की और विदेशी लोगों ने आश्चर्य किया था और इस योजना की प्रशंसा की थी तो जिस योजना की सब लोग बड़ाई कर रहे थे और गरीब लोग संतोष कर रहे थे, गरीब लोगों को सहायता देकर उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा था उसको कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया उसके कारण क्या हैं ? गांव के किसान लोग जो बोल नहीं सकते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं उनको जवाब चाहिए। गांव में किसानों की जितनी समस्या है उनको दूर किया जाना आवश्यक है। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए जनता सरकार ने राजस्व अभियान चलाया था राज्य सरकार के मार्फत तहसीलदार और जिलाधीश, एस. डी. ओ. गांवों में जाते थे गांव के लोग इकट्ठे होते थे और जो लोग गांवों में रहते हैं उनकी समस्याओं को वहीं दूर किया जाता था। वह राजस्व अभियान पिछले एक साल से कहां गया ? किसान पूछता है, कहता है हमें नाम दर्ज कराना है, इन्तकाल दर्ज करवाने हैं हमारी भूमि को नपवाना है लेकिन पिछले एक साल से किसानों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। इधर बैठने वाले कहते हैं कि सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है।

इसके साथ ही किसान जिस जमीन पर वर्षों से काबिज था अब राज्य सरकार ने मेरे पीपल्दा क्षेत्र में वन विभाग को दे दिया है और उस जमीन पर से, जो ऐसी जमीन थी कि जिस जमीन पर किसान वर्षों से खेती करता आ रहा था, उसको हटा दिया गया है वह वहां वर्षों से काबिज था। आज आवश्यकता इस बात की थी कि इन सैंकड़ों किसानों को जो वर्षों से काबिज थे नियमन किया जाता। पट्टे दिये जाने चाहिए थे और जिनके पास पट्टे थे उनकी

(श्री हीरालाल आर्य)
खेती को अच्छा किया जाता। लेकिन जमीनों को राजस्व विभाग वालों ने वन विभाग को दे दिया पेड़ लगाने के लिये। मेरा पीपल्दा क्षेत्र सब ओर से नदियों से घिरा हुआ है वहां पर वनों के लिए बहुत जमीन है लेकिन राजस्व अधिकारियों ने जो किसान की जमीन थी, वह वन विभाग को दे दी और वहां का किसान परेशान है। अगर कुछ कहते हैं तो उनको डराया धमकाया जा रहा है, केस चलाया जा रहा है, सैंकड़ों किसान इस बात से बड़े परेशान हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। इसलिये सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जो किसानों की जमीन को वन विभाग ने लिया है उसको मुक्त कराकर उन किसानों को दिलाया जाय।

कृषि की दृष्टि से हमारे कोटा जिले में कैचमेंट का काम चल रहा है, जमीन लेवल की जा रही है, अच्छी बात है इसकी आवश्यकता भी है लेकिन कैचमेंट के नाम पर किसानों के साथ बड़ा मखौल हो रहा है। कैचमेंट में तीन तरह के काम किये जाते हैं एक तो लेवलिंग का, ड्रेनेज बनाने का और····

श्री सभापति : आप शार्ट कीजिये, दो-तीन माननीय सदस्य और बोल लेंगे।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदया, हम तो कभी-कभी बोलने वाले लोग हैं, हमें मौका दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : इस बारे में आप अपने व्हिप से कहिये, आपका नाम व्हिप से बार-बार लिखवा दीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : मैं यह निवेदन कर रहा था कि कैचमेन्ट में दो-तीन प्रकार का काम होता है उसमें ड्रेनेज का काम अलग से चलाया जाना चाहिये। उसका पैसा स्वयं सरकार खर्च कर रही है लेकिन इसका पैसा किसानों से वसूल किया जा रहा है, यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि कैचमेन्ट के नाम पर ड्रेनेज और दूसरे कामों का जो पैसा है, उन पर जो चार्ज लगता है उनसे किसानों को मुक्त कराया जाना चाहिये।

पेयजल की दृष्टि से निवेदन करूं कि हमारे प्रान्त में 24,037 गांव ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी का अभाव है। मेरे स्वयं के क्षेत्र में 50 गांव ऐसे हैं जहां पर पानी का अभाव है। कुछ स्थानों पर कुंए खोदे भी गये हैं लेकिन पानी उपलब्ध नहीं हुआ है। गांव वाले कहते हैं कि हमको पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाय लेकिन पिछले एक साल से एक जगह पर भी न कुएं खुदवाये गये और न हैण्ड पम्प लगाये गये, हैण्ड पम्प उन गांवों में लगवाये गये हैं जहां पहले से ही बहुत पानी है। उन गांवों में नहीं खुदवाये गये जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं वहां पर हैण्ड पम्प का कोई पता नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि उन स्थानों पर कुएं खुदवाये जायं और हैण्ड पम्प लगवाये जायं जहां पर पीने के पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उनको प्राथमिकता दी जाय।

विद्युत् और सिंचाई क्षेत्र की दृष्टि से पीपल्दा क्षेत्र में, मैं केवल अपने इलाके की बात करता हूं, वैसे पूरे प्रान्त में बिजली

(श्री हीरालाल आर्य)

का अभाव है, बिजली उपलब्ध नहीं हो सकती यह मैं मानता हूं, लेकिन बिजली के माध्यम से जो काम हो रहे थे वे भी नहीं हो रहे हैं। पीपल्दा क्षेत्र में पूर्ण विद्युतीकरण स्वीकृत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन पिछले दो तीन सालों में वहां के लिए कोई योजना नहीं बनी है। पहले और दूसरे साल में कोई काम नहीं हुआ। जबकि 100 गांवों का विद्युतीकरण हो जाना चाहिए था। इटावा और बयाना में सब-स्टेशन खुल जाने चाहिये थे और हमारे यहां जो बिजली है उसको बड़ी लाइन से जोड़ दिया जाना चाहिए लेकिन दूसरा वर्ष समाप्ति पर है और कुछ काम नहीं हो रहा है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बिजली का जहां तक सवाल है, यह सरकार बिलकुल असफल रही है। इसमें जल्दी की जानी चाहिये।

मैं चिकित्सा के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। बहुत ही संक्षेप में। मेरे क्षेत्र में कई जगह ऐसी हैं जहां न डाक्टर हैं और न नर्सेज हैं, न कम्पाउण्डर...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं यह निवेदन करूंगा कि...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें, माननीय सदस्य। समय बहुत कम है, दूसरे माननीय सदस्य को पूरा मौका नहीं मिलेगा उनका भी खयाल करें।

श्री हीरालाल आर्य : इस सरकार ने कहा कि हम महंगाई कम कर रहे हैं जबकि डीजल महंगा हो रहा है, बिजली की कीमतें बढ़ गईं, खाद्य तेलों के भाव आसमान छू रहे हैं और दूसरी सभी चीजें इतनी महंगी हो गईं।

एक माननीय सदस्य : यह तो जनता पार्टी की उपज है।

श्री हीरालाल आर्य : कानून और व्यवस्था...

श्री सभापति : मैं बार-बार निवेदन कर रही हूं और आप इसको लम्बा बढ़ाते जा रहे हैं...

श्री हीरालाल आर्य : प्रान्त में चोरियां हो रही हैं, डाके डाले जा रहे हैं, बलात्कार और हत्यायें हो रही हैं, पुलिस इसमें इनवाल्व्ड है, वह रक्षक नहीं भक्षक बन रही है, इस तरह की व्यवस्था है। गांवों में अकाल पड़ा हुआ है, शान्ति और व्यवस्था की स्थिति ठप्प पड़ी हुई है, महंगाई आसमान चूम रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सरकार कहती रही है, हम असफल रहे हैं।

श्री सभापति : आप मेरे निवेदन को ध्यान में रखिये।

श्री हीरालाल आर्य : अन्तिम पाइन्ट है। क्योंकि यह सरकार सभी क्षेत्रों में असफल रही है इसलिए मैं आपके माध्यम से, जो यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसको समर्थन देने में असमर्थ हूं।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद लड्ढा !

श्री रामप्रसाद लड्ढा (रूपवास) : सभापति महोदया, आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका मैं स्वागत करता हूँ। दूसरी बात यह है, सभापति महोदया, कि भारत के संविधान को भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, उनका जन्म 14 अप्रेल को हुआ था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 14 अप्रेल को पूरे राजस्थान में छुट्टी होनी चाहिये, यह मैं सुझाव के रूप में आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सभापति महोदया, 14 अप्रेल को एक ऐसे महान् नेता का जन्म हुआ था जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था, उसके आधार पर, उनकी नीतियों से मेरे जैसे छोटे आदमी को भी संविधान के अन्तर्गत एम. एल. ए. बनने का अवसर मिला और आज मैं विधान सभा में बैठा हूँ। इसलिए 14 अप्रेल की छुट्टी के लिए जल्दी से जल्दी राजस्थान सरकार को निर्णय लेना चाहिये क्योंकि 14 अप्रेल आने वाली है।

दूसरी बात, सभापति महोदया, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वह क्षेत्र ऐसा है, 32 साल सरकार का चुनाव होते हुए हो गये, लेकिन रूपवास का क्षेत्र ऐसा है जिसमें कुल 15 गांवों में बिजली है, रूपवास क्षेत्र में 4 कस्बे हैं, उनमें गांवों में बिजली नहीं है, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। बयाना ऐसा क्षेत्र है जहां आये दिन डकैतियां पड़ती हैं। उस क्षेत्र में सड़कों और बिजली की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि हमारे शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जो इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने और 35 महीनों तक काम करते रहे उनको नौकरी से निकाला जाता है जबकि 6 महीने के लिए नियम बना हुआ है इसलिये इसको भी रखा जाना चाहिये।

दूसरी बात, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, वह यह है कि हमारे भरतपुर डिवीजन में तीन सब-डिवीजन हैं रूपवास, बयाना वगैरह हैं। इन सब-डिवीजनों में कोई कालेज नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे यहां पर कालेज खोले जायं। इसके अलावा एक बात और जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि हमारा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग बहुत हैं यह लोग खान में काम करते हैं वैसे भी यह लोग बहुत गरीब हैं और खान में उन लोगों को पत्थर का काम करना पड़ता है। पत्थर का काम करते-करते उन लोगों की छाती पक जाती है, उन लोगों को टी.बी. की बीमारी हो जाती है। वहां पर अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं होने से बहुत से लोग टी.बी. की बीमारी से मर जाते हैं। उनके पास इलाज कराने के लिये पैसा होता नहीं और उन्हें टी.बी. की बीमारी से बिना इलाज के ही मरना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि रूपवास और बयाना में टी बी. अस्पताल खोलने की व्यवस्था की जाय। इसके अलावा दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि हमारे रूपवास और बयाना क्षेत्र में, जहां कि अनुसूचित जाति आदि के लोग बहुत हैं पत्थर का काम करते हैं वहां पर हथौड़ा सिस्टम लागू किया जाना चाहिये। आज

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

स्थिति यह है, सभापति महोदया, कि बड़े बड़े अमीर व रईस लोग पत्थर की खानों का ठेका लेते हैं वहां पर मजदूरों को रख लेते हैं और उन्हें मजदूरी बहुत ही कम देते हैं जिससे वहां के गरीबों का पालन नहीं हो सकता दूसरे जो खास काम करने वाले हैं है उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उनकी खून पसीने की कमाई को बड़े बड़े अमीर लोग खा जाते हैं। बेचारे गरीब शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को दो या तीन या चार रुपये रोज की मजदूरी देकर रवाना कर देते हैं। इसलिये सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि भरतपुर जिले में खास तौर से बयाना, रूपवास क्षेत्र में पत्थर की खानों में हथौड़ा सिस्टम लागू किया जाना चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बेचारे अनुसूचित जाति के लोग, जो वहां काम करते हैं, बहुत मात्रा में टी.बी. की बीमारी से मर जाते हैं उनकी गरीब विधवायें उन लोगों की मातायें और बहिनें व बाल-बच्चों के लिये सुविधा देने के लिये आप जल्दी से जल्दी योजनायें लागू करके उनकी व्यवस्था करें। वैसे पेन्शन तो सरकार देती ही है, पर उनको मुआवजा मिले ऐसी व्यवस्था भी हो। क्योंकि खान में लोग काम करते हैं तो टी.बी. हो जाती है और वह मर जाते हैं। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि रूपवास, बयाना क्षेत्र में जहां कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोग अधिक हैं, वहां पर समाज कल्याण विभाग द्वारा जो राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अनुसूचित जाति के लोगों को पढ़ने के लिये वजीफा दिया जायगा, वह अधिक से अधिक लोगों को मिले ऐसी व्यवस्था की जाय। इसके अलावा हमारी सरकार ने जो फैसला किया है उसके लिए, सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी अनुसूचित जातियों की बस्तियां, जो रूपवास और बयाना क्षेत्र में हैं वहां पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है इसके लिये मेरा निवेदन है कि बिजली की व्यवस्था जल्दी से जल्दी वहां पर करायी जाय। जल्दी से जल्दी तार लगवा कर यह व्यवस्था होनी चाहिये। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों की बस्तियों में जहां जहां पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर नल लगवा कर पानी की व्यवस्था कराने की कृपा करें। इतना ही कह कर मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में आया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 25 फरवरी मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प.5.55 बजे बुधवार दिनांक 25 फरवरी, 1981 के म.पू.11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

(134)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न 28 की सूची)

जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध रोगी शैयाओं का विवरण

क्र. सं.	जिला चिकित्सालय का नाम	उपलब्ध रोगी शैयाएं
1.	अजमेर मुख्यालय ब्यावर	150
2.	अलवर	332
3.	बांसवाड़ा	200
4.	बाड़मेर	100
5.	भरतपुर	300
6.	भीलवाड़ा	150
7.	बून्दी	100
8.	चित्तौड़गढ़ मुख्यालय प्रतापगढ़	121
9.	चूरू मुख्यालय रतनगढ़	100
10.	डूंगरपुर	150
11.	श्रीगंगानगर	300
12.	जैसलमेर	50
13.	जालोर	100
14.	झालावाड़	125
15.	झुन्झुनूं	100
16.	कोटा	500
17.	नागौर	50
18.	पाली	150
19.	सवाई माधोपुर मुख्यालय करौली	100
20.	सीकर	150
21.	सिरोही	100
22.	टोंक	100

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

निजी शिक्षण संस्थाओं में एकरूपता लाना

34. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के गत सत्र में यह आश्वासन दिया गया था कि निजी शिक्षण संस्थाओं (विशेषकर अनुदान प्राप्त) में शुल्क व पाठ्यक्रम संबंधी व्याप्त असमानता को दूर कर एकरूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है ?

(2) क्या इस आशय का भी आश्वासन दिया गया था कि कम वेतन देकर वास्तविक दीगर वेतन की प्राप्ति पर हस्ताक्षर कराने की गतिविधि पर नियंत्रण हेतु चैक प्रणाली लागू की जायेगी ?

(3) क्या सरकार इन संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस बारे में विचार किये जाने का आश्वासन दिया गया था।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

शेखावाटी क्षेत्र में कपास की खेती के प्रोत्साहन हेतु योजना

35. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शेखावाटी क्षेत्र में कपास की खेती का परीक्षण किया गया है, जो सफल रहा है ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र में कपास की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना बना रही है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय द्वारा कोई परीक्षण नहीं किया गया है किन्तु एक निजी संस्था पीरामल ट्रस्ट ने मिल्स फैडरेशन आफ इण्डिया के सहयोग से इस दिशा में कुछ कार्य किया है।

(2) इस दिशा में कुछ अनुसंधान कार्य किये जाने के उपरान्त ही बताया जा सकेगा।

राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा किराया वृद्धि का औचित्य

36. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य पथ परिवहन निगम किराये भाड़े में 25 प्रतिशत और वृद्धि करने की मन्शा रखती है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

(2) प्रशासन को चुस्त एवं लीकेज को रोक कर इसकी पूर्ति की जा सकती है अथवा नहीं ?

(3) अन्य राज्यों में किराये की वर्तमान दरें क्या हैं ? गुजरात-महाराष्ट्र के निगम लाभ में हैं या घाटे में एवं कितना

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कितना ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) निगम द्वारा किराये में वृद्धि की मांग समय समय पर होती रहती है। राज्य सरकार उस पर सम्यक् रूप से विचार कर आपत्तियां आमन्त्रित कर निर्णय लेती है।

(2) निगम प्रशासन को चुस्त एवं लीकेज को रोकने के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) अन्य राज्यों में किराये की वर्तमान दरों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

गुजरात एवं महाराष्ट्र परिवहन निगम निम्न प्रकार घाटे में है :—

वर्ष	घाटे की राशि
1978–79	2,40,48,424
1979–80	3,83,62 793
गुजरात परिवहन निगम	
1978–79	3,82,03,190
1979–80	5,40,05,158

अन्य राज्यों में प्रचलित किराये का ढांचा

क्र. सं.	राज्य	किराया प्रति कि. मी.	यात्री कर	दिनांक जब से प्रभावित	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा	5.50 पैसे	60%	17-8-80	—
2.	उत्तर प्रदेश	6.65 पैसे	16%	12-1-81	एक रुपये के टिकिट अथवा उसके ऊपर 10 पैसा सरचार्ज/यात्री कर पर बीमा कर एवं सरचार्ज 5% की दर से।
3.	मध्य प्रदेश	7.50 पैसे	—	26-7-80	1.2 पैसा प्रति कि. मी. प्रति सीट अतिरिक्त कर।
4.	आन्ध्र प्रदेश	6.00 पैसे	—	1-2-80	मार्ग की लम्बाई के आधार पर अलग से कर है।
5.	गुजरात	5.83 पैसे 25% यात्री कर सम्मिलित		15-4-79	2 स्टेज तक यात्रा पर 36 पैसे प्रति यात्री 6 कि. मी. के प्रति स्टेज अथवा उसके हिस्से पर परन्तु 3 कि. मी. के सब स्टेज अथवा उसके हिस्से पर। 7.5 पैसे और 2 स्टेज से अधिक यात्रा करने पर 6 कि. मी. के प्रति स्टेज और उसके

1	2	3	4	5	6
					हिस्से पर 30 पैसे परन्तु 3 कि. मी. के सब स्टेज और उसके हिस्से पर 15 पैसे प्रति यात्री। न्यूनतम किराया 35 पैसे।
6.	कर्नाटक	6.92 पैसे	—	25-6-80	यात्री कर मोटर वाहन कर में सम्मिलित कर दिया गया है और केवल मोटर वाहन कर वसूल किया जा रहा है। मोटर वाहन कर प्रति वर्ष निम्न है:— 640/— रुपये प्रति सीट 180/— रुपये प्रति स्टेण्डिंग
7.	महाराष्ट्र	6.00 पैसे 17.5% यात्री कर सम्मिलित	—	1-12-75	—
8.	राजस्थान	5.50 पैसे	25%	16-9-80	—

जयपुर शहर में चल रही सिटी बसेज

37. श्री रामसिंह बिश्नोई (लूनी) :
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा):
श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) :

क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) परिवहन निगम की कितनी सिटी बसेज जयपुर शहर में चल रही हैं ? निगम की बसें शुरू होने से लेकर आज दिन तक कितना घाटा इन बसों से निगम को उठाना पड़ा है ?

(2) क्या राज्य सरकार के पास निगम को घाटे से बचाने के लिये तथा यात्रियों की सुविधा बढाने हेतु कोई योजना विचाराधीन है ?

(3) अन्य शहरों की तरह जयपुर में भी यह काम निजी वाहनों को देने में सरकार को क्या परेशानी है ?

उत्तर

(1) राजस्थान सड़क परिवहन निगम की 117 बसें जयपुर शहर में दैनिक संचालन हेतु आवंटित हैं।

वर्ष 1972—73 से माह सितम्बर, 1980 की अवधि तक निगम को 302.00 लाख रुपये का घाटा सिटी बसों से हुआ है।

(2) निजी वाहनों को परमिट दिये जा रहे हैं ताकि वे अपने वाहन चला कर अधिक सेवा प्रदान करें।

(3) कोई कठिनाई नहीं है।

नारी शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु नये विद्यालय खोलना

39. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने इस वर्ष कुछ नये माध्यमिक व उच्च माध्य-

(श्री माधवसिंह दीवान)
मिक विद्यालय खोले हैं ? यदि हां, तो कृपया उनकी सूची जिलेवार सदन के पटल पर रखें।

(2) इन स्कूलों को खोलने का क्या मापदण्ड रहा है ?

(3) कुल खोले गये स्कूलों में से कितने प्रतिशत कन्याओं के लिये खोले गये हैं ? कन्या पाठशालाओं की अपर्याप्तता को देखते हुए और नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) स्थान विशेष की आवश्यकता जनता की मांग तथा उपलब्ध वित्तीय साधनों को ध्यान में रखकर विद्यालय खोले गए हैं।

(3) इस वर्ष 5% कन्याओं के माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं।

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्राओं से जिनके अभिभावक आयकर नहीं देते कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता। छात्राओं के स्कूलों के लिए राज्य सरकार न्यूनतम छात्रा संख्या में भी शिथिलन करती है।

वर्ष 1980–81 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालयों स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों की जिलेवार सूची :—

1. जिला–अलवर

1. जोलायचावला
2. जिन्दौली
3. टपूकड़ा (कन्या)
4. बरखेड़ा
5. साहगेली (रामगढ़)
6. नोचूघाना
7. बाराभडकोल
8. किशोरी
9. दौसोद (बहरोड़ जनसहयोग)
10. बधेरी कलां (अलवर)
11. दरबारपुर (अलवर)
12. मालखेड़ा (कन्या)
13. मतलवास

2. जिला–अजमेर

1. किशनगढ़ (अजमेर)
2. धूधरी (अजमेर)
3. बराखंड (ब्यावर)
4. मनोहरपुरा (भिनाय)
5. रामगढ़ (मसूदा)
6. माखुपुरा (अजमेर)
7. केन्ट एरिया (नसीराबाद)
8. बीसुन्धनी (अजमेर)
9. तवीजी (अजमेर)
10. सिंगावल (अजमेर)
11. खोमपुरा (मसूदा)
12. ढसूक (अराई)

3. जिला–जयपुर

1. बांसा (जयपुर)
2. जालस (जयपुर)
3. खातीपुरा (जयपुर)
4. मूंड्यागढ़ (जयपुर)
5. बागावास (जयपुर) अहीरान
6. दरबार (जयपुर)

7. सावा (वैराठ)
8. टसकोला (कोटपूतली)
9. लालगढ़ (वस्सी)
10. खोरा (लाडखानी जयपुर)
11. साली (दूदू)
12. डाबिच
13. नोनपुरा
14. ढिगारिया भीम (वांदीकुई)
15. भरवा (दूदू)
16. पहाड़गंज
17. महेशरा कलां
18. वेजूपाड़ा (वांदीकुई)
19. डिडावता (फागी)
20. रूडल (आमेर)
21. भोटवाड़ा (कन्या)
22. भण्डारी (सिकराय)
23. पाचूडाला (कोटपूतली)
24. गरुडवासी (चाकसू)
25. ढिगारिया (दौसा)
26. कलावास (दौसा)

4. जिला–भरतपुर

1. इब्राहीमपुर
2. छोकरवाड़ा
3. कलसाडा
4. बदरीका
5. सिटी कोतवाली (धौलपुर)
6. उमरेह
7. वूडली (नगर)
8. कोसोट (डीग)
9. महाराजसर (कुम्हेर)
10. कवई (नदवई)
11. आदर्श डीग
12. सोगर
13. नावली
14. वोरोधा (धौलपुर)
15. सिरस (वैर)
16. ऊनापुर (वैर)
17. सलेमखुर्द
18. रणधीरगढ़
19. सरानी खेड़ा (धौलपुर)
20. बरेहमोरी (धौलपुर)
21. जसुपुरा (राजाखेड़ा)
22. समराय (बैर)
23. सलेमपुर कलां (बैर)
24. नोथा
25. केतरी (धौलपुर)
26. पपरेरा
27. वोरमपुरा (वयाना)
28. उच्चैन (कन्या) (भरतपुर)
29. वसेडी (कन्या)
30. नगलातला (रूपवास)
31. लहचोरा कलां (वयाना)

5. जिला–बीकानेर

1. सोनगिरी कुआ (कन्या)
2. वज्जू (कोलायत)
3. मेनसर
4. रामसर (लूणकरणसर)

6. जिला–चूरू

1. रिडी
2. शोभासर
3. टिडियासर
4. सेजूसर
5. चनगोई
6. नोरंगपुरा
7. भीथड़ा (तारानगर)
8. महरी

7. जिला—श्रीगंगानगर

1. जोगीवाला
2. दीपलाना
3. कूलचन्द
4. मोरजन्ड खारी
5. शुगर मिल एरिया
6. मलकाना कलां
7. 4 जे.जे. (करणपुर)
8. 25 एन.पी. (रायसिंहनगर)
9. सूरावाली
10. लीलावाली (हनुमानगढ़)
11. वीरमाना (सूरतगढ़)
12. समेजा (रायसिंहनगर)
13. नीरवाना (सूरतगढ़)
14. सरदासपुरा भीका (सूरतगढ़)

8. जिला—सीकर

1. बढोट
2. पाटोदा
3. फागलवा
4. जोरावरनगर
5. होद
6. हसामपुर
7. गोवटी
8. अल्पसर
9. नवीपुरा

9. जिला—झुन्झुनू

1. भोजनगर
2. बधेरा
3. मंडावा
4. पापड़ा (उदयपुरवाटी)
5. मडूदा कलां (झुन्झुनू)
6. कूली खुर्द (कूलोठ खुर्द)
7. बरसरी का बांस
8. कासिमपुरा
9. लादूसर
10. मेहरादासी
11. बीजूसर
12. महिपाल बास
13. छावसरी (गुडा)

10. जिला—जोधपुर

1. खिजखिास
2. मोहल्ला कस्बा (कन्या)
3. कालीबेरी (सूरसागर)
4. लूणवास
5. तिलवासनी
6. अरटिया कलां
7. बीजवाविडया नं. 2
8. खारा
9. महामंदिर

11. जिला—बाड़मेर

1. हीरा की ढाणी
2. हूडों की ढाणी
3. छोट
4. बावड़ी कलां
5. समदडी (कन्या)
6. रामसर (शिव)

12. जिला—जालौर

1. कोडका
2. जूनीवाल
3. चांदराई
4. नं. 1 जालौर
5. आहोर (कन्या)

13. जिला—सिरोही

1. बरलूट
2. नितोड़ा
3. दांतराई
4. सिलधर
5. कोजरा

14. जिला—पाली

1. लाम्बिया
2. बोलावास
3. सिरोयारी
4. दादोई
5. खुड़ाला
6. बावली (सुरेरपुर)
7. गुढ़ावीजा (सोजत)

15. जिला—नागौर

1. खियाली
2. शंखवास
3. रानीगांव (मकराना)
4. लादड़िया (डीडवाना)
5. बिखरनियांकला
6. भखरी
7. गुढासाल्ट
8. गूलर (परबतसर)
9. जालसूनानक (डेगाना)
10. गागंवा

16. जिला—कोटा

1. देसरी
2. छावनी पुरानी
3. सुमेरगंजमंडी
4. मोरपा (दीगोद)
5. कमोल
6. फलिया (छबड़ा)

17. जिला—बूंदी

1. थाणा
2. अन्थडा
3. वामनगांव
4. समिधि

18. जिला—झालावाड़

1. जावरगांव
2. दांता
3. सोजपुर

19. जिला—टोंक

1. धाड (उनियारा)
2. पनवाड़
3. रानोली
4. दसवास

20. जिला—सवाई माधोपुर

1. कोटा (माहोली)
2. छीपकापुरा
3. बालोती
4. भोपरबहादुरपुर
5. पावडेरा
6. भेडोली (बोलो)
7. मीनाबड़ोदा
8. खेरलीगुजर
9. तालचिड़ी
10. साथा (महुआ)
11. जटवाड़ाकलां
12. टोकसी
13. सारसोप
14. बिछोछ

21. जिला—उदयपुर

1. झलारा

2. दरोली
3. संकरोदा (मावली)
4. पीपली आचार्यान
5. सेमल
6. शेरिया (सलूम्बर)
7. शोशारमा
8. पाटिया
9. लाम्बोड़ी
10. क्वाथल
11. पाछमता
12. खेमली (मावली)
13. खाकड़ (फलासियां)
14. घायला (नाथद्वारा)
15. भोराईपाल
16. धानमंडी (कन्या)
17. काबरा (रेलमगरा)
18. आयड (कन्या)
19. भटियानीचोहट्टा
20. भोमड़ी

22. जिला–बांसवाड़ा

1. देवदा
2. मोडासेल (घाटोल)
3. सलोपाट (बागीदोरा)
4. चिड़ियावास
5. घाटोल (कन्या)
6. तामेसरा

23. जिला–डूंगरपुर

1. घाटा का गांव
2. कराबाड़ा
3. तामड़ी
4. मूजपुर
5. पुराता
6. झलोप (सीमलवाडा)

24. जिला–भीलवाड़ा

1. चांदरास
2. जोजवा
3. ईटडा (जहाजपुर)
4. सांगरिया
5. कवालियांस
6. चैनपुरा
7. नाहरी
8. बड़ा महुआ
9. चांदजी का खेड़ा
10. टीकड़ (जहाजपुर)

25. जिला–चित्तौड़गढ़

1. चेची
2. रूंध
3. धयाना
4. अरिणियापथ
5. लसड़ावन
6. देलवास
7. डिन्डोली (गंगरार)

उच्च. माध्यमिक विद्यालय

1. रा.उ.मा.वि. शिवगंज सिरोही
2. रामाउवि अणु शक्ति रावत भाटा, चित्तौड़गढ़

बिलाड़ा नगर में बालिका माध्यमिक पाठशाला खोलना

40. श्री रामनारायण डूंडी (विलाड़ा): श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा): श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या

(श्री रामनारायण डूडी)

शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर जिले में कितनी बालिका माध्यमिक पाठशालाएं सन् 1980 में खोली गयीं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बिलाड़ा नगरपालिका, जिसकी जनसंख्या 25 हजार है, में पर्याप्त स्कूल भवन बना हुआ है और जनता द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी माध्यमिक पाठशाला न खोलने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस वर्ष इस स्कूल को क्रमोन्नत करेगी ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में 1980 में केवल एक बालिका माध्यमिक विद्यालय (मोहल्ला बम्बा) में खोली गयी है।

(2) उपलब्ध वित्तीय साधनों की सीमा को ध्यान में रखकर विद्यालय खोले गये हैं। इस वर्ष अब कोई नया विद्यालय क्रमोन्नत करने का विचार नहीं है।

अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राजस्थान वित्त निगम से बसेज उपलब्ध कराना

41. **श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को राजस्थान वित्त-निगम से ऋण उपलब्ध कराकर बसेज दी गयी हैं ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को ऋण मिला है ? कृपया सूची पते व विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस सुविधा से अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को भी इसी प्रकार की योजना द्वारा लाभान्वित किये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों हेतु बनाई गई योजना की रूप रेखा की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

राजस्थान वित्त निगम

अनुसूचित जातियों के बेरोजगार व्यक्तियों के लिये केवल 15 हजार रु. में बस

1. अनुसूचित जातियों के बेरोजगार व्यक्तियों तो लाभप्रद रोजगार दिलाने हेतु राजस्थान रोडवेज में बस चलाने के लिये 9 फरवरी, 1981 तक प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. प्रत्येक प्रार्थना-पत्र अनुसूचित जातियों के दो बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से दिया जायगा। ये दोनों व्यक्ति अनुसूचित जाति के अलग अलग परिवारों के होने चाहिये। जिनमें से एक के पास बस चलाने का वैध लाईसेन्स होना चाहिये।

(१४४)

3. राजस्थान वित्त निगम बस की कीमत (करीब 2.50 लाख रुपये) का 90 प्रतिशत ऋण देगा और 10,000 रु. अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम से दिलवाये जायेंगे ।

4. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम इन बसों को राजस्थान वित्त निगम के मार्फत करीब 4 वर्ष के लिये अनुबन्ध पर लेगा । चैसिस परिवहन निगम के कोटा से उपलब्ध कराये जायेंगे ।

5. वित्त निगम द्वारा दी गई ऋण राशि पर ब्याज नियमानुसार जो वर्तमान में 13½ प्रतिशत वार्षिक है देय होगा ।

6. अनुसूचित जातियों के इच्छुक व्यक्ति संयुक्त रूप से निर्धारित प्रपत्र में 5000 रु. के डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ राजस्थान वित्त निगम के मुख्यालय अथवा निगम के अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, श्री गंगानगर सीकर, टौंक, उदयपुर, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर तथा जयपुर शाखा कार्यालयों में से किसी भी एक पर आवेदन करें ।

उपरोक्त राशि किसी कारणवश उपलब्ध न होने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटा दी जायेगी ।

राजस्थान वित्त निगम

अनुसूचित जन जातियों के बेरोजगार व्यक्तियों के लिए केवल 25 हजार रु. में बस

1. अनुसूचित जन जातियों के बेरोजगार व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार दिलाने हेतु राजस्थान रोडवेज में बस चलाने के लिये दिनांक 22 फरवरी, 1981 तक प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

2. प्रत्येक प्रार्थना-पत्र अनुसूचित जन जातियों के दो बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से दिया जायगा । ये दोनों व्यक्ति अनुसूचित जन जाति के अलग अलग परिवारों के होने चाहिये । जिनमें से एक के पास बस चलाने का वैध लाइसेन्स होना चाहिए ।

3. राजस्थान वित्त निगम बस की कीमत (करीब 2.50 लाख रुपये) का 90 प्रतिशत ऋण देगा और बाकी धन राशि प्रार्थियों को लगानी होगी ।

4. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम इन बसों को राजस्थान वित्त निगम के मार्फत करीब 4 वर्ष के लिये अनुबन्ध पर लेगा । चैसिस परिवहन निगम के कोटा में से उपलब्ध कराये जायेंगे ।

5. वित्त निगम द्वारा दी गई ऋण राशि पर ब्याज नियमानुसार जो वर्तमान में 13.5 प्रतिशत वार्षिक है देय होगा ।

6. अनुसूचित जन जातियों के इच्छुक व्यक्ति संयुक्त रूप से निर्धारित प्रपत्र में 5000 हजार रुपये के डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ राजस्थान वित्त निगम के मुख्यालय अथवा निगम के अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जिला उद्योग केन्द्र जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर सीकर, टौंक, उदयपुर, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर तथा जयपुर शाखा कार्यालयों

में से किसी भी एक पर आवेदन करें। उपरोक्त राशि किसी भी कारण से बस उपलब्ध न होने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटा दी जाएगी।

बयाना में राज्य पथ परिवहन का डिपो खोलना

43. श्री जगन सिंह (बयाना): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भरतपुर जिले में राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसेज चल रही हैं ?

(2) यात्रियों की संख्या व कठिनाई को देखते हुए बयाना में राज्य सरकार राज्य पथ परिवहन निगम का सब-डिपो खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में परिवहन निगम के विभिन्न आगारों द्वारा कुल 400 वाहन सेवायें संचालन हेतु निर्धारित हैं।

(2) वर्तमान में बयाना में उप आगार खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पशुपालन विभाग के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

44. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि पशुपालन विभाग में वर्ष 1974 में निर्मित नियमों को अभी तक पूर्णरूप से क्रियान्वित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नियमों के तहत अधिकारियों की वरिष्ठता सूची बनाली गयी थी ? यदि हां, तो फिर उस सूची में वर्ष 1978 एवं 1979 में बार-बार क्यों परिवर्तन किया गया ? क्या ऐसी तीन सूचियां बनी हुई हैं ?

(3) क्या यह सही है कि पशुपालन विभाग के करीब 95% अधिकारियों ने उक्त नियमों को रद्द कर एक ही पुरानी वरिष्ठता सूची रखने हेतु निवेदन किया था ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। वर्ष 1978 में कोई परिवर्तित सूची जारी नहीं की गई, किन्तु सन् 1979 में परिवर्तित वरिष्ठता सूची जारी की गई थी।

(3) जी हां। कुछ अधिकारियों ने नये नियमों के अन्तर्गत बनी वरिष्ठता सूची के खिलाफ प्रतिवेदन दिया था।

जालौर जिले के लिये चारे की व्यवस्था

45. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले में इस वर्ष सूखे की भयंकर स्थिति है ? यदि हां, तो 31 जनवरी, 1981 तक जालौर जिले में कुल कितने मजदूर राहत कार्यों पर लगाये गये ? क्या मजदूरों की यह संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इस संख्या में कब तक वृद्धि कर दी जायेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिले में इस वर्ष सूखे के कारण चारे की भयंकर कमी थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार की ओर से कितने क्विण्टल चारा उपलब्ध कराया गया एवं उसके वितरण की क्या व्यवस्था की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जालौर में अकाल राहत कार्यों पर 31 जनवरी, 81 तक कुल 7029 श्रमिक राहत कार्यों पर लगे हुए थे। राज्य सरकार ने मजदूरों की जिलों की उच्चतम सीमा निरस्त करदी है। अतः मजदूर और आने पर संख्या स्वतः ही बढ़ जावेगी।

(2) सम्वत् 2036 की अभाव स्थिति के कारण जिला जालौर में चारे की कमी को देखते हुए 5000 क्विण्टल घास वन विभाग को आवंटित किया गया था। जिसके वितरण की व्यवस्था का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

विवरण

वन विभाग के घास के एकत्रीकरण पर व्यय एवं गांठे बांधने का व्यय मिला कर 23/–रु. तक आता है तो विक्रय 23/–रु. प्रति क्विण्टल की दर से कराया जावे। यदि गांठे बांधने का व्यय 7/–रु. प्रति क्विण्टल पृथक् से व्यय किया गया तो घास को विक्रय 30/–रु. प्रति क्विण्टल की दर से कराने के निर्देश जिलाधीश को दिये गये थे और घास का विक्रय वन विभाग के माध्यम से ही कराये जाने के निर्देश दिये थे।

गेहूं के कोटे का आवंटन

46. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गेहूं का कोटा केन्द्र से समय-समय पर राज्य सरकार को अन्य प्रान्तों के समान मिलता है ? यदि हां, तो जून, 1980 से आज तक कितनी मात्रा मैट्रिक टन गेहूं प्राप्त हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सस्ते अनाज की दुकानों से अब नगर क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी गेहूं का राशन देना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि दिया गया है, तो किस-किस जिले को कितनी-कितनी मात्रा में ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह अप्रेल, 1980 तक राज्य को गेहूं का कोटा पर्याप्त मात्रा में मिलता था उसके पश्चात् कई ऐसे प्रान्त थे जो गेहूं उपभोक्ता नहीं हैं से भी कम गेहूं का आवंटन राजस्थान को प्राप्त हो रहा है। जून, 1980 से आज तक प्राप्त गेहूं के आवंटन की सूची सदन की मेज पर प्रेषित है।

(2) उपलब्धि के आधार पर सस्ते अनाज की दुकानों को नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। जिलेवार दी गई मात्रा की सूची सदन की मेज पर प्रेषित है।

सूची

(मात्रा टनों में)

क्रमांक	नाम माह	आवंटित गेहूं की मात्रा
1.	जून, 1980	40,000
2.	जुलाई, 1980	40,000
3.	अगस्त, 1980	20,000
4.	सितम्बर, 1980	20,000
5.	अक्टूबर, 1980	5,000
6.	नवम्बर, 1980	6,000
7.	दिसम्बर, 1980	6,000
8.	जनवरी, 1981	6,000
9.	फरवरी, 1981	10,000

भाग—2 की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	जून 80	जुलाई 80	अगस्त 80	सितम्बर 80	अक्टूबर 80	नवम्बर 80	दिसम्बर 80	जनवरी 81	फरवरी 81
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	2000	1200	800	900	100	450	300	400	1000
2.	अलवर	500	100	50	30	20	20	50	50	50
3.	बाड़मेर	2000	2000	1000	1210	550	600	600	600	700
4.	बून्दी	300	300	350	200	20	20	20	20	50
5.	बांसवाड़ा	700	1000	500	300	100	60	50	50	250
6.	भरतपुर	700	300	50	30	15	15	50	50	50
7.	भीलवाड़ा	500	500	100	100	15	15	50	50	500
8.	बीकानेर	2000	2000	1000	1200	200	200	200	250	450
9.	चूरू	1500	1500	700	600	15	60	75	50	200
10.	चित्तौड़गढ़	300	300	200	80	15	30	50	50	100
11.	डूंगरपुर	500	500	500	420	100	100	100	90	150
12.	गंगानगर	800	500	50	30	15	15	50	40	50
13.	जयपुर	5000	400	600	1000	300	320	400	300	1000
14.	जोधपुर	3000	4000	3000	3000	800	800	800	750	1000
15.	जैसलमेर	2000	2500	2000	1600	750	750	800	750	750
16.	जालौर	1200	1200	250	400	125	125	145	125	250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	झुन्झुनूं	1500	2000	50	700	30	45	100	90	150
18.	झालावाड़	1000	1000	800	500	150	150	150	130	200
19.	कोटा	2000	1500	950	950	80	100	100	90	300
20.	नागौर	1000	1000	800	600	50	50	50	50	160
21.	पाली	1000	1000	1000	850	300	300	300	300	600
22.	सीकर	1500	1500	600	1100	100	100	100	90	150
23.	सवाई माधोपुर	400	300	250	150	15	60	60	50	100
24.	सिरोही	800	1000	1000	800	400	400	400	400	400
25.	टौंक	800	500	200	200	15	150	200	234.6	400
26.	उदयपुर	3500	3300	1500	2200	720	824.6	800	700	1000

भूमि विकास निगम अधिनियम

47. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या भूमि विकास निगम अधिनियम में ए. डी. एम. (सी. ए. डी.) के भूमि के अलॉटमेन्ट से अप्रसन्न होने पर किसान को अपील करने का अधिकार है ?

(2) क्या उक्त अधिनियम में अपीलेट कोर्ट का भी प्रावधान है ?

(3) यदि हां, तो क्या यह न्यायालय अस्तित्व में है ?

उत्तर

(1) कृषकों को अपील प्राधिकरण में अपील करने का अधिकार है।

(2) जी हां।

(3) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र हेतु दिनांक 10 जुलाई, 1980 से अपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित है। चम्बल परियोजना क्षेत्र में अभी तक न्यायालय नहीं बन पाया है। इसे बनाने की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है।

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 26 की सूची)
अजमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. अजमेर
फर्नीचर सूची

क्रमांक	नाम फर्नीचर	दिनांक क्रय	क्रय किए जाने का औचित्य
1.	आलमारी–9	15–9–80	दो कांच के वुक सेल दवाइयों की रात्रि ब्रांच के लिये। दो अपना बाजार के हाल में नये काउन्टर खोलने के लिए। दो स्टोर में कीमती स्टेशनरी रखने के लिए। एक टाइपिस्ट के लिए। दो अकाउन्टेंट एवं स्टोर कीपर के पास रिकार्ड रखने के लिए।
2.	कुर्सियां–19	15–9–80	6 कुर्सियां गैस गोदाम के स्टाफ के लिए। 10 कुर्सियां अपना बाजार के कार्यालय के लिए। 3 कुर्सियां दवाइयों की दुकान के लिए।
3.	लोहे की टेवल–4	17–9–80 व 12–11–80	चार लोहे की टेबल पर काउन्टर वढ़ा कर सामान लगाने के लिए।
4.	स्टूल बड़े–4	,, ,, ,,	लोहे के चार स्टूल काउन्टर हाल में सामान लगाने के लिए।
5.	बैंच–1	17–9–80	कपड़ा काउन्टर के आगे ग्राहकों के बैठने के लिए।
6.	रेक्स–19	17–9–80, 26–9–80 व 2–12–80	नये काउन्टर बनाए गए हैं उन पर सामान रखने एवं मोबाइल विक्रय केन्द्रों की व्यवस्था के लिए।
7.	स्टूल–1	17–9–80	काउन्टरों पर से सामान उतारने के लिए।
8.	मोटर साईकल	22–9–80	ग्रामीण उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत समितियों को माल सप्लाई एवं बकाया राशि की वसूली और गैस गोदाम व मेडिकल गुड्स की निगरानी हेतु एवं अन्य विभागों से सम्पर्क बनाये रखने व माल सप्लाई एवं बिक्री की राशि की वसूली के लिए।

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 29 की सूची)

परिशिष्ट (1)

क्र. सं.	आगार का नाम	आगार कार्यशाला का नाम	संभाग कार्यशाला	केन्द्रीय कार्यशाला
1	2	3	4	5
1.	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर	–
2.	आबूरोड	आबूरोड़	–	–
3.	सिरोही	सिरोही	–	–
4.	बाड़मेर	बाड़मेर	–	–
5.	जालौर	जालौर	–	–
6.	फलौदी	फलौदी	–	–
7.	बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर	–
8.	सरदारशहर	सरदारशहर	–	–
9.	गंगानगर	गंगानगर	–	–
10.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	–	–
11.	अजमेर	अजमेर	अजमेर	अजमेर
12.	ब्यावर	ब्यावर	–	–
13.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	–	–
14.	नागौर	नागौर	–	–
15.	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	–
16.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	–	–
17.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	–	–
18.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	–	–
19.	सीकर	सीकर	सीकर	–
20.	खेतड़ी	खेतड़ी	–	–

1	2	3	4	5
21.	झुंझुनूं	झुंझुनूं	–	–
22.	अलवर	अलवर	–	अलवर
23.	भरतपुर	भरतपुर	–	–
24.	कोटपूतली	कोटपूतली	–	–
25.	धौलपुर	धौलपुर	जयपुर	–
26.	जयपुर	जयपुर	–	जयपुर
27.	नगर वाहन सेवा	नगर वाहन सेवा	–	–
28.	द्रुतगामी आगार जयपुर	द्रुतगामी	–	–
29.	हिण्डौन	हिण्डौन	–	–
30.	उप नगरीय आगार	–	–	–
31.	कोटा	कोटा	कोटा	–
32.	झालावाड़	झालावाड़	–	–
33.	बूंदी	बून्दी	–	–
34.	टोंक	टोंक	–	–

परिशिष्ट-(2)

परिवहन निगम की विभिन्न कार्यशालाओं में मरम्मत तलब पड़ी वाहनों की सूचना

दिनांक 17-2-81

क्र.सं.	कार्यशाला का नाम	मरम्मत के लिए आगार कार्यशाला में	मरम्मत के लिए सम्भाग कार्यशाला में	मरम्मत के लिए केन्द्रीय कार्यशाला में
1	2	3	4	5
1.	जोधपुर	2	9	–
2.	आबूरोड़	2	–	–

(153)

1	2	3	4	5
3.	सिरोही	2	–	–
4.	बाड़मेर	–	–	–
5.	जालौर	1	–	–
6.	फलौदी	1	–	–
7.	बीकानेर	3	20	–
8.	सरदारशहर	4	–	–
9.	गंगानगर	4	–	–
10.	हनुमानगढ़	3	–	–
11.	अजमेर	8	17	166
12.	ब्यावर	2	–	–
13.	भीलवाड़ा	3	–	–
14.	नागौर	5	–	–
15.	उदयपुर	1	15	–
16.	बांसवाड़ा	1	–	–
17.	चित्तौड़गढ़	–	–	–
18.	डूंगरपुर	–	–	–
19.	सीकर	–	5	–
20.	खेतड़ी	2	–	–
21.	झुन्झुनूं	1	–	–
22.	अलवर	4	4	–
23.	भरतपुर	9	–	–
24.	कोटपूतली	11	–	–
25.	धौलपुर	1	–	–
26.	जयपुर	2	–	39
27.	नगर वाहन सेवा	–	–	–
28.	द्रुतगामी आगार	–	–	–
29.	हिन्डौन	2	–	–
30.	कोटा	5	19	–
31.	झालावाड़	4	–	–
32.	बूंदी	3	–	–
33.	टोंक	2	–	–
		88	89	197

परिशिष्ट–3

List of off-road Vehicles

(As position received upto 17-2-81 in Head Office)

S.No.	Name of depot	Vehl. No.	Dt. of off-road	Location
1	2	3	4	5
1.	Jodhpur	RSG 6730	11-2-81	Depot W/s.
2.	,,	RSM 7056	14-2-81	,,
3.	,,	RSG 7488	29-1-81	Div. W/s.
4.	,,	RSG 7481	5-2-81	,,
5.	,,	RSQ 4269	6-2-81	,,
6.	,,	RSG 3630	9-2-81	,,
7.	Abu road	RSM 7304	27-1-81	Depot W/s.
8.	,,	RRM 3421	27-1-81	,,
9.	,,	RSM 7050	22-1-81	Div. W/s.
10.	Sirohi	RSM 9532	21-1-81	Depot W/s.
11.	,,	RSM 1483	14-2-81	,,
12.	,,	RSG 6717	6-2-81	Div. W/s.
13.	Barmer	RRM 1786	27-1-81	,,
14.	,,	RRM 4667	16-2-81	,,
15.	Phalodi	RRM 4963	14-2-81	,,
16.	,,	RRM 1959	4-10-80	Depot W/s.
17.	(Falana) Jalore	RRM 1498	1-2-81	,,
18.	Bikaner	RRM 9769	17-12-80	Depot W/s.
19.	,,	RRM 9025	14-2-81	,,
20.	,,	RRM 9217	16-2-81	,,
21.	,,	RRG 2103	21-1-81	D.W.S.
22.	,,	RRG 6943	21-1-81	,,
23.	,,	RRG 7108	31-1-81	,,
24.	,,	RRM 7845	4-2-81	,,
25.	Sardarshahar	RRM 7327	9-1-81	Depot W/s.
26.	,,	RSG 2426	9-1-81	,,
27.	,,	RRM 8245	14-2-81	,,
28.	,,	RRG 6027	16-2-81	,,
29.	,,	RSG 2529	27-1-81	D.W.S.
30.	,,	RRG 3241	4-2-81	,,
31.	,,	RRG 1470	14-2-81	,,
32.	,,	RSG 2106	26-11-80	,,
33.	Ganganagar	RRM 7498	2-2-81	Depot W/s.
34.	,,	RSB 1330	3-2-81	,,
35.	,,	RRG 4440	6-2-81	,,
36.	,,	RRG 3187	10-2-81	,,
37.	,,	RSG 2325	4-10-80	D.W.S.
38.	,,	RSG 2326	11-12-80	,,
39.	,,	RSG 2107	27-12-80	,,
40.	,,	RSG 3168	28-1-81	,,
41.	,,	RRG 4385	2-2-81	,,

1	2	3	4	5
42.	Ganganagar	RSM 3944	16-2-81	D.W.S.
43.	Hanumangarh	RSG 2785	11-1-81	Depot W/s.
44.	,,	RRG 5861	29-1-81	,,
45.	,,	RRG 5546	4-2-81	,,
46.	,,	RSG 680	31-12-80	D.W.S.
47.	,,	RSG 2157	27-1-81	,,
48.	,,	RSM 3778	29-1-81	,,
49.	,,	RRM 610	4-2-81	,,
50.	,,	RRG 5897	6-2-81	,,
51.	,,	RRM 4973	12-2-81	,,
52.	Ajmer	RRG 6021	9-1-81	Depot W/s.
53.	,,	RRM 3155	23-1-81	,,
54.	,,	RSG 5608	8-2-81	,,
55.	,,	RSG 6211	8-2-81	,,
56.	,,	RJZ 6431	12-2-81	,,
57.	,,	RSM 3936	12-12-81	,,
58.	,,	RSG 7062	12-2-81	,,
59.	,,	RRM 2986	14-2-81	,,
60.	,,	RJZ 6017	27-8-80	D.W.S.
61.	,,	RSM 9880	3-11-80	,,
62.	,,	RSM 3083	16-1-81	,,
63.	,,	RRM 1966	21-1-81	,,
64.	,,	RSM 9739	9-2-81	,,
65.	Beawar	RRM 390	24-12-80	Depot W/s.
66.	,,	9614	—	,,
67.	Bhilwara	RRM 1079	29-1-81	,,
68.	,,	RSM 9728	4-2-81	,,
69.	,,	RRM 403	10-2-81	,,
70.	,,	RSM 8104	18-10-80	D.W.S.
71.	,,	RSM 9221	30-11-80	,,
72.	,,	RSQ 1767	4-2-81	,,
73.	,,	RRM 2147	10-2-81	,,
74.	Nagaur	RSM 7722	16-1-81	Depot W/s.
75.	,,	RSM 7723	8-2-81	,,
76.	,,	RSM 7704	4-2-81	,,.
77.	,,	RSM 9616	5-2-81	,,
78.	,,	RJW 1945	11-2-81	,,
79.	,,	RSM 7072	28-10-80	D.W.S.
80.	,,	RSM 856	17-12-80	,,
81.	,,	RSG 6201	10-1-81	,,
82.	,,	RSB 4122	5-2-81	,,
83.	Udaipur	RRM 1946	13-2-81	Depot W/s.
84.	Chittorgarh	7815	24-1-81	D.W.S.
85.	,,	6492	2-1-81	,,
86.	,,	7246	2-1-81	,,
87.	,,	3016	29-1-81	,,
88.	Banswara	6647		Depot W/s.
89.	,,	6326		D.W.S.
90.	,,	6807		,,
91.	,,	3885		,,
92.	,,	6496		,,

156

1	2	3	4	5
93.	Banswara	6478		D.W.S.
94.	,,	2113		
95.	Dungarpur	2102		,,
96.	,,	2320		,,
97.	,,	2558	4-2-81	,,
98.	,,	3172		,,
99.	,,	3612		,,
100.	Sikar	RSM 9284	14-1-81	,,
101.	,,	RSQ 2350	22-10-81	,,
102.	Khetri	RRM 7718	7-12-80	,,
103.	,,	RRG 6324	26-1-81	Depot W/s.
104.	,,	RRM 9861	8-1-81	,,
105.	,,	RSG 6015	8-1-81	D.W.S.
106.	Jhunjhunu	RRM 1083	14-1-81	,,
107.	,,	RSM 6208	18-1-81	,,
108.	Alwar	RSM 5981	8-2-81	,,
109.	,,	RRM 5561	10-2-81	Depot W/s.
110.	,,	RRG 2925	10-2-81	,,
111.	,,	RSG 5662	12-2-81	,,
112.	,,	RSM 2110	12-2-81	,,
113.	Bharatpur	RRM 9131	8-11-80	D.W.S.
114.	,,	RSG 296	9-1-81	Depot W/s.
115.	,,	RRM 594	14-1-81	,,
116.	,,	RSM 5852	14-1-81	,,
117.	,,	RSM 9326	23-1-81	,,
118.	,,	RSM 5980	23-1-81	,,
119.	,,	RRM 6024	8-2-81	,,
120.	,,	RSG 2784	10-2-81	,,
121.	,,	RSM 5863	8-2-81	,,
122.	,,	RSK 2205	3-2-81	,,
123.	Kotputli	RSM 852	20-4-80	D.W.S.
124.	,,	RJZ 6276	28-7-80	Depot W/s.
125.	,,	RJY 5054	5-8-80	,,
126.	,,	RSM 5887	7-6-80	,,
127.	,,	RRM 6447	6-1-81	,,
128.	,,	RRM 603	2-2-81	,,
129.	,,	RRG 7211	25-1-81	,,
130.	,,	RJL 4027	20-12-80	Depot W/s.
131.	,,	RSM 5737	26-12-80	,,
132.	,,	RSM 4048	22-5-80	,,
133.	,,	RRM 5560	16-12-80	,,
134.	,,	RRG 8690	14-2-81	,,
135.	,,	RSG 2213	14-2-81	D.W.S.
136.	Dholpur	RSG 72	9-1-81	,,
137.	Jaipur	RSG 591	16-2-81	Depot W/s.
138.	,,	RSM 4282	14-2-81	Depot W/s.
139.	Hindaun	RRM 6173	6-1-81	,,
140.	,,	RSM 9960	6-2-81	,,
141.	Kota	RSG 2152	12-12-80	,,
142.	,,	RSG 6225	11-1-81	,,
143.	,,	RRM 9043	11-1-81	,,

1	2	3	4	5
144.	Kota	RSG 1949	8-2-81	Depot W/s.
145.	„	RRG 1471	13-2-81	„
146.	„	RRM 3942	21-1-81	D.W.S.
147.	„	RSG 2109	30-1-81	„
148.	„	RSG 5749	30-1-81	„
149.	„	RSG 6213	5-2-81	„
150.	„	RRM 8853	7-2-81	„
151.	„	RRG 2484	30-1-81	„
152.	Jhalawar	RRM 6527	20-1-81	Depot W/s.
153.	„	RRG 4021	9-2-81	„
154.	„	RSG 5982	9-2-81	„
155.	„	RSG 5752	11-2-81	„
156.	„	RRG 3976	6-1-81	D.W.S.
157.	„	RSL 9567	12-1-81	„
158.	„	RSG 5788	21-1-81	„
159.	„	RRM 8692	29-1-81	„
160.	„	RSB 4094	4-2-81	„
161.	„	RRM 1711	6-2-81	„
162.	Bundi	RRM 6378	13-11-80	Depot W/s.
163.	„	RRM 7956	6-2-81	„
164.	„	RRM 8563	13-2-81	„
165.	„	RSL 282	29-1-81	D.W.S.
166.	„	RRM 6720	28-1-81	„
167.	„	RRG 1639	3-2-81	„
168.	„	RRM 8552	29-1-81	„
169.	Tonk	RRM 273	14-1-81	Depot W/s.
170.	„	RRG 2109	10-2-81	„
171.	„	RRM 8395	8-1-81	D.W.S.
172.	„	RRM 9924	21-1-81	„
173.	„	RSM 5675	23-1-81	„
174.	Beawar	RSM 9736	13-9-80	„
175.	„	RSM 9730	7-2-81	„
176.	„	RSB 463	12-2-81	„
177.	„	RRM 381	7-2-81	„

Rajasthan State Road Transport Corporation, Central Workshop, Ajmer

(*Vehicle seniority list as on* 11-2-81)

S.No.	Vehl. No.	Date of recep.	Recd. From
1	2	3	4
1.	RSM 9356 (L) 73	26-7-80	Kota
2.	RSM 7715 (L) 73	2-8-80	Kota
3.	RSM 9885 (L)	4-8-80	Kota

(158)

1	2	3	4
4.	RSM 9232 (L) 73	6-8-80	Kota
5.	RSM 9220 (L) 73	7-8-80	Udaipur
6.	RRM 279 (L) 74	8-8-80	Kota
7.	RJR 9030 (L) 71	16-8-80	Bikaner
8.	RSL 5672 (L)66	-do-	-do-
9.	RRL 5676 (T)	-do-	Sikar
10.	RRM 284 (L)74	-do-	Udaipur
11.	RSM 4102 (T) 71	18-8-80	Jodhpur
12.	RJL 9520 (L) 70	19-8-80	Bikaner
13.	RRM 258(L) 74	25-8-80	Udaipur
14.	RRM 6349 (L) 75	25-8-80	-do-
15.	RSM 5730 (L)	30-8-80	Alwar
16.	RSL 5727 (L)	-do-	Kota
17.	RSM 8503 (T) 73	-do-	Ajmer
18.	RRM 1784 (L) 74	2-9-80	Alwar
19.	RSM 7738 (T) 73	5-9-80	Jodhpur
20.	RRM 2564 (L) 74	6-9-80	Kota
21.	RSG 3230 (L) 76	-do-	Bikaner
22.	RSK 2206 (L) 71	8-9-80	Alwar
23.	RSM 8109 (T)73	-do-	Ajmer
24.	RSM 387 (T) 73	-do-	Sikar
25.	RSM 7466(T) 73	-do-	-do-
26.	RSM 9916 (T) 73	-do-	-do-
27.	RJZ 6049 (T) 71	-do-	-do-
28.	RSM 7705 (T)	9-9-80	-do-
29.	RSL 9273 (T) 70	-do-	-do-
30.	RRM 2675 (T) 74	-do-	Ajmer
31.	RRL 5680 (T) 70	-do-	-do-
32.	RSM 9731 (T) 73	10-9-80	-do-
33.	RSM 9224 (T) 73	13-9-80	-do-
34.	RRM 2561 (L) 74	-do-	Kota
35.	RSM 5978 (L)	-do-	-do-
36.	RSM 9757 (L) 73	13-9-80	-do-
37.	RSM 4100 (T) 71	15-9-80	Jodhpur
38.	RSM 9257 (L) 73	-do-	Kota
39.	RRM 6758 (L) 75	-do-	Bikaner
40.	RRM 861 (L) 73	-do-	Kota
41.	RRM 412 (L) 74	-do-	-do-
42.	RRM 1960 (L) 74	-do-	Alwar
43.	RRM 608 (L)	-do-	-do-
44.	RRM 3767 (T) 74	18-9-80	Sikar
45.	RRM 2069 (L) 69	22-9-80	Jaipur
46.	RSM 3090 (T)	-do-	Jodhpur
47.	RJZ 6388 (T)	23-9-80	Sikar
48.	RSQ 1763 (T) 71	23-9-80	Sikar
49.	RSM 9229 (L) 73	26-9-80	Kota
50.	RSG 3340 (L) 76	-do-	Bikaner
51.	RSM 9227 (L) 75	-do-	Udaipur
52.	RSM 8490 (L) 73	-do-	Udaipur
53.	RSM 8107 (T) 73	-do-	-do-
54.	RSM 8108 (T) 73	-do-	-do-

1	2	3	4
55.	RSM 7259 (T) 73	29-9-80	Jodhpur
56.	RRM 590 (T) 73	-do-	-do-
57.	RSM 7465 (T)	30-9-80	Ajmer
58.	RSM 7054 (T) 73	-do-	-do-
59.	RSM 8110 (T)	1-10-80	Jodhpur
60.	RJQ 985 (T) 71	3-10-80	-do-
61.	RSM 9531 (T)	4-10-80	Ajmer
62.	RSL 7961 (L) 66	-do-	Alwar
63.	RSM 9254 (L) 73	6-10-80	-do-
64.	RRM 6346 (L) 75	6-10-80	-do-
65.	RSM 9217 (T) 73	-do-	Ajmer
66.	RRM 1460 (T) 74	-do-	-do-
67.	RRM 260 (L)	-do-	Udaipur
68.	RSQ 1306 (L) 71	6-10-80	Alwar
69.	RSL 8338 (L) 70	-do-	-do-
70.	RSM 9745 (T) 73	-do-	Ajmer
71.	RSM 9753 (L) 73	8-10-80	UDR
72.	RSM 9360 (L) 73	-do-	-do-
73.	RRM 7304 (L) 75	-do-	-do-
74.	RSM 7719 (T) 73	9-10-80	JDP
75.	RSM 9747 (T) 73	-do-	Ajmer
76.	RSM 3360 (T) 71	-do-	-do-
77.	RSM 7802 (T) 73	-do-	-do-
78.	RRM 410 (L) 74	-do-	Udaipur
79.	RRM 613 (L) 74	-do-	-do-
80.	RSM 7450 (T) 73	10-10-80	Ajmer
81.	RRM 1067 (T) 74	-do-	Udaipur
82.	RSM 7724 (T)	-do-	AJM
83.	RRM 7499 (L) 75	11-10-80	KTH
84.	RSM 8496 (T) 73	-do-	AJM
85.	RSL 7362 (L) 70	13-10-80	UDR
86.	RSK 1765 (T) 70	14-10-80	AJM
87.	RRM 6721 (L) 75	-do-	BKR
88.	RRM 7891 (L) 75	15-10-80	-do-
89.	RSM 8493 (T) 73	-do-	AJM
90.	RRM 1066 (T) 74	17-10-80	-do-
91.	RSM 8498 (T) 73	21-10-80	-do-
92.	RSM 7729 (T) 73	23-10-80	UDR
93.	RSM 3163 (L) 76	-do-	-do-
94.	RSM 3145 (T) 71	24-10-80	JDP
95.	RSM 9259 (L)	27-10-80	KTH
96.	RSM 4150 (T) 71	30-10-80	JDP
97.	RSM 8482 (L) 73	3-11-80	UDR
98.	RRM 6174 (L) 75	18-11-80	ALW
99.	RRM 1494 (T)	21-11-80	JDP
100.	RRM 8857 (L) 75	28-11-80	BKR
101.	RSM 9744 (T) 73	1-12-80	AJM
102.	RJZ 350 (T) 73	2-12-80	AJM
103.	RRM 3943 (T) 74	3-12-80	JDP
104.	RSM 7303 (T) 73	4-12-80	JDP
105.	RSL 5434 (L) 66	5-12-80	JPR

1	2	3	4
106.	RRM 1482 (T) 74	6-12-80	JDP
107.	RRM 8299 (T)	9-12-80	AJM
108.	RRM 402 (T) 73	10-12-80	SKR
109.	RRM 1064 (T) 74	10-12-80	AJM
110.	RRM 871 (T) 74	11-12-80	—
111.	RRM 4216 (T) 74	11-12-80	JDP
112.	RSM 9213 (T)	13-12-80	AJM
113.	RSM 3937 (T) 71	13-12-80	—
114.	RSQ 2351 (L) 71	17-12-80	ALW
115.	RSM 7701 (T)	18-12-80	AJM
116.	RRM 617 (T) 73	-do-	-do-
117.	RRM 2262 (T) 74	19-12-80	-do-
118.	RRM 1465 (T) 74	19-12-80	-do-
119.	RSM 3144 (T) 71	23-12-80	SKR
120.	4105 (T) 71	24-12-80	JDP
121.	RJL 6636 (T) 70	-do-	AJM
122.	RRM 1968 (T)	25-12-80	JDP
123.	RSM 968 (T) 73	26-12-80	AJM
124.	RRL 8694 (T)	26-12-80	AJM
125.	RRM 1967 (T) 73	26-12-80	JDP
126.	RSG 7490 (T)	27-12-80	JDP
127.	RRM 2145 (T) 74	31-12-80	SKR
128.	RSG 6726 (T) 76	-do-	-do-
129.	RSG 7061 (T)	31-12-80	JDP
130.	RSM 9251 (T) 73	2-1-81	-do-
131.	RRM 3297 (T) 74	-do-	-do-
132.	RJA 1788 (L) 65	-do-	JPR
133.	RSM 9746 (T)	-do-	AJM
134.	RSL 7235 (L)	3-1-81	JPR
135.	RRL 2078 (L) 69	-do-	-do-
136.	RSM 3938 (T)	5-1-81	SKR
137.	RRM 6708 (L) 75	-do-	UDR
138.	RSM 8492 (T) 73	-do-	-do-
139.	RRM 396 (T) 74	-do-	-do-
140.	RRM 2556 (T) 74	-do-	-do-
141.	RRM 3955 (T) 74	-do-	AJM
142.	RSK 2208 (L) 71	6-1-81	ALW
143.	RSM 9216 (T) 73	9-1-81	JDP
144.	RRM 857 (T)	-do-	AJM
145.	RSK 1462 (L) 71	10-1-81	ALW
146.	RRM 5419 (T) 74	-do-	JDP
147.	RSG 3341 (L) 76	-do-	JPR
148.	RRM 6719 (L) 75	12-1-81	UDR
149.	RRM 5581 (L) 75	-do-	-do-
150.	RRM 3292 (T)	-do-	AJM
151.	RRM 3372 (T)	-do-	-do-
152.	RJY 5061 (L)	13-1-81	UDR
153.	RRM 6815 (L) 75	-do-	-do-
154.	RRM 3420 (T') 71	-do-	SKR
155.	RSM 3363 (T) 74	-do-	-do-
156.	RSM 4103 (T)	14-1-81	AJM

1	2	3	4
157.	RSM 7733 (T) 73	15-1-81	AJM
158.	RRM 1642 (T) 74	19-1-81	-do-
159.	RRM 1490 (T) 74	24-1-81	JDP
160.	RJR 9105 (L) 71	27-1-81	UDR
161.	RRM 851 (L) 74	29-1-81	-do-
162.	RSM 7721 (T) 73	-do-	AJM
163.	RSM 9886 (L) 73	-do-	UDR
164.	RSL 5690 (L)	31-1-81	JPR
165.	RSM 370 (T) 71	5-2-81	UDR
166.	RSL 5094 (L) 71	10-2-81	ALW

परिशिष्ट--4

केन्द्रीय कार्यशाला (लीलैण्ड) जयपुर में मरम्मत हेतु खड़ी वाहनों का विवरण

क्र. सं.	वाहन नम्बर		वाहन प्राप्ति दिनांक	संभाग/आगार	रिमार्क्स
1.	आर. आर. एम.	5879	22-10-80	जयपुर	अन्डर लो कास्टबाडी बिल्डिंग
2.	आर. आर. एम.	862	22-11-80	[illegible]	कोच रिपेयर हेतु
3.	आर. एस. एम.	4425	25-11-80	को[illegible]	,, ,,
4.	आर. आर. एम.	7578	2-12-80	बीकानेर	सीट कुशन के अभाव में तैयार
5.	आर. आर. एम.	6983	2-12-80	बीकानेर	,, ,,
6.	आर. आर. एम.	6443	11-12-80	बीकानेर	,, ,,
7.	आर एस. एम.	9755	11-12-80	बीकानेर	,, ,,
8.	आर. आर. एम.	598	11-12-80	बीकानेर	,, ,,
9.	आर. एस. एम.	5862	22-12-80	बीकानेर	अन्डर लो कास्टबाडी बिल्डिंग
10.	आर. एस. जी.	3234	22-12-80	बीकानेर	कोच रिपेयर हेतु
11.	आर. आर. एम.	2856	19-12-80	बीकानेर	,, ,,
12.	आर. आर. एम	7452	19-12-80	बीकानेर	,, ,,
13.	आर. एस. एम.	9755	17-12-80	बीकानेर	,, ,,
14.	आर. आर. एम.	618	19-12-80	बीकानेर	अन्डर लो कास्टबाडी बिल्डिंग
15.	आर. एस. के.	2245	10-12-80	बीकानेर	,, ,,
16.	आर. जे. ए.	3012	30-12-80	अलवर	,, ,,
17.	आर. आर. जी.	8692	30-12-80	अलवर	कोच रिपेयर हेतु
18.	आर आर. जी.	8715	30-12-80	अलवर	,, ,,
19.	आर. एस. एम.	5729	13-1-81	अलवर	अन्डर लो कास्टबाडी बिल्डिंग.
20	आर. एस. एम.	4417	13-1-81	अलवर	कोच कार्य हेतु
21.	आर. एस. जी.	6215	16-1-81	जयपुर	कोच रिपेयर हेतु
22.	आर. एस. जी.	5864	22-1-81	बीकानेर	,, ,,
23	आर. एस जी.	3346	22-1-81	बीकानेर	,, ,,
24.	आर. एस. जी.	3732	2-2-81	जयपुर	मांग लाइन
25.	आर. एस. जी.	2540	2-2-81	जयपुर	,,
26.	आर. एस. जी.	2022	2-2-81	जयपुर	,,
27.	आर. एस. एम.	8507	4-2-81	बीकानेर	,,
28.	आर. आर. एम.	2056	3-2-81	जयपुर	,,
29.	आर. आर. एम.	1854	3-2-81	अलवर	,,
30.	आर. एस. जी.	2817	9-2-81	जयपुर	,,
31.	आर. आर. एम.	7501	9-2-81	कोटा	,,

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 35 की सूची)

सीकर जिले में वर्ष 1979–80 एवं वर्ष 80–81 में विभिन्न मदों के अन्तर्गत आवंटन एवं व्यय निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	मद	वर्ष 1979–80		वर्ष 1980–81		दिसम्बर, 80 तक जनवरी, 81 व्यय
		आवंटित राशि	व्यय	आवंटित राशि	व्यय	
1.	कृषि	14.38	24.48	23.14	11.10	12.39
2.	भू–जल	24.02	6.43	16.70	6.35	7.06
3	लघु सिचाई	31.86	18.52	42.98	21.55	23.61
4.	पशु एवं डेयरी	50.00	—	—	—	—
5.	पशु स्वास्थ्य	4.67	2.26	9.22	2.23	2.23
6.	भेड़ विकास	0.24	—	4.36	—	0.50
7.	विद्युत्	99.02	97.02	49.00	38.00	38.00
8.	वन विकास	30.71	17.22	28.16	26.35	28.04
9.	सहकारिता	1.67	1.67	1.24	—	—
10.	जिला विकास अभिकरण	5.55	5.33	6.24	4.93	5.25
11.	दुग्ध मार्ग	—	—	0.02	—	—
12.	ग्रामीण विकास सेवायें	—	—	0.05	—	—
13.	लघु विकास अभिकरण जैसी सुवि.	9.00	9.00	8.00	2.16	2.16
	योग:–	271.12	181.93	189.11	112.67	119.24

(१६५)

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का अनुबन्ध)

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक प. 14 (17) चि. स्वा./78/ग्रुप-2, दिनांक 25 जुलाई, 1980 की ओर से जे. एस. कुमार, विशिष्ट शासन सचिव वास्ते जिलाधीश, सीकर एवं प्रतिलिपि निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है।

विषय:–श्रीमती आध्या कुमारी प्रसूति गृह सीकर के भवन को श्री कल्याण आरोग्य सदन ट्रस्ट को हस्तान्तरण करने हेतु :

संदर्भ:–आपका अ. शा. पत्र संख्या 1603/सामान्य/80 दिनांक 29-5-80

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमती आध्या कुमारी प्रसूति गृह सीकर के वर्तमान भवन एवं भूमि को श्री कल्याण आरोग्य सदन ट्रस्ट सांवली (सीकर) को 99 साल की लीज पर आवंटित करने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है :—

(1) श्री कल्याण आरोग्य सदन ट्रस्ट द्वारा उपरोक्त भवन एवं भूमि को बदले में श्री कल्याण अस्पताल, सीकर (राजकीय जिला अस्पताल) के प्रांगण में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र का भवन लगभग 5 लाख रुपये की लागत से है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहमति से जिलाधीश सीकर द्वारा अनुमोदित नक्शे अनुसार कराया जावेगा। यह निर्माण कार्य राज्य सरकार की स्वीकृति जारी होने की दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जावेगा।

(2) उपरोक्त मातृ शिशु कल्याण केन्द्र का नाम श्रीमती आध्या कुमारी मातृ शिशु कल्याण केन्द्र ही रखा जावेगा तथा इस आशय का एक शिला पट्टे नव निर्मित भवन पर लगाया जायेगा।

(3) श्रीमती आध्या कुमारी प्रसूति गृह की वर्तमान भवन एवं भूमि को श्री कल्याण आरोग्य सदन ट्रस्ट द्वारा सीकर कस्बे में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार तथा इससे सम्बन्धित सेवाओं के विकास के लिए ही उपयोग में लिया जावेगा। इसके किसी भी अन्य कार्य हेतु किसी भी स्थिति में उपयोग करने पर वर्तमान एवं भावी सीमा निर्माण सहित सारे भवन एवं भूमि राज्य सरकार द्वारा पुनः किसी मुआवजे के वापिस अधिग्रहण कर ली जावेगी।

(4) शर्त संख्या 3 में ट्रस्ट द्वारा सेवाओं के विकास हेतु अधिकाधिक 5 सदस्यों की एक समिति का गठन किये जाने की भी राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष श्री कल्याण आरोग्य सदन ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में श्री बद्रीनारायण जी सोढाणी होंगे तथा इस समिति में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त जिलाधीश, सीकर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर सदस्य होंगे। अन्य दो सदस्यों का चयन ट्रस्ट द्वारा जिलाधीश की अनुमति से किया जावेगा।